बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रतिरोध से प्रगति की ओर

FROM RESILIENCE TO GROWTH

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2020-21

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्रीमती दक्षिता दास, श्रीमती मोनिका कालिया (कार्यपालक निदेशक), श्री एम. कार्तिकेयन (कार्यपालक निदेशक), श्री ए. के. दास (एमडी एवं सीईओ), श्री सुब्रत दास, श्री पी. आर. राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक), श्री स्वरुप दासगुप्ता (कार्यपालक निदेशक), श्री पी. एन. प्रसाद

Smt. Dakshita Das, Smt. Monika Kalia (Executive Director), Shri M. Karthikeyan (Executive Director), Shri A. K. Das (MD & CEO), Shri Subrata Das, Shri P. R. Rajagopal (Executive Director), Shri Swarup Dasgupta (Executive Director), Shri P. N. Prasad

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
कट ऑफ तारीख	रिमोट ई वोटिंग तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने के लिए 13 जुलाई 2021	Cut of date	13th July 2021 for remote E-voting and to participate in AGM through VC
लेखाबंदी तिथि	16 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 (दोनों दिन शामिल)	Book Closure	16th July 2021 to 20th July 2021 (Both days inclusive)
रिमोट ई-वोटिंग	आरंभ 16 जुलाई 2021 (सुबह 10 बजे) अंत 10 जुलाई 2021 (शाम 5.00 बजे)	Remote E-voting	Start 16th July 2021 (10 A.M.) End 19th July 2021 (5 P.M.)
25 वीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार 20 जुलाई 2021 सुबह 11.00 बजे, विडियो कान्फ्रन्सिंग (वीसी) - अन्य ऑडियो विशुअल माध्यम (ओएवीएम)	25th Annual General Meeting	Tuesday, 20th July 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	सांविधिक लेखा परीक्षक	2	Statutory Auditors
2	महाप्रबंधक	2	General Managers
3	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	3	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

7	निदेशक रिपोर्ट	11	Directors' Report
15	प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण	33	Management Discussion & Analysis
48	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट	48	Corporate Social Responsibility Report
50	कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट	50	Corporate Governance Report
72	निदेशकों की गैर - अयोग्यता प्रमाणपत्र	72	Certificate of Non-disqualification of Directors
73	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म MR-3)	73	Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
78	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण	78	CEO/CFO Certificate
78	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	78	Declaration by CEO
215	बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन	244	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
270	आम बैठक की सूचना	270	Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

80	तुलनपत्र	80	Balance Sheet
81	लाभ एवं हानि खाता	81	Profit & Loss Account
82	नकदी प्रवाह विवरण	82	Cash Flow Statement
90	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	90	Significant Accounting Policies
103	खातों के भाग स्वरुप टिप्पणियां	103	Notes Forming Part of Accounts
149	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	149	Independent Auditor's Report
161	समेकित वित्तीय विवरण	161	Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक / Statutory Auditors

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कं., सनदी लेखाकार	M/s. Chaturvedi & Co, Chartered Accountants
मेसर्स वी शंकर अय्यर एण्ड कं., सनदी लेखाकार	M/s. V Sankar Aiyar & Co, Chartered Accountants
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	M/s. Laxmi Tripti & Associates, Chartered Accountants

महाप्रबंधक / General Managers

देवेंद्र शर्मा (सी.वी.ओ.)	DEVENDRA SHARMA (C.V.O)	प्रशांत जयवंत नाईक	PRASHANT JAYWANT NAIK
राजकुमार मित्रा	RAJ KUMAR MITRA	पीनापला हरि किशन	PINAPALA HARI KISHAN
श्रीनिवास रवि कुमार जोस्युला	SRINIVASA RAVI KUMAR JOSYULA	प्रफुल्ल कुमार गिरी	PRAFULLA KUMAR GIRI
परशुराम पंडा	PARSHURAM PANDA	लोकेश कृष्णा	LOKESH KRISHNA
अरूण कुमार जैन	ARUN KUMAR JAIN	शारदा भूषण राय	SHARDA BHUSHAN RAI
मनोज दास	MONOJ DAS	कुलदीप जिंदल	KULDEEP JINDAL
सुरेश कुमार वर्मा	SURESH KUMAR VERMA	गिरीश कुमार सिंह	GIRISH KUMAR SINGH
लाल बृज	LAL BRIJ	वि. आनंद	V. ANAND
प्रकाश कुमार सिन्हा	PRAKASH KUMAR SINHA	ज्ञानेश्वर जगन्नाथ प्रसाद	GYANESHWAR JAGANNATH PRASAD
अभिजीत बोस	ABHIJIT BOSE	राजेन्द्र एम. पाण्डेय	RAJENDRA MAN PANDEY
अशोक कुमार पाठक	ASHOK KUMAR PATHAK	नितीन गोविंदराव देशपांडे	NITIN GOVINDRAO DESHPANDE
मकरंद दिवाकर अत्रे	MAKARAND DIWAKAR ATREY	बिक्रम केशरी मिश्र	BIKRAM KESHARI MISHRA
सुधीरंजन पाढ़ी	SUDHIRANJAN PADHI	कामेश मंथा	KAMESH MANTHA
शिव प्रकाश काली	SIVA PRAKASH KALI	विश्वजीत सिंह	VISHWAJEET SINGH
श्रीपाद डी.एस. कारापूरकर	SRIPAD DINANATA SINAI CARAPURCAR	सुरेंद्र मोहन बंसल	SURENDER MOHAN BANSAL
राजेश कुमार राम	RAJESH KUMAR RAM	प्रमोद कुमार बथल	PRAMOD KUMAR BATHAL
शिव बजरंग सिंह	SHIV BAJRANG SINGH	राघवेंद्र कुमार	RAGHVENDRA KUMAR
सुनिल शर्मा	SUNIL SHARMA	मुकुंद दिगंबर कुलकर्णी	MUKUND DIGAMBAR KULKARNI
धर्मवीर सिंह शेखावत	DHARMVEER SINGH SHEKHAWAT	प्रशांत थपलीयाल	PRASHANT THAPLIYAL
		उद्दलोक भट्टाचार्य	UDDALOK BHATTACHARYA
कुरपति वेंकटेश्वर प्रकाश	KOORAPATI VENKATESWARA PRAKASH	**सी.एफ.ओ.** - शंकर सेन	**C.F.O.** - SANKAR SEN
सुशांता शेखर दाश	SUSANTA SEKHAR DASH		

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारकों एवं हितधारकों,

1. सर्वप्रथम, मैं आपके बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

2. हमारे जीवनकाल में वर्ष 2020-21 एक अलग ही किस्म का वर्ष रहा है। विश्वव्यापी महामारी जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल एवं लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई, से अनगिनत लोगों की जान और आजीविका चली गई। इस भयानक महामारी से कोई भी देश और कोई भी अर्थव्यवस्था अछूती नहीं रही। इसके अलावा महामारी की अवधि एवं प्रचंडता लंबी रही जिसमें वायरस के तेजी से बार-बार बदले हुए कई प्रकार भी थे। आर्थिक नुकसान से ज्यादा, मानवमात्र को नुकसान एवं महामारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुआ जिससे चिन्ता एवं अनिश्चितता का वातावरण निर्मित हुआ।

3. तथापि, इस महामारी के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया भी कम उल्लेखनीय नहीं है और समूचे विश्व ने बड़े धैर्य के साथ, एकजुट होकर लगातार इससे संघर्ष किया। परिणामस्वरूप, अब हमारे पास कई प्रकार की वैक्सीन हैं और सभी देशों में टीकाकरण का अभियान बड़ी तेजी से जारी है। कई देशों की सरकार एवं मौद्रिक प्राधिकरणों ने पूरे सहयोग एवं समन्वय के साथ परंपरागत/गैर-परंपरागत मौद्रिक उपायों और उदार प्रोत्साहन पैकेज का सहारा लिया जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत हद तक कम हुई हैं। इस संबंध में भारत अग्रणी रहा है।

4. आईएमएफ ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान 2020 में वैश्विक उत्पादन में 3.3% की कमी का अनुमान लगाया है जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 4.7% और विकासशील अर्थव्यवस्था में 2.2% की कमी होने का अनुमान शामिल है। तथापि, एक सकारात्मकता यह है कि आईएमएफ ने 2021 में वैश्विक वृद्धि में 6.0% उछाल आने का पूर्वानुमान लगाया है।

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 25th Annual General Meeting of your Bank. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2021.

2. The year 2020-21 has been an unprecedented year in our living memory. The pandemic on global scale leading to health emergency and the lockdown that followed caused loss of lives and livelihood for countless people. No nation and no economic sector remained unaffected by the great pandemic. Moreover, the duration and intensity of pandemic was elongated by multiple mutant varieties of virus resurfacing in quick succession. This has brought in severe social and economic strain. More than economic loss, it is the human loss and the psychological impact of the pandemic that has created an environment of anxiety and uncertainty.

3. However, human responses to the pandemic have been equally remarkable and the entire globe fought unitedly and relentlessly with great fortitude. As a result, we now have multiple varieties of vaccines and vaccination drive is in full swing across all the countries. With coordinated and co-operative effort, the Government and Monetary Authorities of several countries have resorted to liberal stimulus packages and conventional/unconventional monetary measures, which have lessened the economic distress to a great extent. In this regard, India has been a front runner.

4. The IMF, in its recent World Economic Outlook has estimated global output to have contracted by 3.3% in 2020, with the GDP of Advanced economies contracting by 4.7% and that of Developing economies by 2.2%. However, on a positive note, IMF has forecast global growth to rebound to 6.0% in 2021.

5. घरेलू स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में अत्यधिक नकारात्मक वृद्धि दर के साथ जीडीपी में 7.3% की कमी आई है। सीपीआई मुद्रास्फीति, पिछली तिमाही को छोड़कर अधिकतर अवधि में आरबीआई के 6.0% के सहन स्तर से अधिक बनी रही,- इसका कारण खाद्य और ईंधन दोनों में मुद्रास्फीति है।

6. बैंकिंग उद्योग में वर्ष 2019-20 के दौरान जमाराशियों में हुई 7.9% की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में 11.4% की उच्चतर वृद्धि हुई। दूसरी ओर, अग्रिम में वृद्धि, विशेषकर वर्ष की पहली छमाही में धीमी बनी रही। हालांकि, वर्ष के उत्तरार्ध में इसमें गति आई। पूरे वर्ष के लिए बैंक ऋण में 2019-20 के 6.1% की तुलना में वृद्धि दर 5.6% रही। सरकारी प्रतिभूति आय जो कि वर्ष की आरंभिक अवधि में अपेक्षाकृत अधिक रही बाद में कुछ कम हुई परन्तु बाद में अगस्त, 2020 में इसमें वृद्धि हुई। आरबीआई के कई उपायों का अनुसरण करते हुए, आय कम हो गई तथा दूसरी छमाही के दौरान यह रेंज बाउंड रही, सिवाय, अंत में जब 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा उच्चतर उधार लक्ष्यों, यूएस ट्रेजरी आय में बढ़ोत्तरी एवं कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण आय पुन: बढ़ी।

7. आरबीआई द्वारा आर्थिक दबाव को कम करने के लिए की गई विशेष व्यवस्था सहित कई मौद्रिक उपायों की घोषणा की गई जिनका कार्यान्वयन बैंक ने पूरी गंभीरता के साथ किया है जिनमें से नीतिगत दरों अर्थात् रेपो रेट्स और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी, मीयादी ऋण की किस्त का स्थगन और ब्याज अदायगी का स्थगन, विराम को लागू करना, स्थगन अवधि के लिए ब्याज पर लगाए गए ब्याज की वापसी, टीएलटीआरओ के अंतर्गत चलनिधि सहायता, दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एकबारगी पुन:संरचना योजना उल्लेखनीय हैं।

8. आरबीआई के अलावा, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है जो जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता के प्रमुख स्रोत हैं। ये हैं : ईसीएलजीएस, एमएसएमई क्षेत्र के लिए गौण ऋण योजनाएँ, एनबीएफसी के लिए पीसीजीएस, स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएमस्वनिधि, कृषि इंफ्रा, पशुपालन एवं मत्स्यपालन आदि को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ।

9. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र ने लाभ में बढ़ोत्तरी और एनपीए के अनुपातों में कमी के साथ समग्र रूप से सुधार का प्रदर्शन किया है। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, परिचालन लाभ में वृद्धि हुई और बैंकों ने 2019-20 में हानि के बदले निवल लाभ दर्ज किया। मार्च 2021 में सकल एनपीए एवं निवल एनपीए, दोनों राशि एवं अनुपातवार कम रहे; वास्तव में, यह अन्यों के साथ-साथ, आरबीआई के विनियामक प्रबंध उपायों की सहायता से हुआ। सरकार द्वारा पूंजी लगाने एवं बैंकों द्वारा पूंजी बढ़ाने से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति भी मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में उच्चतर रही।

10. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, आपके बैंक के द्वारा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरंभ की गई नई पहलें तथा बैंक के कार्य-निष्पादन के प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत हैं:

- बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष 2021 हेतु रु. 2160 करोड़ के निवल लाभ के साथ टर्न अराउंड किया।
- जमाराशियों(वैश्विक) की लागत वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 4.57% से घटकर वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 4.10% हो गयी अर्थात् 47 बीपीएस कम।
- बैंक की कासा जमाराशियाँ(घरेलू) वर्ष-दर-वर्ष 13.61% बढ़ी और मार्च, 2021 में कासा अनुपात 41.27% हो गया।

5. Domestically, GDP contracted by 7.3% during FY 2020-21, with deep negative growth rate in the first half. The CPI inflation remained elevated, above RBI's tolerance level of 6.0% for most of the period, except for the last quarter, because of both food and fuel inflation as well as core inflation.

6. The Banking industry witnessed higher deposits growth of 11.4% during 2020-21 against 7.9% growth during 2019-20. On the otherhand, advances growth remained subdued, particularly, during the first half of the year although it gathered pace towards later part of the year. For the full year, the bank credit registered a growth rate of 5.6% against 6.1% during 2019-20. The G-Sec yield which was relatively high in the initial period of the year sobered down later but hardened later towards August 2020. Following several measures by RBI, yield moved downwards and during the second half it remained range bound, except towards end when the yield again rose on account of higher borrowing target by the Government during 2021-22, increase in US treasury yield and rise in crude oil prices.

7. Several monetary measures including special dispensation meant for alleviating economic stress were announced by the RBI, which the Bank implemented fully with right earnest. Notably among them are-reduction in policy rates i.e. Repo rates and Cash Reserve Ratio, moratorium on term loan instalment and deferment of interest repayment, applying stand still clause, refund of interest on interest for the moratorium period, liquidity support under TLTRO, one-time restructuring scheme for the stressed sectors.

8. Apart from the RBI, several stimulus packages were also announced by the Government of India under Atma Nirbhar Bharat Abhiyan, which have been major sources of financial support to the needy sectors. These are: ECLGS, Subordinate debt schemes for MSME Sector, PCGS for NBFCs, PMSVANidhi for street vendors, Schemes for promoting Agri infra, animal husbandry and fisheries etc.

9. The Banking Sector during FY 2020-21 displayed an overall improvement with rise in profits and reduction in NPA ratios. For most of the PSBs, there was rise in operating profits and the banks posted Net profits against losses in 2019-20. The Gross NPA and Net NPA, both amount and percentage wise also stood lower in March 2021; of course with the support from the RBI's measure of regulatory dispensation, among others. With capital infusion by the Government and capital raising by banks, the capital adequacy position of PSBs also stood higher in March 2021 compared to March 2020.

10. Against the above backdrop, let me present before you the highlights of the Bank's performance and major initiatives taken by your Bank during the FY 2020-21.

- The Bank made turn around with a Net profit of Rs.2160 crore for the full year FY21.
- Cost of Deposits (Global) came down from 4.57% during FY20 to 4.10% in FY21, i.e. by 47 bps.
- CASA Deposits (Domestic) of the Bank rose by 13.61% YoY and CASA ratio stood at 41.27% in March 2021.

- रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई(RAM) वर्ग को दिए अग्रिम में 10.57% की वृद्धि हुई है और इसका हिस्सा मार्च 2020 में 47.15% से बढ़कर मार्च 2021 में 51.60% हो गया है। रिटेल क्रेडिट में वर्ष-दर-वर्ष 11.87% और एमएसएमई में 12.74% की वृद्धि हुई है।
- सकल एनपीए मार्च 2020 में रु. 61,550 करोड़ था जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घटकर मार्च 2021 में रु. 56,535 करोड़ हो गया।
- सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 में 14.78% था जो कि सुधरकर मार्च 2021 में 13.77% हो गया। निवल एनपीए अनुपात भी मार्च 2020 में 3.88% था जो कि सुधरकर मार्च 2021 में 3.35% हो गया।
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2020 में 83.74% था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 86.24% हो गया।
- क्रेडिट लागत पर्याप्त रूप से वित्तीय वर्ष 2020 के 4.06% से सुधरकर वित्तीय वर्ष 2021 में 1.80% हो गयी।
- स्लिपेज अनुपात मार्च 2020 के 4.61% से घटकर मार्च 2021 में 2.40% हो गया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2020 के 13.10% के बदले सुधरकर 14.93% हो गया।
- हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020 में निवल ब्याज मार्जिन(एनआईएम) 2.93% से घटकर 2.48% हो गया है और यह मुख्य रूप से जमाराशियों में अत्यधिक वृद्धि, एमसीएलआर में कमी और एमसीएलआर से आरबीएलआर में खातों के अंतरण के कारण हुआ है। वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक का कार्यनीतिक फोकस अच्छी आस्ति गुणवत्ता के साथ-साथ बेहतर परिचालन दक्षता, मार्जिन सुधार पर बना हुआ है।

11. पहल

आपका बैंक, विभिन्न कार्यात्मक एवं परिचालनात्मक क्षेत्रों में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है ताकि बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ प्रमुख हैं :

- दवाबग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोविड इमरजेंसी क्रेडिट सपोर्ट स्कीम (सीईएसएस) आरंभ की है जिसमें कार्पोरेट, एमएसएमई, कृषि एवं व्यक्तिगत ऋण योजना शामिल हैं और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग रु.9000 करोड़ का संवितरण किया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय योजनाओं जैसे एमएसएमई क्षेत्र हेतु ईसीएलजीएस एवं गौण ऋण योजनाएं, एनबीएफसी हेतु पीसीजीएस, केसीसी सेचुरेशन, कृषि संरचना, पशु पालन संरचना एवं मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्त और इन सब से बढ़कर पीएमस्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी वित्त प्रदान किए गए हैं।
- जरूरतमंद ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल टच प्वाइंट (कॉल सेंटर, वेबसाइट एवं ऐप) के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग (डीबीएस) आरंभ की गई है।
- क्रेडिट मूल्यांकन, क्रेडिट गुणवत्ता को सुधारने एवं टीएटी कम करने के लिए, कृषि, एमएसएमई एवं रिटेल श्रेणी में विशेष प्रोसेसिंग केंद्रों को आपके बैंक द्वारा बढ़ाया जा रहा है। पहले ही कृषि प्रोसेसिंग केंद्रों की संख्या मार्च 2020 के 57 केंद्रों से बढ़कर मार्च 2021 में 77 हो गयी है और रिटेल कारोबार केंद्रों की संख्या 60 से 73 हो गयी है। एमएसएमई केंद्र जो मार्च 2021 में 60 थे, उन्हें बढ़ाकर 90 से अधिक किया जा रहा है।

- Advances to Retail, Agriculture and MSME (RAM) segments increased by 10.57% and its share improved from 47.15% in March 2020 to 51.60% in March 2021. Retail Credit went up by 11.87% YoY and MSME by 12.74%.
- Gross NPAs came down from Rs.61,550 crore in March 2020 to Rs. 56,535 crore in March 2021.
- Gross NPA ratio improved from 14.78% in March 2020 to 13.77% in March 2021. Net NPA ratio also improved from 3.88% in March 2020 to 3.35% in March 2021.
- Provision Coverage Ratio (PCR) stood higher at 86.24% in March 2021 compared to 83.74% in March 2020.
- Credit Cost substantially improved from 4.06% in FY 20 to 1.80% in FY 21.
- Slippage ratio came down from 4.61% in March 2020 to 2.40% in March 2021.
- The Capital Adequacy Ratio improved to 14.93% against 13.10% in March 2020.
- However, there has been drop in Net Interest Margin (NIM) from 2.93% in FY20 to 2.48% in FY21, primarily because of higher growth in deposits, reduction in MCLR and migration of accounts from MCLR to RBLR. The Bank's strategic focus during the current year remains directed towards improved operative efficiency, towards margin improvement, apart from sound asset quality.

11. Initiatives

Your Bank has been taking various initiatives for improvement in various functional and operational areas so as to enhance competitive strength of the Bank. Notably among them are:

- Launching of COVID Emergency Credit Support Schemes (CESS) for stressed sectors encompassing Corporate, MSME, Agriculture as well as personal loan scheme and sanctioning around Rs. 9000 crore under the various schemes.
- Rolling out of various financing Schemes under Atmanirbhar Bharat Abhiyan such as ECLGS and Subordinate debt Schemes for MSME sector, PCGS for NBFCs, financing under KCC saturation, Agri Infrastructure, Animal husbandry infra and Matsya Sampada Yojana and above all financing under PMSVANidhi Scheme.
- Door Step Banking (DSB) through Universal Touch Points (Call Centre, Website and an App) introduced for providing banking services to the needy customers.
- For improving credit appraisal, credit quality and reducing TAT, special processing centres in Agriculture, MSME and Retail segments are being increased by your Bank. Already agriculture processing centres (Krishi Vikash Kendras) have been increased from 57 in March 2020 to 77 in March 2021 and Retail Business Centres from 60 to 73. MSME processing centres which are 60 in March 2021 is being expanded to over 90.
- Tech-driven Credit Monitoring System for tracking of

- वर्ष के दौरान ''अर्ली वार्निंग सिग्नलस्'' का पता लगाने के लिए टेक-ड्राइवन क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम आरंभ किया गया ताकि आस्ति गुणवत्ता एवं सुरक्षात्मक उपायों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
- आईटी के क्षेत्र में, फिनेकल 10 के तकनीकी प्लेटफार्म का उन्नयन अंतिम चरण में है तथा यह वर्ष 2021-22 के दौरान आरंभ हो जाएगा। ई-प्लेटफार्म की स्थापना हमारे ग्राहकों को उधार प्रक्रिया में एंड-टू-एंड डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित की जा रही है। इस बेहतर एमआईएस सिस्टम एवं डाटा विश्लेषण के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में बैंक को सहायता मिलेगी।
- दस्तावेज प्रबंधन सिस्टम (डीएमएस) एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा संविदा संबंधी कागजातों का निष्पादन, भंडारण एवं पुनःप्राप्ति डिजिटली रूप में की जाती है। इस सिस्टम को चयनित राज्यों में आरंभ कर दिया गया है जिससे क्रेडिट सुपुर्दगी की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- बैंकिंग बड़े स्तर पर जनता के लिए एक आवश्यक सेवा है और फील्ड स्तर के स्टाफ को कोविड-19 का संक्रमण होने की अधिक संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक ने इसके कार्यान्वयन हेतु, न केवल स्टाफ की संरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में अपितु सेवाओं की निरंतरता को भी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एसओपी/एडवाजरी तैयार की हैं। इसके बावजूद, संक्रमण एवं उपचार के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न कर्मचारी उन्मुख योजनाएं तैयार की हैं और उपाय किए गए हैं।
- कौशल बढ़ाने एवं प्रतिभा विकास के उद्देश्य से, आपका बैंक सर्वोत्तम मानव संसाधन व्यवहार अपना रहा है। पूर्व में आरंभ किए गए कार्यनिष्पादन प्रबंधन सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है। वर्ष के दौरान ''एम्प्लाई एन्गेजमेंट एंड कनेक्ट'' नामक कर्मचारी सबद्धता सर्वेक्षण(स्टार अन्वेषण) किया गया था। आपके बैंक ने सभी वर्टीकलों में मुख्य प्रबंधकीय एवं नेतृत्व वाले पद प्रदान करने के लिए उत्तराधिकार योजना एवं प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

12. मैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने पद से निवृत्त हुए श्री जी.पद्मनाभन, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री सी.जी.चैतन्य, कार्यपालक निदेशक, श्री डी.हरीश, गैर-कार्यपालक निदेशक एवं श्री डी.सरकार, गैर-कार्यपालक निदेशक सहित आपके बैंक के बोर्ड के निदेशकों के प्रति उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान हेतु आभार प्रकट करता हूँ। बैंक भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने उत्कृष्ट सहयोग तथा बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। मैं, बैंक की ओर से तथा अपनी ओर से, अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, शेयरधारकों तथा हितधारकों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों को, हमारे प्रति विश्वास, भरोसे एवं सहयोग हेतु, आभार प्रकट करता हूँ और उनके सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करता हूँ। अंत में, मैं बहुत कठिन परिस्थितियों एवं फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं की सच्ची भावना से परिपूर्ण अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के निष्ठापूर्ण एवं अबाधित प्रयासों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं के साथ,

ए.के.दास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

'Early Warning Signals' was rolled out during the year for ensuring assets quality and building in safeguards.

- In the area of IT, the upgradation of technology platform to Finacle 10 is in final stage and will be rolled out during 2021-22. E-platform is being instituted for providing our customers an end-to-end digital journey in lending process, apart from enabling the Bank to widen customer outreach through improved MIS system and data analytics.
- Document Management System (DMS) by which execution, storage and retrieval of contract documents are undertaken digitally has been rolled out in select states, which will quicken the process of credit delivery.
- Banking, being an essential service to the public at large, the field level staff are more prone to Covid-19 infections. Keeping this in view, the Bank has formulated comprehensive SOP/advisories for implementation, not only to ensure safety and well-being of the staff but also to ensure continuity of services. Apart from this, in order to alleviate the financial stress on account of infection and treatment, the Bank has formulated various employee oriented schemes and measures.
- Your Bank, in order to upgrade skill and nurture talent, has been adopting best HR practices. The Performance Management system which was rolled out earlier has been further improvised during the year. The 'Employee Engagement & Connect', the survey on employee engagement (Star Anveshan) was concluded during the year. Your Bank has put in place a system of Succession Planning and Talent Management for providing key managerial and leadership positions across all verticals.

12. I wish to place on record the valuable contribution made by the Directors on your Bank's Board including Shri G Padmanabhan, the Non-Executive Chairman, Shri C.G.Chaitanya, Executive Director, Shri D. Harish, Non-Executive Director and Shri D. Sarkar, Non-Executive Director who demitted office during the year 2020-21. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank our Business Associates, Customers, Shareholders and Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association. We look forward to their continued patronage, guidance and support. Last, but not the least, I also place on record my appreciation for the sincere and unstinted efforts put in by our committed staff members, in the most trying circumstances and in the true spirit of frontline Covid Warriors.

With warm regards

A. K. Das
MD & CEO

निदेशक रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, लेखा-परीक्षित लेखा विवरणी तथा नकद प्रवाह विवरणी के साथ, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता है।

कार्य-निष्पादन:

घरेलू कारोबार :

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 8.72% वृद्धि हुई है। यह 31 मार्च 2020 को रु. 840,209 करोड़ था तथा यह 31 मार्च, 2021 को बढ़कर रु.913,496 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.61% वृद्धि के साथ रु.224,669 करोड़ रहीं। एस.बी. एवं सी.डी. जमाराशियों में क्रमश: 14.44% और 8.14% की वृद्धि हुई। घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी यथा 31.03.2021 को 41.27% रही।
- पिछले वर्ष की तुलना में बैंक की कुल घरेलू जमाराशियां 14.22% बढ़कर, यथा दिनांक 31.03.2020 के रु.482,539 करोड़ से यथा दिनांक 31.03.2021 को रु.551,135 करोड़ हो गईं।
- कुल घरेलू अग्रिम, 1.31% वृद्धि के साथ, 31.03.2020 को रु. 357,670 करोड़ से बढ़कर, 31.03.2021 को रु. 362,361 करोड़ हो गए। यथा 31.03.2021, घरेलू सीडी अनुपात 65.75 प्रतिशत रहा।
- यथा 31.03.2021, कुल अग्रिमों में राम अग्रिम (अर्थात् रिटेल, कृषि तथा एमएसएमई) की भागीदारी 51.60% (अर्थात् रु.186,993 करोड़) रही जो 31.03.2020 को 47.28% (अर्थात् रु.169,110 करोड़) थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 41.25% रहे और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 17.50% रही।
- रिटेल ऋणों में 11.87% की वृद्धि हुई है। रिटेल ऋण 31.03.2020 के रु.60,834 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को रु.68,058 करोड़ हो गए। कुल घरेलू ऋण में रिटेल क्रेडिट का हिस्सा, यथा 31.03.2021 में 18.78% रहा।
- एमएसएमई ऋण दिनांक 31.03.2020 के रु. 56,092 करोड़ से 12.74% बढ़कर, दिनांक 31.03.2021 को रु.63,237 करोड़ हो गए। दिनांक 31.03.2021 को कुल घरेलू ऋण में से एमएसएमई ऋण का हिस्सा 17.45% था।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 5.89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी तथा यह 31.03.2021 को रु.124,053 करोड़ के स्तर पर रहा जो 31.03.2020 को रु.131,817 करोड़ था।
- सकल विदेशी जमा में 4.13% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यथा 31.03.2021 को यह रु.75,978 करोड़ के स्तर पर पहुंचा है जो 31.03.2020 को 72,966 करोड़ के स्तर पर था।
- यथा 31.03.2021, विदेशी ऋण-जमा अनुपात 63.27 प्रतिशत रहा।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक के वैश्विक कारोबार ने 6.74% की वृद्धि दर्ज की गई। यह यथा 31 मार्च, 2020 को रु. 972,026 करोड़ था, वह यथा 31 मार्च 2021 को रु. 1,037,549 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियां 31.03.2020 के रु. 555,505 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को 627,114 करोड़ हो गई।
- कुल सकल अग्रिम यथा 31.03.2021 को रु. 410,436 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2021, वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 65.45% रहा।

वित्तीय मानदण्ड :

- यथा 31.03.2021 को परिचालन लाभ रु.10,872 करोड़ रहा जो 31.03.2020 को 11,519 करोड़ था।
- गैर ब्याज आय में 10.85% की बढ़ोतरी (रु.728 करोड़) हुई है तथा यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यथा 31.03.2021 को रु.7,441 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।
- पिछले वित्तीय वर्ष 2020 में रु.2957 करोड़ की शुद्ध हानि के विरुद्ध मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021 में बैंक को रु.2,160 करोड़ का शद्ध लाभ दर्ज किया है।
- यथा 31.03.2020 के 13.10% की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31.03.2021 को 14.93% रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), यथा 31.03.2020 को रु.21,445 करोड़ से यथा 31.03.2021 को रु.27,611 करोड़ रहा। इसमें 28.75% की वृद्धि हुई है।
- प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 84.24 रहा।
- सकल एन.पी.ए राशि में 8.15 प्रतिशत (अर्थात् रु. 5,015 करोड़) की कमी हुई है। यह राशि 31.03.2021 को रु. 56,535 करोड़ के स्तर पर आ गई जो यथा 31.03.2020 को रु.61,550 करोड़ थी।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत जो 31.03.2020 को 14.78 प्रतिशत था, वह कम होकर 31.03.2021 को 13.77 प्रतिशत हो गया।
- निवल एन.पी.ए में 14.37 प्रतिशत (अर्थात् रु. 2058 करोड़) की कमी दर्ज की गयी। यह यथा 31.03.2021 को रु.12,262 करोड़ के स्तर पर आ गई जो 31.03.2020 को रु. 14,320 करोड़ थी।
- 31.03.2021 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत, कम होकर 3.35 प्रतिशत हो गया जो 31.03.2020 को 3.88 प्रतिशत था।

वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	15,257	14,270	-6.47
गैर-ब्याज आय	6,713	7441	10.85
परिचालन व्यय	10,451	10839	3.71
परिचालन लाभ	11,519	10872	-5.61
प्रावधान / आकस्मिकताएं	14,476	8712	-39.82
निवल लाभ / हानि	-2,957	2160	
प्रति शेयर आय (रु.)	-9.10	6.59	

प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	65.43	84.24	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	-12.41	8.81	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	-0.43	0.28	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2019-20	2020-21
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.62	7.48
निवेशों पर प्रतिफल	7.24	6.58
निधियों पर प्रतिफल	6.61	5.87
जमा राशियों की लागत	4.40	4.10
निधियों की लागत	4.23	3.81
निवल ब्याज मार्जिन	2.93	2.48
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	64.23	68.65
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.97	0.98
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.63	1.57
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.96	0.94
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.67	0.63
आस्ति उपयोग अनुपात	1.80	1.57
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	13.68	15.49
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	30.56	34.27
आय अनुपात पर लागत	47.57	49.92

पूंजी

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक को इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम हेतु भारत सरकार से रु. 3,000 करोड़ प्राप्त हुए हैं। जब तक शेयरों का आबंटन लंबित है, उक्त राशि को शेयर आवेदन के धन खाते में रखा गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान, बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बॉन्ड जारी कर रु. 1,352 करोड़ की पूंजी जुटाई है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान, कॉल ऑप्शन द्वारा निम्नलिखित बॉन्ड का मोचन किया है:

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)	ऋणमुक्ति की तारीख
8.48 % **अपर टियर II बांड श्रृंखला iV**	1,000	11.06.2020
9.05% **बीओआई आईपीजीआई बांड्स - सीरिज VI**	300	09.09.2020

पूंजी पर्याप्तता :

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुरूप, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.93% था, जो कि 10.875% विनियामक अपेक्षा की तुलना में उच्चतर है।
- पूंजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नलिखित है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2020		31.03.2021	
सीईटी 1 सीआरएआर	29,059	9.88%	34,690	11.51%
एटी 1 सीआरएआर	60	0.02%	1,352	0.45%
टियर - I पूँजी	29,119	9.90%	36,042	11.96%
टियर - II पूँजी	9,419	3.20%	8,949	2.97%
कुल पूँजी	38,538	13.10%	44,990	14.93%
जोखिम भारित आस्तियाँ	294,189		301,305	

कारोबार पहल :

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने तुरंत टर्न अराउंड हेतु विभिन्न पहल कार्यान्वित की हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार है :-

- ग्राहकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और कारोबार विकास, वसूली, निचले स्तर पर डिजिटाइजेशन और शाखाओं को पुन: सक्रिय करने हेतु **क्षेत्र प्रबंधक** और **स्टार प्राइम** अवधारणा का कार्यान्वयन किया गया।
- **आरएएम अग्रिमों** (रिटेल,कृषि और एमएसएमई) के पक्ष में ऋण संविभाग को पुनर्व्यवस्थित करने और कॉरपोरेट क्षेत्र को हमारे एक्सपोज़र को कम करने हेतु कार्यनीति ।
- एनपीए के त्वरित समाधान हेतु स्टार संजीवनी और बीओआई ओटीएस 2020 नाम से दो गैर- पक्षपातकारी और गैर-विवेकी योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें पुन: लॉन्च किया गया।
- **"स्वर्ण धारा"** - स्वर्ण ऋणों में तेज़ी लाई गई है।
- वसूली, एनपीए में कमी तथा ऋण निगरानी/ट्रिगर प्रबंधन के लिए प्रत्येक अंचल में **"वार रूम"** एवं **"वॉच रूम"** बनाये गए।
- हम **संपर्क रहित (कॉन्टैक्टलेस) प्लेटफार्म** (**psbloansin59minutes.com**) से जुड़ गए हैं।
- एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए **जीएसटी आधारित वित्तपोषण** आरंभ किया गया।
- हम **उद्यमी मित्र पोर्टल** पर सक्रियतापूर्वक सहभागिता कर रहे हैं जो नए एमएसएमई ऋणों के लिए ऑनलाइन बाजार (मार्केटप्लेस) है।
- **डिजी शाखाएं** : युवा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 254 चयनित शाखाओं को डिजी शाखाओं में परिवर्तित किया गया।
- **डिजिटाइजेशन एवं वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यमों** पर ध्यान क्रेन्द्रित करना।
- कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से विकास की संभावना वाले केन्द्रों को सक्रिय करना। इन्हें **"स्टार प्वाइंट"** नाम दिया गया है। इनका उद्देश्य हमारी पहुँच को फैलाना है।

- नकद सहित तथा डिजिटल राष्ट्र हेतु भारत सरकार की पहल के अनुरूप विभिन्न सरकारी, पीएसयू तथा स्वायत्त संस्थाओं (जैसे एन.एच.ए.आई., राष्ट्रीय बीज निगम, आर.आई.टी.ई.एस. इंडिया लिमिटेड,बीएचईएल इत्यादि) को **भुगतान गेटवे सोल्यूशन उपलब्ध** कराए गये।
- कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आरंभ दो परियोजनाओं (एसटीआरआईवीई, एनआईईएसबीयूडी) के लिए खोले गये खातों की **निगरानी के लिए डेशबोर्ड तैयार किया गया।**
- **वीसा सिग्नेचर डेबिट कार्ड** आरंभ किया गया जो कि ग्राहको के लिए विभिन्न लाभों सहित संपर्करहित मेटेल कार्ड है।
- **"स्ट्रीट वेंडर"** के लिए **पीएम स्वनिधि** आत्मनिर्भर ऋण आरंभ किया गया।
- **"भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा येन क्रेडिट संव्यवहार के लिए प्राधिकृत बैंक" के रूप** में चयनित।
- **स्टार अन्वेषण** - कर्मचारियों से ज़ड़ने तथा उनसे सम्बद्ध होने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण आरंभ किया गया। साथ ही जॉब फैमिली, पीएमएस आदि विभिन्न एचआर पहल ही कार्यान्वित किया चुके हैं।
- रिटेल, कृषि तथा एमएसएमई ऋणों के प्रसंस्करण का एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में है।
- ई-हस्ताक्षर और ई- स्टाम्प द्वारा रिटेल ऋण प्रसंस्करण को ऑटोमैटिक कर **डिजिटल डॉक्यूमेंट निष्पादन** को रोल आउट किया गया है।
- टीएटी सहित ऋण गुणवत्ता में सुधार के लिए रिटेल, एमएसएमई तथा कृषि अग्रिमों हेतु **अतिरिक्त विशेषीकृत ऋण प्रसंकरण केन्द्र** खोले जा रहे हैं।
- सभी डिजिटल चैनलों अर्थात मिस कॉल, एसएमएस, मोबाइल बैंकिंग, वेबसाइट, कॉल सेंटर के माध्यम से लीड सक्रिय कर तथा विश्लेषण आधारित प्रणाली शुरू कर, **लीड जनरेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया है।**
- **स्टार महाशक्ति** : आईटी प्लेटफार्म को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में अद्यतन/माइग्रेट करने का कार्य उन्नत चरण में है।
- **वेब-आधारित - रिटेल ऑनलाइन मॉड्यूल** : टर्नअराउंड टाइम को कम कर उत्पादकता और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु शुरू किया गया है।
- हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए कार्ड का उपयोग किए बिना एटीएम से तत्काल नकद आहरण हेतु **यूपीआई क्यूआर का उपयोग कर कार्ड रहित नकद आहरण (QR Cash)** को आरंभ किया गया।
- ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए संशोधित विशेषताओं के साथ **मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग को अपग्रेड** किया गया।
- अपने कार्ड संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु ग्राहकों के लिए **डेबिट कार्ड कंट्रोल ऐप एवं क्रेडिट कार्ड कंट्रोल ऐप** का आरंभ किया गया है।
- दस्तावेजों को खोजने के लिए **दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)** का आरंभ किया गया तथा यह हमारे डाटा को अधिक लचीले और परेशानीमुक्त तरीके से स्टोर, ट्रैक, प्रबंधित और प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।
- एसएमएस और हमारे बैंक की वेबसाइट पर कस्टम यूआरएल का प्रयोग करते हुए **कोविड-19** संबंधित विशेष ऋण/कार्यशील पूंजी/योजना का प्रचार-प्रसार किया गया। यह लीड जेनरेट करने और इच्छुक ग्राहक को समय पर सुविधाएं देने में भी सहायता करेगा।
- **बीओआई सेवा** - हमारा चैटबॉट वेबसाइट पर हिन्दी और अँग्रेजी संस्करण में आरंभ किया गया है।
- वित्तीय समावेशन पहल के रूप में, ग्रामीण एवं बिना बैंक वाले क्षेत्रों में **बाधारहित आईसीटी तकनीक आधारित मूल बैंकिंग सेवाएँ आरंभ** की गई।
- 'पूर्व चेतावनी संकेत' की ट्रैकिंग के लिए **"तकनीकी समर्थित ऋण निगरानी प्रणाली कार्यान्वित"** की जा रही है।
- वर्ष के दौरान रियल टाइम धोखाधड़ी निगरानी के लिए **"उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन"** संरचना प्रक्रियाधीन है।
- परिचालनात्मक लागत कम करने के लिए **घरेलू/विदेशी शाखाओं और एटीएम को युक्तिसंगत (रेशनलाइज)** बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।
- देशभर में स्थित शाखाओं में **सरकारी खाते एवं पेंशन खाते** खोलने के लिए विशेष अभियान।
- बैंक द्वारा नियोजित एजेंटों से ग्राहकों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए **यूनिवर्सल टच पॉइंट्स** (कॉल सेंटर, वेबसाइट और ऐप) **के माध्यम से द्वार पर बैंकिंग (डीएसबी)** का आरंभ किया।

पुरस्कारः

बैंक को निम्नलिखित क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त हुए:

- बैंक ऑफ़ इंडिया को रीडर्स डाइजेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड 2019 द्वारा बैंकों के वर्ग में **दूसरा सबसे विश्वसनीय ब्रांड** का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- भारतीय बैंकिंग सम्मेलन एवं पुरस्कार 2019 में साइनेक्स ग्रुप द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को **बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 2019** का सम्मान दिया गया है।
- पीएफआरडीए द्वारा आयोजित एपीवाई फार्मेशन डे कैंपेन (वित्त वर्ष 2019-20) में **बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर बैंक**।
- ईटीबीएफएसआई एक्सीलेंस अवॉड्स 2019 - क्यूआर कैश के लिए वर्ष का **मोस्ट इनोवेटिव लार्ज साइज बैंक**।
- **बीओआई मोबाइल ऐप के लिए** गोल्ड कॅटेगरी में **स्कॉच ऑर्डर ऑफ़ मेरिट अवॉर्ड 2019**।
- बैंक ऑफ़ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ सूचना सुरक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु आईडीजी मीडिया से **सीएसओ-100 अवॉर्ड-2019 प्रदान किया गया।**
- बैंक को **इंफोसिस फिनेकल क्लाइंट्स इनोवेशन अवॉर्ड** 2019 से सम्मानित किया गया।
- क्यूआरकैश हेतु प्रॉडक्ट इनोवेशन श्रेणी में **इंफोसिस फिनेकल क्लाइंट्स इनोवेशन अवॉर्ड, 2020।**
- एमडी एवं सीईओ के लिए **एपीवाई कैम्पेन लीडरशिप कैपिटल 2.0** (जनवरी 2020) **में बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर बैंक**।
- कार्यपालक निदेशक के लिए **एपीवाई कैम्पेन मेकर्स ऑफ एक्सिलेंस 3.0** (नवंबर 2019) **में बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर बैंक।**
- 'ख' क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बैंक को वर्ष 2019-20 के लिए **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार)** प्राप्त हुआ।
- 2020 के लिए रीडर्स डाइजेस्ट तथा इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बैंक श्रेणी में **दूसरा सबसे विश्वसनीय ब्रांड पुरस्कार**।

- बैंक को "प्रति एपीवाई" लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रदर्शन हेतु **'एपीवाई वार्षिक पुरस्कार' (2020-21)** प्राप्त हुआ।
- बैंक को 1 फरवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा **अमेजिंग अचीवर्स ऑफ एपीवाई (एएए)' के लिए पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मर** पुरस्कार प्राप्त हुआ।

लक्ष्य, कार्यनीति एवं भविष्य की योजना

- वर्तमान ग्राहक आधार का लाभ लेकर बैंक की रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) ऋण प्रोफाइल को बढ़ाना।
- कम लागत जमा, जैसे कि कासा (सीएएसए) की सोर्सिंग करके फंडिंग कॉस्ट को जारी रखना।
- आस्ति गुणवत्ता को सुधारने और एनपीए स्तर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रति (क्रॉस) विक्रय को बढ़ाने, लागत कम करने और ग्राहक के अनुभव को विस्तृत करने के लिए तकनीक का लाभ लेना।
- हमारे कारोबार का दीर्घ अवधि तक संचालन सुनिश्चित करने के लिए हमारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना।

निदेशक के उत्तरदायित्व कथन :

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;

क) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के विषय में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

ग) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है।

घ) वार्षिक लेखा, संस्था की निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ङ) बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

च) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2021.

PERFORMANCE:

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank increased by 8.72% and reached at Rs. 913,496 crore as on 31.03.2021 from Rs. 840,209 crore as on 31.03.2020.
- CASA deposits increased by 13.61% on Y-O-Y and stood at Rs. 224,669 crore, SB deposits and CD deposits grew by 14.44% and 8.14% respectively. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits stood at 41.27% as on 31.03.2021.
- Total deposits increased by 14.22% over last year and reached at Rs. 551,135 crore as on 31.03.2021 from Rs. 482,539 crore as on 31.03.2020.
- Gross Domestic Advances registered growth of 1.31%, reached at Rs. 362,361 crore as on 31.03.2021 from Rs. 357,670 crore as on 31.03.2020. The domestic CD ratio stood at 65.75% as on 31.03.2021.
- Share of RAM Advances to Total advances is 51.60% (i.e. Rs. 186,993 crore) as on 31.03.2021 as compared to 47.28% (i.e. Rs. 169,110 crore) as on 31.03.2020.
- Priority Sector lending constitute 41.25% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 17.50%.
- Retail Credit grew by 11.87% from Rs. 60,834 crore as on 31.03.2020 to Rs. 68,058 crore as on 31.03.2021. The share of Retail Credit to Total Domestic Credit was 18.78% as on 31.03.2021.
- MSME Credit grew by 12.74% from Rs. 56,092 crore as on 31.03.2020 to Rs. 63,237 crore as on 31.03.2021. The share of MSME Credit to Total Domestic Credit was 17.45% as on 31.03.2021.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 5.89% and stood at Rs. 124,053 crore as on 31.03.2021 as compared to Rs. 131,817 crore as on 31.03.2020.
- Total Foreign Deposit registered a growth of 4.13%, reached at Rs. 75,978 crore as on 31.03.2021 from Rs. 72,966 crore as on 31.03.2020.
- The Overseas CD Ratio stood at 63.27% as on 31.03.2021.

Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 6.74 %, reached at Rs. 1,037,549 crore as on 31.03.2021 from Rs. 972,026 crore as on 31.03.2020.
- Total deposits increased to Rs. 627,114 crore as on 31.03.2021 from Rs. 555,505 crore as on 31.03.2020.
- Gross Advances stood at Rs. 410,436 crore as on 31.03.2021.
- The Global CD Ratio stood at 65.45% as on 31.03.2021.

Financial Parameters:

- Operating Profit stood at Rs.10,872 crore as on 31.03.2021 against Rs. 11,519 crore as on 31.03.2020.
- Non Interest Income increased by 10.85% (Rs. 728 crore) reached at Rs. 7,441 crore as on 31.03.2021 on Y-O-Y basis.
- The Bank registered Net Profit of Rs. 2,160 crore for Current FY 21 as against Net Loss of Rs. 2,957 crore for previous FY 20.
- Capital Adequacy Ratio stood at 14.93% as on 31.03.2021 as against 13.10% as on 31.03.2020.
- Net Worth increased by 28.75% and reached at Rs. 27,611 crore as on 31.03.2021 from Rs. 21,445 crore as on 31.03.2020.
- Book value per share is Rs. 84.24.
- Gross NPA amount reduced by 8.15% (i.e. Rs. 5,015 crore), reached at Rs. 56,535 crore as on 31.03.2021 from Rs. 61,550 crore as on 31.03.2020.
- Gross NPA percentage reduced to 13.77% as on 31.03.2021 from 14.78% as on 31.03.2020.
- Net NPA amount reduced by 14.37% (i.e. Rs. 2,058 crore) reached at Rs. 12,262 crore as on 31.03.2021 from Rs. 14,320 crore as on 31.03.2020.
- Net NPA percentage reduced to 3.35% as on 31.03.2021 from 3.88% as on 31.03.2020.
- The Financial performance of the Bank for the year 2020-21 is summarised below:

(Amount in crore)

Particulars	2019-20	2020-21	Growth (%)
Net Interest Income	15,257	14,270	-6.47
Non-Interest Income	6,713	7,441	10.85
Operating Expenses	10,451	10,839	3.71
Operating Profit	11,519	10,872	-5.61
Provisions / Contingencies	14,476	8,712	-39.82
Net Profit/ Loss	-2,957	2,160	
Earnings per share (Rs.)	-9.10	6.59	
Book Value per share (Rs.)	65.43	84.24	20.75
Return on Equity (%)	-12.41	8.81	
Return on Average Assets (%)	-0.43	0.28	

Key Financial Ratios are presented below

(Percentage) (%)

Particulars	2019-20	2020-21
Yield on Advances	8.62	7.48
Yield on Investments	7.24	6.58
Yield on Funds	6.61	5.87
Cost of Deposits	4.40	4.10
Cost of Funds	4.23	3.81
Net Interest Margin	2.93	2.48
Non Interest Income to Operating Expenses	64.23	68.65
Other Income to Average Working Fund	0.97	0.98
Operating Expenses to Average Working Fund	1.63	1.57
Staff Expenses to Average Working Fund	0.96	0.94
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.67	0.63
Asset Utilisation Ratio	1.80	1.57
Non Interest Income to Total Income	13.68	15.49
Non Interest Income to Net Income	30.56	34.27
Cost to Income Ratio	47.57	49.92

CAPITAL

During the current financial year, Bank has received Rs. 3,000 crore from Government of India for preferential issue of equity shares. The same is kept in Share Application Money Account, pending allotment of Shares. Bank has raised Rs. 1,352 crore by issue of Basel III compliant Additional Tier I bonds during the financial year.

During the financial year, Bank has redeemed the following bonds by exercising call option

Particulars	Amount (Rs. in crore)	Date of redemption
8.48 % Upper Tier II Bonds Series-VI	1,000	11.06.2020
9.05% BOI — IPDI Bonds -Series VI	300	09.09.2020

CAPITAL ADEQUACY:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 14.93% which is higher than the regulatory requirement of **10.875** %.

- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are :

(Rs. in crore)

Particulars	BASEL-III			
	31.03.2020		31.03.2021	
CET1 CRAR	29,059	9.88%	34,690	11.51%
AT1 CRAR	60	0.02	1,352	0.45%
Tier I Capital	29,119	9.90%	36,042	11.96%
Tier II Capital	9,419	3.20%	8,949	2.97%
Total Capital	38,538	13.10%	44,990	14.93%
Risk Weighted Assets	294,189		301,305	

Business Initiatives:

During the current financial year the Bank has implemented various initiatives for a Prompt Turn Around. A few of them are mentioned as under:

- Concept of **Area Managers** and **Star Prime** implemented for being more customer focused and for business development, recovery, digitization at ground level and re-activation of branches.
- Strategy for re-balancing of portfolio in favour of **RAM advances** (Retail, Agriculture and MSME) and reducing exposure to Corporate sector.
- Non-discriminatory and Non-discretionary OTS Schemes, namely **"Star Sanjeevani"** and **"BOI OTS 2020"** were reviewed and re-launched for quick resolution of NPAs.
- **"Swarna Dhara"** – Gold Loans have been intensified.
- **"War Room"** and **"Watch room"** formed in each Zone for Recovery, NPA reduction and credit monitoring/trigger management.
- Onboarded the **Contactless Platform** (psbloansin59minutes.com)
- Launched **GST based Financing** to MSME Borrowers.
- Actively **participating in the Udyami Mitra Portal** - marketplace for new MSME loans.
- **Digi Branches:** 254 Select Branches converted to Digi Branches for meeting the demands of Next Gen Customers.
- Focus on **Digitisation and Alternate Delivery Channels.**
- Activation of Growth Centers through Business Correspondents (BCs) called **"Star Points"** for expanding our outreach.
- In line with the GOI initiative for cashless and digital nation, **Payment gateway solutions provided** for various government, PSU and autonomous organization (such as NHAI, National Seeds Corporation, RITES India Ltd, BHEL etc).
- **Dashboard created for monitoring of accounts opened** for two project (STRIVE, NIESBUD) started by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
- **VISA Signature Debit Card** which is a contactless metal card having multiple benefit for customers launched.

- **PM SVANidhi** AtmaNirbhar loan to "Street Vender" launched.
- Selected as an **"Authorized bank for Yen credit transaction by GOI-MOF"**.
- **Star Anveshan**- For Employee Engagement & Connect, a special Survey is launched. Also various HR initiative like Job Family, PMS already implemented.
- **End to end digitization** of Retail, Agri and MSME loan process is in progress.
- **Digital Document Execution** rolled out, with Retail Loan process made automatic by e-signing and e-stamping.
- **Additional specialized credit processing centres** for Retail, MSME and Agriculture advances being opened for improvement in credit quality as well as TAT.
- **Lead generation system upgraded** with activation of leads through all Digital channels viz. missed call, SMS, mobile banking, website, call center and also introduction of Analytics based offers to Retail and MSME clients.
- **Star Mahashakti**- Upgradation/ migration of IT platform from **FINACLE 7 to FINACLE 10 is on advanced stage.**
- **Web-based - Retail Online Module**: launched to improve productivity and customer service by reducing turnaround time.
- **Cardless Cash withdrawal using UPI QR (QRCash)** has been launched by which our Bank Customers can withdraw cash from ATMs readily without the use of cards.
- **Mobile and Internet Banking system upgraded** with enhanced features for better customer experience.
- **Debit Card Control App & Credit Card Control App** have been launched to enable customers to have a full control over the card activity.
- **Document Management System (DMS)** has been introduced for retrieval of documents and also helps us to store, track, manage and access our data in a more flexible and hassle free way.
- **COVID-19** related specific loans/working capital/scheme promotion has been done using SMS and custom URL, using our BOI website. It also helps us in monitoring to generate leads and facilitate timely credit to interested customer.
- **BOI SEVA** – OUR Chatbot is launched on website in Hindi and English Version.
- As an FI initiative, **seamless ICT Technology based basic** banking services enabled in Rural & unbanked areas.
- "**Tech-driven Credit Monitoring System**" for tracking of 'Early Warning Signals' implemented during the year.
- "**Enterprise wide Fraud Risk Management**" framework for real-time fraud monitoring is implemented during the year.
- **Rationalisation of Domestic/Overseas branches and ATMs** being undertaken to reduce the Operational Cost.
- Special drive for opening of **Government Accounts & Pension accounts** among branches across the country.
- **Door Step Banking (DSB) through Universal Touch points** (Call Centre, Website and an App) has been introduced for providing banking services to customers from the Agents engaged by the Bank.

AWARDS:

The Bank has been conferred Awards in various fields as under:

- **2nd Most Trusted Brand Award** in the Banks category awarded by the Reader's Digest Trusted Brand, 2019.
- In the India Banking Summit & Awards 2019, Bank of India ranked as **Best Public Sector Bank 2019** by Synnex Group.
- **Best Performing Public Sector Bank in APY** Formation Day Campaign (FY2019-20) by PFRDA.
- ETBFSI Excellence Awards 2019- **Most Innovative Large Size Bank** of the Year for QR Cash.
- **SKOCH Order of Merit AWARD 2019** ***in GOLD Category for BOI Mobile.***
- **Bank of India has been conferred CSO-100 Award-2019** from IDG Media for Implementation of Best Information Security Practices.
- **Bank has won Infosys Finacle Clients** Innovation Award 2019.
- **Infosys Finacle Client Innovation Awards** in the category "Product Innovation" for QRCash, 2020.
- **Best Performing Public Sector Bank in APY campaign Leadership Capital 2.0** (Jan-2020) for MD &CEO.
- **Best Performing Public Sector Bank in APY campaign Makers of Excellence 3.0** (Nov-2019) for Executive Director.
- Bank has been awarded **Rajbhasha Kirti Puraskar (1St prize)** is "B" Reagion for the year 2019-20 for the excelent performance in official language implementation.
- **2nd Most Trusted Brand Award** in the category of Banks, both by the Reader's Digest as well as the Economic Times for 2020.
- Bank has won "**APY Annual Award (2020-21)**" for overall performance for achieving 'per APY' target.
- Bank has awarded "**Best performer under PSU category for Amazing Achievers of APY (AAA)**" by PFRDA during 1st February 2021 to 31st March 2021.

VISION ,STRATEGY AND FUTURE OUTLOOK:

- Expand the Bank's Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending profile by leveraging its existing customer base.
- Continue to contain funding cost by sourcing low cost deposits such as CASA.
- Focus on improving asset quality and containing NPA levels.
- Leverage technology to increase cross selling opportunities, reduce cost and enhance customer experience.
- Improving our Risk Management Systems to ensure long-term sustainability of our business.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2021.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक परिदृश्य

दुनियाभर में फैली कोविड-19 महामारी, वर्ष 2020-21 पर हावी रही तथा सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग सभी देशों को चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थितियों पर ध्यान देने एवं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ निवारक एवं नियंत्रक उपाय के रूप में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। परिस्थिति और खराब हुई जब कोरोना वायरस के म्यूटंट वेरियंट ज्यादा तेजी से फैलने लगे, जिससे महामारी का प्रकोप जो थोड़ा कम हुआ था, पुन: बढ़ गया। इस महामारी में कई लोगों ने अपनी जान गँवाई और लाखों बेरोजगार हो गए। तथापि, दुनियाभर में वैज्ञानिक एवं चिकित्सा समुदायों ने इस बीमारी के विरुद्ध वैक्सीन तैयार करने हेतु निरंतर प्रयास किए और वर्ष 2020 के अंत में आपातकालीन उपयोग हेतु कई वैक्सीनों को विभिन्न देशों के प्राधिकरणों ने अनुमोदन प्रदान किया।

इस महामारी के फैलने और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न अवरोध से आर्थिक गतिविधियाँ को बहुत बड़ा झटका लगा और सभी देशों की जीडीपी कम हो गयी। यह कमी विशेष रूप से जून 2020 तिमाही में अधिक रही। अर्थव्यवस्था में और गिरावट को रोकने के उद्देश्य से सभी देशों की सरकारों ने विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं सामाजिक कल्याण संबंधी योजनाएँ शुरू की। इसी प्रकार सभी सेंट्रल बैंकों ने चलनिधि बढ़ाने संबंधी सहायक उपायों सहित ईजी मनी पॉलिसी अपनाई और विनियामकीय छूट भी प्रदान की। इन पहलों के फलस्वरुप जीडीपी गिरावट को काफी हद तक रोकने में सहायता मिली।

आईएमएफ़ ने अप्रैल 2021 हेतु अपने "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक" में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक वृद्धि -3.3% रहेगी। उन्नत अर्थव्यवस्था में अनुमानित वृद्धि -4.7% है और इमर्जिंग मार्केट एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में यह -2.2% है वैश्विक व्यापार की मात्रा में भी 8.5% गिरावट का अनुमान है।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य

घरेलू अर्थव्यवस्था ने भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही में जीडीपी में 24.4% और दूसरी तिमाही में 7.4% गिरावट आई। तथापि तीसरी तिमाही में इसने 0.5% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और चौथी तिमाही में यह बढ़कर 1.6% हो गयी। वर्ष 2019-20 के 4.0% की तुलना में वर्ष 2020-21 हेतु समग्र जीडीपी वृद्धि दर -7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। आठ विनिर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में से केवल "कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ" और "बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति" ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और अन्य सभी क्षेत्रों ने नकारात्मक वृद्धि रही इनमें से "व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार सेवाओं" में 18.2% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, वर्ष के दौरान अधिकांश महीनों में, औद्योगिक वृद्धि दर नकारात्मक रही। पूरे वर्ष 2020-21 के लिए औद्योगिक वृद्धि दर -8.6% रही। उद्योग के तीन उप क्षेत्रों में से "विनिर्माण क्षेत्र" में -9.8% की सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संबंध में "कैपिटल गुड्स", "इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन गुड्स" और "कंस्यूमर ड्यूरेबल्स" में वृद्धि नकारात्मक दर क्रमश: -19.2%, -9.1% तथा -15.2% रही।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति, पूरे वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़ी रही है तथा मुद्रास्फीति की दर आरबीआई की उच्चतर सहन सीमा अर्थात 6% से अधिक रही है। आपूर्ति संबंधी समस्याओं, भोज्य पदार्थ मूल्य मुद्रास्फीति, उच्चतर ईंधन मूल्य इत्यादि विभिन्न कारकों के कारण नवंबर 2020 तक यह 6% से ऊपर रही है। यद्यपि वर्ष के अंत में इसमें कमी देखी गई तथा अंतिम तिमाही के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 4.0% से 5.5% के बीच रही है।

नवंबर 2020 तक, आयात तथा निर्यात, इन दोनों में नवंबर 2020 तक कमी देखी गई तथा इस के बाद ही ये बढ़ोतरी की स्थिति में आए। परंतु पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात तथा आयात की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। निर्यात की वृद्धि दर (-)7.26% तथा आयात की वृद्धि दर (-)17.36% रही है। विदेशी व्यापार घाटा यूएसडी 98.55 बिलियन रहा जो पिछले वर्ष के दौरान यूएसडी 161.35 बिलियन से कम है। कमतर आयात तथा कमतर व्यापार घाटे के कारण चालू खाता अधिशेष में रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान चालू खाते में अधिशेष, जीडीपी का 1.7% रहा जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 1.2% के घाटे में था।

2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमानित बजट 9.5% और मूल रूप से बजट अनुमान 3.5% के विरुद्ध रु 18.21 लाख करोड़ या जीडीपी का 9.5% रहा। उच्च राजकोषीय घाटे का मुख्य कारण आर्थिक पुनरुज्जीवन के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेज तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्चतर सरकारी खर्च था।

बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में घटनाक्रम

वित्त वर्ष 2020- 21 के दौरान बैंकिंग उद्योग में उच्चतर जमाराशि वृद्धि हुई परंतु अग्रिमों में धीमी वृद्धि देखी गई। इस वर्ष जमाराशियों में 11.4% वृद्धि तथा अग्रिमों में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 2019-20 में जमाराशियों में 7.9% की वृद्धि और अग्रिमों में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2020-21 के दौरान बेहतर एनआईएम के साथ बैंकिंग क्षेत्र का वित्तीय प्रदर्शन सुधरा है तथा कुछ को छोड़कर ज्यादातर पीएसबी ने पूरे वर्ष के लिए शुद्ध लाभ दर्ज किया है। राशि तथा प्रतिशत इन दोनों दृष्टियों से सकल एनपीए तथा निवल एनपीए में कमी आई है। सरकार द्वारा पूंजी प्रदान करने तथा मुख्य तौर पर टियर 1 बांड के रूप में बैंकों द्वारा पूंजी जुटाए जाने से पीएसबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी सुधरा है। अन्य बातों के साथ-साथ आरबीआई की विनियामकीय छूट तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सहयोगात्मक उपायों के कारण वर्ष के दौरान बैंकों के प्रदर्शन को बल मिला है।

वर्ष 2020- 21 के दौरान व्यवस्था में चल-निधि पर्याप्त रूप से अधिशेष की स्थिति में रही है। प्रथम छमाही के दौरान रिवर्स रेपो परिचालन (निवल एलएएफ) के माध्यम से औसत चल-निधि अवशोषण रुपए 4 लाख करोड़ से अधिक रहा है तथा द्वितीय छमाही के दौरान रुपए 5 लाख करोड़ से अधिक

रहा है। आरबीआई के विभिन्न उपायों जैसे सीआरआर में एक प्रतिशत की कमी, एलटीआरओ, निवल फॉरेक्स परिचालन तथा ओपन मार्केट परिचालन इत्यादि से प्रणालीगत चल-निधि को समर्थन मिला है।

वर्ष के आरंभ में, अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिफल में वृद्धि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से बिक्री के दबाव, म्यूचअल फंड सैक्टर में प्रतिकूल परिस्थितियों सहित, विभिन्न कारकों के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल उच्च रहे, जो आरबीआई द्वारा चलनिधि बढ़ाने के विभिन्न उपाय किए जाने से जून, 2020 के मध्य में कम हो गए। तीसरी तिमाही के दौरान, प्रतिफल और कम हो गए; हालांकि, जनवरी, 2021 से, सरकार द्वारा उच्चतर बाजार की घोषणा, अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिफल में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल फिर से बढ़ना शुरू हो गए। मार्च, 2020 में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 6.14% था जो सितंबर, 2020 में घटकर 6.02% हो गया और दिसंबर, 2020 में फिर से घटकर 5.89% हो गया तथा मार्च, 2021 में बढ़कर 6.18% हो गया।

वर्ष की शुरुआत में इक्विटी मार्केट मंदा रहा जो मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के कारण तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और पूरे वर्ष बढ़ता रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्वाह, कोरोना वायरस वैक्सीन के बनाए जाने की संभावना और आर्थिक विकास के पुन: प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य कारणों से इक्विटी मार्केट में उछाल आया। इसके साथ, सेन्सेक्स 68% बढ़ा, और वह यथा 31 मार्च, 2020 के 29,468 से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 49,509 हो गया।

अप्रैल, 2020 के आरंभ में, विदेशी मुद्रा बाजार में महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों और अनिश्चितता के कारण रुपए में गिरावट आई। हालांकि, यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निरंतर अंतर्वाह और विकास के पुन: प्रवर्तन की उम्मीद की सहायता से धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुआ। यथा 31 मार्च, 2020 को डॉलर-रुपया विनिमय रु. 75.38 था जो 31 मार्च, 2021 में बढ़कर रु. 73.50 हो गया।

महामारी के फैलने पर, आरबीआई ने मार्च 2020 के अंत में पॉलिसी रेपों दरों और सीआरआर को कम करने, मीयादी ऋणों की किस्तों का अधिस्थगन तथा कार्यशील पूंजी में ब्याज का आस्थगन आदि जैसे बहुत से उपायों की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, विनियामकीय छूट अप्रैल 2020 तथा वर्ष के दौरान आगामी महीनों में भी जारी रही। आरबीआई द्वारा एनबीए. फसी, म्यूच्युल फंड, टीएलटीआरओ हेतु अतिरिक्त पुनर्वित्त विंडो, एसएलआर के रखरखाव में छूट, एलसीआर की आवश्यकता में छूट जैसे लिक्विडिटी बढ़ाने संबंधी उपाय किए गए। इनके अलावा, कोविड-19 संबंधी दबावग्रस्त क्षेत्रों हेतु विशेष समाधान रूपरेखा बनाई गई तथा एमएसएमई इकाइयों हेतु ऋण की एकबारगी पुनर्संरचना की अवधि बढ़ाई गई। दबावग्रस्त स्थिति को देखते हुए, कैपिटल कंजर्वेशन बफर (सीसीबी) के अंतिम अंश को आस्थगित करने और काउंटर साइक्लिकल बफर को सक्रिय करने की अनुमति दी है।

भारत सरकार ने, संकट को कम करने और वृद्धि में सहायता करने के लिए वित्तीय रूप से कमजोर क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे एमएसएमई, कृषि, एनबीएफ़सी तथा कॉरपोरेट क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए बहुत से स्टिम्युलस उपाय किए गए हैं, उनमें से प्रमुख हैं: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उपाय जैसे- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), एमएसएमई क्षेत्र हेतु गौण (सबॉर्डिनेट) ऋण योजना, चुनिन्दा उद्योगों को पीएलआई, कृषि आधारभूत संरचना संबंधी योजनाओं का वित्तपोषण तथा पशुपालन, मछलीपालन, सूक्ष्म खाद्य उद्यम आदि का वित्तपोषण।

1. संसाधन संग्रहण विभाग:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 13.61% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाते हुए कुल रु. 26,918 करोड़ की कासा वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान बचत बैंक जमाराशियों में रु. 24,799 करोड़ की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में 8.14% की वृद्धि के साथ आधार आकड़ों में रु. 2,119 करोड़ की वृद्धि करते हुए चालू जमाराशियों में वृद्धि की है।

बैंक के उच्च मूल्य के ग्राहकों “डायमंड ग्राहकों” पर ध्यान केन्द्रित करने के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। बचत बैंक डायमंड ग्राहक आधार में 11.21% की वृद्धि हुई है और डायमंड ग्राहकों के जमा आधार में रु. 18,484 करोड़ की सराहनीय वृद्धि हुई है जो वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का 17.60% है। इसीप्रकार, सीडी डायमंड आधार में भी 3.83% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ रु.1268 करोड़ की वृद्धि हुई है।

कासा अनुपात का स्तर पिछले वर्ष के 41.50% से थोड़ा सा घटकर 41.27% हो गया है, इस अवधि के दौरान रिटेल सावधि जमाराशियों का हिस्सा 84.35% से थोड़ा सा घटकर 84.19% हो गया है।

कुल सावधि जमाराशियों में रु. 68,623 करोड़ की वृद्धि के साथ 14.22% की वृद्धि दर्ज की गई है।

2. अग्रिम :

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम, यथा 31.03.2020 के रु. 416,521 करोड़ से 1.46% घटकर 31.03.2021 को रु.410,436 करोड़ हो गया। सकल घरेलू ऋण जो यथा 31.03.2020 को रु. 357,670 करोड़ था, 1.31% की हल्की सी वृद्धि के साथ 31.03.2021 को रु. 362,361 करोड़ हो गाय। बैंक, एजीएम/सीएम के नेतृत्व में कार्यरत 10 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाओं तथा अन्य बड़ी शाखाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट/मिड कॉर्पोरेट की विशेषीकृत आवश्यकताओं को पूरा करता है।

कोविड 19 महामारी की आर्थिक समस्या के कारण दबाव अनुभव करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, आर.बी.आई. के कोविड 19 विनियामकीय पैकज के अंतर्गत बैंक ने विशेष योजना आरंभ की है।

3. खुदरा:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खुदरा ऋण सेगमेंट में 11.87% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान हमने आवास ऋणों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हमें काफी अच्छी वृद्धि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेंट रु.35,994 करोड़ से बढ़कर रु.40,094 करोड़ हो गया तथा उसमें 11.39% की वृद्धि दर्ज़ की गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण सेगमेंट रु. 5,599 करोड़ से बढ़कर रु.6,891 करोड़ हो गया तथा इसमें 23.07% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान हमने कोविड-19 व्यक्तिगत और पेन्शनर

ऋण योजना शुरू की। बैंक ने मारुति-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ गठजोड़ किया है। हमारा बैंक पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेट्स/संस्थानों के नियोक्ता के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराता है। आवास ऋण, वाहन ऋण तथा वैयक्तिक ऋणों के अलावा हम संपत्ति पर ऋण तथा शिक्षा ऋण भी देते हैं।

4. एमएसएमई विभाग:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक महत्वपूर्ण खण्ड है, करीब 6.50 करोड़ एमएसएमई उद्यमियों के जीडीपी में करीब 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% तथा निर्यात में लगभग 48% योगदान है। यह 110 मिलियन लोगों के लिए नियोजन का सृजन करता है। एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड माना जाता है और इसने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है।

एमएसएमई के महत्व को समझते हुए और वृहत कारोबारी जनसंख्या को इसके तहत लाने के लिए भारत सरकार ने अब एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया है।

दिनांक 01.07.2020 से लागू नई परिभाषा/वर्गीकरण के अनुसार 1 करोड़ तक के संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने वाले और रु.5 करोड़ तक के कुल कारोबार वाले सभी उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

संयंत्र और मशीनरी में रु.10 करोड़ तक निवेश और रु.50 करोड़ तक के कुल कारोबार वाले सभी उद्यमों को लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

संयंत्र और मशीनरी में रु.50 करोड़ तक निवेश और रु.250 करोड़ तक के कुल कारोबार वाले सभी उद्यमों को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्म निर्भर भारत, ईएएसई रिफार्म और एकबारगी पुन: संरचना जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने के कारण बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए है।

कार्य-निष्पादन

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के संबंध में बैंक का कार्य-निष्पादन चालू वित्तीय वर्ष में यथा 31 मार्च, 2021, नीचे दिए गए हैं :

विवरण	मार्च'19 वास्तविक	वास्तविक मार्च '20	वास्तविक मार्च '21	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
				रकम	%
कुल एमएसएमई (सिडबी सहित)	54595	56092	63237	7145	12.73
मूल एमएसएमई (सिडबी छोड़कर)	53878	55617	62804	7187	12.92

- यथा 31.03.2021 को मुद्रा के तहत कुल स्वीकृति रु.8623.84 करोड़ है जबकि बजट रु.6500 करोड़ थी।
- ''ऑनलाइन पीएसबी 59 लोन'' के जरिए कुल 25888 खाते मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि रु.2193.43 करोड़ है।
- हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत एकबारगी पुन:संरचना के अनुसार 77053 खातों में पुन:संरचना की है जिसकी मंजूरी सीमा रु.3049.88 करोड़ है तथा बकाया राशि रु.2364.94 करोड़ है।
- यथा 31.03.2021 को सीजीटीएमएसई के तहत 34623 नए खाते कवर किए गए जिसकी कुल गारंटी राशि रु.2634.91 करोड़ है और सीजीटीएमएसई में कवर किए गए संचयी खाते 431892 हैं जिसकी कुल राशि रु.31406.52 करोड़ है।
- एमएसएमई क्षेत्र के तहत कुल एनपीए 22% है।

वित्तीय वर्ष 20-21 की विशेषताएँ

- विभिन्न एनबीएफसी के साथ सह-उधार देना आरंभ किया ताकि नए उधारकर्ता और नए व्यापार क्षेत्र तक पहुँच सके।
- विभिन्न वर्ग के ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद का शुभारंभ।
- विभिन्न सरकारी कोविड राहत योजनाओं जैसे ईसीएलएसजी-1, ईसीएलजीएस-2, एमएसएमई उद्यमों के परिचालन देयताओं को पूरा करने और कारोबार को पुन: शुरू करने के लिए सीजीएसएसडी का सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।
- "टीआईडीएस" कारोबार प्लैटफार्म में एमसीएलआर से आरबीएलआर में बदलाव से ब्याज दर में रियायत उपलब्ध करवाई गई।
- एसएमईसीसी का नवीकरण : आसानी से कार्य करने के लिए वर्तमान सभी 58 एसएमईसीसी को मजबूत बनाया गया और वित्तीय वर्ष के दौरान रु.10 लाख से अधिक सभी प्रस्तावों का केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग का कार्यान्वयन किया गया।
- सूक्ष्म उद्यम के तहत नियामक लक्ष्य को प्राप्त किया गया। यथा 31.03.2021 को एएनबीसी हेतु 7.5% दिए गए लक्ष्य पर हमारी एएनबीसी की कुल बकाया 11.53% थी।
- स्टार वेल्कम ऑफर और स्टार एसेट बैक्ड ऋण योजना के तहत बड़े टिकट वाले एमएसएमई अग्रिम को पाने के लिए ''थिंक बिग- ब्रिंग बिग'' अभियान का शुभारंभ किया गया।
- स्टार वेल्कम ऑफर और स्टार एसेट बैक्ड ऋण योजना , दोनों के तहत एमएसएमई अग्रिम को प्राप्त करने के लिए ''हम होंगे कामयाब'' अभियान आरंभ किया गया।
- दिसम्बर 20 से मार्च 21 तक रु.10000 करोड़ एमएसएमई संवितरण के निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ''लक्ष्य 10000'' अभियान आरंभ किया गया।
- खासकर एसएमई केन्द्रित शाखाओं में विभिन्न सेक्टर जैसे फुटवेयर, कांच, औषध आदि में क्लस्टर आधारित उधार के तहत नई योजनाओं की पहचान की गई और अनुमोदन दिया गया।

- स्टार एमएसएमई वेल्कम ऑफर के तहत एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए ब्याज दर में रियायत के साथ अभियान आरंभ किया गया।

5. कृषि वित्त:

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित अपनी शाखाओं एवं कृषि बैंकिंग केंद्रों (एबीसी) के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, हमने स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) के रूप में कृषि बैंकिंग केंद्र (एबीसी) संरचना पुन:स्थापित किया है। वर्तमान में, 77 एसकेवीके कार्यरत (6 एसकेवी केंद्रों के विलय सहित) हैं। इसके अतिरिक्त, एसएमई शहरी केंद्रों पर 48 कृषि डेस्क कार्यरत हैं तथा अंचलों ने कृषि पोर्टफोलियो में ध्यानकेंद्रित एवं गुणवत्तायुक्त वृद्धि हेतु आरडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) के साथ 280 कृषि क्लसटर्स का निर्माण किया है जिसमें कृषि संरचना और खाद्य एवं कृषि कारोबार शामिल हैं। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रु.138,935 करोड़ (वित्त वर्ष 20-21 की औसत एएनबीसी का 41.25%) का शानदार स्तर प्राप्त किया है जिसमें कृषि क्षेत्र के रु.59,007 करोड़ (वित्त वर्ष 20-21 की औसत एएनबीसी का 17.50%) हैं। इसमें से लघु एवं सीमांत किसानों को रु.31,992 करोड़ (वित्तीय वर्ष 20-21 की औसत एएनबीसी का 9.29%) का ऋण शामिल है। एसएमई के अंतर्गत रु.57,267 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें एमएसएमई सूक्ष्म क्षेत्र में रु.38,158 करोड़ (वित्त वर्ष 20-21 की औसत एएनबीसी का 11.54%), शिक्षा में रु.2,304 करोड़, आवास में रु.20,207 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में रु.150 करोड़ शामिल है। बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, लघु एवं सीमांत किसान, एमएसएमई सूक्ष्म तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

(राशि करोड़ में)

विवरण	ऋण राशि		वर्ष-दर-वर्ष (मार्च 20/मार्च 21)		औसत एनबीसी का % (वित्तीय वर्ष 2020-21)	आरबीआई बेंचमार्क (एएनबीसी %)
	मार्च 20	मार्च 21	राशि	%		
*कुल कृषि ऋण	52918	59007	6089	11.51	17.50	18.00
लघु एवं सीमांत किसान	26476	31992	5516	20.83	9.29	8.00
सुक्ष्म उद्यम	27040	38158	11118	41.12	11.54	7.50
*प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	126371	138935	12564	9.94	41.25	40.00

* आरआईडीएफ एवं पीएसएलसी के बकाया सहित कुल कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र।

कृषि के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने रु.35,051 करोड़ संवितरित किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लघु एवं सीमांत किसानों को कुल रु.20,355 करोड़ संवितरित किए गए। वर्ष के दौरान बैंक ने लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए रु. 2,821 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2.39 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक कम आय वर्गों को 4% की छूट प्राप्त ब्याज-दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के अंतर्गत 847 मामले स्वीकृत किए हैं जिसमें रु.1.44 करोड़ की राशि शामिल है। यथा मार्च 2021, अल्पसंख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.17,624 करोड़ (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.01%, लक्ष्य 15% था) है। यथा 31.03.2021, कमजोर वर्ग के अंतर्गत बकाया राशि रु.41,776 करोड़ (मार्च 21 का 12.15%, एएनबीसी है)। यथा 31.03.2021, खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु.6,208 करोड़ है।

स्वर्ण ऋण : स्वर्ण ऋण में प्रगतिशील वृद्धि आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.4257 करोड़ (62.39% की वाईटीडी वृद्धि) की वृद्धि दर्ज की गई और यह 31.03.2021 को रु.11,079 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि के अंतर्गत स्वर्ण ऋण में रु.3,779 करोड़ (71.39% की वाईटीडी वृद्धि) की वृद्धि हुई और यह 31.03.2021 को रु.9,072 करोड़ हो गया।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) : यथा 31.03.2021, बैंक के पास 5.42 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से 1.96 लाख एसएचजी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा यथा 31.03.2021, इसमें से 1.61 लाख महिला एसएचजी हैं। ऑफ़साइट संव्यवहारों, वित्तीय तथा डाटा डिजिटलीकरण के लिए बैंक ने दोहरा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन आरंभ किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) : ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 0.88 लाख उधारकर्ताओं को रु.1,163 करोड़ का ऋण संवितरित किया है।

स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) : वर्तमान में, 77 एसकेवीके कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, एसएमई शहरी केंद्रों पर 48 कृषि डेस्क कार्यरत हैं तथा अंचलों ने कृषि पोर्टफोलियो में ध्यानकेंद्रित एवं गुणवत्तायुक्त वृद्धि हेतु आरडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) के साथ 280 कृषि क्लसटर्स का निर्माण किया है।

अग्रणी बैंक योजना : बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - इन पाँच राज्यों में फैली हुई है तथा बैंक, झारखण्ड राज्य में एसएलबीसी संयोजक भी है।

केसीसी सैचुरेशन : वर्ष 2020-21 के दौरान, हमने केसीसी सैचुरेशन के अंतर्गत 2.27 लाख नए केसीसी ग्राहक जोड़े हैं।

6. वित्तीय समावेशन:

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता" की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं।

पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं:

इस वर्ष के दौरान 21.70 लाख प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते खोले गए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। उक्त वर्ष के दौरान पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत बैंक ने 28.42 लाख खातों को कवर किया है। इस अवधि में पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के अंतर्गत 8.62 लाख खाते कवर किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक द्वारा 4.00 लाख नए एपीवाई (अटल पेंशन योजना) अंशदाताओं का जोड़ा गया है जबकि हमारे बैंक में एपीवाई अंशदाताओं की कुल संख्या 14.88 लाख है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हमारे बैंक को उसके कार्यनिष्पादन हेतु **"अमेजिंग एचीवर्स ऑफ एपीवाई (1 फरवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021)"** के सर्वश्रेष्ठ पीएसबी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल) :

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर ऋण (एसएचएएल) - पीएमस्वनिधि का आरंभ जून, 2020 में किया गया था ताकि फेरीवालों को रु. 10,000/- तक के झंझटमुक्त कार्यशील पूंजी का मांग ऋण प्रदान किया जा सके जिसकी चुकौती 12 ईएमआई में करनी होती है। अब तक, हमने प्राप्त 1.82 लाख आवेदनों में से 1.72 लाख (95%) आवेदन मंजूर किए हैं तथा 1.64 लाख (90%) फेरीवालों को संवितरण किया है।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) :

बैंक झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 43 आरसेटी परिचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान आरसेटी ने 741 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा 20,524 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 39.30% (8064) का नियोजन सुनिश्चित करते हुए 59.45% (4794) अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। हमारे पास ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 आरसेटी `एए' श्रेणी की हैं।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी.): भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों में उन जिला स्थानों पर एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किए गए हैं जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ.एल.सी. सभी 51 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त एफ.एल.सी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। अब तक 16,21,218 जरूरतमंद विपदाग्रस्त लोगों को सलाह दी गई है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) : पायलट परियोजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या एफआइडीडी.एफसीसी. सं 4520/12.01.018/2016-17 दिनांक 04.05.2017 के माध्यम से बैंकों को वित्तीय साक्षरता में नवोन्मेषी कार्य एवं भागीदारी करने के लिए कहा है। हमारे बैंक को क्रिसिल फाउंडेशन के साथ रत्नागिरी जिले के 5 ब्लॉक में 5 सीएफएल खोलने की जिम्मेदारी दी गई है। तद्नुसार, हमने क्रिसिल फाउंडेशन के साथ मिलकर रत्नागिरी जिले में सभी 5 सीएफएल (खेड़, चिपलूण, मंडणगढ़, गुहागर और दापोली) खोले हैं। सभी सीएफएल अक्टूबर, 2017 से कार्य कर रहे हैं और उसके बाद 2019 में, हमें झारखंड राज्य के खूंटी जिले में स्वाधार (SWADHAR) के साथ मिलकर 5 सीएफएल खोलने की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में, हमें दिसम्बर, 2021 तक आरबीआई द्वारा पहचाने गए पाँच एनजीओ के साथ मिलकर पाँच राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश) में 110 सीएफएल को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इनमें से झारखंड राज्य में मार्च, 2021 माह में पहले ही दस (10) सीएफएल खोले जा चुके हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

विलय के बाद, हम 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर रहे हैं यथा उत्तरप्रदेश में **आर्यावर्त बैंक (एबी)**, मध्य प्रदेश में **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी)** महाराष्ट्र राज्य में **विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी)**, जिनमें यथा दिनांक 31.03.2021 को 82 जिलों में 2554 शाखाओं का नेटवर्क है। इन सभी प्रायोजित आरआरबी को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इनके कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक-एफआई एवं आरआरबी(प्रभाग) द्वारा निगरानी की जाती है। सभी आरआरबी शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय सिस्टम द्वारा रिपोर्ट जनरेट की सुविधा के साथ सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं। इन आरआरबी में आरटीजीएस, एनईएफटी और एटीएम की सुविधा है। हमारी सभी आरआरबी का कुल मिश्रित कारोबार यथा दिनांक 31.03.2021 को रु. 85,823.55 करोड़ है।

7. अंतरराष्ट्रीय:

सभी टाइम जोन में फैले हुए 19 देशों में बैंक की कुल 24 विदेशी शाखाएं (23 परिचालनगत), जकार्ता (इन्डोनेशिया) में 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 अनुषंगियां एवं 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं। यथा दिनांक 31.03.2021 को बैंक के वैश्विक कारोबार मिश्र में विदेशी परिचालनों का हिस्सा 12.50% है।

विदेशी अनुषंगी एवं सहयोगी :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

v) इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी) - संयुक्त उद्यम

8. ऋण निगरानी:

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों की निगरानी अनिवार्य है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि

ऋण आस्तियाँ, मानक श्रेणी में ही रहें, चिह्नित दबावग्रस्त खातों/निगरानी के अधीन खातों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाय तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि खातों को मानक श्रेणी से अवमानक श्रेणी में जाने से रोका जा सके। कमजोरी के संकेत/चूक की संभावना/डिलिक्वेंसी वाले दबावग्रस्त खातों को पहचानने तथा उनकी निगरानी करने के लिए, विभाग, विभिन्न उपकरण तथा पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से रोका जा सके तथा आस्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उपकरण:-

पूर्व चेतावनी संकेत

हमारे बैंक में अगस्त, 2020 से पूर्ण रूप से तकनीकी आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान की शुरूआत की गई है। अच्छी प्रकार से परिभाषित अंतर्निहित कार्य-प्रवाह के साथ, हमारा ईडब्ल्यूएस पूर्णतः स्वचालित समाधान है। आंतरिक (सीबीएस एवं रेटिंग डाटा) तथा बाह्य डाटा(एमसीए, सीआईसी इत्यादि) दोनों के आधार पर चेतावनी जनरेट होती है। जनरेट की गई चेतावनी आरंभिक कमजोरी को पहचानने तथा समय से सक्रिय सुधारात्मक उपाय करने में बैंक की सहायता करती है। यह उपाय खातों में धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करने में सहायता करता है (यदि कोई हो)। यह समाधान उपयुक्त प्रणाली/कार्रवाई के साथ खातों की सघन निगरानी हेतु शाखाओं को समर्थ भी करता है।

क्रिलिक रिपोर्टिंग

एसएमए श्रेणी में खाते के वर्गीकरण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई, पुन:संरचना आदि सुधारात्मक कदम उठाने हैं। आरबीआई के संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुसार 5 करोड़ तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को साप्ताहिक आधार पर क्रिलिक प्लेटफॉर्म पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाना है।

सिस्टम से आस्ति का वर्गीकरण (सास्कल) :

सास्कल एक संभावना बताने वाला प्रोग्राम है जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो माह से अधिक की अवधि के अतिदेय को प्रदर्शित करते हुए संभावित स्लिपेज को पहचानता है। इसके अतिरिक्त इसमें तीन माह से अधिक तक स्टॉक/क्यूआईसी स्टेटमेंट न जमा करना, सीसी खातों में अपर्याप्त/कोई जमा न होना जैसी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करने वाले खातों को भी शामिल किया जाता है। इस संबंध में यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई न की जाए तो इससे खाता डाउनग्रेड हो सकता है। मानक आस्तियों को डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए विभिन्न स्तरों से इन खातों की विशेषतौर पर निगरानी की जाती है।

ऋण प्रक्रिया लेखा परीक्षा

ऋण प्रक्रिया की लेखा परीक्षा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व तथा संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवितरण करने वाले अधिकारी द्वारा बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन/प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये गये है ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए रियल टाइम में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

स्टॉक लेखापरीक्षा :

हम पात्र खातों में 'स्टॉक" तथा प्राप्य राशि के संबंध में समयपूर्वक लेखा-परीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। स्टॉक की लेखापरीक्षा ज्यादातर वैसे मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू है, जिनकी कार्यशील पूँजी एक्सपोजर रु.5 करोड़ तथा इससे अधिक है। इसे प्रतिवर्ष किया जाना अपेक्षित है। कमजोरी के अंतर्निहित संकेत, जैसे अनियमित स्थिति, साख पत्र के अंतर्गत अतिदेय बिल, गारंटी लागू करना, खातों की समीक्षा न होना आदि, जो बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, का टेली/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न प्लैटफॉर्म एवं स्तरों पर फॉलोअप किया जाता है।

एनपीए को प्रतिदिन चिह्नित करना :

एनपीए की पहचान करने में और अधिक पारदर्शिता लाने एवं विनियामकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा दिनांक 15.04.2021 से एनपीए को प्रतिदिन चिह्नित किया जा रहा है।

कोविड-19-विनियामकीय राहत पैकेज :

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 तक सभी उधारकर्ताओं हेतु ऋणस्थगन लाभ को बढ़ा दिया गया है तथा आरबीआई राहत पैकेज के अनुसार खातों को पुन:अनुसूचित एवं पुन:संरचित किया गया है।

निगरानी के अन्य साधन :

अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए संवितरण से पूर्व तथा संवितरण के पश्चात् संबंधी प्रसंविदाओं के कार्यान्वयन की केन्द्रीयकृत निगरानी करना।

बैंक ने संव्यवहार निगरानी के सत्यापन, निरीक्षण आदि के लिए रु.250 करोड़ से अधिक के खातों में विशेष निगरानी हेतु एएसएम नियुक्त किए हैं।

ईडब्ल्यूएस के अवलोकन पर खातों की रेड फ्लैगिंग तथा विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत समय-सीमा के भीतर धोखाधड़ी के दृष्टिकोण की जांच करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। आरबीआई के क्रिलिक प्लेटफॉर्म में खाते के धोखाधड़ी युक्त घोषित हो जाने के बाद त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।

9. एनपीए प्रबंधन:

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली

शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टाफ के साथ मिलकर काम करके लगातार अथक प्रयास किये हैं।

दिनांक 31.03.2021 को एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2020 को स्थिति	यथा 31.03.2021 को स्थिति
सकल एनपीए	61550	56535
निवल एनपीए	14320	12262
सकल एनपीए (%)	14.78%	13.77%
निवल एनपीए (%)	3.88%	3.35%
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	83.74%	86.24%

किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्यनीतियों में से कुछ के माध्यम से वसूली में सुधार आया है :

एनपीए का एबीसी विश्लेषण

- हमने वसूली प्रक्रिया में सब-स्टाफ को शामिल करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए स्टार सक्षम अभियान की शुरुआत की।
- हमने एक-बारगी समझौते (ओटीएस) के लिए आवश्यकता-आधारित योजना में संशोधन किया है, जो गैर-विवेकाधार तथा गैर-विभेदकारी थे।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा बकेट की देखरेख करने वाले विभागों में 3 महाप्रबंधकों की तैनाती।
- संरचित अनुवर्ती तथा स्वामित्व - शाखाओं के क्लस्टर के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक, नोडल अधिकारी। ऋण निगरानी तथा वसूली के लिए समर्पित अधिकारियों के साथ वॉर-रूम का कार्य।
- प्रत्येक स्तर पर ओटीस प्रस्तावों के जेनरेशन पर जोर देना। रु.5 करोड़ तथा उससे अधिक का प्रधान कार्यालय द्वारा संचालित। ओटीएस प्रस्तावों की ऑनलाइन निगरानी।
- वाद दाखिल/डिक्री खातों के लिए निर्णायक सरफेसी/ विधिक कार्रवाई तथा विधिक मेनू।
- रु.50.00 लाख से अधिक के वाद दाखिल एनपीए अंतरित करके आस्ति वसूली शाखाओं को नया करना तथा डीजीएम/एजीएम द्वारा मुख्य एआरबी संचालित है।
- अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन से एनपीए हुए खातों को कम से कम समय में अपग्रेड करने के उद्देश्य से उनमें परिचालन रोकना।
- कुल अतिदेय की वसूली के पश्चात पूरे खाते का अपग्रेडेशन करना।
- उस खाते की पुर्नरचना करना जिसे दीर्घावधि सहयोग की आवश्यकता हो।
- एन.सी.एल.टी. में आवेदन करना तथा जहाँ हम लीडर नहीं हैं वहाँ कन्सोर्टियम के अन्य बैंकों को इसके लिए प्रेरित करना।
- मुकदमा दायर करना और डीआरटी के जरिए शीघ्र निपटान के लिए रोक की समाप्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
- ट्रैकिंग विकल्प के साथ, एनपीए उधारकर्ताओं द्वारा, ओटीएस आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा
- उन खातों में जिनका बैंक के लाभ व हानि खाते में सकारात्मक प्रभाव है,उनके संबंध में ओटीएस किए जाने को प्रेरित करना;
- सरफेसी अधिनियम के प्रावधान तुरन्त लागू करना।
- ओटीएस अनुमोदित खातों में वसूली की ट्रेकिंग को सुनिश्चित करना ताकि वे असफल न हों।
- सभी पात्र मामलों में उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करना ।
- प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विशाल ई-नीलामी करना।
- विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना ।
- जिन मामलों में मुकदमा/डिक्री फाइल कर दिया गया है अब उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाती है।
- बैंक स्तर पर आयोजित की गई उन जेएलएफ़ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है जहाँ बैंक अग्रणी बैंक है या सहायता संघ (कन्सोर्टियम) का सदस्य है।

10. कोषागार:

फॉरेक्स कारोबार : ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड, ऑप्शन तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिंग सुविधा उपलब्ध करता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक के नई दिल्ली,अहमदाबाद, चेन्नई तथा कोलकाता में 4 सैटेलाइट डीलिंग रूम हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मर्चेंट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमश: रु. 1.38 लाख करोड़ तथा रु. 49.78 लाख करोड़ रहे। वर्ष के दौरान बैंक का कुल फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 51.16 लाख करोड़ रहा। मुद्रा फ्यूचर की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेंजों में एक अग्रणी बैंक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान करेंसी फ्यूचर में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 73.08 बिलियन है। बैंक को करेंसी फ्यूचर व्यवसाय के लिए विभिन्न पुरस्कार दिये गए हैं। 2020-21 के लिए बैंक को करेंसी डेरिवेटिव सेग्मेंट (बैंक) के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए बीएसई के द्वारा “टॉप वॉल्यूम परफॉरमर” पुरस्कार और सभी बैंको की श्रेणी के अंतर्गत करेंसी डेरिवेटिव्स में एमसीएक्स में टॉप परफॉरमर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ट्रेज़री परिचालन व निवेश :

बैंक ने 2020-21 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। रेपो/ टीआरईपीएस विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक

आवश्यकता जो कि एन.डी.टी.एल का 18.00% है, उससे अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2021 को सकल एसएलआर निवेश रु.141,117 करोड़ (कुल निवेश का 75.92%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.44,760 करोड़ (कुल निवेश का 24.08%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 24,699 करोड़ के 'पुन:-पूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। ट्रेजरी ने सक्रियतापूर्वक अपने निवेशों पोर्ट फोलियो को प्रबंधित किया है तथा एस.एल. आर ए.एफ़.एस पोर्टफोलियो के एम-ड्यूरेशन को, 31.03.2020 को 1.51 से 31.03.2021 को 1.22 तक कम किया है। ये निवेश,बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/ विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11 सूचना प्रौद्योगिकी:

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

- दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली ने विभिन्न विभागों को कोविड 19 महामारी के दौरान बिना किसी बाधा के, प्रभावी तरीके से अपना काम जारी रखने में मदद की।
- प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभाग, शाखाएँ और अंचल, लाइव वातावरण में डीएमएस को एक्सेस कर रहे हैं।
- सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा (एसबीए) और सांविधिक नियंत्रण लेखापरीक्षा (एससीए), डीएमएस की सहायता से प्रभावी ढंग से की गई है। सभी दस्तावेज रियल टाइम आधार पर लेखा-परीक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं।
- दिनांक 1.04.2021 से केंद्रीकृत बैक-ऑफिस विभाग से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 59 जेडसीओडी (आंचलिक केंद्रीकृत परिचालन विभाग) से संबद्ध सभी शाखाओं में डीएमएस के माध्यम से एसबी खाता खोलने की प्रक्रिया को लाइव किया गया है।
- स्विफ्ट केंद्रीकरण प्रक्रिया में डीएमएस के उपयोग को एडी शाखाओं में लाइव कर दिया गया है और 24.03.2021 को एफबीडी के नए टेम्प्लेट "एफई-बीओ" को लाइव किया गया है।
- दिनांक 17.02.2021 से सभी शाखाओं में डीएमएस के माध्यम से ईसीएस अधिदेश को लाइव कर दिया गया है।

वेबसाइट का विकास

- बेल्जियम में एंटवर्प शाखा के लिए समर्पित वेबसाइट विकसित की गई है।
- केन्या साइट के लिए ऑनलाइन सुझाव मॉड्यूल विकसित किया गया है।
- पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं को जीईसीएल (गारंटीकृत आपतकालीन क्रेडिट लाइन) की सुविधा ऑनलाइन प्रदान की गई।
- कार्ड सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए, फीडबैक एकत्र करने हेतु, वेबसाइट पर, सर्वेक्षण लिंक के साथ, ऑनलाइन संपर्क रहित डेबिट कार्ड सर्वेक्षण फॉर्म बनाया गया।
- वेबसाइट पर ऋण पुन:संरचना आवेदन तैयार किया गया जहां मौजूदा कोविड महामारी के दौरान प्रभावित पात्र उधारकर्ताओं को राहत (ऋण स्थगन के साथ-साथ अवधि का विस्तार) का प्रावधान प्रदान किया गया है।
- डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत और डीएसबी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, संपर्क संबंधी जानकारी प्रदर्शित की गई है।

स्टारडेस्क

- मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लिए ज्ञान आत्मानिर्भर पोर्टल और एसओपी पर फीडबैक के लिए ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया, ज्ञान आत्मानिर्भर पोर्टल पर एसओपी के संबंध में स्टाफ के योगदान की व्यवस्था की गई।
- सिस्टम से संदर्भ संख्या जेनरेट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म तथा भुगतान विवरण को कैप्चर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म।
- आंचलिक बजट आवंटन के लिए ऑनलाइन फॉर्म, सुरक्षा विभाग का एमआईएस, आस्ति सूची के लिए सूचना सुरक्षा पोर्टल (एप्लिकेशन, सिस्टम, डेटाबेस)
- भुगतान विवरण कैप्चर करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म।

इंटरनेट बैंकिंग (आईबी)

- आरबीआई के निर्देश के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन में डेबिट कार्ड कंट्रोल मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है जहां उपयोगकर्ता चैनल एक्सेस के साथ-साथ चैनल की सीमा का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ वे कार्ड की हॉट लिस्टिंग, अस्थायी कार्ड ब्लॉक, कार्ड पिन बदलना, कार्ड पिन रीसेट करना आदि कार्य कर सकते हैं।
- आरबीआई से प्राप्त परामर्श के अनुसार, एससीबी और यूसीबी के कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए फोर्सड(बलपूर्वक) पासवर्ड परिवर्तन की शुरुआत की गई है।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग और पेयू/टेक प्रोसेस पेमेंट गेटवे के बीच कम्यूनिकेशन को एन्क्रिप्ट किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग (रिटेल) को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की ई-एफआरएम प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- ग्राहकों को बचत बैंक खाते में नामिती जोड़ने की अनुमति प्रदान करने हेतु रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में सुविधा आरंभ की गई है।
- डोर स्टेप बैंकिंग पोर्टल रीडायरेक्शन को इंटरनेट बैंकिंग होम पेज पर जोड़ा गया है।
- संव्यवहारों की सफलता, विफलता और प्रसंस्करण के बाद बल्क अपलोड संव्यवहारों की सभी बल्क अपलोड रिपोर्ट की सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान की गईं।

- आरबीआई की एडवाइजरी के अनुसार, बैंकों और पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर्स के बीच कम्यूनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए, अन्य एग्रीगेटर्स के समान, मानक एन्क्रिप्शन प्लैटफॉर्म पर, पेमेंट गेटवे एटीओएम और बीओआई आईबी के बीच एन्क्रिप्शन को इनेबल किया गया है।
- एचयूएफ ग्राहक के लिए एसजीबी (सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड) फंक्शनैलिटी इनेबल की गई है। इससे हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके गोल्ड बॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग (एमबी)

- वर्तमान में मोबाइल बैंकिंग के हमारे पास 44,61,183 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं (यथा 30 अप्रैल 2021) जिसमें 42,77,608 एंड्राइड उपयोगकर्ता और 1,83,575 आईओएस उपयोगकर्ता शामिल हैं और अब इसे एंड्राइड 11 के साथ कंपैटिबल किया गया है।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत डेबिट कार्ड कंट्रोल और क्रेडिट कार्ड कंट्रोल संबंधी परिवर्तन किये गये हैं जिसमें हॉटलिस्ट, अस्थायी ब्लॉक/अनब्लॉक, पिन बदना, सीमाएं प्रबंधित करना और चैनल प्रबंधित करना, विवरणी देखना, बिल भुगतान, अस्थायी कार्ड ब्लॉक, कार्ड प्रतिस्थापन जैसी सुविधाएं हैं।
- एकीकृत डोर स्टेप बैंकिंग और पीपीएस-चेक पॉजिटिव भुगतान प्रणाली।
- लीड जनरेशन के लिए एकीकृत ओसीआरएम (ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट) सुविधा, जहां ग्राहक 46 सुविधाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड के लिए अनुरोध, विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए अनुरोध, लॉकर के लिए अनुरोध आदि।
- ऐप में 15जीएच फॉर्म उपलब्ध कराया गया है जहां उपयोगकर्ता आय पर टीडीएस कटौती को रोकने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
- मोबाइल बैंकिंग में थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर विकल्प का उपयोग करके ऋण खातों में जमा की अनुमति देने के लिए परिवर्तन किए गए हैं।
- मोबाइल बैंकिंग में एकीकृत ऋण खाते और ऋण ऑफ़र फंक्शनैलिटी का प्रदर्शन।
- एंड यूज़र के लिए उनके एसबी, सीडी, ओडीए, लोन, टीडी और आरडी खातों में शेष राशि देखने के लिए, किसी तारीख विशेष को बैलेंस जानने की फंक्शनैलिटी और एम-पासबुक को लाइव किया गया।

डिजिटल दस्तावेजों का निष्पादन

- डीडीई परियोजना को 31.03.2021 को रिटेल ऋण उत्पादों के लिए लाइव बनाया गया है जिसमें आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके ई-स्टांपिंग और ई-हस्ताक्षर करना शामिल है।
- एनईएसएल को सीएपीएस अर्थात् क्रेडिट एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में लागू किया गया है। (बैंक की ऋण ओरियेन्टेशन प्रणाली (एलओएस)।
- वर्तमान में अनेक दस्तावेज़ों और बहु-पृष्ठ दस्तावेज़ों के साथ एकल उधारकर्ता संबंधी कार्यान्वयन किया जाता है।
- डीडीई परियोजना 8 राज्यों/यूटी अर्थात् दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार के लिए उपलब्ध है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली

- बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुरक्षित, कुशल और अनेक प्लैटफॉर्म पर संचालन योग्य बीबीपीएस सोल्यूशन लागू किया है। भारत बिल पे, पूरे भारत के बैंक के सभी ग्राहकों को संवयवहार की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ एक आसान और सुलभ, "कभी भी कहीं भी" बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है। यह बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, पानी का बिल आदि अनेक बिल भुगतान श्रेणियां प्रदान करता है।
- इस सोल्यूशन को बैंक के सीबीएस, वित्तीय समावेशन गेटवे, मल्टी-फंक्शन कियोस्क, आईवीआर सेवाओं और बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैकल्पिक वितरण चैनलों के साथ बाधा रहित रूप में एकीकृत किया गया है। संव्यवहार को वैकल्पिक वितरण चैनल के माध्यम से या किसी भी बैंक शाखा टर्मिनल से या भुगतान एजेंट टर्मिनल के माध्यम से आरंभ किया जा सकता है।

पीपीएस - सीटीएस के लिए पॉजिटिव भुगतान प्रणाली (चेक ट्रंकेशन सिस्टम)

- आरबीआई द्वारा यथा सूचित और सहभागी बैंकों के लिए एनपीसीआई द्वारा विकसित सुविधा के अनुसार, बड़े मूल्य के चेक के प्रमुख विवरणों की पुन: पुष्टि के लिए, रुपये 50,000 और इससे अधिक की राशि का चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और फिनैकल सीबीएस में पॉजिटिव भुगतान प्रणाली की फंक्सनैलिटी को लागू किया गया है।
- इस प्रक्रिया के अंतर्गत, एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि चैनलों के माध्यम से चेक जारीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप में उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तिथि, लाभार्थी / आदाता का नाम, राशि, आदि) अदाकर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है तथा यह विवरण सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। सीटीएस द्वारा फ्लैग की गई किसी भी विसंगति को अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है, जो निवारण उपाय करते हैं।

जारी प्रोजेक्ट -

डिजिलॉकर सोल्यूशन

- ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक डिजिलॉकर सोल्यूशन

प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इस सोल्यूशन का उपयोग करके बैंक, ग्राहक के डिजिलॉकर खाते में ब्याज प्रमाण पत्र, टीडीएस दस्तावेज़ आदि दस्तावेज़ जारी कर सकता है और साथ ही बैंक, ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज़, ओवीडी जैसे दस्तावेज़ माँग सकता है।

- डिजिलॉकर सोल्यूशन के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स मिस्कॉट को ऑन-बोर्ड किया गया। विकास, नियोजन और यूएटी को पूरा कर लिया गया है। एमबी और आईबी के साथ एकीकरण प्रगति पर है।

फास्टैग

- फास्टैग एक सरल और पुन: प्रयोज्य टैग है जो रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (आरएफआईडी) पर काम करता है। प्रत्येक टैग को एक पंजीकृत वॉलेट से जोड़ा जाता है ताकि टोल शुल्क में तत्काल ऑटोमैटिक कटौती की जा सके। हमारे बैंक के ग्राहकों के पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और शाखाओं के माध्यम से अपने मौजूदा फास्टैग को रिचार्ज करने की सुविधा है।
- अब बैंक इस फास्टैग को जारी करने की दिशा में काम कर रहा है। एनपीसीआई प्रमाणन के बाद फिनैकल, एमबी, आईबी, यूपीआई और बीबीपीएस के साथ एकीकरण किया जाएगा।

मिसकॉलपे:

- मिसकॉलपे एक डिजिटल भुगतान सुविधा है जो मिस्ड कॉल का उपयोग करके, फीचर फोन पर, यूपीआई आधारित मोबाइल भुगतान की सभी फंक्शनैलिटी प्रदान करता है। इंटरनेट कनेक्शन पर इसकी कोई निर्भरता नहीं है, इसलिए यह भारत की कम सुविधाओं वाली ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए उपयुक्त है।
- उपयोगकर्ता अपनी स्थानीय भाषा में भी संव्यवहार कर सकते हैं।

इंटरऑपरेबल कार्ड रहित नकद निकासी

- एटीएम में क्यूआर आधारित नकदी निकासी 07 सितंबर 2019 को आरंभ की गई है, जहां ग्राहकों को अब नकदी निकालने के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यूआर-कैश, क्यूआर प्लैटफॉर्म का लाभ लेता है और ग्राहक, रिसाइक्लर/एटीएम स्क्रीन पर सृजित क्यूआर को स्कैन करने के लिए भीम बीओआई यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। क्यूआर-कैश एटीएम क्लोनिंग, स्किमिंग और एटीएम से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने और कार्ड रहित नकद निकासी को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
- इस उत्पाद को सभी समकक्ष बैंकों के बीच इंटरऑपरेबल बनाने के लिए, एनपीसीआई ने कार्ड रहित नकद निकासी के अंतर परिचालन (आईसीसीडब्ल्यू) के यूएटी को मंजूरी दी है। किसी भी यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करने वाले ग्राहक, आईसीसीडब्ल्यू/क्यूआर-कैश सक्षम एटीएम/रीसाइक्लर से पैसे निकालने में सक्षम होंगे।

12. प्रबंधन सूचना प्रणाली:

एमआईएस विभाग की नई पहल :

अत्याधुनिक डाटावेयरहाउस सॉल्यूशन :

बैंक ने हमारी वर्तमान प्रक्रियाओं, व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए और उसमें उपयुक्त

किफायती अत्याधुनिक डाटावेयरहाउस सॉल्यूशन के प्रस्ताव हेतु एक परामर्शदात्री फर्म को नियुक्त किया है। तदनुसार, डाटा-लेक के साथ-साथ, प्रस्तावित अत्याधुनिक सॉल्यूशन के कार्यान्वयन हेतु सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के लिए मई, 2021 के प्रथम सप्ताह में आरएफपी जारी किया गया है।

ई-प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन :

थर्ड पार्टी उत्पादों सहित, सभी बैंकिंग उत्पादों (आस्ति एवं देयता उत्पादों) के स्ट्रेट थ्रू ऑरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग हेतु ई-प्लेटफॉर्म समाधान को कार्यान्वित और प्रबंधित करने के लिए आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से बैंक सिस्टम इंटिग्रेटर की नियुक्ति करता है। तत्संबंधी व्यापक कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है-

- नया ग्राहक संबंध प्रबंधन - अग्रणी प्रबंधन, अभियान प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन, ग्राहक का 360 डिग्री दृष्टिकोण, सेवा प्रबंधन
- ऋण प्रोसेसिंग लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली
- डिजिटल मार्केटिंग
- बैंक की आस्ति एवं देयता और थर्ड पार्टी उत्पादों हेतु स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) का कार्यान्वयन

एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईएएसई) :

ईएएसई स्कोर में सुधार और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विश्लेषणात्मक आधारित और तकनीकि आधारित रिटेल और एमएसएमई ऋण प्रस्तावों जैसी विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। एमआईएस ने ईएएसई 3.0 की निम्नलिखित आवश्यकताओं को कार्यान्वित किया है:

- डिजिटल लीड पहल के चैनलों को सक्रिय करना:
- एसएमएस, मिस्ड कॉल, कॉल सेंटर, वेब-साइट, मोबाइल बैंकिंग
- विश्लेषण आधारित लीड जेनरेशन को निम्नालिखित को कार्यान्वित किया गया:
- रिटेल - आवास ऋण टॉप-अप ऋण
- रिटेल - समय पूर्व बंद की गई मीयादी जमा
- रिटेल - अधिग्रहण किए गए आवास ऋण
- रिटेल - वैतनिक ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण
- एमएसएमई - एमएसएमई ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित व्यवसाय ऋण

13. जोखिम प्रबंधन: :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने जोखिमों तथा प्रतिफलों के बीच ट्रेड-ऑफ को बनाये रखने के लिए, एकल बकेट और पोर्टफोलियो आधार पर, प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत

मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। हमारे बैंक में जोखिम प्रबंधन, समिति के बोर्ड (आर.कॉम.) द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति होती है जिसको, विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और सोओआरएम (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए समिति) से सहयोग प्राप्त होता है

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, अपने परिचालनों और संस्कृति में जोखिम प्रबंधन के पूर्ण एकीकरण पर केंद्रित है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढ़ाचा जोखिम प्रबंधन चक्र से आरंभ होता है, जिसमें कई चरण होते हैं: जोखिम प्रवृति का निर्धारण करना, दबावग्रस्तता की जाँच, परिदृश्य का विश्लेषण, सभी खण्डों में जोखिम मूल्यांकन का संपूर्ण क्षेत्र तैयार करना और जोखिमों का आकलन एवं निगरानी करना। जोखिमों को पर्याप्त रूप से चिह्नित, विश्लेषित, रिपोर्ट और प्रबंधित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन जोखिमों के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। जोखिमों को बैंक स्तर पर ही सक्रिय रूप से चिह्नित और प्रबंधित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन, बैंक के मूल केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है। हमारा बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी जोखिम क्षेत्रों में की जाने वाले श्रेष्ठतम वैश्विक प्रथाओं को अपनाया जाए। इस जिम्मेदारी को लोगों और प्रणालियों में निवेश करके तथा जोखिम वहन करने की संस्कृति को तैयार करके पूरा किया जा रहा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और प्रबंधन के लिए सीमाओं और नियंत्रणों के व्यापक ढाँचे के माध्यम से सुनिश्चित करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग सुनिश्चित करता है कि जोखिम प्रबंधन को सही ढ़ंग से कार्यान्वित किया गया है कि यह सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, क्रेडिट रेटिंग थ्रेशहोल्ड विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर आधारित था। बैंक ने उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए उधारकर्तावार ऋण जोखिम मॉडल के आकलन हेतु विभिन्न अंतरिक ऋण जोखिम आकलन मॉडल और स्कोरकार्ड बैंक में ही विकसित किए हैं। बाह्य प्रमाणीकरण और समीक्षा सहित, व्यापक प्रमाणीकरण और बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क चक्रों (साइकिल्स) में इनकी समीक्षा की गई है। बैंक में जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरएआरओसी) हेतु फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति (एसडीएम) तथा परिचालनगत जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के आधार पर बासेल-III विनियम के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना की ओर अग्रसर है।

परिचालनगत जोखिम को अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्ति तथा सिस्टम या बाह्य घटनाओं के कारण हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल हैं परन्तु कार्यनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं। बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के माध्यम से परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियों का आकलन करता है। परिचालनगत जोखिम से हानियों के संभावी प्रभाव की संभावना को कम करने के लिए बैंक व्यापक प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली तथा नीतियों से परिचालनगत जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करता है।

बैंक के बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए आंतरिक नियंत्रकों को सुदृढ़ बनाकर बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्तियों की सुरक्षा हेतु, सूचना सुरक्षा जोखिमों से बचना, बैंक की सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य है। बैंक अपने ग्राहकों और खाताधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क है और इसे साइबर हमले से सुरक्षित करने का अत्यधिक ध्यान रखता है। बैंक ने कैप्टिव सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है। बैंक द्वारा रियल टाइम आधार पर सूचना सुरक्षा उल्लंघन प्रयासों/घटनाओं/वारदातों से समय पर बचाव, पता लगाने और प्रतिक्रिया के लिए 24*7 निगरानी आधार पर विभिन्न सूचना सुरक्षा परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। वेब तथा ई-मेल चैनलों के लिए उन्नत सुरक्षा उपकरण जैसे एसआईईएम (सुरक्षा जानकारी तथा घटना प्रबंधन), पीआईएम (विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन), डीएएम (डेटाबेस गतिविधि निगरानी), डब्ल्यूएएफ (वेब एप्लिकेशन फायरवाल), एनबीएडी (नेटवर्क बिहेवियर अनामली डिटेक्शन), एंटी-एपीटी (उन्नत परसिस्टेंस थ्रेट) और एंटी डीडीओएस जैसे कुछ सुरक्षा समाधान कार्यान्वित किए गए हैं। खतरे को दूर करने, उन्हें रोकने, उनका पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई पर केन्द्रित विभित्र नए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बैंक, आईएसओ 27001:2013 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301:2012 (बीसीएमएस) प्रमाणपत्र धारक है। नकली साइटों के माध्यम से की जाने वाले फिशिंग अटैक से बैंक के ग्राहकों को बचाने के लिए प्रभावी ब्रैंड सुरक्षा सेवाएँ लागू की गई है। सभी सिस्टमों के लिए संवेदनशील एप्लिकेशन और सेवाओं के लिए नियमित जोखिम व कमजोरी (वल्नरेबिलिटी) मूल्यांकन प्रक्रिया समयबद्ध उपचारात्मक गतिविधियों सहित पूरी की जाती है। पूरे बैंक में अध्ययन एवं संचार के विविध माध्यमों से व्यापक स्तर पर स्टाफ के साथ-साथ ग्राहकों के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में आयोजित किए जाते हैं।

14. डिजिटल बैंकिंग:

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया विभिन्न डिजिटल उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के यथा वीज़ा, मास्टर कार्ड और रूपे डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, अपने उच्च मूल्यवान ग्राहकों के लिए हमने एक प्रीमियम डेबिट कार्ड जारी किया, जो प्लास्टिक और मेटल दोनों स्वरुप में उपलब्ध है। कार्ड संबंधी संव्यवहारों पर सहज नियंत्रण हेतु बैंक ने बीओआई मोबाइल एप्प में डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड सेवाओं को एकीकृत किया है। बड़ी संख्या में ग्राहक भीम यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इन्टरनेट बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। बैंक अपने मर्चन्ट ग्राहकों को पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) ईडीसी मशीने, भीम आधार पे/यूपीआई क्यूआर/ भारत क्यू आर उपलब्ध कराता है। यथा 31.03.2021 बैंक ने मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मर्चन्टों के लिए 30,560 पीओएस टर्मिनल, संस्थापित किए हैं और 1,79,901 क्यूआर कोड (पीएम स्वनिधि खातों सहित) जारी किए हैं।

यथा 31.03.2021 बैंक में 5551 एटीएम लगाए हैं। बैंक के सभी एटीएमों में नवीनतम सुरक्षा-खुबियां मौजूद हैं, हमने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु अपने सभी एटीएमों में वॉइस एनेबल्ड गाइडन्स सुविधा उपलब्ध कराई है। अपने ग्राहकों को नकद जमा करने/निकलने हेतु झंझट-मुक्त सुविधा प्रदान करने हेतु हमने अत्याधुनिक रीसाइक्लर मशीन लगाए हैं।

बैंक संव्यवहार बेंकिंग संबंधी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें एनएसीएच मैंडेट, डायरेक्ट डेबिट मैंडेट, पेमेंट गेटवे, कॉरपोरेट्स केलिए नकदी प्रबंधन सेवाएं ऑन, लाइन शेयर ट्रेडिंग 3-इन-1 खाते और चैनल वित्त उपलब्ध कराना है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद:

जीवन बीमा :

जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक का अपनी संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी अर्थात् स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौता है। पूरे भारत में बैंक के पास 9067 कर्मचारी हैं, जो आईआरडीएआई से प्रमाणित 'निर्धारित व्यक्ति' हैं। सूडलाइफ के विभिन्न जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के अतिरिक्त, हम बैंक के रिटेल ऋण के अंतर्गत आवास एवं शिक्षा ऋण के सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर वैकल्पिक बीमा प्रदान करते हैं। इस संबंध में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु. 1396.67 करोड़** का प्रीमियम प्राप्त किया है तथा इस प्रकार **रु.77.64 करोड़** की कमीशन आय अर्जित की है।

साधारण बीमा:

बैंक ने दो साधारण बीमा कंपनियों अर्थात् रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता किया है। हमने सह-ब्रांडिंग कर 'रिलायंस बीओआई स्वास्थ्य बीमा' उत्पाद आरंभ किया है जो पूरे परिवार द्वारा प्रयोज्य (फैमिली फ्लोटर) पॉलिसी है। यह बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर उपलब्ध है। बैंक ने **रु.153.60 करोड़** का साधारण बीमा प्रीमियम प्राप्त किया है तथा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए **रु.21.26 करोड़** की कमीशन आय अर्जित की है।

केवल (स्टैंडअलोन) स्वास्थ्य बीमा:

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के अंतर्गत बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक ने **38.52 करोड़** प्रीमियम प्राप्त किये, अत: वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु. 5.25 करोड़** की अनंतिम कमीशन आय अर्जित की।

म्यूचुअल फंड उत्पाद :

हमारे ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बैंक एकल वित्तीय केन्द्र बना हुआ है। हमारे पास अनेक वित्तीय उत्पाद हैं जिसमें हमारी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी बीओआई-एक्सा म्यूचुअल फंड सहित 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं। हम इनके म्यूचुअल फंड उत्पादों का विपणन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने इस क्षेत्र में **रु.3.14 करोड़** की अनंतिम आय अर्जित की है।

16. विपणन एवं प्रचार: विपणन एवं प्रचार-प्रसार:

बैंक के छवि निर्माण के साथ-साथ बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की दृश्यता को बढ़ाने के लिए बैंक का प्रचार एवं जन-संपर्क विभाग, विभिन्न संचार माध्यमों से कॉरपोरेट अभियान चलाता है। मीडिया संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देशभर में बैंक के विविध उत्पादों का प्रचार-प्रसार, बैंक की थीम लाइन "रिश्तों की जमापूंजी" के साथ किया जाता है। रेडियो चैनलों, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक के उत्पादों का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से किया गया है। प्रिंट मीडिया में बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं तथा "आउट ऑफ़ होम" (ओओएच) गतिविधियों यथा होर्डिंग/बिल बोर्ड/गैन्ट्री के माध्यम से भी बैंक के उत्पादों का प्रचार किया जाता है।

17. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास:

बीपीआर विभाग बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ चेंज मैनेजमेंट के अन्य पहलुओं जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद एवं नीतियां शामिल हैं, को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान की गई ग्राहक केंद्रित मुख्य पहलें निम्नलिखित हैं:-

'वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान परियोजना कार्य/पहल

- **दो एनबीजी और चार नए अंचलों का गठन** : संभाव्य कारोबार अवसर प्राप्त करने, सुचारू कार्य व्यवस्था, बेहतर निगरानी और ग्राहकों तक पहुँच के लिए दो नए एनबीजी- एनबीजी बिहार और एनबीजी म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ तथा चार नए अंचल यथा नासिक, जबलपुर, मदुरै और संबलपुर बनाए गए हैं।

- **संस्थागत संरचना के पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के लिए नीतिगत दस्तावेज:** समग्र कारोबार में सुदृढ़ वृद्धि के लिए, अंचलों/ शाखाओं पर बेहतर नियंत्रण और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए हेतु नीति बनाई गई।

- **नए विभागों की स्थापना** : बेहतर ग्राहक सेवा दिए जाने और ग्राहकों के प्रश्नों/शिकायतों का शाखाओं द्वारा तुरन्त निदान किए जाने के लिए विदेशी कारोबार विभाग, एमआईएस विभाग और डिजिटल बैंकिंग विभाग का सृजन किया गया है।

- **स्टार परामर्श-** परिचालन संबंधी/व्यावहारिक सुझाव फील्ड स्तर से प्राप्त करने हेतु स्टाफ परामर्श योजना: सम्मेलन, कॉन्क्लेव एवं प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी फोरम पर परिचालात्मक कुशलता एवं प्रभावकारी सेवाओं के लिए स्टाफ द्वारा दिए गए सभी विचारों एवं सुझावों को शामिल करने के लिए योजना में विस्तार किया गया है। वर्ष के दौरान 469 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 19 का कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया एवं 1 को पुरस्कृत किया गया।

18. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा:

बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (घरेलू), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा तथा विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा पर बोर्ड अनुमोदित नीति उपलब्ध है। इन नीतियों को विनियामकों तथा साथ ही बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन समीक्षित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 3210 शाखाओं और कार्यालयों की लेखापरीक्षा आयोजित की। समवर्ती लेखापरीक्षा में कार्यरत सीए द्वारा 1121 शाखाओं, ट्रेजरी शाखा, डाटा सेंटर

तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को कवर किया जाता है तथा बैंक के आंतरिक अधिकारियों द्वारा सभी विदेशी शाखाओं को कवर किया गया है। समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा 59.41% वैश्विक जमा तथा 83.97% से अधिक वैश्विक अग्रिम को कवर किया गया। बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं:

- "उच्च जोखिम तथा अधिक" रेटिंग वाली शाखाओं में विवेकाधीन लेखापरीक्षा आयोजित की गई।
- लेखा परीक्षाधीन शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- निर्यात संव्यवहारों/आयात अग्रिम विप्रेषणों से संबंधित संव्यवहारों की जांच/सत्यापन के लिए चयनित प्राधिकृत डीलर शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा।
- बैंक के आंतरिक सूचना सिस्टम लेखापरीक्षकों द्वारा डाटा सेंटर, आपदा रिकवरी साइट और अन्य महत्वपूर्ण विभागों एवं शाखाओं की आईएस लेखापरीक्षा।
- ब्याज मानदंडों के सत्यापन, ब्याज प्रक्रिया को लागू करने तथा नमूना खातों में ब्याज की जाँच को सुनिश्चित करने हेतु डाटा सेंटर की समवर्ती लेखापरीक्षा।
- निर्देशों के अनुसार शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को सभी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नियमित रिपोर्टिंग की जाती है।
- बैंक ने, पता लगाए गए अपवादों की निगरानी हेतु ऑफ़ साइट मॉनिटरिंग प्रणाली को लागू किया है।

19. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम:

बैंक का विधि विभाग सपोर्ट विभाग के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के अन्य विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले विभिन्न मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एनबीजी/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त, यह विभाग, विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्थाओं/नये उत्पादों इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेटिंग के द्वारा, विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, डिजीटल बैंकिंग विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर लिया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा बहुत ज्यादा आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के उप महाप्रबंधक (विधि)/सहायक महाप्रबंधक(विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है तथा महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी को एकत्र किया जाता है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट बिन्दुओं पर अन्य अंचलों/एनबीजी का भी मार्गदर्शन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एनबीजी/अंचलों को परिपत्र जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है -

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में, वाद पत्र का अनुमोदन तथा ऐसे वादों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी आवश्यक हो, उनकी जॉंच करना।
- विभिन्न अधिनियमों पर विचाराधीन संशोधनों / नये विधानों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।
- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।
- वाद दायर/डिक्री किए गए मामलों से संबंधित डाटा/सांख्यिकी, एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय इत्यादि को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त विधि विभाग आरबीएस डाटा से संबंधित कार्रवाई भी करता है।

20. अनुपालन:

वर्ष 2008 से बैंक में स्वतंत्र अनुपालन विभाग है। महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी विभाग के प्रमुख होते हैं, जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के अनुसार "प्रमुख अधिकारी" के रूप में भी पदनामित होते हैं। बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन के लिए बैंक के सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना इसका कार्यक्षेत्र है, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के अनुरूप "प्रिंसिपल ऑफिसर" के रूप में भी नामित किया गया है ।

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्यनीति को अपना रहा है। बैंक के घरेलू परिचालनों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु अनुपालन नियमों को अपनाकर बैंक अपनी अनुपालन संस्कृति को निरंतर बढ़ा रहा है। अनुपालन विभाग अनुपालन धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का छमाही अनुपालन निरीक्षण कार्य, तिमाही अनुपालन निरीक्षण, भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत की गई टिप्पणियों पर कृत कार्रवाई की अनुपालन-लेखापरीक्षा तथा आरबीआई द्वारा निर्धारित ट्रांश III संबंधी अनुपालन नियमों का परीक्षण कर रहा है।

बैंक में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल) उपायों / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशा-निर्देशों को लागू करने/ निगरानी करने की जिम्मेदारी भी विभाग को सौंपी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सभी खातों में केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। धन शोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधान तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार इसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी तैयार की है, जिसे भारत में स्थित शाखाओं ने अपनाया है। सभी ग्राहकों को जोखिम अवधारणा के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गीकरण की समीक्षा छमाही आधार पर की जाती हैं। विभाग स्टाफ सदस्यों को केवाईसी/ एएमएल और उसके अनुपालन से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित करता है।

अनुपालन विभाग सभी विनियामक एजेंसियों के लिए संपर्क का सिंगल पॉइंट है। यह जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) करने में आरबीआई को जवाब देने हेतु केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) है। बैंक के समस्त विभागों के समन्वय से आरबीएस रिपोर्ट बनाई जाती है तथा अनुपालन विभाग उन्हें आरबीआई में प्रस्तुत करता है।

विदेशों में स्थित स्थापनाओं, जो अपने संबंधित क्षेत्र पर आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं, के अनुपालन संबंधी कार्यों की देखरेख भी प्रधान कार्यालय का अनुपालन विभाग करता है। विदेशस्थितप्रत्येक केंद्र/ शाखा/ अनुषंगी में संबंधित अनुपालन कार्यों की निगरानी हेतु एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेश स्थित शाखाएं लागू विनियामक आवश्यकताओं (स्वदेश /मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देश, जो भी कड़े हों) का पालन करती हैं तथा तत्सम्बन्धी पुष्टिकरण/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। विदेश स्थित प्रत्येक शाखा का अनुपालन अधिकारी तिमाही आधार पर अनुपालन संबंधी जांच करता है तथा प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

21. राजभाषा:

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान हमारे बैंक को वर्ष 2019-20 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार ''कीर्ति पुरस्कार'' (प्रथम) प्राप्त हुआ है। हमारे बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकास रत्नागिरी को ''कीर्ति पुरस्कार'' (द्वितीय) प्राप्त हुआ है। नराकास नोएडा, नागपुर एवं मुजफ्फरपुर को क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आंचलिक कार्यालय गोवा, हुब्बली-धारवाड़, एस.टी.सी नोएडा को भी क्षेत्रीय स्तर पर भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इनके अतिरिक्त हमारे अंचलों/ शाखाओं को नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 139 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 3124 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। स्टाफ सदस्यों के लिए राजभाषा ई-लर्निंग एवं 'अनुवाद' मॉडयूल तैयार किए गए हैं। प्रधान कार्यालय के विभागों हेतु हिन्दी ई-मेल प्रतियोगिता तिमाही आधार पर पूरे वर्ष चलाई गई है। 15 अगस्त से 14 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी माह मनाया गया। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु "राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" आयोजित की गयी। बैंक द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में संदर्भ साहित्य तैयार किया गया। प्रधान कार्यालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह किसी सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व पर लेख, समस्त कार्यालयों/शाखाओं को राजभाषा हिन्दी में भेजे जाते हैं। बैंक, 8 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है।

22. मानव संसाधन विभाग, अध्ययन एवं विकास एवं गृह पत्रिकाएं:

मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने विभिन्न वेतनमान में 1092 सामान्य बैंकिंग और विशेषज्ञ अधिकारी तथा 3256 लिपिक वर्ग में तैनाती की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2274 स्टाफ अधिकारी और 2780 लिपिक स्टाफ भर्ती करने की योजना है।

हाल ही के वर्षों के दौरान बैंक ने मानव संसाधन के क्षेत्र में निम्नलिखित पहल की है:

क) जॉब फैमिली

ख) कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली

ग) प्रतिभा प्रबंधन

घ) नेतृत्व विकास

ङ) एम्प्लाई एन्गैजमेन्ट सर्वे (स्टार अन्वेषण)

च) 360 डिग्री फिडबैक सर्वे

कोरोना वायरस महामारी के द्वितीय दौर के बीच मानव संसाधन ने अपने स्टाफ कर्मचारियों के भौतिक और मानसिक सहयोग के प्रयास को जारी रखा है। यह महामारी अभी भी कार्य में बहुत बाधा उत्पन्न कर रही है। बैंक ने भारत सरकार/आईबीए से समय-समय पर प्राप्त विभिन्न एसओपी सलाह के आधार पर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए तथा स्टाफ की सुरक्षा के लिए कई उपाय लिए हैं जैसे सांतरित कार्य समय, गृह से कार्य, सीमित कारोबार समय, रोटेशन के आधार पर कार्य आदि। इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता योजना जैसे 'स्टार आभार', 'स्टार सहाय' और 'स्टार कुटुंब' आरंभ की गई।

स्टाफ अधिकारियों के बीच हाल ही में लिए गए एम्प्लाई एनोज्मेन्ट सर्वे से प्राप्त मुख्य केन्द्र बिन्दु पर कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ कार्यपालकों के बीच चलाए गए 360 डिग्री फीडबैक सर्वे से नेतृत्व बनाने की प्रक्रिया सुलभ होगी।

कार्य निष्पादन प्रबंधन :

बैंक ने सिस्टम ड्रिवन प्रणाली के जरिए कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू की है जिसमें सुधार हेतु फीडबैक और उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक में कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (PMS) निम्नलिखित मानदण्ड पर आधारित होगी:

(बजटीय मूल्यांकन)	- कारोबर आयाम के लिए 65% भारिता, प्रबंधकीय आयाम के लिए 15% भारिता, ई-लर्निंग पूरा करने के लिए 5% और कारोबर के गुणात्मक पहलु के लिए15%
(गैर बजटीय मूल्यांकन)	- केआरए के लिए 50% भारिता, प्रबंधकीय पहलु के लिए 45% भारिता, और ई-लर्निंग मोडयूल पूरा करने के लिए 5% भारिता

बजटीय मूल्यांकन में वर्ष 2019-20 से फिनेकल से लक्ष्य/बजट के आंकड़े कैप्चर हो रहे है और वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना में बजटीय लक्ष्य का मिलान हो रहा है। बैंक अब मूल्यांकन गैर बजटीय मानदण्डों को मापने की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास का रहा है।

प्रतिभा प्रबंधन और अनुक्रमण आयोजना

कार्पोरेट क्रेडिट, ऋण निगरानी, वसूली, कोषागार, जोखिम प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस और एचआरडी, जैस नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थिति/भूमिका की पहचान करना और सूची बनाना। यह प्रस्तावित है कि महत्वपूर्ण भूमिकाओं की पहचान होने पर, चिन्हित महत्वपूर्ण भूमिका की तुलना में योग्यताओं को मैप किया जाएगा। तदनुसार इस पद पर आसीन और इस भूमिका के लिए संभाव्य कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे इस भूमिका में कार्य कर सके।

केंद्रीकृत प्रतिभा समीक्षा/विकास प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है ताकि हमारा बैंक वरिष्ठ प्रबंधन स्तर में अत्यधिक उच्च स्तरीय रिक्तियों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। साथ ही संभावित रिक्तियों को भरने के लिए हमारे पास गुणात्मक प्रतिभा की बेहतर सूची उपलब्ध हो। प्रतिभा प्रबंधन के क्षेत्र में हमने 76 डीजीएमों के लिए डेवलपमेंट कन्वर्सेशन पूरा कर लिया है। 177 एजीएमों के लिए डेवलपमेंट कन्वर्सेशन प्रक्रियाधीन है।

एचआर रूपांतरणीय कार्यनीति हेतु हम निम्नलिखित दोहरे उद्देश्य से कौशल और अनुभव के बीच फासले को कम करने के लिए उत्तरवर्ती आयोजना हेतु पहल कर रहे है:

बैंक में उचित महत्वपूर्ण भूमिका/स्थिति के लिए उपयुक्त को तैयार करने के पहले हमारे बीच उपलब्ध प्रतिभा के संभावना का मूल्यांकन, और

भविष्य नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रतिभा की पहचान के लक्ष्य से अगले 5 वर्ष तक बैंक उत्तरवर्ती आयोजना को कार्यान्वित करेगा।

आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में भर्ती अनुभाग एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करते हैं। प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक को एससी/एसटी एवं ओबीसी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पद-आधारित आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं।

बैंक विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को अधिकारी, लिपिकीय एवं अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में निकलने वाली कुल रिक्तियों में 4% के दर से आरक्षण उपलब्ध कराता रहा है। बैंक में आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण, दिनांक 1 फरवरी, 2019 से कार्यान्वित किया गया था।

एससी/एसटी/ओबीसी स्टाफ का प्रतिनिधित्व:

यथा मार्च 2021	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	कुल
कुल	23543	21025	6891	51459
एससी	4306	3259	2280	9845
कुल स्टाफ की तुलना में %	18.29	15.50	33.09	19.13
एसटी	2077	2468	778	5323
कुल स्टाफ की तुलना में %	8.82	11.74	11.29	10.34
ओबीसी	6406	5484	1766	13716
कुल स्टाफ की तुलना में %	27.21	26.08	25.63	26.65

अध्ययन एवं विकास

एक अलग स्वतंत्र विभाग है जो क्षमता निर्माण सहित देशभर के संपूर्ण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई एवं सभी संबंधित गतिविधियों का प्रभार देखता है। अध्ययन एवं विकास विभाग द्वारा आंतरिक प्रतिभा विकास एवं कक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण, बैंक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करता आ रहा है। बैंक के 7 प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 30000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने तथा विभिन्न खण्डों में लगातार बदलती कारोबार परिस्थितियों को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल एवं ज्ञान दिलाने के लिए ई-लर्निंग माड्यूल का उपयोग कर रहा है। 21000 से अधिक अधिकारियों ने विभिन्न ई-लर्निंग माड्यूल्स किए हैं। बैंक के प्रमुख कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, क्षमता निर्माण प्रमाणन कार्यक्रम को भी आरंभ किया गया है। स्टाफ के डाटा विश्लेषण कौशल में सुधार करने के लिए, बैंक ने डाटा साइंस के आला क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मणिपाल ग्लोबल के साथ समझौता किया है। बीबीबी अनुदेशों के अनुसार, चयनित कार्यपालकों को आईआईएम बेंगलूरु में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है। सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाल में भर्ती हुए अधिकारियों के समान आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नए अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों हेतु निवारक सतर्कता

संबंधी कार्यक्रम भी बैंक द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

बैंक की गृह पत्रिका 'तारांगण"

हमारी गृह पत्रिका की यात्रा सन् 1964 में शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान इसने अपना नाम भी बदला और अब इसे 'तारांगण" के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। 'तारांगण" बैंक ऑफ़ इंडिया के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रतिभा-प्रदर्शन का एक माध्यम और संस्था के कर्मचारियो के अर्थपूर्ण विनियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी रहा है। इसके अलावा तारांगण हमारे स्टाफ सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल के प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। तारांगण में रोचक एवं अर्थपूर्ण लेख प्रकाशित किए जाते हैं जो पाठकों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते हैं।

स्टाफ सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के माध्यम से तारांगण, ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अंचलों/शाखाओं/कार्यालयों/विदेशी केंद्रों द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों को भी तारांगण में स्थान दिया जाता है। तारांगण की डिजिटल प्रति अब स्टाफ पोर्टल, "HRMS" और बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विगत कई वर्षों में हमारी गृह पत्रिका ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए और बैंक का नाम रौशन किया है।

23. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग:

बैंक के दो पूर्ण विकसित कॉल सेंटर हैं जो एरोली (मुंबई) और बेगमपेट (हैदराबाद) में स्थित हैं। ये कॉल सेन्टर हमारे ग्राहकों/गैर ग्राहकों को 24x7x365 सहायता प्रदान कर रहे हैं।

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप विविध नीतियां जैसे कि ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता, ग्राहक सेवा एवं ग्राहक पृथक्करण नीति और शिकायत निवारण नीति तैयार की गई है तथा विनियामक प्राधिकरणों के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। इन सभी नीतियों को सर्वजन हेतु वेबसाइट पर भी रखा गया है। पूर्णत:/आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों की समीक्षा करने एवं निर्णय देने के लिए हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।

हमारा बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक नियमित आधार पर ग्राहक अभिमुखता कार्यक्रम चलाता है और ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है ताकि उन्हें बैंक के द्वारा प्रस्तुत विविध बैंकिंग उत्पादों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

24. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार:

भौगोलिक रूप से भारत एवं विदेश में बैंक का शाखा नेटवर्क काफी फैला हुआ है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार , बैंक की भारत में 5084 शाखाएं थी। विदेशों में बैंक की 24 शाखाएं, 4 अनुषंगियाँ, 1 संयुक्त उद्यम एवं 1 प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा सभी टाइम जोन एवं वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों पर बैंक की उपस्थिति है। वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने 4 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्न प्रकार है :

श्रेणी	31.03.2020		31.03.2021	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	991	19.50	991	19.49
शहरी	810	15.93	812	15.97
अर्ध-शहरी	1454	28.61	1453	28.58
ग्रामीण	1828	35.96	1828	35.96
कुल घरेलू शाखाएं	5083	100	5084	100
विदेशी शाखाएं	24	-	24	
कुल शाखाएं	5107	-	5108	

25. विदेशी व्यापार विभाग, प्रधान कार्यालय:

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)

बीओआईएसएल में बैंक का निवेश रु.6.64 करोड़ है, जो बैंक की 100% अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है।

बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.(बीएआईएम) तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि. (बीएटीएस) :

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया रु.66.48 करोड़ के निवेश के साथ बीएआईएम में 52.29% और बीएटीएस में 51% शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबीएल) :

BOI मर्चेंट बैंकर्स का 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। यह बैंक की रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनांस लि.

1994 में स्थापित एसटीसीआई फाइनान्स लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया एसटीसीआई में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% (रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने 25 जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी" का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.75 करोड़ का निवेश) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इन्टरनेशनल होल्डिंग्स की अंतरराष्ट्रीय धारिता 45.94% है।

निवेश/गठबंधन:

एएसआरईसी (इंडिया) लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु. 2198 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% (रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएल) को नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया का इक्विटी स्टेक 3.26% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लि. डपहले एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए). एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 1.88% है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश :

बैंक का, सीईआरएसएआई (रु.2.15 करोड़) यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि. (रु.0.15 करोड़), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (रु.0.50 करोड़), एग्रीकल्चरल फाइनांस कॉरपोरेशन लि. (रु.1.26 करोड़) सिडबी (रु.45.30 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), लॉस डाटा कंसोर्टियम सीओआरडीईएक्स (रु.1 करोड़), एसबीआईडीएफ़एचआई (रु.5.54 करोड़), एनपीसीआई (रु.10 करोड़), एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. (रु.27.50 करोड़) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़) इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (रु.10 करोड़) में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

26. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

उत्तम कॉर्पोरेट शासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है।

- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग निम्न क्षेत्रों में धोखाधड़ी संबंधी मामलों की स्वतंत्र रूप से देखरेख करता है :
- बैंक हेतु एफ़आरएम (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) तथा एलओसी (लुक-आउट सर्कुलर) नीति तैयार करना एवं उसका प्रशासन।
- नियत समय के भीतर आरबीआई को रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी की निगरानी करना।
- धोखाधड़ियों पर केंद्रीकृत डाटा का रखरखाव ।
- की गई धोखाधड़ियों और धोखाधड़ियों के प्रयासों का विश्लेषण।
- धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करना।
- व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों में कमियों को रोकना जिसके कारण धोखाधड़ी हो रही है।
- परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रकृति की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- स्टाफ को धोखाधड़ी निवारण पर शॉर्ट अलर्ट संदेशों टिकरों/ आवधिक संदेशों एमएमएस /प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना।
- धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवधिक अंतराल पर जाँच बिंदु परिचालित करना।
- प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी पर कार्यबल समिति की बैठक का आयोजन करना और धोखाधड़ियों पर आंचलिक कार्यबल समिति की बैठक की निगरानी करना।

कार्ड को छोड़कर सभी वितरण चैनलों को शामिल करने वाले उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएम) को घरेलू शाखाओं को कवर करते हुए लागू किया गया है।

27 सतर्कता प्रबंधन:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में, बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सतर्कता विभाग कवर करता है।

बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख भी सतर्कता विभाग करता है।

सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनकी सहायता एक उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी करते हैं जिन्हें जांच तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय के सीधे नियंत्रण में 8 सतर्कता इकाईयाँ कार्य कर रहीं हैं जो सभी राष्ट्रीय बैंकिंग समूहों (एन.बी.जी.) को कवर करती हैं। नए गठित दो एनबीजी अर्थात एनबीजी-पटना और एनबीजी-भोपाल में अलग सतर्कता इकाइयां शीघ्र गठित की जाएंगी। वर्तमान में उनके सतर्कता संबंधी मामले, सतर्कता इकाई-उत्तर -।। और सतर्कता इकाई-सेन्ट्रल (अहमदाबाद) देख रहे हैं जो अविभाजित एनबीजी, उत्तर-।। और सेन्ट्रल का कार्य देख रही हैं।

निवारक, सहभागी तथा दण्डात्मक सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया जाय। सतर्कता विभाग ने सतर्कता संदर्भ मैन्युअल को 2019 में संशोधित किया गया है जिसमें समय-समय पर पर डी.एफ.एस, सी.वी.सी तथा बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि का सार एकत्रित किया गया है।

28. लाभांश वितरण नीति - निवेशक संबंध विभाग:

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट -https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf पर उपलब्ध है।

29. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2020-21 - निवेशक संबंध विभाग:

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 32 (2) (एफ़) के अनुसार कारोबार दायित्व रिपोर्ट हमारी वेबसाइट - www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

30. बासेल III (स्तंभ 3)-प्रकटन (समेकित) मार्च 2021:

बासेल पूँजी घ्घ विनियम संबंधी आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार पूँजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को आरबीआई परिपत्र डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के साथ पढ़ा जाए, बैंको को बासेल घ्घ फ्रेमवर्क के तहत लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित स्तंभ 3 प्रकटन को लागू करना आवश्यक हैं। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट के लिंक http://www.bankofindia.co.in/regDisclosureSec.aspx. पर उपलब्ध है।

31 भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति एवं उसकी प्रगति:

आरबीआई ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से अगले आदेश तक भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन को आस्थगित कर दिया, क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आरबीआई ने जो विधि संबंधी संशोधन करने की अनुशंसा की है, उन पर भारत सरकार विचार कर रही है। बैंक, स्टियरिंग समिति से विचार-विमर्श करने/उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, जून-2018 से तिमाही प्रारूप भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) वित्तीय विवरण (पीएफएस) प्रस्तुत करता रहा है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन संबंधी संपूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ पीएफएस भी प्रस्तुत किया जाता है।

आभार:

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए बोर्ड अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के सहयोग एवं सहायता के लिए उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड, ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शेयरधारकों के सतत सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड, बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

ह/-

ए के दास

एमडी एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 4 जून, 2021

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL SCENARIO

The year 2020-21 was overshadowed by the COVID-19 pandemic across the globe with its deep impact on social and economic environment. Almost all the countries had to impose lockdown as a preventive and containment measure, apart from attending to medical emergencies and boosting health care system. The situation was further aggravated with the mutant variants of coronavirus spreading more virulently, which led to recurrence of pandemic even after it subsided. The pandemic took a heavy toll of human beings and left millions unemployed. The scientific and medical communities across the world, however, made relentless efforts for developing vaccines against the disease and towards the end of 2020, a number of vaccines got the approval of authorities of various countries for emergency uses.

The spread of epidemic and disruption in economic activities caused by the lockdown was a great economic shock which led to contraction of GDP across all the countries. Particularly, contraction for the quarter ended June 2020 was more pronounced. In order to prevent the economy from sliding further, the Governments across all the nations came out with various fiscal stimulus and social welfare measures. Similarly, almost all the Central Banks pursued easy money policy with supportive liquidity enhancing measures and allowed special regulatory dispensation. With this, the contraction in GDP, to a major extent was arrested.

The IMF, in its World Economic Outlook for April 2021, has estimated global growth during 2020 at -3.3 %. The growth rate of Advanced Economies is estimated at -4.7% and that of Emerging Market and Developing Economies at -2.2%. The world trade volume is also estimated to have contracted by 8.5%.

DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

Domestic economy also presented a similar scenario. As per the provisional estimate of the National Statistical Office, the GDP witnessed contraction of 24.4% during Q1 FY21 and 7.4% during Q2. However, it registered a positive growth of 0.5% during Q3, which improved to 1.6% in Q4. The overall GDP growth rate for the year 2020-21 is estimated at -7.3% against 4.0% for 2019-20. Out of the eight specified economic sectors, only ‘Agriculture & allied’ and ‘Electricity, gas & water supply’ recorded positive growth and all others showed negative growth with the ‘trade, hotels, transport, communication services’ recording the highest contraction of 18.2%.

The industrial growth rate as per the index of industrial production (IIP) stood negative for most of the months during the year. For the full year 2020-21, industrial growth rate stood at -8.6%. Among the three sub-sectors of industry, the decline in the case of ‘manufacturing sector’ has been the highest at -9.8%. As regards the use-based classification, the growth rate of ‘capital goods’, ‘infrastructure/construction goods’ and ‘consumer durables’ stood negative at -19.2%, -9.1% and -15.2%, respectively.

Retail inflation as measured by the Consumer Price Index remained elevated throughout the year 2020-21, with inflation rate above RBI’s upper tolerance level i.e. 6.0% remaining till November 2020 due to various factors such as supply side bottleneck, food price inflation, higher fuel prices etc. However, towards the year-end, moderation was witnessed and during the last quarter, retail inflation ranged between 4.0% to 5.5%.

Both exports and imports, which showed downward movement till November,2020 started picking up since then. For the full year 2020-21, however, exports and imports growth stood negative, with exports growth rate at (-)7.26% and imports growth rate at (-) 17.36%. The trade deficit stood at USD 98.55 bn, lower than the last year’s amount of USD(-)161.35 bn. With lower imports and lower trade deficits, the current account showed surplus balance. During April to December 2020 period, the current account surplus balance stood at 1.7% of GDP against a deficit of 1.2% during April to December 2019.

Fiscal Deficit for 2020-21 stood at Rs.18.21 lakh crore or 9.30% of GDP against the Revised Budget estimate of 9.5% and originally envisaged budget estimate of 3.5%., primarily because of higher Government expenses in the areas of health care and stimulus packages undertaken for economic revival.

BANKING AND FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

During the year 2020-21, the banking industry witnessed a higher deposits growth but a subdued advances growth. The deposits registered a growth of 11.4% and advances 5.6% against a growth of 7.9% in deposits and 6.1% in advances during 2019-20. The financial performance of banking sector improved during 2020-21 with better NIM and most of the PSBs, barring a few, posted net profits for the full year. The Gross NPAs and Net NPAs witnessed reduction, both in terms of amount and percentage. The capital adequacy ratio of PSBs also improved, with capital support from the government and raising of capital by banks, mainly in the form of Tier-I bonds. Among others, the regulatory relaxation by RBI and supportive measures under Aatmanirbhar Bharat Abhiyan boosted the performance of banking sector during the year.

During 2020-21, the liquidity in the system remained in abundantly surplus mode with average absorption through reverse repo operation (Net LAF) being more than Rs. 4 lakh crore during the first half of the year and over Rs. 5 lakh crore during the second half. Systemic liquidity was augmented by several measures of RBI such as one percentage point reduction of CRR, TLTRO, Net forex operations and Open market operations etc.

At the beginning of the year, the G-Sec yield ruled high because of various factors including rise in US treasury yield, selling pressure from foreign portfolio investment, adverse developments in mutual funds sector, which softened towards middle of June 2020 because of RBI’s various liquidity boosting measures. During Q3, yield softened further; however, towards January,2021, G-Sec yield again began to harden on account of announcement of higher market by the Government, rise in US treasury yields and increase in crude oil prices. The 10 year G-Sec yield which was 6.14% in March,2020 went down to 6.02% in September 2020 and further to 5.89%

in December 2020 went up to 6.18% in March 2021.

The equity market, which was reeling low at the beginning of the year, supported by monetary and fiscal measures, started picking up fast and continued its upward movement throughout the year. The equity market was buoyed, among others, by the inflow of foreign portfolio investment, prospects of development of corona virus vaccine and revival of economic growth. With this, the sensex increased by 68%, from 29,468 as on March 31, 2020 to 49,509 as on March 31, 2021.

In the foreign exchange market, rupee depreciated initially in April, 2020 because of disruptions and uncertainty caused by onset of pandemic. However, it gradually started appreciating with support from sustained inflows of foreign portfolio investment and expectation of growth revival. The dollar-rupee exchange rate which was at Rs75.38 as on March 31, 2020 improved to Rs73.50 as on March 31, 2021.

In response to onset of pandemic, RBI announced a series of measures in end-March 2020 such as reduction of policy repo rates and CRR, moratorium in term loan instalment and deferment of interest in working capital etc. In addition to these, regulatory relaxation continued in April,2020 and subsequent months during the year. A number of liquidity enhancing measures such as additional refinance windows for NBFCs, Mutual funds, TLTRO, relaxation on maintenance of SLR, relaxation in LCR requirement were resorted to by the RBI. Apart from these, a special resolution framework for COVID-19 related stressed sectors was formulated and the period of one-time restructuring of loans for MSME entities was extended. Looking to the stressed situation, RBI also allowed deferment of the last tranche of capital conservation buffer (CCB) and activation of counter cyclical capital buffer.

The Government of India, in order to mitigate distress and support growth announced a series of stimulus measures aiming at economically weaker sections as also for various sectors viz. MSMEs, Agriculture, NBFCs and Corporate sectors. Notable among them are: Pradhan Matri Garib Kalyan Yojana, measures under Aatmanirbhar Bharat Abhiyan i.e. Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), Subordinate debt scheme for MSME sector, Production Linked Incentive (PLI) to select industries, financing of Agriculture infrastructure projects and financing for development of animal husbandry, fisheries, micro food enterprises, etc.

BUSINESS REVIEW:

1. RESOURCE MOBILISATION:

There has been an overall CASA growth of Rs. 26,918 crore during the FY 2020-21 depicting a YoY growth of 13.61%. During the period Saving Bank Deposits have shown a higher growth of Rs. 24,799 crore. The Bank has registered growth in Current Deposits also with base figures increased by Rs. 2,119 crore with 8.14% growth over last year.

The Bank's focus on high value customers "Diamond Customers" has yielded good result. The SB Diamond customer base has grown by 11.21% and there has been a good growth of Rs.18,484 crore in the deposit base of Diamond Customers depicting a YoY growth of 17.60%. Similarly the CD Diamond Customer base also grew by Rs. 1,268 crore with YoY growth of 3.83%.

The CASA ratio has dipped marginally to 41.27% from last year's figure of 41.50% during the period, the share of retail term deposits has marginally dipped from 84.19% to 84.35%.

The total term deposit has registered a growth of 14.22% amounting to an increase of Rs. 68,623 crore.

2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances decreased from Rs. 416,521 crore as on 31.03.2020 to Rs. 410,436 crore as on 31.03.2021 with a decrease of 1.46%. Gross Domestic Credit registered a moderate growth of 1.31% from Rs. 357,670 crore as on 31.03.2020 to Rs. 362,361 crore as on 31.03.2021. Bank caters to specialised needs of Corporates/ Mid Corporates through 10 Large Corporate Branches and other Large Branches headed by AGMs/CMs.

Bank has launched special scheme under RBIs COVID 19 Regulatory Package for borrowers facing stress on account of economic fallout of the pandemic.

3. RETAIL:

The Retail loan segment grew at 11.87% during FY 2020-21. We kept our special focus on Home Loans during the year, which has yielded us a good growth. The Home loan segment during the year recorded a growth of 11.39% from Rs. 35,994 crore to Rs. 40,094 crore. The Vehicle Loan segment recorded growth of 23.07% from Rs. 5,599 crore to Rs. 6,891 crore during the year. We had introduced COVID 19 Personal & Pensioner Loan during the year. The Personal Loan Segment recorded a growth of 45.56% from Rs.1,757 crore to Rs. 2,557 crore. Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra and Mahindra. Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer. Apart from above metioned products, we also extend loans to the customers for Loan against property and Educational loan.

4. MSME (MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE):

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a very important segment. Around 6.50 crore. MSME entrepreneurs contributing nearly 30 % of the GDP, 45 % of the manufacturing output and nearly 48 % of the exports of the country. It generates employment for about 110 million people. MSME sector is considered to be the backbone of Indian economy that has contributed substantially in the socio economic development of the country.

Considering the importance of the MSME and to bring larger business population under its fold, Government of India has now revised the definition of the MSMEs.

As per new classification of MSME w.e.f. 01.07.2020, all enterprises with investment in plant & machineries up to Rs. 1 crore and with turnover up to Rs. 5 crore will be classified as Micro enterprises.

All enterprises with investment in plant & machineries up to Rs. 10 crore and turnover up to Rs. 50 crore will be classified as Small enterprises.

All enterprises with investment in plant & machineries up

to Rs. 50 crore and turnover up to Rs. 250 crore will be classified as Medium enterprises.

Focus on programmes, such as Make in India, Skill India, Digital India, Atmanirbhar Bharat, EASE Reforms and One time restructuring have also brought major changes in MSME credit at Bank's level.

PERFORMANCE:

Performance of the Bank in Lending to MSME Sector during the current financial year up to 31.03.21 is depicted as under:

(Amt. in crore)

Particulars	March'19 Actual	March '20 Actual	March '21 Actual	Y-o-Y growth	
				Amt.	%
Total MSME (Including SIDBI)	54,595	56,092	63,237	7,145	12.73
Core MSME (Excluding SIDBI)	53,878	55,617	62,804	7,187	12.92

- 592,748 new accounts have been added with sanctioned limit of Rs. 14,753 crore. These accounts have outstanding of Rs. 11,912 crore.
- Total sanction under MUDRA as on 31.03.2021 was Rs. 8,624 crore against budget of Rs. 6,500 crore.
- Total 25,888 accounts were sanctioned through "online PSB59 loans" amounting to Rs 2193 crore.
- We have undertaken Restructuring of accounts as per One time MSME Restructuring as permitted by Reserve Bank of India in 77,053 accounts of sanctioned limits Rs. 3,050 crore with an outstanding amount of Rs. 2,365 crore.
- 34,623 new accounts are covered under CGTMSE with total guarantee amount of Rs. 2,635 crore and cumulative accounts covered by CGTMSE is 431,892 with total amount of Rs. 31,407 crore as on 31.03.2021.
- Total NPA under MSME segment was 22%.

HIGHLIGHTS OF FY 20-21:

- Entering into Co-lending with different NBFCs for reaching out to new set of borrowers and exploring new markets.
- Introducing differential products for differential customer segment.
- Successfully implemented various Govt. supported Covid relief schemes i.e. ECLSG-1, ECLGS 2, CGSSD for MSME entrepreneurs to meet their operational liabilities and restart their businesses. .
- TReDS : Concessions in Rate of Interest made available by shifting from MCLR to RBLR in TReDS business platform.
- SMECC Revamping: Strengthening of all existing 58 SMECC's for smooth functioning and centralised processing of all proposals of Rs. 10 Lakh and above implemented during the FY.
- Achieved the regulatory target under micro enterprises with total outstanding being 11.53% of ANBC as on 31.03.2021 against target of 7.5% of ANBC.
- Launched "Think Big – Bring Big" campaign to target to tap big ticket MSME advances under both Star Welcome Offer and Star Asset Backed Loan Schemes.
- Launched "Hum Honge Kamyab" campaign to target MSME advances under both Star Welcome Offer and Star Asset Backed Loan Schemes.
- Launched "LAKSHYA 10000" campaign with a specific target of achieving Rs. 10,000 crore MSME Disbursement from Dec'20 to Mar'21.
- Initiated Campaigns with concession in ROI for accelerating credit flow to MSME sector; under Star MSME Welcome offer.
- Various measures for improved Underwriting & Assessment Parameters like use of CMR/ tie-up with Probe42 / automation of loan process through e-platform for MSME are at implementation stages.
- Successfully implemented RBI Restructuring Resolution Framework 1.

5. AGRICULTURE FINANCE:

Priority Sector Advances:

The bank is serving to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches. During FY 2020-21, we have revamped Agriculture Banking Centers (ABCs) structure as Star Krishi Vikas Kendra (SKVK). Presently 77 SKVKs are functional (including merger of 6 SKVKs). In addition to this, 48 Agri Desks are operationalized in SME City centres and zones have formulated 280 Agri. Clusters with RDO (Rural Development Officer) for focused & quality growth in agriculture portfolio including Agriculture Infrastructure and Food & Agro business. The Bank has registered an outstanding level of Rs. 138,935 crore (41.25 % of Average FY 20-21 ANBC) under Priority Sector Advances consisting of Agriculture Rs. 59,007 crore (17.50% of Average FY 20-21 ANBC). Out of which S&MF Rs. 31,992 crore (9.29% of Average FY 20-21 ANBC), SME Rs. 57,267 crore out of which MSME Micro Rs. 38,158 crore (11.54% of Average FY 20-21 ANBC), Education Rs. 2,304 crore, Housing Rs. 20,207 crore and Other Priority Sector advances is Rs. 150 crore. The Bank has surpassed the regulatory ratios under Priority sector, S&MF, MSME Micro and credit to weaker sections of FY 2020-21.

(Amt. in Crore)

Particulars	Amt O/S		Y-O-Y Growth (Mar20/Mar21)		% of Average ANBC (FY 2020-21)	RBI Benchmark (ANBC %)
	Mar 20	Mar 21	Amount	%		
*Total Agriculture	52,918	59,007	6,089	11.51	17.50	18.00
Small & Marginal Farmers	26,476	31,992	5,516	20.83	9.29	8.00
Micro Enterprises	27,040	38,158	11,118	41.12	11.54	7.50
*Priority Sector Advances	126,371	138,935	12,564	9.94	41.25	40.00

*Total Agriculture includes outstanding of RIDF & PSLC

Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs. 35,051 crore, whereas under Small and Marginal Farmers total disbursement during FY 20-21 was Rs. 20,355 crore. Bank has issued 2.39 lakhs Kisan Credit Cards during the year with credit limits of Rs. 2,821 crore for flexible credit utilization. The Bank also extends financial assistance under

Differential Rate of Interest at concessional rate of interest of 4% to low income groups. The Bank has sanctioned 847 cases under DRI scheme during the year involving Rs 1.44 crore. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 17,624 crore as on March 21 (15.01% of Priority Sector Lending against target of 15%). Amount O/s as on 31.03.2021 under weaker section is Rs. 41,776 crore (12.15 % of ANBC). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2021 is Rs. 6,208 crore.

Gold Loan: Gold loans registered incremental growth of Rs. 4,257 crore (YTD growth of 62.39%) during FY20-21 and stands at Rs. 11,079 crore as on 31.03.2021. Gold loans under agriculture increased by Rs. 3,779 crore (YTD growth of 71.39%) during FY20-21 and stand at Rs. 9,072 crore as on 31.03.21.

Self Help Groups (SHGs): Bank has customer base of 5.42 lakh Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2021 of which 1.96 lakh SHGs are credit linked including 1.61 lakh women SHGs as on 31.03.2021. Bank has introduced Dual Biometric authentication for offsite transactions, financial and Data Digitalization for monitoring of SHGs.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has disbursed Rs. 1,163 crore to 0.88 lakh borrowers.

Star Krishi Vikas Kendra (SKVK)- Presently 77 SKVKs are functional. In addition to this, 48 Agri Desks are operationalized in SME City centres and zones have formulated 280 Agri. Clusters with RDO (Rural Development Officer) for focused & quality growth in agriculture portfolio.

Lead Bank Scheme: The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Odisha (2). The Bank is convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the state of Jharkhand.

KCC Saturation: During year 20-21 we have added 2.27 lakh new KCC customer under KCC Saturation Campaign..

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

PMJDY and Social Security Schemes:

During the year 21.70 Lakh PMJDY accounts has been opened. Bank has also actively participated in Social Security Schemes launched by Govt of India. During the year bank has covered 28.42 Lakh accounts under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana). 8.62 Lakh accounts has been covered under PMJJBY (Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana) during current financial year. There are 4.00 Lakh number of APY (Atal Pension Yojana) new subscribers have been canvassed by the bank in FY 2020-21 with cumulative APY at 14.88 Lakh number of accounts. Our Bank has been awarded Best PSB with **"Amazing Achievers of APY (1st February, 2021 to 31st March,2021)"** for its performance under APY.

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL):

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)-PMSVANidhi has been launched in June 2020 to provide hassle free Working Capital Demand Loan up to 10,000/- repayable in 12 EMI to Street Vendors. We have sanctioned 1.72 lakh cases (95%) during this year and total disbursed 1.64 lakhs (90%) cases out of 1.82 Lakhs applications received.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is sponsoring 43 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. During the year RSETIs have conducted 741 training programs and imparted training to 20,524 candidates ensuring settlement of 39.30% (8064) and providing credit linkage to 59.45% (4794) candidates to enable them for gainful employment. We have 33 RSETIs rated "AA" to impart training to Rural Youth.

Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC):

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. Presently 1,621,218 needy distressed people were given counseling.

Centre For Financial Literacy (CFL): Pilot Project:

Reserve Bank of India vide their circular no. FIDD.FLC. NO.4520/12.01.018/ 2016-17 dated 04.05.2017, asked Banks to explore innovative and participatory approaches to financial literacy. Our Bank have been entrusted responsibility for opening of 5 CFL in 5 Blocks of Ratnagiri District in collaboration with CRISIL Foundation. Accordingly we have opened all 5 CFL (Khed, Chipun, Mandangad, Guhagar and Dapoli) in Ratnagiri District in collaboration with CRISIL Foundation. All CFL are working since October 2017 and thereafter, in 2019 we have been given responsibility to open 5 CFL in collaboration with SWADHAR, in Khunti District in Jharkhand State. Recently we have been entrusted to scaling up 110 CFL in Five States (Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh) in collaboration with RBI identified Five NGOs by December, 2021, of which we have already opened Ten (10) CFL in the Month of March, 2021 in the State of Jharkhand.

Regional Rural Banks:

Post amalgamation, we are sponsoring 3 RRBs, **Aryavart Bank (AB),-** in Uttar Pradesh, **Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB)** in Madhya Pradesh and **Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB)** in Maharashtra state, covering 82 districts with a network of 2,554 branches as on 31.03.2021. All these sponsored RRBs are managed by the Chairman deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office. All three RRBs branches and administrative offices are on CBS platform with system generated report facility.

These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform. All our RRBs have a combined business mix of Rs.85,824 crore as on 31.03.2021.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 24 Overseas Branches (23 operational), 1 Representative Office at Jakarta (Indonesia), 4 Subsidiaries, 1 Associate/Joint Venture spread across 19 countries of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 11.96% as on 31.03.2021.

Overseas Subsidiaries and Associates:

i) PT Bank of India Indonesia Tbk

ii) Bank of India (Tanzania) Ltd

iii) Bank of India (New Zealand) Ltd

iv) Bank of India (Uganda) Ltd

v) Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to further ensure that the credit assets remain in standard category, endeavor made for up-gradation of identified stressed accounts/watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from Standard to Sub-standard. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness /potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:-

Early Warning Signal:

- A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and External Data (MCA, CIC etc). The alerts generated helps the bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution help the bank in early identification of fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts with appropriate resolution/ action.

CRILC Reporting:

- Identification of the accounts in SMA category triggers, mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs. 5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly basis.

System Asset Classification (SASCL):

- A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/QIS statement over three months, insufficient/ no credit in CC accounts etc. This may cause downgrading of accounts, if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets.

Credit Process Audit :

- Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms/ covenants, where in the disbursing officer, before parting with the banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA is introduced in Finacle integrated to monitor in real-time.

Stock Audit:

- We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is applicable mostly for standard advance accounts having working capital exposure of Rs.5 crore and above. It is required to be conducted annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele/ Video conferencing.

Daily marking of NPA:

- The Bank has migrated to daily marking of NPA w.e.f. 15.04.2021 to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

COVID19- regulatory relief package :

- In terms of RBI guidelines, moratorium benefit has been extended to all the borrowers from 01.03.2020 to 31.08.2020 and eligible accounts are rescheduled and restructured as per RBI relief package.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening compliance level.
- Bank has appointed ASMs for specialized monitoring in accounts of Rs. 250 crore & above for verification of transaction monitoring, Inspections etc.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared as fraud, in RBI's CRILC platform.

9. NPA MANAGEMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels.

The NPA Position as on 31.03.2021 are as under:

(Amount in Crore)

Particular	Position as on 31.03.2020	Position as on 31.03.2021
Gross NPA	61,550	56,535
Net NPA	14,320	12,262
Gross NPA (%)	14.78%	13.77%
Net NPA (%)	3.88%	3.35%
Provision Coverage Ratio (%)	83.74%	86.24%

The measures initiated resulted in improved recovery through some of the following strategies despite pandemic effect.

ABC analysis of NPA :

- We had launched Star SAKSHAM Campaign to encourage and involve sub staff in the recovery process.
- We have modified our tailor made scheme for One Time Settlement (OTS) which were non-discretionary & non-discriminatory.
- Posting of 3 General Managers in the Department looking after different geographies and Buckets.
- Structured follow up and ownership – Area Managers, Nodal officers for cluster of branches. Functioning of War Room with dedicated officers for Credit Monitoring & Recovery.
- Thrust on generation of OTS proposals at each level. Accounts of Rs. 5 crore & above being driven by Head Office. Online monitoring of OTS proposals.
- Conclusive SARFAESI/Legal action and legal menu for suit filed/ decreed accounts
- Rejuvenating Asset Recovery Branches by transferring suit filed NPAs > Rs. 50.00 lac & major ARBs are headed by DGM/AGM.
- Holding-on operations in NPA accounts arising out of temporary Cash Flow mismatch, for up-gradation within short span of time.
- Up-gradation of the entire account after recovery of the total overdue.
- Restructuring in accounts which need long term support.
- Filing application with NCLT and pursuing other Banks in the consortium where we are not leader.
- Filing of suit, follow-up for vacation of stay and for speedy resolution through the DRT.
- Facility of online submission of OTS application by NPA borrowers with tracking option.
- Driving OTS in accounts which have positive impact on Bank's profit & loss A/c;
- Invoke promptly the provisions of SARFAESI Act.
- Tracking of recovery in OTS approved accounts to ensure that they don't fail.
- Initiating the process of declaring Borrowers as Wilful Defaulters / Non-Cooperative in all eligible cases
- Conducting Mega E-auctions on Pan-India basis to fast forward the process.
- Participation in the National Lok Adalat at various levels.
- Suit filed/decreed cases are now monitored online.
- Proactive participation in JLM meetings conducted at Bank level in all cases where Bank is Leader and also a member of consortium.

10. TREASURY:

Forex Business:

The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards, options and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 4 satellite dealing rooms situated at New Delhi, Ahmedabad, Chennai and Kolkata and one centralized back office in Gift city(Ahmedabad) so as to provide better services to the customers. During the financial year 2020-21, Merchant and interbank turnover was Rs. 1.38 lakh crore and Rs. 49.78 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs. 51.16 lakh crore. The treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the Financial Year 2020-21, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 73.08 Bn. Bank has been conferred various awards for Currency Futures business. The Bank was awarded "TOP VOLUME PERFORMER" by BSE for Best Performance in Currency Derivatives Segment (Banks) 2020-21 and Top performer in MCX in currency derivative segment amongst all bank.

Treasury Operations & Investments:

Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Forex, Bonds and Derivatives in 2020-21. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 18.00% of NDTL from time to time to utilize excess SLR for borrowing from Repo/TREPS windows. As on 31.03.2021 the gross SLR investments were Rs. 141,117 crore (75.92% of total investments) and Non-SLR investments stood at Rs. 44,760 crores (24.08% of total investments). The Non- SLR investments also includes Recapitalization Bonds of Rs. 24,699 crore. The treasury dynamically managed its investment portfolio and brought down M-Duration of SLR AFS portfolio from 1.51 as on 31.03.2020 to 1.22 as on 31.03.2021. The investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements..

11. INFORMATION TECHNOLOGY:

Document Management System:

- **Document Management System** helped various department to continue their work in a effective way without any hindrance during the Covid 19 pandemic.
- Various HO departments, branches and zones are accessing DMS in Live environment
- Statutory Branch Audit (SBA) and Statutory Control Audit (SCA) has been conducted effectively with the help of DMS. All the documents have been made available to the auditors on real-time basis.

- The SB account opening Process through DMS is made live in all the branches linked to 59 ZCODs (Zonal Centralized Operations Department), based on the request received from Centralized Back-Office Department w.e.f. 01.04.2021.
- Usage of DMS in Swift Centralization Process has been made live in AD branches and FBD new template "FE-BO" has been made live on 24.03.2021.
- ECS mandates through DMS has been made live in all branches w.e.f. 17.02.2021.

Website Related Development :

- Dedicated website has been developed for Antwerp Branch in Belgium
- Online Suggestion Module has been developed for Kenya site
- Online GECL (Guaranteed Emergency Credit Line) was provided to eligible MSME borrowers.
- Development of online contactless debit card survey form with survey link on website to gather feedback for enhancement of card services.
- Development of Finance restructuring application form on website where provision to opt for relief (extension of loan moratorium as well as tenure) has been provided to eligible borrowers who are affected during the ongoing Covid Pandemic.
- Introduction of Door Step Banking services and display of contact information to connect and avail DSB services have been developed and integrated.

Stardesk:

- Development of Gyan Atmanirbhar Portal for Standard Operating Procedure SOPs and Online forms for feeback on SOPs, Staff contribution on SOPs on Gyan Atmanirbhar Portal.
- Online Application form for Reference number Generation to generate the reference nos from system & Online form for capturing payment details.
- Online Form for Zonal Budget allocation, MIS of Security department, Information security portal
- Online form for capturing Payment Details.

Internet Banking(IB):

- Debit card Control module as per RBI mandate has been made live in Internet Banking application where user can manage channel access as well as channel limit along with hot listing of card, temporary blocking of card, change card PIN, reset card PIN.
- As per advisory received from RBI, forced password change has been introduced for SCB's and UCB's Corporate Internet Banking users.
- As per RBI guidelines, communication between Bank of India Internet Banking and PayU & ATOM/ Tech Process Payment Gateway has been encrypted.
- Internet Banking (Retail) has been integrated with e-FRM system of Fraud Risk Management.
- Facility has been introduced in Retail Internet Banking to allow customers to add nominee in savings bank account.
- Door Step Banking portal redirection has been integrated on internet banking home page.
- Success, failure and all bulk upload report post processing of bulk upload transactions facility was provided to the customers.
- SGB (Sovereign Gold Bond) functionality has been enabled for HUF customer. With this, Hindu Undivided Family (HUF) can also apply for Gold bond using Internet Banking.

Mobile Banking(MB):

- Currently we have 44,61,183 registered users in Mobile Banking (as on 30th Apr 2021) that includes 42,77,608 Android users and 1,83,575 iOS users and now it has been made compatible with Android 11
- Integrated Debit Card Control and Credit card control changes according to RBI guidelines that includes features like Hotlist, Temporary Block/Unblock, Change PIN, Manage Limits and Manage Channel, view statement, Pay Bill, temporary block card, replacement card.
- Integrated Doorstep Banking and PPS-Cheque Positive Pay System
- Integrated OCRM (Operational Customer Relationship Management) feature for Lead Generation where customer can request for 46 facilities e.g. request for credit card, request for different types of loan, request for locker etc. to name a few.
- 15GH form is made available in the app where user can submit application to prevent TDS deduction on the income.
- Changes have been done to allow credit in Loan accounts using Third Party fund transfer option in MB.
- Display of loan account and loan offers functionality integrated in mobile banking.
- Given Date Balance functionality and mPassBook made live for end users to check balance in their SB, CD, ODA, Loan, TD and RD accounts.

Digital Documentation Execution:

- DDE Project has been made live for Retail loan products on 31.03-2021 which includes e-stamping and e-signing using Aadhar based OTP
- (NeSL) has been implemented in CAPS i.e. Credit Application Processing system. (Banks-Loan Orientation System (LOS).
- At present Single borrower with multi documents and multipage documents is implemented.
- DDE project is available for 8 states as viz Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Karnataka, Pondicherry, Andaman Nicobar.

Bharat Bill Payment System:

- During the year, the solution is integrated seamlessly with Bank's CBS, Financial Inclusion gateway, Multi-Function Kiosks, IVR services, and in Alternate Delivery Channels provided by Bank. The transaction can be initiated via alternate delivery channel or from

any bank branch terminal or through payment agent terminal

PPS - Positive Pay System for CTS (Cheque Truncation System):

- As per RBI advise and facility developed by NPCI for participant banks, Positive Pay System functionality is implemented in Internet Banking, Mobile Banking and Finacle CBS for all account holders issuing cheques for amounts of Rs. 50,000 and above for reconfirming key details of large value cheques.
- Under this process, the issuer of the cheque submits electronically, through channels like SMS, mobile app, internet banking, ATM, etc., certain minimum details of that cheque (like date, name of the beneficiary / payee, amount, etc.) to the drawee bank, details of which are cross checked with the presented cheque by CTS. Any discrepancy is flagged by CTS to the drawee bank and presenting bank, who would take redressal measures.

ONGOING PROJECTS:

Digilocker Solution:

- Bank is in the process of procuring **DigiLocker Solution** to provide facility to Customers. Using this solution bank can issue document like interest certificate, TDS document etc. to customer's DigiLocker account as well as bank can request document like KYC document, OVD's etc. from customer.
- On-boarded M/S MISCOT for implementation of DigiLocker solution. Development, deployment and UAT has been completed. Integration with MB and IB is in progress.

FASTag:

- **FASTag** is a simple & reusable tag that works on the Radio-frequency identification technology (RFID). Each tag is linked to a registered wallet to facilitate instant automatic deduction of toll charges. Our bank's customer has the facility to recharge their existing FASTag through Internet Banking, Mobile Banking and branches.
- Now bank is working to be an issuer of this FASTag. Integration with Finacle, MB, IB, UPI and BBPS will be donce after NPCI Certification.

MISSCALLPAY:

- **MissCallPay** is digital payment solution that provides all the functionality of UPI based mobile payments over a feature phone using Missed Call. It does not have any dependency on interenet connection, hence it is suitable for rural and urban under-served population fIndia.
- Users can also transact in their local language.

Interoperable Cardless cash withdrawal:

- QR based cash withdrawal in ATM has been launched on 07th September 2019, where the customers need not use ATM cards to withdraw cash anymore. QR-Cash leverages QR platform and Customer can use BHIM BOI UPI Application to scan the QR generated on Recycler/ATM Screens. QR-Cash is an attempt for curbing ATM cloning, skimming & ATM related frauds and promoting card less cash withdrawals.
- To make this product interoperable among all peer banks, NPCI has given approval for UAT of Interoperable Card less Cash Withdrawal (ICCW). Customers using any UPI Application will be able to withdraw money from ICCW/ QR-Cash enabled ATM/ recyclers.

12 MANAGEMENTINFORMATIONSYSTEMDEPARTMENT:

New Initative of MIS Department:

Next-gen Datawarehouse solution:

Bank has engaged a consultant firm to study our existing processes, setup and propose suitable, cost-effective next generation Datawarehouse solution. Accordingly, RFP has been floated in first week of May,2021 for selection of System Integrator to implement proposed next-gen solution alongwith Data-Lake.

e-PLATFORM Solution:

System Integrator is appointed by the Bank through RFP prosess to implement & maintain e-PLATFORM solution for Straight Through Origination and Processing of all Banking Products (Assets & Liability products) including third party products. The broad scope of work is as under –

- New Customer Relation Management – Lead Mgmt, Campaign Mgmt, Complaint Mgmt, 360 degree view of customer , Service Mgmt
- Loan Processing Life cycle Management System
- Digital Maketing
- Implementation of Straight Through Processing (STP) for Banks Assets & Liability and Third Part products

Enhanced Access and Services Excellence (EASE):

For improvement of EASE score and digital transformation , various activities such as Analytical based and technology base Retails and MSME credit offers is required to be carried out. MIS has Implemented following requirements of EASE 3.0

- Activation of digital lead initiation channels : SMS, Missed Call, Call Center, Web-site, Mobile Banking
- Analytics based lead generation implemented for :
- Retail – Home Loan Top-Up Loan
- Retail – Pre-Closed TD
- Retail - Home Loan Takeover
- Retail - Personal Loan to Salaried Customers
- MSME – Pre-Approved Business Loan to MSME Customers.

13. RISK MANAGEMENT :

Risk and Control:

Bank has appropriate mechanism in place to ensure ongoing assessment of relevant risks on an individual bucket as well as on a portfolio basis to maintain the trade-off between risks and returns. Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board (R.Com) at the apex level, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and CORM (Committee for Operational Risk Management).

Bank's Risk Management Framework is focused on full integration of risk management into its operations and culture. The integrated risk management framework starts with a risk management cycle, consisting of several steps: determining the risk appetite, stress testing, scenario analysis, preparing full scope risk assessment of all segments and measuring & monitoring risks. Risks are adequately identified, analysed, reported and managed. Risk management is responsible for putting in place procedures for measuring, monitoring and reporting risks. Risks are proactively identified and managed within the Bank. Risk Management is one of the core focus areas in the Bank. The Bank is working to ensure that it adopts global best practices in all the risk areas. This commitment is being achieved by investing both in people and systems and building an enduring risk culture.

Risk Management Department ensures through an extensive framework of limits and controls to monitor and manage Bank's risk profile. The Risk Management Department ensures that risk management is implemented correctly, that it is in line with all regulatory guidelines.

During FY 2020-21, credit rating thresholds were based on the performance of the specific industry/sector. Bank uses different internal Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrower wise credit risk models for internal credit ratings of the borrowers were developed in house. They are being reviewed through cycles of comprehensive validation and back testing frameworks including external validation and review. Bank is in the process of implementing framework for Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)

Bank has migrated to computation of Capital Adequacy under Basel III regulation based on Standardized Approach (SA) for Credit Risk, Standardized Duration Method (SDM) for Market Risk and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk as per the RBI guidelines.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or external events. Operational Risk includes legal risk, but excludes strategic and reputation risk. Bank calculates Operational Risk Weighted Assets through Basic Indicator Approach (BIA).

The Bank monitors and manages operational risks vis-à-vis a comprehensive set of processes, systems of internal controls, and policies, to reduce the probability and potential impact of losses from Operational Risks.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to obviate Information Security risks in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis in order to timely prevent, detect and respond. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels and Anti-DDoS, Data DLP (Data Leakage Prevention) are some of the many security solutions deployed. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are also put in place. The Bank is ISO 27001:2013 (ISMS) and ISO 22301:2012 (BCMS) certified. Effective brand protection services are put in place to protect Bank's customers from Phishing attacks by way of fake sites. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all systems with timely remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

14. DIGITAL BANKING:

Bank of India is providing various digital products and services to promote digitalisation. Different variants of Debit and Credit Cards from VISA, Mastercard and RuPay are issued to customers. During the year we have launched a premium debit card, both in metal and plastic variants, for our high valued customers. Bank has integrated debit and credit card services to BOI mobile application for seamless control over cards related transactions. BHIM UPI, Mobile Banking and Internet Banking services are availed by large number of customers. Bank provides Point of Sale (POS) EDC machines, BHIM Aadhaar Pay / UPI QR / Bharat QR to merchant customers. As on 31.03.2021, Bank has installed 30,560 physical PoS terminals and issued 179,901 QR code (including PM Svanidhi accounts) to various merchants in metro, urban, semi-urban and rural areas.

As on 31.03.2021, Bank has installed 5,551 ATMs. All ATMs of the Bank are compliant with latest security features. We have also enabled Voice Guidance facility in all our ATMs to help the visually challenged. 2,727 New Age Cash Recycler Machines are installed to facilitate seamless cash deposit / withdrawal experience to our customers.

Bank provides various facilities relating to transaction banking. This includes NACH mandates, direct debit mandates, Payment Gateway, Cash Management Services for Corporates, on-line-share trading 3-in-1 accounts and Channel Finance.

15. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION:

Life Insurance:

Bank is having its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture life Insurance Company i.e. Star Union Dai-ichi

Life Insurance Co. Ltd. for distributing life insurance products. Bank has 9067 IRDAI certified Specified Person placed at various branches across India. Besides distributing various life insurance products of SUD Life, we also market/distribute optional Life Insurance cover to Bank's Retail Home loan and Education Loan borrowers under Group Insurance Policy at a competitive premium. Bank has collected life insurance premium of Rs. 1,396.67 crore thus earned commission income of Rs. 77.64 crore for the FY 20-21.

General Insurance:

Bank has tie up arrangement with two general insurance companies i.e. The New India Assurance Co. Ltd. and Reliance General Insurance Co. Ltd to distribute their products. We also have a co-branded health insurance product – "Reliance BOI Swasthya Bima" which is a Family Floater policy available for Bank of India account holders at a competitive premium. Bank has collected General Insurance premium of Rs. 153.60 crore thus earned commission income of Rs. 21.26 crore for the FY 20-21.

Standalone Health Insurance:

Bank has tie-up arrangement with Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. under Standalone Health Insurance category. Bank has collected Health Insurance premium of Rs. 38.52 crore thus earned commission income of Rs. 5.25 crore for the FY 20-21.

Mutual Funds Products:

Bank continues to be a shop for all financial needs for our customers. We have basket of financial products which also consists of 10 Asset Management Companies including BOI AXA Mutual Fund, our own joint venture company for distribution of their mutual fund products. Bank has earned a commission of Rs. 3.14 crore from Mutual Fund business during FY 20-21.

16. MARKETING & PUBLICITY :

Bank's Publicity and Public Relation Department executes multi-media corporate campaigns to enhance the visibility of Bank's products and services along with image building. Bank's various products down the line across the country are executed by various media plan, on the lines of Bank's theme "Relationship Beyond Banking". Bank has been continuously undertaking the publicity of Bank's products through Radio channels, Television and Digital platform in a big way. The promotion of Bank's product through print media in major national / regional dailies and various top magazines and Out Of Home (OOH) activities i.e. hoarding/Bill Boards/ Gantries is also undertaken.

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING:

BPR Department works on improving the existing systems and processes in the Bank and on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major **customer centric initiatives** taken during 2020-21 are:

Project works/initiatives during FY (2020-21):

- **Creation of Two NBGs and Four New zones:** Two new NBGs, NBG-Bihar and NBG-MP & Chhattisgarh and four new zones namely, Nasik, Jabalpur, Madurai and Sambalpur zones are created to garner potential business opportunities, facilitate smooth functioning, better monitoring and customer outreach.
- **Policy document on guidelines for Restructuring of Organizational Structure:** Policy has been made for robust growth in terms of overall business, better control on Zones /branches and better customer service.
- **Set up of new Departments:** Foreign Business Department, MIS department and Digital Banking Department were created for better customer service and quick redressals of customer query/complaints by Branches.
- **Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme to have firsthand operational/practical suggestions from the field:** We have expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, & training centers, for operational efficiency & service effectiveness. Suggestions received during the year: 469, Selected for implementation: 19, Awarded prizes: 1.

18. INSPECTION & AUDIT :

Bank has Board approved policies on Risk Based Internal Audit (RBIA), Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit, Off site Monitoring (OMS) and Audit of Foreign Branches. The policies are reviewed to comply with the directions of the Regulators and also as per the directions of Audit Committee of the Board. During the FY 2020-21, the Department conducted audit of 3210 branches and offices. Concurrent Audit covered 1211 Branches, Treasury Branch, Data Centre and HO Departments by practicing CAs and all the Foreign Branches are covered by Bank's own officers. Concurrent Auditors covered more than 59.41% of Global Deposits and more than 83.97% of Global Advances. Bank also conducts special assignments to meet requirements of the Bank from time to time in areas of:

- Discretionary Audit conducted at branches with 'High Risk and above' rating.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures at branches under audit.
- Special Audit of select Authorized Dealer (AD) branches for checking/verification of transactions relating to Export transactions / Import Advance Remittances.
- IS Audit of Data Centre, Disaster Recovery site (DR) and other critical departments along with branches by Bank's Internal Information System Auditors.
- Concurrent audit of Data Centre to ensure verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts.
- Regular reporting on all important Audit findings are made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as per the directions.
- Bank has also introduced the Off-site Monitoring System to monitor the identified exceptions on daily basis.

19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT :

Legal Department of the Bank acts as support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functional departments at Head Office.

Besides attending to referral matters of various NBGs/ Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Digital Banking Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting / Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. Deputy General Manager (Law)/Assistant General Manager (Law) of Legal Department, Head Office is designated as the CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and New Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of Share Dept.
- Cases against Bank/ Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/ follow up with Zones etc.
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/ decreed cases and submission to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. RBS data.

20. COMPLIANCE DEPARTMENT ;

Bank has an independent Compliance Department since the year 2008. The department is headed by Chief Compliance Officer in the rank of General Manager. Compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines is the scope of compliance function in the Bank, both for Domestic and Overseas operation who is also designated as "Principal Officer" in line with Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act).

Bank is adopting Board approved Compliance Function Policy framed as per Reserve Bank of India guidelines. Bank is continually enhancing its compliance culture with adoption of Compliance Rules for different work areas of Bank's domestic operations. The compliance department is conducting half-yearly compliance testing exercise, quarterly compliance testing of implementation of Regulatory guidelines, compliance audit of action taken to RBI observations made under Risk Based Supervision and test check for Tranche III compliance rules prescribed by RBI to ensure compliance sustainability.

Bank has also vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) Guidelines in the Bank. Compliance with KYC norms in all accounts, as directed by RBI is ensured. As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and its subsequent amendments thereto and the Rules made thereunder as well as the guidelines issued by the RBI, Bank has put in place Board approved KYC/ AML/CFT Policy which is adopted by branches in India. All customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. As per extant RBI guidelines, the review of the Risk categorisation is done once in every six months. The department also ensures for imparting of training on KYC / AML and its related compliance aspects to the staff members.

The Compliance department is the single point of contact for all the Regulatory Agencies. It is the focal point of the Bank to respond to RBI in conducting Risk Based Supervision (RBS). The RBS reports are attended in coordination with all the departments of Bank and compliance is submitted to RBI.

The compliance department at HO is also overseeing compliance function of overseas establishments who follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas Centre/ Branch/subsidiary has a compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country / host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas Branch undertakes Quarterly Compliance testing and submits reports to Head Office.

21. OFFICIAL LANGUAGE :

There is a well-established Official Language Department in our bank which ensures the implementation of the provisions and the progressive use of Hindi with regard to the official language policy of the Government of India. During the year our Bank bagged "Kirti Puraskar" (First Prize) for the year 2019-20 which is the highest award given by Government of India for Rajbhasha Implementation. TOLIC Ratnagiri which is working under the convenorship of our Bank has been awarded with "Kirti Puraskar" (Second Prize). TOLIC Noida,

Nagpur and Muzaffarpur have got prizes at regional level. Apart from this, Zonal Office Goa, Huballi Dharwad and STC Noida have also bagged prizes at regional level which are highest prizes at the said level. Further our Zones/Branches have got prizes from TOLIC. Our bank has organized 139 Hindi workshops during the year in which 3124 staff members have been trained. Rajbhasha E-learning and a module on 'Anuwad' have been prepared. Hindi E-mail competition on quarterly basis was conducted during the year for the departments of head office. Hindi Month was celebrated from 15 August, 2020 to 14 September, 2020. 'Rajbhasha Shield Competition' was organized for the departments of head office and zones separately. Reference literatures were prepared by the Bank in the Regional Languages. Write-ups on eminent personalities is sent to all offices/branches in Rajbhasha Hindi every week by the Head Office. Our bank is successfully carrying out the responsibility of the convenorship of 8 TOLICS.

22. HUMAN RESOURCES, LEARNING & DEVELOPMENT AND IN HOUSE JOURNALS:

HUMAN RESOURCES:

During financial year 2020-21, our Bank recruited **1092** Staff Officers in General Banking and Specialist cadre in various scales and **3256** in Clerical cadre. During FY 2021-22, the Bank has a plan to recruit **2274** Staff Officers and **2780** clerical staff.

The following initiatives in the HR field has been introduced by the Bank during the recent years:

- Job Family
- Performance Management System
- Talent Management
- Leadership Development
- Employee Engagement Survey (Star Anveshan)
- 360 Degree Feedback Survey

HR continues its efforts in supporting the physical and mental well being of its staff employees amidst the second wave of the coronavirus pandemic which is still causing tremendous disruption in work life. *Bank* has undertaken several measures to protect the Staff employees from spread of Covid-19 infection like staggered working hours, work from home, restricted business hours, work on rotational basis etc. based on SOP advisories as and when received from the Government/ IBA, besides *financial support schemes like 'Star Abhar', 'Star Sahay' and 'Star Kutumb'.*

The implementation of the focus areas derived from the recently conducted employee engagement survey among staff officers is under process. The 360 degree feedback survey being conducted among senior executives shall facilitate in maintaining a leadership pipeline.

Performance Management:

Bank has put in place the mechanism for achieving an objective assessment of employee performance through a system driven mechanism that will allow course correction feedback and action thereof. In the FY 2021-22, the Performance Management System (PMS) in our Bank will be based on following parameters:

(Budgetary Appraisal)	65% weightage for business dimensions, 15% weightage for managerial dimensions, 5% for completion of E-learning and 15% for qualitative aspects of business.
(Non-Budgetary Appraisal)	50% weightage given for KRA's, 45% weightage for managerial dimensions and 5% weightage for completion of E-learning modules.

- With the Budgetary Appraisal, target / budget figures already being captured from the FINACLE and compared with budgetary targets vis-à-vis the actual performance since 2019-20, Bank's current endeavor is to increase the degree of measurability of the Non-budgetary parameters of Appraisal as well.

Talent Management and Succession Planning

Identifying and shortlisting critical positions/ roles in nine critical areas such as, Corporate Credit, Credit Monitoring, Recovery, Treasury, Risk Management, International Division, Information Technology, ITES and HRD. It is proposed that upon identification of the critical roles, competencies will be mapped vis-à-vis the critical roles identified. Accordingly, the current incumbents and potential employees in these roles will be suitably trained and groomed to assume these roles in time.

A focussed talent review/ development process is being undertaken to ensure that our Bank is fully prepared to address the challenge of exceptionally high level of vacancies in the senior management levels so that we have a healthy pipeline of quality talent suitably equipped to fill all ensuing vacancies. In the area of Talent Management, we have completed the Development Conversations of 76 DGMs. The Development Conversations of 177 AGMs are under process.

Towards HR transformational strategy we shall initiate succession planning exercise to bridge the gap in exposure and skills with dual purpose:

To identify amongst the available talent to assess potential before considering and grooming for suitable critical roles/ positions in the Bank, and

Over the next 5 years, Bank shall implement Succession Planning with an aim to groom identified talents for future leadership roles.

Compliance with Reservation Policy:

The Bank is complying with the reservation policy of Government of India. Recruitment and SC/ST Cells at Head Office and Zonal Offices ensure to implement the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ST/OBC Employees. General Managers at Head Office are designated as Chief Liaison Officer for SC/STs and OBCs. Officers from SC/ST/OBC categories are designated as Cell / Liaison Officers at Zonal Offices. Post-based Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines.

The Bank has been providing Reservation for Persons with Disabilities (PWDs) @ 4% of the total vacancies arising in Officer, Clerical and Sub-staff cadre. Reservation of 10% to Economically Weaker Sections (EWSs) in Direct Recruitment was implemented in the Bank with effect from 1st February, 2019.

Representation of SC/ST/OBC Staff:

As on March 2021	Officers	Clerks	Sub-Staff	Staff Total
Total	**23543**	**21025**	**6891**	**51459**
SC	4306	3259	2280	9845
% to total Staff	**18.29**	**15.50**	**33.09**	**19.13**
ST	2077	2468	778	5323
% to total Staff	**8.82**	**11.74**	**11.29**	**10.34**
OBC	6406	5484	1766	13716
% to total Staff	**27.21**	**26.08**	**25.63**	**26.65**

LEARNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT:

A separate independent Department as overall countrywide in charge of the training colleges, MDI and all related activities including capacity building. In house talent development and imparting of class room trainings are being taken care of by the Learning and Development Department. Due to COVID 19 pandemic, bank has been using Digital Platform to train its employees. Bank's 7 training colleges have imparted training to 30000+ number of employees during the financial year using digital platform. Bank has been using E-Learning modules for enhancing the competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. 21000+ officers have done various e learning modules. To enhance the capabilities of officers in key work areas of the Bank, the Capacity building certification programme is also launched. To improve Data Analytical Skill of Staff, Bank has made collaboration with Manipal Global to impart training in niche area of Data Science. Select Executives have been nominated for training for IIM Bengaluru as per BBB instructions. As per CVC guidelines, uniform Induction Training Programme of Newly Recruited Officers and also programme on Preventive vigilance for newly joined officers and mid-career officers have been adopted by the Bank.

BANK'S HOUSE JOURNAL 'TAARANGAN' :

The journey of our Bank's house Journal began in the year 1964. During the years it assumed different names and is presently known as 'Taarangan'. It has been a medium of expression of BOI's in-house talent and also an important tool for employee engagement. Taarangan provides a platform to our staff members to showcase their skills. Through its interesting and insightful articles Taarangan provides wholesome entertainment to our readers.

Taarangan is also a forum for knowledge sharing wherein articles on various subjects by our staff members are published. It also covers and highlights various activities conducted by Zones/Branches/ Offices/ Overseas Centres. Digital copy of Taarangan is also available in staff portal "Star desk", "HRMS" and on Bank's corporate website. Over the years our house magazine has received several awards and brought laurels to our Bank.

23. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

The Bank has a full-fledged Call Centre located at two centres viz. Airoli (Navi Mumbai) and Begumpet (Hyderabad) providing 24x7x365 assistance to the customers / non-customers.

Various Policies such as Customer Rights Policy, Customer Acceptance, Customer Care and Customer Severance Policy and Grievance Redressal Policy are in place as per the regulatory requirements and same are reviewed from time to time to incorporate the changes as per the directions/ guidelines of the regulatory authorities. All these policies are placed on public domain. We have appointed Internal Ombudsman as per the RBI guidelines to review the wholly/ partly rejected complaints and give decision.

Our Bank is committed to provide Customer Service of a high order in a transparent manner. Our Bank undertakes customer meetings on a regular basis to get the feedback of customers so as to enable the Bank to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

24. BRANCH NETWORK & EXPANSION :

Bank has a geographically well spread branch network in India and aboard. Bank had 5084 branches in India as on 31.03.2021. In the foreign countries 24 branches, 4 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 1 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2020-21, Bank has opened 4 new branch. Composition of Bank's Branch Network is as under:

Category	31.03.2020		31.03.2021	
	No of Brs	% to total	No of Brs	% to total
Metropolitan	991	19.50	991	19.49
Urban	810	15.93	812	15.97
Semi-Urban	1,454	28.61	1,453	28.58
Rural	1,828	35.96	1,828	35.96
Total Domestic Branches	5,083	100	5,084	100
Overseas	24	-	24	
Total Branches	5,107	-	5,108	

25. BANK'S DOMESTIC SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES :

BOI SHAREHOLDING LIMITED (BOISL):

Bank has investment of Rs.6.64 crore in BOISL, a 100% subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL).

BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. (BAIM) & BOI AXA TRUSTEE SERVICES PVT. LTD (BATS):

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 52.29% Stake in BAIM and 51% stake in BATS with Investment of Rs.66.48 crore .

BOI MERCHANT BANKERS LIMITED (BOIMBL):

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly

owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs.10 crore.

STCI FINANCE LIMITED:

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (Investment of Rs. 130.10 Cr.) is the largest stakeholder in STCI, with a Paid up Capital of Rs.380 crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

STAR UNION DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life International Holdings, Japan have formed "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (Investment of Rs. 75 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-Ichi Life International Holdings holds 45.94% stake of the Company.

INVESTMENT / ALLIANCES :

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake (Investment of Rs. 27.60 crore), in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

National Collateral Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs. 3 crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 3.26% in the company with Rs. 7.71 crore Investment.

Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.88% in the equity capital with investment of Rs. 0.28 crore.

Other Strategic Investments:

Bank also has strategic investments in CERSAI (Rs. 2.15 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs. 0.15 crore) Clearing Corporation of India (Rs. 0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs. 1.26 crore), SIDBI (Rs.45.30 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs. 1.11 crore), Loss Data Consortium CORDEX (Rs. 1 crore), SBIDFHI (Rs. 5.54 crore), NPCI (Rs.10 crore), MCX Stock Exchange Ltd. (Rs. 27.50 crore), CSC e-Governance services India Ltd. (Rs. 1 crore), Invent Assets Securitization and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs. 10 crore).

26. FRAUD RISK MANAGEMENT:

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework and approach.

Fraud Risk Management Department handles fraud related matters independently in the areas of:

- Devising and Administration of FRM (Fraud Risk Management) and LOC (Look-out Circular),Policy for the Bank,
- Reporting to RBI within stipulated timeline and Monitoring of Frauds,
- Maintenance of Centralized data on frauds,
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds,
- Diagnostic and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies,
- Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of frauds,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud revealed by way of Circulars/ instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature,
- Sensitizing staff through short alerts messages through tickers/periodical messages through MMS/ training/Video Conferencing on Fraud prevention,
- Periodical circulation of checklist on prevention of frauds,
- Convening meeting of Task Force Committee on frauds at HO and monitoring the meeting of Zonal Task Force Committee on frauds,
- Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) encompassing all delivery channels except cards has been implemented covering domestic branches.

27. VIGILANCE MANAGEMENT :

Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of the Central Vigilance Commission (CVC). The vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operation, overseas operations, and subsidiaries.

The vigilance administration of three Regional Rural banks sponsored by Bank of India, viz. Vidharbha-Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank and Madhya Pradesh Gramin Bank are also supervised by vigilance department.

The Vigilance Department works under Chief vigilance Officer assisted one Deputy General Manager and other officials having background/experience in the field of investigation and disciplinary matters. For operational convenience,

Vigilance Department has operationalized 8 Vigilance Units under the direct control of Vigilance Department, Head Office, which covers all the National Banking Groups. Separate Vigilance Units for the recently created 2 NBGs, i.e., NBG-Patna & NBG-Bhopal are to be set-up shortly. Currently, their Vigilance matters are being handled by Vigilance Unit-North II, Lucknow and Vigilance Unit-Central (Ahmedabad), which have been catering to the undivided NBGs, North II and Central.

The Vigilance department deals with all 3 functions of vigilance administration such as, Preventive, Detective and Punitive vigilance with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organisation. The vigilance department has brought out a revised Vigilance Reference Manual in 2019 collating the gists of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DFS, CVC and Bank from time to time.

28. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY:

In terms of Clause 43A of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf

29. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING-2020-21:

In terms of Clause 32 (2) (F) of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, the Business Responsibility Report is available on our website - www.bankofindia.co.in.

30. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2021:

In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015 on Basel III Capital Regulationsread togetherwithRBICircularDBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 onPrudential Guidelines on Capital adequacy and LiquidityStandard – Amendments, requires Banks to make applicablePillar 3 disclosures including Leverage Ratio and LiquidityCoverage Ratio under the Basel III framework. Thesedisclosures are available on Bank's website at the link https://www.bankofindia.co.in/RegDisclosureSec.aspx.

31. STRATEGY FOR IND-AS IMPLEMENTATION AND ITS PROGRESS:

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. The Bank has been submitting quarterly Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) from June-2018 after discussion/approval by Steering Committee. The PFS are also presented to Audit Committee of Board along-with the overall progress report regarding Ind AS implementation.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
A. K. Das
MD & CEO

Place : Mumbai
Date : 4 June, 2021

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ऑफ़ इंडिया, भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति पूर्ण रूप से निरंतर समर्पित होकर समाज के लिए देखभाल और चिंता की प्रवृत्ति के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में विश्वास करता है। समाज ने विभिन्न वर्गों के ग्राहकों का पसदींदा बैंक बनने हेतु हमारे बैंक की सहायता की है. हमारा बैंक समाज और पर्यावरण के कल्याण हेतु सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए सीएसआर गतिविधियाँ से जुड़ा हुआ है ।

सीएसआर गतिविधियाँ समाज के साथ संबंधो का निर्माण करने में संगठन की सहायता करते हैं जिससे बैंक हेतु आम नागरिकों में सकारात्मक धारणा विकसित होती है। यह प्रयास हमारे संगठन की छवि और ब्रांड के प्रति महत्वपूर्ण है. हमारा बैंक सीएसआर अवधारणा में भी विश्वास करता है, क्योंकि यह हमारे ब्रांड को प्रतिर्स्पधात्मक लाभ और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न सामाजिक पहल करते हुए बीओआई ने सीएसआर के क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत ब्रांड की छवि का निर्माण किया है। बैंक मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शैक्षणिक कार्यों, गरीबों एवं वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों, स्वच्छता, पेय जल प्रदान करने, जीवन स्तर सुधारने, कौशल विकास, महिला, बाल तथा एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित सी.एस.आर. कार्यों से जुड़ा हुआ है।

बैंक स्वैच्छिक आधार पर वंचित एवं जरूरतमंदों के लिए सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को वापस देने की फिलॉसफी हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक ने पिछले वर्षों में पूरे देश में सीएसआर से संबंधित कार्यों को उदारतापूर्वक किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ऑफ़ इंडिया ने कुल रु. 567.92 लाख की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। सीएसआर गतिविधियों की अपनी अवधारणा के तहत बैंक ने विभिन्न परियोजनाओं में सहायता की है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है :

1. स्वच्छ भारत अभियान - रु 6.56 लाख
2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान - रु.103.28 लाख
3. पर्यावरण संपोषणीयता और परिस्थिकीय संतुलन - रु.10.00 लाख
4. सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - रु.13.32 लाख
5. मूल शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण - रु.5.50 लाख
6. स्थानीय समुदाय सेवा/सामाजिक गतिविधि - रु.229.93 लाख
7. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा- रु 11.00 लाख
8. कोविड 19 - स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता में सुधार और आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रचार करना- रु 188.33 लाख

हमारे बैंक ने अपनी प्रत्येक ग्रामीण शाखा से 5 बालिकाओं को टैग कर सरकार की पहल एंजल इंडिया - "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान" - की बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को स्वीकार किया है। लाभार्थी बालिका को कक्षा-1 से स्नातक तक उसके शैक्षिक व्यय हेतु प्रतिवर्ष रु.1200/- की छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। बैंक ऑफ़ इंडिया ने विभिन्न एनजीओ और चैरिटेबल सोसायटी के माध्यम से गरीब और वंचित नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कैंपों को प्रायोजित कर स्वास्थ्य

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank of India, a premier financial institution of the country believes in quality service with attitude of care and concern for society as whole with continuous dedication towards its socio-economic development. Society has helped our bank in its vision to become the bank of choice for various segments of customer base. Our bank engages in CSR activities by embracing social responsibility for the well-being of society and environment.

CSR activities helps the organization in building relationship with the society which in turn develops positive perception in general public for the bank. This effort is critical towards image and brand building of our organization. Our Bank also believes in concept of CSR as it gives competitive advantage and reputation to our brand. BOI has created its individual brand image in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) by taking various social initiatives for social welfare and community development. The Bank is engaged in the CSR activities mostly in the area of Swachhta Bharat Abhiyan, Rural Development, Environment sustainability, Educational program such as Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, Extending health care to poor/under privileged, socioeconomic development, sanitation, providing drinking water, improving standard of living,skill development, welfare of women, children and SC/ST/OBC etc.

Bank is committed to the philosophy of giving back to the society by way of undertaking CSR activities for the needy & deprived on voluntary basis. The Bank has been generously contributing to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country.

Bank of India has approved various CSR projects during the year 2020-21 aggregating Rs. 567.92 lakh. Under its concept of CSR activities, Bank has assisted in various projects bifurcated as under:

1. Swachh Bharat Abhiyan-Rs. 6.56 lakh
2. Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan-Rs. 103.28 lakh
3. Environmental Sustainability and Ecological balance-Rs.10.00 lakh
4. Health and Family Welfare including Social welfare -Rs.13.32 lakh
5. Basic Education, Skill development training -Rs.5.50 lakh
6. Local community service/ social activity- Rs.229.93 lakh
7. Promoting Renewable Energy- Rs. 11.00 lakh
8. COVID19 - towards promotion of health care, including preventive health care and sanitation, and disaster management- Rs.188.33 lakh

Our Bank has adopted the government's initiative Star Angel India – "Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan" - aimed at ensuring education of the girl by tagging of 5 girl child from each of our rural branch. The beneficiary girl child is being provided scholarship @ Rs. 1200/- per girl child per annum for her educational expenses from Std-I up to Graduation. Bank of India has assisted in health sector by sponsoring health camps for poor and underprivileged citizen through various GOs and Charitable societies. Our Bank also

के क्षेत्र में सहायता प्रदान की है। हमारे बैंक ने गरीब मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरण भी उपलब्ध करवाए हैं।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हमारा बैंक, शिक्षा का प्रायोजित करके, शिक्षा संबंधी वस्तुओं का दान करके, दिव्यांग और अनाथों की सहायता कर, मूल शिक्षा को बढ़ाने में निरंतर सहायता प्रदान कर रहा है और इसके साथ ही, गरीब व वंचित लोगों को बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु कौशल प्रशिक्षण भी दे रहा है। उपर्युक्त के साथ-साथ, बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपायों हेतु सहायता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी में, बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और समाज में व्यापक स्तर पर राहत उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों हेतु रु.2.00 करोड़ के विशिष्ट बजट को मंजूरी दी है।

provided medical equipments to hospitals catering medical services to poor patients.

As a responsible corporate citizen, our Bank has been continuing to supports basic education by sponsoring education, donating education materials, extending assistance to differently abled and orphans, and also providing skill training for better life opportunities to poor and underprivileged. In addition to the above, Bank has contributed for relief measures for various natural calamities during the last financial year. In wake of spread of COVID, Bank allocated exclusive budget of Rs.2.00 crore towards CSR activities undertaken during FY 2020-21 to prevent the spread of COVID 19 and provide the relief to society at large.

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन :

बैंक की कॉरपोरेट शासन प्रणाली का दर्शन, शेयरधारक के मूल्य में वृद्धि करते हुए, अपने कारोबार के संचालन में नैतिकता के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं स्पष्टतया निर्धारित हैं तथा इससे कॉरपोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार आता है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण के प्रति भी प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों का अनुसरण करते हुए बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक के कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन, निदेशक मंडल के पास है जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष करते हैं। बैंक के अध्यक्ष ने सेवाकाल पूर्ण हो जाने पर दिनांक 14 अगस्त 2020 को कार्यालय रिक्त कर दिया था। वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है।

समीक्षागत वर्ष (2020-21) के अंतर्गत बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री जी. पद्मनाभन (दिनांक 14.08.2020 तक)	अध्यक्ष
श्री अतनु कुमार दास (20.01.2020 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री सी.जी.चैतन्य (31.08.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री पी.आर.राजगोपाल (18.03.2020 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री स्वरूप दासगुप्ता (10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री एम. कार्तिकेयन (10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
सुश्री मोनिका कालिया (10.03.2021से)	कार्यपालक निदेशक
सुश्री दक्षिता दास (12.05.2021 तक)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सुब्रत दास (13.08.2019 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री डी. सरकार (24.10.2020 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री डी. हरीश (24.10.2020 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री पी. एन. प्रसाद (25.10.2020 से)	शेयरधारक निदेशक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण, बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार को छोड़कर, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन बाध्यताएं) विनियमन-2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

हमारा कोई भी निदेशक दूसरे किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2020-21 के दौरान और अब तक बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री पी.एन.प्रसाद

श्री पी.एन.प्रसाद मुंबई के निवासी हैं। उनकी उम्र 60 वर्ष है और वे विज्ञान में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी में रैंक होल्डर हैं। श्री प्रसाद को बैंकिंग में 37 वर्षों का अनुभव है। वे भारतीय स्टेट बैंक से उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट बैंकिंग, परियोजना वित्त और स्ट्रक्चरिंग, अंतरराष्ट्रीय

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the Executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. On 14th August,2020, the Chairman has vacated the office on competition of his term. Presently Chairman's post is vacant.

During the year under review (2020-21) the Composition of the Board was as under:

Shri G. Padmanabhan (upto 14.08.2020)	Chairman
Shri Atanu Kumar Das(from 20.01.2020)	Managing Director & CEO
Shri C. G. Chaitanya (upto 31.08.2020)	Executive Director
Shri P R Rajagopal (From 18.03.2020)	Executive Director
Shri Swarup Dasgupta (From 10.03.2021)	Executive Director
Shri M. Karthikeyan(From 10.03.2021)	Executive Director
Ms. Monika Kalia (From 10.03.2021)	Executive Director
Ms. Dakshita Das (upto 12.05.2021)	Govt. Nominee Director
Shri Subrata Das (From 13.08.2019)	RBI Nominee Director
Shri D. Sarkar (Upto 24.10.2020)	Shareholder Director
Shri D. Harish (Upto 24.10.2020)	Shareholder Director
Shri P N Prasad (From 25.10.2020)	Shareholder Director

All Directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-Executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are Independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations- 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to Independent Directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year 2020-21 and till date:

Shri P N Prasad

Shri P N Prasad is from Mumbai, aged 60 years, is a Post Graduate in Science and a rank holder in CAIIB. Shri Prasad is a seasoned banker having 37 years of experience. He retired as Deputy Managing Director from State Bank of India and has got

बैंकिंग, ट्रेड फैनान्स, लेखा परीक्षा और अनुपालन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

वे ओमान इंडिया जॉइन्ट इन्वेस्टमेंट फण्ड मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि. और एचडीएफसी वेन्चर कैपिटल लि. में भारतीय स्टेट बैंक के नामिति निदेशक थे। वर्तमान में वे इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल एजेन्सी ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईपीए आईसीएआई) के स्वतंत्र निदेशक हैं। वे आस्ति पुन:संरचना कंपनियों (एआरसी) के कार्यों की व्यापक समीक्षा हेतु अप्रैल, 2021 में भारतीय रिज़र्व बेंक द्वारा गठित समिति के सदस्य भी हैं।

उन्हें दिनांक 25/10/2020 से तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था।

श्री स्वरूप दासगुप्ता

57 वर्षीय श्री स्वरूप दासगुप्ता बैंक ऑफ़ इंडिया में वसूली विभाग के महाप्रबंधक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन विषय से इंजीनियरिंग की है तथा वित्त विषय में एमबीए किया है। 23 वर्ष की अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान, उन्हें कॉरपोरेट कार्यालय तथा फील्ड स्तरीय बैंकिंग का विस्तृत एक्सपोजर प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रधान कार्यालय के कॉरपोरेट क्रेडिट विभाग में कार्य किया है और हैदराबाद, चेन्नई तथा अंधेरी में मिड कॉरपोरेट तथा लॉर्ज कॉरपोरेट शाखाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उन्होंने बैंक के विदेशी केन्द्र, लंदन में भी कार्य किया है।

उन्होंने प्रधान कार्यालय के बोर्ड सचिवालय, एसएमई तथा वसूली विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व भी किया है।

उन्होंने दिनांक 10.03.2021 को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है

श्री एम. कार्तिकेयन

56 वर्षीय श्री एम कार्तिकेयन इंडियन बैंक में महाप्रबंधक (कॉरपोरेट डेवलपमेंट ऑफिसर) थे। उन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, सीएआईआईबी, जीयूआई एप्लिकेशन में डिप्लोमा, प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। अपनी 32 वर्ष से अधिक की व्यावसायिक यात्रा में, उन्हें कॉरपोरेट ऑफिस तथा फील्ड स्तरीय बैंकिंग में विस्तृत एक्सपोजर प्राप्त है। उन्होंने धर्मपुरी, पुणे तथा चेन्नई उत्तर अंचल के आंचलिक प्रबंधक का दायित्व निर्वहन किया और वे दिल्ली के क्षेत्र महाप्रबंधक रहे हैं, जहाँ उनके नियंत्रण में 8 अंचल थे। उन्होंने प्रधान कार्यालय में वसूली तथा विधि विभाग का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

वे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अनुषंगी संस्था पांडियन ग्राम बैंक एवं इंडियन बैंक की अनुषंगी संस्था पल्लवन ग्राम बैंक को विलय कर बनाए गए तमिलनाडू ग्राम बैंक के बोर्ड में भी थे।

उन्होंने दिनांक 10.03.2021 को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

सुश्री मोनिका कालिया

48 वर्षीय सुश्री मोनिका कालिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कोषागार, डोमेस्टिक फॉरेक्स व इंटरनेशनल बैंकिंग की मुख्य महाप्रबंधक थी। अपनी 24 वर्षों से अधिक समय की व्यावसायिक यात्रा के दौरान, उन्हें कॉरपोरेट कार्यालय और फील्ड स्तर की बैंकिंग में व्यापक एक्स्पोज़र मिला। उन्होंने वित्तीय आयोजना, निवेशक संबंध, पर्सनल बैंकिंग, विपणन व थर्ड पार्टी उत्पाद वितरण, कॉरपोरेट सूचना, अनुपालन व बोर्ड सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो संयुक्त वेंचर यथा स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा और यूनियन आस्ति प्रबंधन ट्रस्टी कंपनी की बोर्ड निदेशक भी रहीं।

बी.कॉम (ऑनर्स) में रैंक होल्डर होने के साथ-साथ वे कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) की फेलो मेम्बर हैं और वे सर्टिफाइड ऐसोसिएट ऑफ इंडियन

expertise in the areas of Risk Management, Corporate Banking, Project Finance and Structuring, International Banking, Trade Finance, Audit and Compliance, etc.

He was a nominee director of State Bank of India on the boards of Oman India Joint Investment Fund Management Company Private Limited and HDFC Venture Capital Limited. Currently he is an Independent Director in Insolvency Professional Agency of Institute of Cost Accountants of India (IPA ICAI). He is also a member of the committee constituted by Reserve Bank of India in April 2021 for comprehensive review of the working of Asset Reconstruction Companies (ARCs).

He was elected as Shareholder Director of the Bank for a term of 3 years w.e.f. 25.10.2020.

Shri Swarup Dasgupta

Mr. Swarup Dasgupta aged 57 years, was General Manager with Bank of India heading Recovery Department. He is Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunication and MBA – Finance. During his professional journey of over 23 years, he has extensive exposure of corporate office and field level banking. He has worked in Corporate Credit Department at Head Office. He has successfully headed the Mid Corporate and Large Corporate branches at Hyderabad, Chennai and Andheri. He has also worked in Bank's foreign centre at London.

He has headed critical departments of Board Secretariat, SME and Recovery Department at Head Office.

He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021

Shri M. Karthikeyan

Mr. M Karthikeyan, aged 56 years, was General Manager (Corporate Development Officer) with Indian Bank. He is Master of Science in Agriculture, Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB), Diploma in GUI Application, Diploma in Management. During his professional journey of over 32 years, he has extensive exposure of Corporate office and field level banking. He was Zonal Manager of Dharmapuri, Pune and Chennai North Zone. He was Field General Manager Delhi controlling 8 zones. He has successfully headed the Recovery and Legal Department at Head Office.

He was also on the Board of Tamil Nadu Grama Bank which was formed as a merged entity of two RRBs namely Pandian Grama Bank, a subsidiary of Indian Overseas Bank with Pallavan Grama Bank, a subsidiary of Indian Bank.

He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021.

Ms. Monika Kalia

Ms. Monika Kalia aged 48 years, was Chief General Manager with Union Bank of India heading Treasury, Domestic Forex and International Banking. During her professional journey of over 24 years, she has extensive exposure of corporate office and field level banking. She has successfully headed critical departments of Financial Planning, Investor Relations, Personal Banking, Marketing and Third Party Product distribution, Corporate Communications, Compliance and Board Secretariat.

She was also Director on the Board of two joint ventures of Union Bank of India namely; Star Union Dai Ichi Life Insurance and Union Asset Management Trustee company.

Besides being rank holder B.Com (H), she is Fellow Member of

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) हैं तथा उन्होंने आईआईबीएफ से कोषागार एवं समन्वित जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा किया है।

उन्होंने दिनांक 10.03.2021 को बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

सुश्री वंदिता कौल

सुश्री वंदिता कौल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में एम.एससी तथा एनआईआईटी से सिस्टम प्रबंधन में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 13 मई 2021 को, बैंक में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में वे अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पद पर कार्य कर रही हैं। उन्हें वित्त, बजटिंग, आईटी परियोजना प्रबंधन, परिचालन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन, सामाजिक सहायता, पिछड़े तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सिंचाई, शहरी विकास, ई-गवर्नेंस, प्रशासन इत्यादि में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

सुश्री कौल ने वर्ष 1989 में भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) में कार्यग्रहण किया। उन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अनेक विभागों तथा डाक विभाग में कार्य किया है।

Company Secretaries of India (ICSI), Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB), Diploma in Treasury and Integrated Risk Management from IIBF.

She has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021.

Ms. Vandita Kaul

Ms Vandita Kaul holds M.Sc degree in Zoology from the University of Delhi and a Diploma in Systems Management from NIIT. She has been appointed by Government of India as Government Nominee Director of the Bank on 13.05.2021.

Presently, she has been posted as Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. She is having more than 31 years of experience in the area of Finance, Budgeting, IT Project Management, Operations and Customer Relations Management, Social assistance, Development of backward areas and border areas, Irrigation, Urban development, E-Governance, Administration, etc.

Ms. Kaul joined the Indian Postal Service (IPoS) in the year 1989 and has worked under various Deparments of Ministries such as Department of Financial Services, Ministry of Environment and Forests, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Home Affairs and Department of Posts.

निदेशकों के अन्य विवरण (31.03.2021 तक)

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2021)

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive /Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director and CEO	4850	17.02.2017	बैंकिंग Banking	जनरल इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया General Insurance Corporation of India	2	1
2.	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	18.03.2020	बैंकिंग Banking	बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. BOI Merchant Bankers Limited	1	0
3.	श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	4395	10.03.2021	बैंकिंग Banking	Nil	1	0
4.	श्री एम. कार्तिकेयन Shri M. Karthikeyan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	10.03.2021	बैंकिंग Banking	Nil	1	0
5.	सुश्री मोनिका कालिया Ms. Monika Kalia	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	10.03.2021	बैंकिंग Banking	Nil	2	0
6.	सुश्री दक्षिता दास Ms. Dakshita Das	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक Non-Executive Nominee Director	-	13.07.2018	प्रशासन Administration	नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड National Investment and Infrastructure Fund Trustee Ltd.	1	0

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive /Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
7.	श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक Non-Executive Nominee Director	-	13.08.2019	बैंकिंग Banking	प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड Security Printing and Minting Corporation Of India Limited	1	0
8.	श्री पी.एन. प्रसाद Mr. P N Prasad	शेयरधारक निदेशक Shareholders Director	500	25.10.2020	बैंकिंग Banking	Nil	1	1

सेबी एलओडीआर विनियम 2015 की अनुसूची V के खण्ड 'सी' के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर विचार किया है।

In compliance of Clause C of Schedule V of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee only.

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वित्त-वर्ष 2021 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 15 (पन्द्रह) बैठकें आयोजित की गईं:

Conduct of Board Meetings:

During the FY 2021, 15 (Fifteen) Board Meetings were held on the following dates:

21.04.2020	27.05.2020	15.06.2020	25.06.2020	03.08.2020	13.08.2020
23.09.2020	23.10.2020	06.11.2020	25.11.2020	28.12.2020	29.01.2021
10.02.2021	15.03.2021	26.03.2021			

वित्त-वर्ष 2020 -21 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2020-2021 are as follows:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	6	6	01.04.2020 to 14.08.2020
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	15	15	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री सी.जी. चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	6	6	01.04.2020 to 31.08.2020
श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	15	14	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	2	2	10.03.2021 to 31.03.2021
श्री एम. कार्तिकेयन Shri M . Karthikeyan	2	2	10.03.2021 to 31.03.2021
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	2	2	10.03.2021 to 31.03.2021
सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	15	10	01.04.2020 to 31.03.2021

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	15	15	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री डी.सरकार Shri D. Sarkar	8	8	01.04.2020 to 24.10.2020
श्री डी. हरीश Shri D. Harish	8	8	01.04.2020 to 24.10.2020
श्री पी.एन. प्रसाद Shri P N Prasad	7	7	25.10.2020 to 31.03.2021

बोर्ड समितियां

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4.	शेयर धारक संबंध समिति
5.	शेयर अंतरण समिति
6.	जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7.	ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
9.	निवेश अनुमोदन समिति
10.	बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
11.	आई.टी.कार्यनीति समिति एवं डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति
12.	निदेशकों की पदोन्नति समिति
13.	एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
14.	अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी हेतु समिति
15.	इरादतन चूककर्ताओ के लिए समीक्षा समिति
16.	बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति
17.	अनुशासनिक कार्यवाही समिति
18.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
19.	एमडी एंड सीईओ, कार्यपालक निदेशकों एवं महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी समिति
20.	सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं संबंधी घोषणा हेतु समिति
21.	समूह प्रशासन समिति

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

Serial No.	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Credit Approval Committee of the Board
3.	Audit Committee of the Board
4.	Stakeholders' Relationship Committee
5.	Share Transfer Committee
6.	Committee of Directors for Risk Management
7.	Committee of Directors for Customer Services
8.	Nomination and Remuneration Committee
9.	Investment Approval Committee
10.	Committee for Monitoring on Large Value Frauds
11.	IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee
12.	Directors Promotion Committee
13.	Steering Committee of the Board on HR
14.	Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
15.	Review Committee for Wilful Defaulters
16.	Independent Directors' Committee of the Board
17.	Disciplinary Proceeding Committee
18.	Corporate Social Responsibility Committee
19.	Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors and General Managers
20.	Committee for declaration of Non Co-operative Borrower
21.	Group Governance Committee

1. The Management Committee of the Board

It is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the

बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। दिनांक 31.03.2021 तक इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 4 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 1 शेयरधारक निदेशक सहित 7 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 32 बैठकें हुई :

Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2021, it comprised of 7 members consisting of the Managing Director and CEO, 4 Executive Directors, RBI Nominee Director and 1 Shareholder Director.

The Management Committee of the Board met 32 times during the FY 2020-21 on the following dates:

20.04.2020	11.05.2020	21.05.2020	04.06.2020	16.06.2020	23.06.2020
26.06.2020	10.07.2020	23.07.2020	06.08.2020	18.08.2020	28.08.2020
10.09.2020	22.09.2020	28.09.2020	13.10.2020	17.10.2020	23.10.2020
11.11.2020	19.11.2020	25.11.2020	05.12.2020	19.12.2020	24.12.2020
30.12.2020	27.01.2021	06.02.2021	20.02.2021	26.02.2021	06.03.2021
20.03.2021	25.03.2021				

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	32	32	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री सी. जी. चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	12	12	01.04.2020 to 31.08.2020
श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	32	31	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	2	2	10.03.2021 to 31.03.2021
श्री एम. कार्तिकेयन Shri M . Karthikeyan	2	2	10.03.2021 to 31.03.2021
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	2	2	10.03.2021 to 31.03.2021
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	32	32	01.04.2021 to 31.03.2021
श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	18	18	01.04.2020 to 24.10.2020
श्री डी. हरीश Shri D. Harish	18	18	01.04.2020 to 24.10.2020
श्री पी.एन. प्रसाद Shri P N Prasad	14	14	25.10.2020 to 31.03.2021

2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.600 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबंधित ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की प्रबंध निदेशक एवं

2. Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 600 Crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the

सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 27 बैठकें हुई:

General Manager in charge of Credit concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 27 times during the FY 2020-2021 on the following dates:

16.04.2020	28.04.2020	13.05.2020	01.06.2020	10.06.2020	30.06.2020
21.07.2020	14.08.2020	18.08.2020	27.08.2020	29.09.2020	15.10.2020
02.11.2020	18.11.2020	04.12.2020	07.12.2020	22.12.2020	31.12.2020
04.01.2021	19.01.2021	01.02.2021	15.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
15.03.2021	22.03.2021	31.03.2021			

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री अतनु कुमार दास Shri Atanu Kumar Das	27	27	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री सी. जी. चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	10	10	01.04.2020 to 31.08.2020
श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	27	26	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	3	3	10.03.2021 to 31.03.2021
श्री एम. कार्तिकेयन Shri M . Karthikeyan	3	3	10.03.2021 to 31.03.2021
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	3	3	10.03.2021 to 31.03.2021

3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी दिशानिर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण भी करती है।

यथा दिनांक 31.03.2021, लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकें हुई :

3. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

As on 31.03.2021, the Audit Committee comprises of 3 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director. During the FY 2020-2021, the Audit Committee met 8 times on the following dates:

21.05.2020	25.06.2020	23.07.2020	03.08.2020	06.11.2020	21.12.2020
10.02.2021	01.03.2021				

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	4	4	01/04/2020-13/08/2020
श्री सी. जी. चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	4	4	01/04/2020-31/08/2020

श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	8	8	01/04/2020-31/03/2021
सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	8	7	01/04/2020-31/03/2021
श्री सुब्रत दास Shri Subrata Das	8	8	01/04/2020-31/03/2021
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	-	-	10/03/2021-31/03/2021

बोर्ड के निदेशकों के समक्ष स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

4. स्टेक होल्डर संबंध समिति

सेबी-एलओडीआर विनियमन - 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप, कॉरपोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में 4 कार्यपालक निदेशकगण हैं। श्री पी. एन. प्रसाद, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजेश वी. उपाध्याय, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक को 8 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निवारण किया गया है और यथा 31.03.2021 को एससीओआरईएस (SCORES) में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की बैठक दिनांक 04.06.2020 को आयोजित की गई सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations – 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Four Executive Directors. It is headed by Shri P N Prasad, Shareeholders Director of the Bank.

Shri Rajesh V Upadhya, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2020-21, Bank has received 8 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2021.

The Committee met on 04.06.2020 during the FY 2021. The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम **Name of Directors**	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें **Meetings held during their tenure**	उपस्थिति अभिलेख **Attendance Recorded**	अवधि (से-तक) **Period (From – To)**
श्री पी.एन. प्रसाद Shri P N Prasad	-	-	25.10.2020 to 31.03.2021
श्री पी. आर. राजगोपाल Shri P R Rajagopal	1	1	01.04.2020 to 31.03.2021
श्री स्वरूप दासगुप्ता Shri Swarup Dasgupta	-	-	10.03.2021 to 31.03.2021
श्री एम. कार्तिकेयन Shri M . Karthikeyan	-	-	10.03.2021 to 31.03.2021
सुश्री मोनिका कालिया Ms Monika Kalia	-	-	10.03.2021 to 31.03.2021
श्री सी. जी. चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	1	1	01.04.2020 to 31.08.2020
श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	1	1	01.04.2020 to 24.10.2020
श्री डी. हरीश Shri D. Harish	1	1	01.04.2020 to 24.10.2020

5. शेयर अंतरण समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कोई कार्यपालक निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं :

5. Share Transfer Committee:

It comprises of Managing Director & CEO or any Executive Director and one Shareholder Director. The Committee met 4 times during the FY 2020-2021 on the following dates:

21.05.2020	18.08.2020	23.10.2020	06.02.2021

6. जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, चार कार्यपालक निदेशकगण और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को समिति की 5 बैठकें हुई हैं :

6. Committee of Directors for Risk Management:

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Managing Director & CEO, four Executives Directors and one Shareholder Director. The committee met 5 times during the FY 2020-2021 on the following dates:

21.04.2020	06.08.2020	13.10.2020	27.01.2021
20.03.2021			

7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता अनवरत रूप से सुधार लाने की है और ग्राहक सेवा हेतु गठित संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें प्रबंध निदेशक व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई हैं।

7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the Committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors, GOI Nominee Director and one Non-Executive director. The committee met 4 times during the FY 2020-2021 on the following dates:

26.06.2020	21.09.2020	17.12.2020	26.03.2021

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति को रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर निदेश डीबीआर-आवेदन क्र.: 09/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 को बनाया गया। नामांकन समिति में एक स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) और सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 2 बैंठके हुई।

8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as Directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No: RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019. The NRC consists of One Independent Director (Chairman) and one Govt. Nominee Director.

The committee met 2 times during the FY 2020-2021 on the following dates:

15.06.2020	12.10.2020

9. निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक-वित्त शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इस समिति की बैठकें हुईं।

9. Investment Approval Committee:

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2020- 2021 it met on the following dates:

13.05.2020	30.06.2020	21.07.2020	05.08.2020	14.08.2020	28.08.2020
08.09.2020	11.09.2020	22.09.2020	01.10.2020	15.10.2020	2.11.2020
18.11.2020	04.12.2020	07.12.2020	17.12.2020	22.12.2020	19.01.2021
22.01.2021	15.02.2021	24.02.2021	01.03.2021	05.03.2021	15.03.2021
17.03.2021					

10. बड़े मूल्य की धोखाधिड़ियों की निगरानी हेत समिति

बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

10. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This committee consist of the Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2020-21, it met on following dates:

15.06.2020	13.08.2020	23.09.2020	25.11.2020
01.03.2021			

11. आई.टी. कार्यनीति समिति एवं डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति :

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें एमडी व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, तथा दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें आयोजित की गई।

11. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The Committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of MD and CEO, Executive Directors, and two other Non-Executive Directors. During the FY 2020-2021, it met on the following dates.

15.06.2020	13.08.2020	25.11.2020	01.03.2021

12. निदेशकों की पदोन्नति समिति:

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और आरबीआई नामिती निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की बैठक एक बार दिनांक 23.04.2020 को आयोजित की गई।

12. Directors Promotion Committee:

The committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. The member of this committee are Managing Director & CEO, Executive Directors and RBI Nominee Director. During the year 2020-21, this committee met once 23.04.2020.

13. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति:

इस समिति को एचआर से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित किया गया था । इस समिति के सदस्य अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई

13. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this committee are Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and one Shareholder Director. During the FY 2020-2021 it met on the following dates:

24.04.2020	06.08.2020	13.10.2020	26.03.2021

14. अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियां की निगरानी हेतु समिति :

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 30 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक, शेयरधारक निदेशक और संयोजक के रूप में महाप्रबंधक-वसूली विभाग शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई:

14. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 30 NPAs. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, Shareholder Director and General Manager – Recovery Department as convener. During the FY 2020-2021, it met on following dates:

21.04.2020	15.06.2020	06.08.2020	13.10.2020	15.03.2021

15. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति :

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और शेयरधारक निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें आयोजित की गई:

15. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this committee are Managing Director & CEO and Shareholder Director. During the FY 2020-2021, it met on the following dates:

04.06.2020	10.09.2020

16. बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति:

दो शेयर धारक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक समिति की बैठक दिनांक 25.06.2020 को हुई। वर्तमान में, केवल एक शेयरधारक निदेशक ही इस समिति का सदस्य है।

16. Independent Directors' Committee:

The two Shareholder Directors are the members of this Committee. The Independent Directors' Committee of the Board met on 25.06.2020. Presently, only one Shareholder Director is the member of this Committee.

17. बोर्ड की अनुशासनिक कार्यवाही समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, सरकार द्वारा नामित निदेशक,

17. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this committee are Managing Director & CEO,

आरबीआई नामित निदेशक और एक अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक है। वित्तीय-वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठके हुई :

Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one other Non-Executive Directors. During the FY 2020-2021 it met on the following dates:

04.06.2020	10.09.2020	28.12.2020	26.03.2021

18. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं। चार कार्यपालक निदेशकगण और एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के सदस्य हैं।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुईं :

18. Corporate Social Responsibility Committee:

The Managing Director & CEO is the Chairman of the Committee. Four Executive Directors and one Independent Director are members of this committee.

The Committee met on the following dates:

26.06.2020	21.09.2020	17.12.2020	26.03.2021

19. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों एवं महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी समिति :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के एफ.सं. 9/5/2009-आईआर, दिनांक 30.08.2019 के निर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक इस समिति के सदस्य होते हैं।

20. सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं संबंधी घोषणा हेतु समिति:

यह समिति आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2014-15/362-डीबीआर सं.सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15 के अनुपालन में गठित की गई थी। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और एक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। उक्त वर्ष के दौरान इस समिति की बैठकें दिनांक 10.09.2020 को आयोजित की गईं।

21. समूह प्रशासन समिति

इस समिति में प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और एक शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इस समिति की 04 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं ।

19. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and General Manager

This committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services directives F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Members of this committee are Chairman, Govt. Nominee Director and RBI Nominee Director.

20. Committee for declaration of Non Co-operative Borrower

The committee was constituted as per RBI Circular RBI/2014-15/362- DBR No. CID.BC.54/20.16.064/2014-15. The committee consists of MD & CEO and one Non Executive Director. During the year the committee met on 10.09.2020.

21. Group Governance Committee

The Committee consists of MD & CEO, Executive Directors and one Shareholder Director. During the year, the committee met 4 times during the Financial Year 2020-21:

28.08.2020	23.10.2020	05.12.2020	20.02.2021

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री जी. पद्मनाभन, अध्यक्ष, श्री ए.के. दास, एमडी एवं सीईओ, श्री सी.जी. चैतन्य, श्री पी. आर. राजगोपाल, श्री देवब्रत सरकार और श्री डी. हरीश दिनांक 11.08.2020 को आयोजित बैंक की विगत अर्थात चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हुए।

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों संबंधी गतिविधियाँ की जाती हैं। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और तत्संबंधी किसी भी पूछताछ/शिकायत/समस्या के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित पते पर संपर्क करे :

इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बॉण्ड्स के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.
इकाई : बैंक ऑफ इंडिया,
प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओसिस के सामने, मकवाना मार्ग, मरोल, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400059, फोन: 022-6263 8200, फैक्स: 022-6263 8299
Email: investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के निवेशक संबंध कक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं:

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri G Padmanabhan, Chairman, Shri A K Das, MD & CEO, Shri C G Chaitanya, Shri P R Rajagopal, Shri Debabrata Sarkar and Shri D Harish attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Fourth Annual General Meeting of the Bank held on 11.08.2020.

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances:

Share Transfers, Dividend / Interest Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:

Bigshare Services Pvt. Ltd.,

Unit: Bank of India,

1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai-400 059, Phone: 022 – 6263 8200, Fax: 022 – 6263 8299 Email: investor@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, ईस्ट विंग, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, फोन नं. 022-66684491, फैक्स- 022-6668 4491,
ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Phone: 022 – 6668 4491, Fax: 022 - 6668 4491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

साधारण आम बैठक
General Body Meetings:

क्र.सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1.	असाधारण आम बैठक Extraordinary General meeting	शनिवार 19 सितंबर, 2020 11.00. A.M वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो-विजुअल के माध्यम से (ओवीएएम) Saturday 19th September, 2020 at 11.00. a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 (निर्धारित स्थान) Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 (Deemed Venue)	1. बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से बैंक की संचित हानियों का विनियोजन। 2. नई पूंजी और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स/जारी करने हेतु अनुमोदन। 1. Appropriation of accumulated losses of the Bank from Share Premium Account of the Bank. 2. Approval to issue Fresh Capital and Tier-I / Tier-II Bonds.
2.	चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty fourth Annual Annual General Meeting	11 अगस्त, 2020 11.00 A.M वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो-विजुअल के माध्यम से (ओवीएएम) August 11, 2020 at 11.00 A.M through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	कुछ नहीं Nil
3.	पोस्टल बैलेट Postal Ballot	16.01.2020		विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बहुप्रयोजन अनुमोदन। बॉण्ड्स जारी करने के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन। Omnibus approval for issue of Equity Shares through various modes Omnibus approval for issue of bonds.
4.	तेईसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Third Annual General Meeting	27.06.2019 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
5.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	25.03.2019 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis

क्र.सं. Sr. No.	बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
6.	पोस्टल बैलेट Postal Ballot	15.02.2019		भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बहुप्रयोजन अनुमोदन। बॉण्ड्स जारी करने के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन। Issue of Shares to Government of India on preferential basis. Omnibus approval for issue of Equity Shares through various modes Omnibus approval for issue of bonds.
7.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	04.09.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के स्टाफ सदस्यों को एवं बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना। Issue of Shares to Staff Members of the Bank and Whole Time Directors of the Bank under ESPS
8.	बाइसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty Second Annual General Meeting	13.07.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
9.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	20.02.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
10.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	12.10.2017 10.15 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	बैंक के शेयरधारकों में से दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव। Election of two Shareholder directors amongst the shareholders of the Bank
11.	इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक Twenty First Annual General Meeting	11.07.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
12.	असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	04.05.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051 Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। नई पूंजी और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स/जारी करने हे तु अनुमोदन। Issue of Shares to Government of India on preferential basis Approval to issue fresh capital and Tier-I / Tier-II Bonds.

प्रकटन :

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं किंतु कॉरपोरेट निकाय हैं या कॉरपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधानों के अन्य संविधियों के विनियम के अधीन है, जैसा कि कुछ विनियमों के तहत स्पष्ट किया गया है यह उस सीमा तक लागू होगा जहां उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

बैठक		बैठक के अनुसार राशि
क) बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए	:	रु.40,000/-
ख) बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	:	रु.20,000/-
ग) बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	:	रु.10,000 (उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त)
घ) बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	:	रु.5,000/- (उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त)

प्रतिवर्ष रु.15 लाख की सम्पूर्ण सीमा के अधीन।

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई संभावित टकराव हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनमें उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित जारी किए हैं:

1. इक्विटी शेयर जारी करके : शून्य
2. बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड्स जारी :

Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other Directors except sitting fees which is as under:

	Meeting		Amount per meeting
a)	For attending Board Meeting	:	Rs. 40,000/-
b)	For attending Meeting of Board Committee	:	Rs. 20,000/-
c)	For chairing Board Meeting	:	Rs. 10,000 (in addition to (a) above)
d)	For chairing Meeting of Board Committee	:	Rs. 5,000/- (in addition to (b) above)

Subject to overall ceiling of Rs. 15 lakhs per annum.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital

1. By issue of Equity Shares: Nil
2. By Issue of Basel III compliant Additional Tier I Bonds :

आवंटन की तारीख	विवरण (निवेशक)	प्रति शेयर/ बॉन्ड निर्गम मूल्य	निर्गम आकार
28.01.2021	अपरिवर्तनीय बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड्स, कर-देय, स्थायी, गौण, अप्रतिभूत, पूर्णत: प्रदत्त डिबेंचर की प्रकृति में बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड्स का अंकित मूल्य रु.10 लाख प्रत्येक (बॉण्ड्स)	7500	रु. 250 करोड़ प्लस का आधार निर्गम आकार रु.500 करोड़ का अधि-आबंटन विकल्प, कुल रु.750 करोड़
30.03.2021	अपरिवर्तनीय बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड्स, कर-देय, स्थायी, गौण, अप्रतिभूत, पूर्णत: प्रदत्त डिबेंचर की प्रकृति में बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉण्ड्स का अंकित मूल्य रु.10 लाख प्रत्येक (बॉण्ड)	6020	रु. 250 करोड़ प्लस का आधार निर्गम आकार, रु. 352 करोड़ का अधि-आबंटन विकल्प, कुल रु. 602 करोड़

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्त्रोतों को विकसित करने के लिए टियर I पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छ: माह में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

vii. वर्तमान में बैंक का कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।

viii. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक: स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 25.06.2020 को आयोजित की गयी।

ix. गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:

बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया :

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Issue Size
28.01.2021	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds Non-convertible, Taxable, Perpetual, Subordinated, Unsecured, fully paid-up Basel III compliant Additional Tier 1 Bonds in the nature of debentures of face value Rs.10 lakhs each (the "Bonds")	7500	Base issue size of Rs. 250 crores plus Greenshoe Option of Rs.500 crore, aggregating to Rs.750 crore
30.03.2021	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds Non-convertible, Taxable, Perpetual, Subordinated, Unsecured, fully paid-up Basel III compliant Additional Tier 1 Bonds in the nature of debentures of face value Rs.10 lakhs each (the Bond)	6020	Base issue size of Rs. 250 crores plus Green-shoe Option of Rs.352 crore, aggregating to Rs.602 crore

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

vii. At present, the Bank does not have any material subsidiary.

viii. **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 25.06.2020.

ix. **Training of Non-Executive Directors:**

The Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business model of the Bank:

क्र. सं	तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1	21-22 नवंबर 2019	श्री सुब्रत दास	आईपीई उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	निदेशकों के लिए बोर्ड उन्मुख कार्यक्रम

निदेशकों को अलग-अलग दस्तावेजों के साथ बैंक की प्रक्रिया एवं नीतियों से भी अवगत कराया जाता है।

x. बैंक के वेबसाइट – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता प्रदर्शित की गई है ।

xi. व्हिस्ल ब्लोअर नीति बैंक के वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर प्रदर्शित की गई है ।

xii. संबंधित नीति का लेनदेन - संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiii. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक व सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

xiv. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1	वर्ष 2020-21 हेतु बैंक के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि	80.29
2	वर्ष 2020-21 हेतु बैंक एवं उसके अनुषंगियों के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि	82.13

संचार के साधन :

तिमाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनोमिक टाइम्स तथा बिज़नेस स्टैंडर्ड में अंग्रेजी में, मुंबई लक्षद्वीप तथा महाराष्ट्र टाइम्स में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में तथा बिज़नेस स्टैंडर्ड में हिन्दी में प्रकाशित हुए। परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है तथा सूचीबद्ध करारनामे के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के अपने वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कलेंडर : 1 अप्रैल, 2021 से :

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों तथा लाभांश अनुशंसा पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक, यदि कोई हो	04.06.2021
25वीं एजीएम की दिनांक, समय, स्थल	20 जुलाई, 2021 11.00 A.M. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051
	16.07.2021 to 20.07.2021

Sr. No.	Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
1	21-22 November 2019	Shri Subrata Das	IPE Osmania University, Hyderabad	Board Orientation Program for Directors

The Directors are also familiarised with Bank's Procedure and Policies with separate set of documents.

x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx

xi. Whistle Blower Policy is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xii. Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiii. Remuneration Policy - The Remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of other staff members is as per the Tripartite Agreement of the IBA.

xiv. Details of fees paid to Statutory Auditors:

Sl.No.	Particulars	Amount (Rs. In Crore)
1	Amount paid to Auditors of the Bank for the year 2020-21	80.29
2	Amount paid to Auditors of the Bank and its subsidiaries for the year 2020-21	82.13

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Business Standard and Economic Times in English, Mumbai Lakshadeep and Maharashtra Times in Marathi (Regional language) and Business Standard in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to Institutional Investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI and in the Listing Regulations, Bank of India files its financial and other information online on the web portals of the Stock Exchange.

Financial Calendar: From 1st April, 2021:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend, if any	04.06.2021
Date, Time, Venue of 25th AGM	20th July, 2021 at 11.00 A.M. through VC / OAVM Bank of India, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.

वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	ईमेल/ स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा
बही बंद करने की तिथि	16.07.2021 से 20.07.2021
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयरों का बीएसई लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

बीएसई लि. (बीएसई)	532149/ BANKINDIA
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्रों/डिबेंचर्स के रूप में अपरिवर्तनीय बाँड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	राशि	इश्यू की तारीख
श्रृंखला VI 9.04%-अतिरिक्त टियर I (INE084A08136)	750 करोड़	28-01-2021
श्रृंखला VII 9.30%-अतिरिक्त टियर I (INE084A08144)	602 करोड़	30-03-2021

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉण्ड – टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2021

Posting of Annual Report	By Email /Speed Post/ Courier.
Book Closure dates	16.07.2021 to 20.07.2021
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd., and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2021-22 has been paid to both the Stock Exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

Particulars	Amounts	Date of Issue
Series VI 9.04%-Additional Tier I (INE084A08136)	750 Crore	28-01-2021
Series VII 9.30%-Additional Tier I (INE084A08144)	602 Crore	30-03-2021

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2021

निर्गम का विवरण	Particulars of the Issue		कुल मूल्य (रु. करोड़ में) Total Value (Rs. in Crores)	आईएसआईएन सं. ISIN No.
अतिरिक्त टियर I	**Additional Tier I**	**कूपन दर / Coupon Rate**		
श्रृंखला - VI	Series - VI	9.04%	750	INE084A08136
श्रृंखला - VII	Series VII	9.30%	602	INE084A08144
टियर II बॉण्ड	**Tier II Bonds**			
श्रृंखला -X	Series-X	9.80%	1,000	INE084A08037
श्रृंखला -XI	Series-XI	9.80%	500	INE084A08045
श्रृंखला -XII	Series-XII	8.52%	3,000	INE084A08060
श्रृंखला XIII	Series XIII	8.57%	1,500	INE084A08094
श्रृंखला XIV	Series XIV	8.00%	1,000	INE084A08110
कुल	**TOTAL**		**8352**	

इन सभी बॉन्डों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2021-2022 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2021-2022 to the Stock Exchange.

Credit Ratings (Outlooks):

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता रेटिंग Issuer Rating	कॉर्पोरेट रेटिंग(दीर्घ/ लघु) Corporate Rating (Long/ Short)	बैंक सावधि जमा Bank Fixed Deposit	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड Additional Tier I Bonds	टियर II बॉन्ड Tier II Bonds	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit
1	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एंड पी) Standard & Poor (S&P)	BB+/ B (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-
2	फिच रेटिंग्स Fitch Ratings	BBB-/ B+ (नकारात्मक) (Negative Outlook)	-	-	-	-
3	क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Limited	-	-	AA- (स्थिर) (Stable)	AA+ (स्थिर) (Stable)	A1+
4	ब्रिकवर्क रेटिंग Brickwork Ratings	-	-	-	AA (स्थिर) (Stable)	-
5	इंडिया रेटिंग India Rating	AA (स्थिर) (Stable)	-	-	AA (स्थिर) (Stable)	-
6	एक्यूट रेटिंग Acuite Ratings	AA (स्थिर) (Stable)	-	AA (स्थिर) (Stable)	-	-
7	आईसीआरए ICRA	-	MAA+ (स्थिर) (Stable)	-	-	-

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

यथा 31/03/2021 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2021 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों का % Shareholders in %	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारिता का % Shareholding %
एनएसडीएल	NSDL	136046	32.58	253314532	7.73
सीडीएसएल	CDSL	189994	45.50	3009927404	91.85
मूर्त	Physical	91542	21.92	13681414	0.42
कुल	Total	417582	100.00	3276923350	100.00

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2021: Shareholding Pattern as on 31.03.2021:

शेयरधारकों का वर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock- in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under Lock-in
प्रवर्तक (भारत सरकार)	Promoter (Government of India)	1	2919690866	89.10	2029824924	69.52
म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	11	11285569	0.34	0	0.00
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institution/Bank	19	12268272	0.37	0	0.00
बीमा कंपनियां	Insurance Company	7	139539701	4.26	0	0.00
कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	975	9540816	0.29	0	0.00
विदेशी वित्तीय संस्था निवेशक	Foreign Financial Institution Investor	0	0	0.00	0	0.00
भारतीय जनता	Indian public	413789	156914581	4.79	0	0.00
अन्य	Others	2780	27683545	0.84	0	0.00
कुल	**Total**	**417582**	**3276923350**	**100.00**	**2029824924**	**69.52**

एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक है:
Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	132539701	4.04

शेयरधारिता का संवितरण यथा 31 मार्च, 2021:
Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2021:

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No. of Equity Shares held	फोलियो Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत %age	संख्या Nos.	प्रतिशत %age
500 तक	Upto 500	360791	86.40	45724065	1.40
501 से 1000	501 to 1000	25475	6.10	20045881	0.61
1001 से 5000	1001 to 5000	28367	6.79	62657826	1.91
5001 से 10000	5001 to 10000	2026	0.49	14720616	0.45
10001 एवं इससे अधिक	10001 & Above	923	0.22	3133774962	95.63
कुल	**Total**	**417582**	**100.00**	**3276923350**	**100.00**

शेयर मूल्य/मात्रा : Share Price/Volume:

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:

अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest Rs.	Lowest Rs. न्यूनतम रु.	Volume of Share Traded शेयरों के लेन-देन की मात्रा
अप्रैल-2020	April-2020	37.85	31.70	55524187
मई-2020	May-2020	35.20	31.00	52856325
जून-2020	June -2020	58.90	31.90	200217638
जुलाई-2020	July-2020	52.70	45.00	75275050
अगस्त-2020	Aug-2020	59.00	46.15	110495496

अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest Rs.	Lowest Rs. न्यूनतम रु.	Volume of Share Traded शेयरों के लेन-देन की मात्रा
सितंबर-2020	Sep-2020	54.75	38.55	59416858
अक्टूबर-2020	Oct-2020	42.55	38.20	30875183
नवंबर-2020	Nov-2020	46.45	38.30	69707526
दिसंबर-2020	Dec-2020	55.00	45.10	128515153
जनवरी-2021	Jan-2021	56.75	47.90	119673666
फरवरी-2021	Feb -2022	101.40	49.60	492340917
मार्च-2021	March-21	84.85	62.50	135167259

व्यापक आधारित सूचियों (broad based indices) की तुलना में प्रदर्शन:

Performance in comparison to Broad Based Indices:

एनएसई में बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on NSE

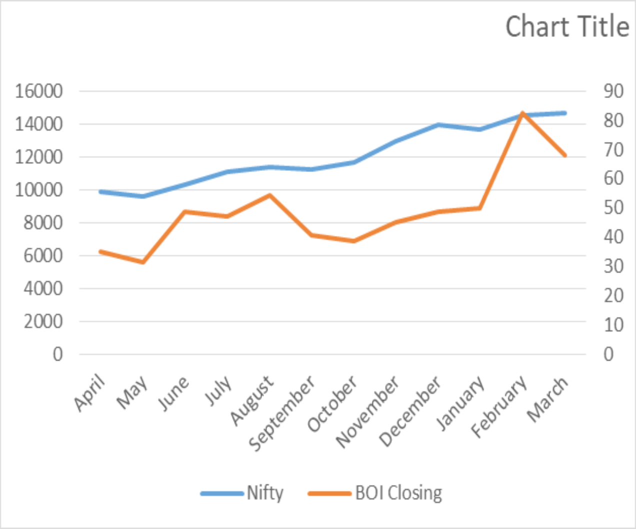

बीएसई में बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on BSE

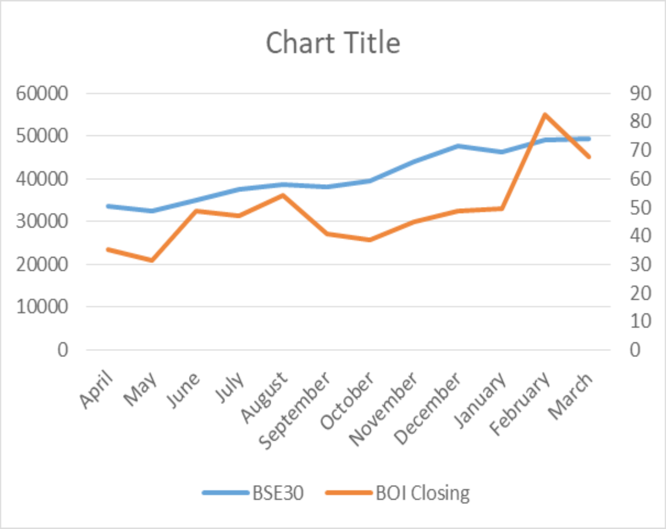

अन्य अनुपालन :

1. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
2. कंपनी सचिव से प्राय: इस आशय का प्रमाणपत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक/कॉर्पोरेट मामलों या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
3. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:
   सेबी-एलओडीआर2015 के विनियम 24A के अनुपालन में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपार्ट (फॉर्म एम.आर. 3) संलग्न है।
4. अनुषंगियों के वित्तीय विवरण :
   सेबी-एलओडीआर 2015 के विनियम 46 (2) के अनुपालन में अनुषंगियों

Other Compliances:

1. The certificate issued by the practising Company Secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.
2. A Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
3. Secretarial Audit Report:
   In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015, the Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.
4. Financial Statements of Subsidiaries:

In compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015, the Audited

के लेखा-परीक्षित विवरण हमारी वेबसाइट www.bankfinindia.co.in पर अपलोड कर दिये गए हैं।

Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

अनिवार्य/ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार-2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है:

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations, 2015:

क्र.सं. Sr. No.	अपेक्षाएं जो गैर-अनिवार्य हैं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड -** एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार है। The Board – A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार-** विगत छ: महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। Shareholder's Rights- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वर्ष में आज तक/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत -** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा मत वाली वित्तीय विवरण की व्यवस्था का चयन कर सकती है। Modified Opinion (s) in Audit Report –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा-परीक्षा मत के साथ हैं। The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** Reporting of Internal Auditor	सभी आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हमारे निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है, जो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। All internal auditors are appointed by our Inspection and Audit Department, which reports to Audit Committee.
5.	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद -** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer- The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer.	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया ("दी बैंक/कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

यह प्रमाणत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड S2007MH094000)

हस्ता./-

सीएस राजश्री पडिया
एफसीएस: 6804
सीपी: 7488
यूडीआईएन : F006804C000377119

दिनांक: 27.05.2021
स्थान: मुंबई

R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, `G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2021.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate Governance.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: S2007MH094000)

Sd/-

CS Rajshree Padia
FCS: 6804
CP: 7488
UDIN: F006804C000377119

Date: 27.05.2021
Place: Mumbai.

R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10)(i) के अनुसार.)

प्रति
बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा), है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V अनुच्छेद सी उपबंध 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध सत्यापनों(निदेशकों की पहचान संख्या(डीआईएन) सहित) एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र सं.	निदेशक का नाम	पद	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अतनु कुमार दास डीआईएन:07758968	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	17.02.2017
2.	श्री पी.आर. राजगोपाल डीआईएन:09017710	कार्यपालक निदेशक	18.03.2020
3.	श्री स्वरूप दासगुप्ता डीआईएन:लागू नहीं	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
4.	श्री एम. कार्तिकेयन डीआईएन: लागू नहीं	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
5.	श्रीमती मोनिका कालिया डीआईएन:08579733	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021
6.	श्रीमती दक्षिता दास डीआईएन:07662681	गैर-कार्यपालक नामिति निदेशक	13.07.2018
7.	श्री सुब्रता दास डीआईएन: 05114257	गैर-कार्यपालक नामिति निदेशक	13.08.2019
8.	श्री पी. एन. प्रसाद डीआईएन:7430506	शेयरधारक निदेशक	25.10.2020

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करना।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दिनांक : 27.05.2021
स्थान: मुंबई
यूडीआईएन : F006804C000377119

हस्ता/-
सीएस राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804; सीपी: 7488

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of India having its Head office at Star House, C-5, `G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Directors	Category	Date of Appointment
1	Shri Atanu Kumar Das DIN : 07758968	Managing Director and CEO	17.02.2017
2.	Shri P R Rajagopal DIN :09017710	Executive Director	18.03.2020
3.	Shri Swarup Dasgupta DIN :NA	Executive Director	10.03.2021
4.	Shri M. Karthikeyan DIN : NA	Executive Director	10.03.2021
5.	Ms. Monika Kalia DIN :08579733	Executive Director	10.03.2021
6.	Ms. Dakshita Das DIN : 07662681	Non-Executive Nominee Director	13.07.2018
7.	Shri Subrata Das DIN : 05114257	Non-Executive Nominee Director	13.08.2019
8.	Shri. P N Prasad DIN : 7430506	Shareholders Director	25.10.2020

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Date: 27.05.2021
Place: Mumbai
UDIN: F006804C000377119

Sd/-
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 ए के अनुसरण में.

सेवा में,

सदस्य गण,
बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा- परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2021 की समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बने नियम जिस सीमा तक बैंक पर लागू हो;

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बने नियम;

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बने विनियम तथा उप विधि;

iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ङ) सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018

(च) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबधी नियम एवं

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year ended 31st March, 2021

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,

The Members of
Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of India,** (hereinafter called the 'Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review

विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्वटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं) तथा

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(ट) बैंक पर लागू अन्य नियम निम्नलिखित है :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और तत्संबंधी संशोधन

ग) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970

घ) बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर एवं बैठक विनियमन, 2007

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :-

i. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. बीएसई लमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण संबंधी करार

समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का निदेशक मंडल, कार्यपालक निदेशकों/गैर कार्यपालक निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में किए गए परिवर्तन, सेबी (LODR) के अनुरूप बैंकिंग विधियों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी छूट के कारण, बोर्ड की बैठकें तथा आम बैठकें वीडियो या ऑडियो विज्युअल माध्यम से आयोजित की गई थी तथा सभी बैठकों के नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए गए थे और भावी संदर्भ के लिए समुचित रिकॉर्डिंग रखी गई है।

परिचालन द्वारा अनुमोदित संकल्पों सहित बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा असहमति प्रकट नहीं की गई थी।

हम आगे सूचित करते हैं कि नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का

g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review)

i) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)

j) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998(Not Applicable during the year under review)

k) The Following other Laws as applicable to the Bank:

(a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.

(b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.

(c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

(d) Bank of India Shares and Meeting Regulation, 2007

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors and Women Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

In the wake of outbreak of Covid 19 pandemic and subject to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, Board meetings and General meetings were conducted via video or audio visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes

अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी रखने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप बैंक के पास उचित प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान:

1. "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण – एनपीए खातों में विचलन बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता" तथा "धोखाधडियों का वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग" के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण आरबीआई ने रु. 5 करोड़ (रु. पांच करोड़ केवल) की पैनल्टी लगाई गई थी।

   यह पैनल्टी बैंक की वित्तीय स्थिति यथा 31 मार्च, 2017 और मार्च, 2018 के संबंध में बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा तत्संबंधी जोखिम आकलन रिपोर्टों में, अन्य बातों के साथ, प्रकट किए गए, आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित है।

2. बैंक ने 19 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी असाधारण बैठक में अपेक्षित बहुमत से निम्नलिखित संकल्प पारित किए :-

   (क) उचित समय पर सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या अधिमानी निर्गम या क्यूआईपी या निजी तौर पर शेयर आबंटन या अन्य अनुमत तरीके से इक्विटी शेयरों/टियर I / टियर II बॉन्ड्स के रूप में रु. 8,000/- करोड़ तक की नई पूंजी जुटाने का अनुमोदन, चाहे वह बाज़ार मूल्य पर प्रीमियम या छूट पर हो।

   तदनुसार, बैंक ने डिबेंचर के रूप में प्रत्येक रु. 10 लाख (बॉन्ड्स) के अंकित मूल्य के अपरिवर्तनीय, कर-योग्य, स्थायी, गौण, गैर-जमानती, पूर्णत: प्रदत्त बासेल III का अनुपालन करने वाले, अतिरिक्त टियर I बॉन्ड्स जारी तथा आबंटित किए हैं। 28 जनवरी, 2021 को रु. 750 करोड़ मूल्य के बासेल III का अनुपालन करने वाले अतिरिक्त टियर I बॉन्ड्स।

   इसके अलावा 30 मार्च, 2021 को बैंक ने डिबेंचर के रूप में प्रत्येक रु. 10 लाख (बॉन्ड्स) के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) के रु. 602 करोड़ मूल्य के अपरिवर्तनीय, कर-योग्य, स्थायी, गौण, गैर-जमानती, पूर्णत: प्रदत्त बासेल III अनुपालन करने वाले, अतिरिक्त टियर I बॉन्ड्स जारी तथा आबंटित किए हैं।

   (ख) यथा 31 मार्च, 2020 को बैंक ने तुलन पत्र में शेयर प्रीमियम खाते में रु. 35331,77,29,673.58 के क्रेडिट पर शेष का उपयोग कर यथा 31 मार्च, 2020 को रु. 23782,38,80,979.26 की संचित हानि के समंजन (सेट ऑफ) को अनुमोदन।

   तदनुसार, 03 नवम्बर, 2020 को बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि 31 मार्च, 2020 को बैंक की संचित हानि का समंजन करने हेतु शेयर प्रीमियम का विनियोजन करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियां पारित की गई हैं।

3. 02 दिसम्बर, 2020 को बैंक ने एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एशिया होल्डिंग्स प्रा. लि. (AXAIM) के साथ शेयर खरीद करार(एसपीए) किया है, जिसमें बैंक ऑफ़ इंडिया ने एएक्सएआई एम के :-

   क) बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. (बीएएलएम) में संपूर्ण 49% इक्विटी शेयर; तथा

   ख) शीर्षांकित अधिग्रहण के बाद बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा. लि. (बीएटीएस) में संपूर्ण 49% इक्विटी शेयर खरीदने का करार किया है। शीर्षांकित अधिग्रहणों के बाद BAIM और BATS दोनों, बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियाँ हो जाएंगी।

in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. RBI imposed penalty of Rs.5 Crore (Rupees five crore only) for non-compliance with certain provisions of the directions issued by RBI on " Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances - Divergence in NPA accounts", " Opening of current accounts by banks- Need for discipline", and " Classification and reporting of frauds".

   The penalty pertains to the statutory inspection of the bank with reference to its financial position as on March 31, 2017 and March 2018 and the Risk Assessment Reports (RARs) pertaining thereto, revealed, inter-alia, non-compliance with the above- mentioned directions issued by RBI.

2. The Bank in its Extraordinary Meeting held on 19th September, 2020 passed the following resolution with requisite majority:

   a) Approved to raise fresh capital upto an amount of Rs. 8,000 crore by way of Equity Shares/Tier I/Tier II bonds by way of Public issue or Right issue or Preferential issue or QIP or Private Placement or any other permitted mode at an appropriate time whether at a discount or premium to the market price.

   Accordingly, The Bank issued and allotted Non-convertible, Taxable,

   Perpetual, Subordinated, Unsecured, fully paidup Basel III compliant Additional Tier 1 Bonds in the nature of debentures of face value Rs.10 lakhs each (the "Bonds"). Basel III Compliant Additional Tier I Bonds amounting to Rs. 750 crore on 28th January, 2021.

   Further, on 30th March, 2021 the Bank issued and allotted Non-convertible, Taxable, Perpetual, Subordinated, Unsecured, fully paid-up Basel III compliant Additional Tier 1 Bonds in the nature of debentures of face value Rs.10 lakhs each amounting to Rs.602 Crore.

   b) Approved to set off Bank's accumulated losses of Rs. 23782,38,80,979.26 as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account Rs. 35331,77,29,673.58 in the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2020

   Accordingly, on 3rd November, 2020 The Bank intimated the stock exchange that necessary entries have been passed for appropriating Share Premium towards setting off Banks accumulated losses as on 31st March, 2020.

3. The Bank entered into a Share Purchase Agreement (SPA) with AXA Investment Managers Asia Holdings Private Limited (AXA IM) on 2' December 2020, whereby Bank of India has agreed to purchase AXA IM's :

   (a) entire 49% equity shares in BOI AXA Investment Managers Private Limited (BALM); and

   (b) entire 49% equity shares in BOI AXA Trustee Services Private Limited (BATS) After the captioned acquisitions, both BAIM and BATS will be wholly owned subsidiaries of Bank of India.

4. बैंक ने शेयरधारकों तथा अन्य संबंधित विनियामकों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा रु. 3,000/- करोड़ की पूंजी लगाने के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है।

5. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन बाध्यताएँ), 2015 के विनियम 57(1) के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान किया है तथा मूलधन या ब्याज या दोनों के देय होने और उनके विधिवत मोचन किए जाने की सूचना दी है।

दिनांक	प्रतिभूति का प्रकार	राशि (रु.)
11.06.2020	8.48% 'बीओआई अपर टियर II बॉन्ड सिरीज़-VI'	रु. 1,000 करोड़
19.09.2020	9.05% 'बीओआई आईडीपीआई बॉन्ड सिरीज़-VI'	रु. 300 करोड़

कृते आर.एस पाडिया एण्ड असोसिएट
कंपनी सचिव

दिनांक: 27.05.2021
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन: F006804C000377042

हस्ता/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804 सीपी:7488

4. The Bank intimated stock exchange regarding infusion of capital of Rs.3,000 Crore by Government of India for the purpose of Preferential allotment of equity shares after obtention of shareholder's approval and other related regulatory approvals.

5. Pursuant to Regulation 57(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), 2015 the Bank made payment of principle and interest for the following non-convertible debt securities and intimated the stock exchange on principle or interest or both becoming due and duly redeemed.

Date	Security type	Amount(Rs)
11.06.2020	8.48% 'BOI Upper Tier II Bonds Series-VI'	Rs. 1000 crore
09.09.2020	9.05% BOI IPDI Bonds-Series VI	Rs 300 crore

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Date: 27.05.2021
Place: Mumbai
UDIN: F006804C000377042

Sd/-
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP:7488

अनुलग्नक-1 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, बैंक ऑफ़ इंडिया,

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी नियमों, कानूनों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से परीक्षण जांच आधार पर रिकॉर्ड्स और कार्यप्रणाली के सत्यापन तक सीमित थी।
2. सचिवीय तथा अन्य लागू नियमों के रिकॉर्ड्स् का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरणों सहित रखे गए तथा प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड्स की लेखा-परीक्षा पर आधरित, सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
3. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत, आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। सचिवीय तथा हमें प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि सचिवीय रिपोर्ट जारी करने के लिए, हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रियाएँ एवं कार्यप्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।
4. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियमों तथा लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान घटित घटनाओं के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन बैंक के कारोबार का संचालन करता है।

कृते आर.एस पाडिया एण्ड असोसिएट
कंपनी सचिव

दिनांक: 27.05.2021
स्थान : मुंबई
यूडीआईएन: F006804C000377042

हस्ता/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804 सीपी:7488

नोट: सचिवीय लेखा-परीक्षा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने से पूर्व हमारी फर्म द्वारा की गई फिजिकल विजिट के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जानकारियों तथा रिकॉर्ड्स के अध्यधीन है। कोविड-19 को फैलने से रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए थे, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी विभाग/संस्था में जाने की अनुमति नहीं थी।

तदनुसार, सचिवीय लेखा-परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा उपलब्ध स्पष्टीकरणों सहित दस्तावेजों, रिकॉर्ड तथा जानकारियों के आधार पर की गई थी...

Annexure-I Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2021

To,

The Members of Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Date: 27.05.2021
Place: Mumbai
UDIN: F006804C000377042

Sd/-
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP:7488

Note: The Secretarial Audit was conducted subject to the documents, information and records produced during the physical visits conducted by our firm before imposition of lockdown-like restrictions by the Government of Maharashtra. Subsequently, In order to prevent and contain the spread of COVID 19, The Government of Maharashtra imposed lockdown like restrictions as a result of which it was not allowed to visit any Government Department/Organization.

Accordingly, Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through electronic mode..

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
मुंबई

विषय : सेबी सूचीकरण विनियम-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) हमने संबंधित वर्ष (2020-21) की वित्तीय विवरणियों तथा नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणियों में तात्विक रूप से कोई गलत विवरण नहीं दिया गया है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हों।

(ii) ये सभी विवरणियां कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा

(iii) ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

(शंकर सेन)	**(ए.के. दास)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक 04.06.2021

CEO / CFO CERTIFICATION

To
The Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai.

Re : Certificate Under Regulation 17(8) and Schedule II Part B of SEBI Listing Regulations-2015

This is to certify that

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2020-21) and that to the best of our knowledge and belief

i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

i. significant changes in internal control over financial reporting during the year

ii. significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

(Sankar Sen)	**(A. K. Das)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 04.06.2021

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(शंकर सेन)	**(ए.के. दास)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक 04.06.2021

DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management has affirmed compliance with the Code of conduct for the financial year ended 31st March, 2021.

(Sankar Sen)	**(A K Das)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date: 04.06.2021

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2021

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2021

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2021

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2021
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2021 ₹	यथा As at 31-03-2020 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	32,776,625	32,776,625
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	424,079,259	405,386,540
आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन रकम	Share Application Money, pending allotment		30,000,000	-
जमाराशियां	Deposits	3	6,271,135,601	5,555,049,786
उधार	Borrowings	4	324,641,055	397,524,659
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	175,931,916	179,217,207
कुल	**TOTAL**		**7,258,564,456**	**6,569,954,817**
II. आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	606,975,678	292,392,508
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	658,831,007	572,170,546
निवेश	Investments	8	1,872,528,456	1,585,729,874
अग्रिम	Advances	9	3,656,865,239	3,688,833,041
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	89,141,309	89,819,999
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	374,222,767	341,008,849
कुल	**TOTAL**		**7,258,564,456**	**6,569,954,817**
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	4,536,348,516	3,523,099,081
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		249,069,223	250,562,509

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	**मोनिका कालिया**	**एम.कार्तिकेयन**	**स्वरुप दासगुप्ता**	**पी आर राजगोपाल**	**ए.के. दास**
Sankar Sen	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

वंदिता कौल	**सुब्रत दास**	**पी एन प्रसाद**
Vandita Kaul	**Subrata Das**	**P N Prasad**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Chaturvedi & Co	For V Sankar Aiyar & Co.	For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)	(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)	(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)
आर.के. नन्दा R.K.Nanda	जी. शंकर G. Sankar	एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574	सदस्यता सं 046050 M. No.046050	सदस्यता सं 078427 M. No.078427

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 04 जून, 2021 / Date : 04 June, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2021 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2020 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित ब्याज	Interest earned	13	405,994,385	423,532,668
	अन्य आय	Other income	14	74,414,891	67,130,741
	कुल	TOTAL		480,409,276	490,663,409
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	263,296,031	270,962,884
	परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	108,391,063	104,514,011
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		87,119,195	144,755,376
	कुल	TOTAL		458,806,289	520,232,271
III.	लाभ	PROFIT			
	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the period		21,602,987	(29,568,862)
	घटाएं : असाधारण मद	Less: Extra ordinary Item		-	-
	जोड़ें : आगे लाया गया लाभ	Add: Profit brought forward		(237,823,882)	(205,827,390)
	कुल	TOTAL		(216,220,895)	(235,396,252)
IV.	विनियोजन	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		5,410,000	-
	निवेश घट-बढ आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		6,738,011	
	राजस्व आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		-	-
	पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		4,954,976	2,427,630
	राजस्व और अन्य आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		-	-
	शेयर प्रीमियम से अंतरण (आगे लाई गई हानि के समंजन हेतु	Transfer from Share Premium (for Setoff of brought forward loss)		(237,823,882)	
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	-
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		4,500,000	-
	लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		-	(237,823,882)
	कुल	TOTAL		(216,220,895)	(235,396,252)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant accounting policies	17		
	लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		
	प्रति शेयर आय (आधार एवं तनुकृत) (₹)	Earnings Per Share (Basic and Diluted)		6.59	(9.10)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

वंदिता कौल	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद
Vandita Kaul	**Subrata Das**	**P N Prasad**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Chaturvedi & Co	For V Sankar Aiyar & Co.	For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)	(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)	(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)
आर.के. नन्दा R.K.Nanda	जी. शंकर G. Sankar	एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574	सदस्यता सं 046050 M. No.046050	सदस्यता सं 078427 M. No.078427

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 04 जून, 2021 / Date : 04 June, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2021

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2021	वर्षान्त Year ended 31-03-2020
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	**A. Cash Flow from Operating Activities:**		
करपूर्व निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	32,367,150	(46,027,225)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास	Amortisation/Depreciation on Investments	11,626,540	6,401,160
संयुक्त उद्यमों में निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	Profit on sale /redemption of investments in Joint Venture	-	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	3,722,039	3,847,777
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	Profit on sale of Fixed Asset	(600,494)	(466,672)
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	66,125,359	144,153,945
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	(407,398)	8,586,322
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Other Assets	1,950,551	5,054,312
गौण बांड्स, आईपीडीआई, अप्पर टियर-II बांड्स पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	6,538,394	8,458,195
प्राप्त लाभांश	Dividend received	(252,042)	(2,27,329)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ /(घट)	Increase /(Decrease) in Deposits	716,085,815	346,426,301
उधार में बढ /(घट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	(73,403,604)	(21,637,019)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(65,48,545)	31,159,494
निवेशों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Investments	(297,952,966)	(115,519,590)
अग्रिमों में (बढ़)/घट	(Increase)/ Decrease in Advances	(34,157,557)	(422,927,543)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	(51,552,651)	12,915,991
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	7,090,040	(8,537,405)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**380,630,631**	**(48,339,286)**
ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:	**B. Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(3,275,928)	(9,560,455)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	127,436	6,049,891
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश	Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates	(472,156)	(221,094)
प्राप्त लाभांश	Dividend received	252,042	227,329
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	(3,368,606)	(3,504,329)
ग. वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह :	**C. Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी	Share Capital	-	5,176,339
शेयर प्रीमियम	Share Premium	-	41,203,661
शेयर आवेदन	Share Application	30,000,000	(46,380,000)
आईपीडीआई, गौण बांड, अप्पर टियर II बांड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	520,000	(23,250,000)
लाभांश भुगतान (अन्तरिम और अंतिम)	Dividend (Interim & Final) paid	-	-
आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(6,538,394)	(8,458,195)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**23,981,606**	**(31,708,195)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**401,243,631**	**(83,551,810)**
अवधि के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the period**	**864,563,054**	**948,114,864**
अवधि के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the period**	**1,265,806,685**	**864,563,054**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2021	वर्षान्त Year ended 31-03-2020
अवधि के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the period**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	606,975,678	292,392,508
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	658,831,007	572,170,546
अवधि के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the period**	**1,265,806,685**	**864,563,054**

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एव नकद समतुल्य जिसमें हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि जिसे तुरंत परिवर्तित किया जा सके, शामिल है।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

शंकर सेन **Sankar Sen** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	मोनिका कालिया **Monika Kalia** कार्यपालक निदेशक Executive Director	एम.कार्तिकेयन **M. Karthikeyan** कार्यपालक निदेशक Executive Director	स्वरुप दासगुप्ता **Swarup Dasgupta** कार्यपालक निदेशक Executive Director	पी आर राजगोपाल **P R Rajagopal** कार्यपालक निदेशक Executive Director	ए.के. दास **A.K.Das** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

वंदिता कौल **Vandita Kaul**	सुब्रत दास **Subrata Das**	पी एन प्रसाद **P N Prasad**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी For Chaturvedi & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 302137E) (FRN302137E)	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी For V Sankar Aiyar & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स For Laxmi Tripti & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)
आर.के. नन्दा R.K.Nanda भागीदार Partner सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574	जी. शंकर G. Sankar भागीदार Partner सदस्यता सं 046050 M. No.046050	एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal भागीदार Partner सदस्यता सं 078427 M. No.078427

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 04 जून, 2021 / Date : 04 June, 2021

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2021 ₹	As at यथा 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष अंत में 600,00,00,000)	600,00,00,000 (Previous year ended 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**60,000,000**	**60,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 327,81,00,450 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 327,81,00,450)	Equity Shares Rs. 327,81,00,450 (Previous year ended Rs. 327,81,00,450) of Rs. 10 each	32,781,004	32,781,004
कुल	**TOTAL**	**32,781,004**	**32,781,004**
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 327,69,23,350 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 327,69,23,350)	327,69,23,350 Equity Shares (Previous year ended 327,69,23,350) of Rs.10/- each	32,769,234	32,769,234
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL ***	**32,776,625**	**32,776,625**
उपरोक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त 291,96,90,866 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 291,96,90,866) जिनकी कीमत ₹2919.69 करोड़ है, (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 2919.69 करोड़) भारत सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 291,96,90,866 Equity Shares (Previous year ended 291,96,90,866) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹ 2919.69 crores (Previous year ended ₹ 2919.69 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve:**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	70,868,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	5,410,000	-
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**76,278,842**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	63,223,557	62,733,382
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़	Add: Addition during the period on Revaluation of Premises	0	940,785
घटाएं: अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the period	4,613	(288,568)
घटाएं : राजस्व आरक्षिति को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	701,024	739,178
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**62,517,920**	**63,223,557**
बी) अन्य	B) Others:		
i. निवेश की बिक्री पर लाभ-"परिपक्वता तक धारित"	i. Profit on sales of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	25,563,168	23,135,538
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	4,954,976	2,427,630
(i) का उप-जोड	**Sub-total of (i)**	30,518,144	25,563,168
ii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23,390,751	20,056,276
जोड़ें/(घटाएं) : अवधि के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the period (Net)	(2,904,780)	3,334,475
(ii) का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**20,485,971**	**23,390,751**
(बी) का कुल	**Total of (B)**	**51,004,115**	**48,953,919**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**113,522,035**	**112,177,476**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2021 ₹	As at यथा 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	353,317,73	312,114,069
जोडें: अवधि के दौरान संवर्धन / (उपयोग)	Add : Additions/(Utilization) during the period	(237,823,882)	41,203,661
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**115,493,848**	**353,317,730**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	85,146,374	84,430,533
जोडें : अवधि के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the period	700,149	715,841
अवधि के दौरान कटौतियां	Deductions during the period	-	-
IV(i) का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**85,846,523**	**85,146,374**
ii) निवेश आरक्षिति :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	0	0
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	0	0
IV (ii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**0**	**0**
iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	6,738,011	0
घटाएँ: लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	0	0
IV (iii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(iii)**	**6,738,011**	**0**
iv) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	4,500,000	-
IV (iv) का कुल-जोड़	**Sub-total of IV(iv)**	**26,200,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**118,784,534**	**106,846,374**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account :**	**-**	**(237,823,882)**
कुल (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**424,079,259**	**405,386,540**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,746,377	8,039,596
ii) अन्यों से	ii) From Others	320,088,663	293,242,193
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**325,835,040**	**301,281,789**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,975,015,678**	**1,727,006,858**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	438,216,135	353,339,891
ii) अन्यों से	ii) From Others	3,532,068,748	3,173,421,248
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**3,970,284,883**	**3,526,761,139**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**6,271,135,601**	**5,555,049,786**
ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	**B.** i) Deposits of branches in India	5,511,351,725	4,825,392,677
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	759,783,876	729,657,109
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**6,271,135,601**	**5,555,049,786**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2021 ₹	As at यथा 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	35,190,000	188,770,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	6,930,000	1,150,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	250,000	250,000
सी. अन्य	c. Others	139,300	-
कुल (ii)	**Total (ii)**	**7,319,300**	**1,400,000**
III) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां	**III) Other Institutions and Agencies**		
ए . टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	6,590,000	1,850,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	69,750,000	79,750,000
सी. अन्य	c. Others	203,022,679	22,936,828
कुल **(iii)**	**Total (iii)**	**279,362,679**	**104,536,828**
कुल (I)	**Total (I)**	**321,871,979**	**294,706,828**
II. भारत के बाहर उधार	**II. Borrowings outside India**		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	0	0
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	0	0
सी. अन्य	c. Others	2,769,076	102,817,831
कुल **(II)**	**Total (II)**	**2,769,076**	**102,817,831**
कुल **(I & II)**	**Total (I & II)**	**324,641,055**	**397,524,659**
उपर्युक्त में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**Secured borrowings included in above**	**0**	**0**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	14,158,433	11,251,125
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	1,816,388
III. उपचित ब्याज	III. Interest accrued	16,366,851	19,440,790
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	38,497	16,852
V. अन्य (प्रावधान सहित)	V. Others (Including Provisions)	145,368,135	146,692,052
कुल	**TOTAL**	**175,931,916**	**179,217,207**
* मानक आस्तियों के लिए प्रावधन रु. 27,23 1029 (विगत वर्ष रु. 27,665,585) शामिल	*Includes provision for Standard Assets ₹ 27,231,029 (Previous Year ₹ 27,665,585)		
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी	**I. Cash in hand**	**32,955,084**	**32,300,213**
(विदेशी मुद्रा और सोने सहित)	(including foreign currency notes and gold)		
II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*	**II. Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	574,020,594	260,092,295
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	-	-
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**574,020,594**	**260,092,295**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**606,975,678**	**292,392,508**

*भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेष राशि को मिलाकर

* Including balances with Central Banks outside India

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2021 ₹	As at यथा 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,020,987	1,680,529
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	-	10,593,100
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	254,540	1,934,710
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	95,998,088	110,000,000
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**97,273,615**	**124,208,339**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	24,482,120	18,505,320
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	477,779,920	335,043,705
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	59,295,352	94,413,182
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**561,557,392**	**447,962,207**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**658,831,007**	**572,170,546**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,656,373,300	1,397,945,003
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	7,579,872	7,764,031
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	126,463,086	78,124,831
v) अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां	v) Subsidiaries and Associates	5,497,440	5,025,284
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	8,850,980	28,665,163
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,804,764,678**	**1,517,524,312**
सकल	Gross	1,849,325,429	1,553,226,590
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	44,560,751	35,702,279
निवल	**Net**	**1,804,764,678**	**1,517,524,312**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	41,080,665	37,919,719
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	9,422,633	9,422,633
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	17,260,480	20,863,210
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**67,763,778**	**68,205,562**
सकल	Gross	**67,988,812**	**68,598,438**
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	**225,034**	**392,876**
निवल	**Net**	**67,763,778**	**68,205,562**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,872,528,456**	**1,585,729,874**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2021 ₹	As at यथा 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	92,462,046	91,314,256
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,512,567,085	1,756,232,921
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	2,051,836,108	1,841,285,864
कुल (ए)	TOTAL (A)	**3,656,865,239**	**3,688,833,041**
बी. अग्रिमों का विवरण :	B. Particulars of Advances :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,632,585,554	2,592,028,815
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	190,902,259	244,622,145
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	833,377,426	852,182,081
कुल (बी)	TOTAL (B)	**3,656,865,239**	**3,688,833,041**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	C. Sectoral Classification of Advances :		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,217,412,779	1,125,757,202
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	859,160,292	778,764,153
iii) बैंक	iii) Banks	448,742	1,125
iv) अन्य	iv) Others	1,188,350,817	1,283,717,484
कुल (सी-I)	Total (C-I)	**3,265,372,630**	**3,188,239,964**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	II Advances outside India :		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	112,091,012	98,760,964
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	24,248,314	29,992,194
बी) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	100,482,255	104,699,596
सी) अन्य	c) Others	154,671,028	267,140,323
कुल (सी-II)	TOTAL (C-II)	**391,492,609**	**500,593,077**
कुल (सी - I, सी - II)	TOTAL (C - I, C - II)	**3,656,865,239**	**3,688,833,041**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	I. PREMISES :		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance, at cost	17,249,734	17,147,477
अवधि के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the period	11,287	162,231
घटाएं: अवधि के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	97,061	59,974
उप-जोड	Sub-total	17,163,960	17,249,734
पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन	Addition to date on account of revaluation	63,976,932	64,009,821
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	5,660,008	4,719,996
कुल -(I)	TOTAL (I)	**75,480,884**	**76,539,559**
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance at cost	36,959,513	34,701,194
अवधि के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the period	2,542,358	8,480,161
घटाएं: अवधि के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	176,491	6,221,842
उप-जोड	Sub-total	**39,325,380**	**36,959,513**
घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	29,303,552	26,595,386
जोड (II)	TOTAL (II)	10,021,828	10,364,127

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2021 ₹	As at यथा 31-03-2020 ₹
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**3,638,597**	**2,916,313**
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**89,141,309**	**89,819,999**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter-office adjustments (net)	55,890,055	0
II. उपचित ब्याज	II. Interest accrued	28,904,785	30,665,142
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	48,795,537	57,774,856
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	77,622	64,231
V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	127,744,620	137,104,034
VI. अन्य	VI. Others	112,810,148	115,400,586
कुल	**TOTAL**	**374,222,767**	**341,008,849**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	26,202,648	14,993,043
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	1,010,314	1,137,946
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	4,046,620,870	2,946,157,883
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	218,030,102	225,143,990
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	30,852,421	41,528,716
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	183,047,143	172,126,811
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा डेरिवेटिव संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	14,865,980	109,638,304
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	15,719,038	12,372,388
कुल	**TOTAL**	**4,536,348,516**	**3,523,099,081**

लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची
SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

				को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2021 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills			274,067,419	288,047,398
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments			115,477,834	107,041,490
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds			11,420,907	24,315,336
IV. अन्य	IV. Others			5,028,225	4,128,444
कुल	**TOTAL**			**405,994,385**	**423,532,668**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज	I. Commission, exchange and brokerage			11,064,271	13,560,972
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	25,471,198	5,849,186		
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less : Loss on sale of Investments	-	-	25,471,198	5,849,186
III. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	600,494	466,672		
घटाएं:जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	-	-	600,494	466,672
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	IV. Profit on exchange transactions	13,087,282	14,445,856		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	24,176	-	18,864,407	15,033,014
V. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि के रुप में अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs			252,042	227,329
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income			18,162,479	31,993,568
कुल	**TOTAL**			**74,414,891**	**67,130,741**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**				
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits			244,822,894	236,366,872
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings			11,558,910	25,825,954
III. अन्य:	III. Others			6,914,227	8,770,058
कुल	**TOTAL**			**263,296,031**	**270,962,884**
अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees			64,729,900	61,414,517
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting			7,518,229	7,211,408
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery			646,682	762,183
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity			75,439	251,485
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property			3,722,039	3,847,777
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses			4,295	5,070
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)			802,916	787,984
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges			274,646	493,620
IX. डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.			1,776,218	1,657,425
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance			600,363	725,422
XI. बीमा	XI. Insurance			6,994,167	5,059,416
XII. अन्य खर्चे	XII. Other Expenditure			21,246,169	22,297,704
कुल	**TOTAL**			**108,391,063**	**104,514,011**

अनुसूची - 17:
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयार करने का आधार:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामकीय नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण:

क. यदि अन्यथा न उल्लिखित हो तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय/व्यय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर, आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है:

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को, लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE-17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3) REVENUE RECOGNITION:

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

झ. एन.पी.ए. के संबंध में वसूलियों का विनियोजन :

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम से प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार,
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किये तो गये परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया,
- न वसूले गये ब्याज,
- अप्रभारित ब्याज,
- मूल धन।

g. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. is to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest,
- Principal

4. अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "अर्जक" और "अनर्जक अग्रिमों" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते हैं :

4) ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति:*	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक		25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक		40%
- तीन वर्ष से अधिक		100%
ख) गैर जमानती हिस्सा		100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होंगे।

* On the outstanding advance

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्निधारित/पुन:संरचित अग्रिमों के संबंध में, मौजूदा मूल्य में आकलित, पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु उक्त प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआर/पीटीसी के रिडेम्पशन के द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल, आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किये जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), ग्रेड किये गये स्केल के आधर पर प्रावधान किये जाते हैं।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किये जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड प्वाइंट का प्रावधान, एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान, जमा हुए बकाया प्वाइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को, निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को, ट्रेड की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणियों में किया गया है। तुलन पत्र में अनुसूची 8 में (1) भारत में निवेश को 6 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

i. Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

b. Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8,

है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियां, ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉण्ड, ङ) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और च) अन्य। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर के निवेशों को निम्नलिखित 03 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है - क) सरकारी प्रतिभूतियां, ख) विदेशों की अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और ग) अन्य निवेश।

क) वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी में किए गए निवेशों को भी, परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश शामिल हैं जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश के अधिग्रहण की लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं द्वारा किये गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है - इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर प्रतिफल पद्धति का प्रयोग करते हुए परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज'

(I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Subsidiaries and Joint Ventures and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii.) Subsidiaries and Joint Ventures abroad and iii.) Other Investments.

A. Basis of classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all other discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head

शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के, जिन्हें कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन, विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर, एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. "कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) / निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेशों के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमानी शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड की यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) की यूनिट	18 महीनों से पुरानी नहीं, ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर, जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।

घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:

ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -

(i) यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

"interest on investments".

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) Held for Trading / Available for Sale:

Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break-up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

A. HTM to AFS/HFT –

(i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is

(ii) यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

बी) एएफएस/एचएफटी से एचटीएम में अंतरण - बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

सी) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत - एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किये जाते हैं।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन, संपार्श्विक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तारीख पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ) आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बी.पी.बी.सी. 9/21.04.048/2016-17, दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2018 से, प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेची गयी दबावग्रस्त आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा, प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी तथा बेची गयी आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 10 प्रतिशत से ज्यादा होती है, तो निम्नलिखित में से जो

provided.

(ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B. AFS/HFT TO HTM- Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

C. AFS TO HFT AND VICE-VERSA - In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

ii) In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the Balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR. No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2018. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds

भी ज्यादा हो, उसके अनुसार मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होगा;

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक दर पर प्रावधान; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

जब बैंक के द्वारा, एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में, एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में निवेश किया जाता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा, उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को निर्धारित जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य, तथा
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य

जब तक की बिक्री या वसूली न हो जाये, उपर्युक्त निवेश उपर्युक्त निर्धारित मूल्य पर, बैंक की बही में जारी रहेगा।

8) डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - ऑप्शन, करेन्सी स्वैप तथा करेन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसको लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। शुद्ध लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) व्यापार के उद्देश्य से प्रविष्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का, संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को, लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को, उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

10% of entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the Net Book Value of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at a price as determined above until its sale or realization.

8) DERIVATIVES:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

e. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

f. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

g. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर, ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आई वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता गया है।

ख. खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय लागत में शामिल हैं। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा, जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल), जहाँ संबंधित आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित की जाती है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

h. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	**भवन एवं भूमि**	**Land & Building:**			
a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		लीज प्रीमियम को पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	**अन्य अचल आस्तियां:-**	**Other Fixed Assets:-**			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipments	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।		खरीदी के वर्ष में 100.00% 100% in the Year of acquisition	-	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित As prescribed by RBI

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यहास किया जाता है। ऐसे मूल्यहास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यहास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार किया जाता है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

10) TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates” read with extant RBI guidelines:

A. Translation in respect of Integral Foreign operations: Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter’s page.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different

लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुआ।

viii. मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीएआई द्वारा सूचित 'तिमाही औसत क्लोजिंग दर' पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते -'विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व' में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तिओं और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित जाता है।

11. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

B. **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11) EMPLOYEE BENEFITS:

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan:-

i.) Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii) पेंशन

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) **पेंशन**

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बिमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

ii.) Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii) Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 ‘‘अर्जन प्रति शेयर” के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किये जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

14. आय पर कर :

बैंक द्वारा किये गये वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - “आय पर कर के लिए लेखांकन” के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

“स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो तो, एएस 28 ’आस्तियों का ह्रास’ के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।”

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ‘‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां’’ के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान

12) SEGMENT REPORTING:

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 “Earnings per share”. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14) TAXES ON INCOME:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management’s judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

“Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.”

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying

करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकड़े रु. करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ :-

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत सरकार ने इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन हेतु रु.3000 डाले हैं। आर.बी.आई. के संप्रेषण संदर्भ संख्या डीओआर.सीएपी.एस 82/21.01.002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल 2021 के अनुसार पूर्वोक्त राशि को, आबंटन के लंबित रहने तक शेयर आवेदन धन के रूप में रखा गया है तथा इसे 31 मार्च 2021 को सीईटी-1 पूँजी के रूप में माना जायेगा।
2. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बासेल- III अनुपालित अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड सीरिज VI तथा सीरिज VII जारी किये हैं जो क्रमश: रु.750 तथा रु.602 के हैं।
3. अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।
4. 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत वित्तीय वर्ष में जिन लेखांकन नीतियों का पालन किया गया उन्हीं के आधार पर इस अवधि हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम तैयार किए गए।
5. आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:

5.1 पूँजी (बासेल-III के अनुसार):

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year ended March 31, 2021, the Government of India has infused ₹ 3,000 towards preferential allotment of equity shares. The same is kept in Share Application Money, pending allotment and considered as part of CET 1 Capital as on March 31, 2021 in terms of RBI communication reference no. DOR.CAP. S82/21.01.002/2021-22 dated April 30, 2021.
2. During the year ended March 31, 2021, Bank has issued Basel-III Compliant Additional Tier-1 Bonds Series VI and Series VII of ₹ 750 & ₹ 602, respectively, through private placement.
3. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.
4. The audited financial results for the year have been arrived at on the basis of the same accounting policies as those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2020.
5. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

5.1 Capital (As per BASEL-III):

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1) (%)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	11.51%	9.88%
ii)	टियर – I पूंजी अनुपात (%)	Tier I Capital ratio (%)	11.96%	9.90%
iii)	टियर –II पूंजी अनुपात (%)	Tier II Capital ratio (%)	2.97%	3.20%
iv)	कुल अनुपात पूंजी (सीआरएआर) (%)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	14.93%	13.10%
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	89.10%	89.10%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	Amount of Equity Capital Raised during the year	0.00	*4,638.00
vii)	शेयर आवेदन राशि, आबंटन के लिए लबिंत **	Share application money pending for allotment	**3,000.00	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर –I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि अर्थात जिसमें हैं -	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year; of which		
	क) पीएनसीपीएस	a) PNCPS	0.00	0.00
	ख) पीडीआई	b) PDI	1,352.00	0.00
ix)	वर्ष के दौरान टियर –II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट	Amount of Tier-II capital raised, i.e. Debt Capital Instruments, during the year		
	क) डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट	a) Debt capital instruments	0.00	0.00
	ख) पीसीपीएस /आरएनसीपीएस / आरसीपीएस	B) PCPS / RNCPS / RCPS	0.00	0.00

*वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 4,638 की शेयर आबंटित राशि प्राप्त हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आबंटन किया गया था।

*The share application money of ₹ 4,638 was received in FY 2018-19 and allotment was made in FY 2019-20.

**आरबीआई. के पत्र संदर्भ संख्या डीओआर.सीएपी.एस82/21.01/002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के अनुसार 31 मार्च 2021 का रु.3,000 की शेयर आवेदन राशि यथा 31 मार्च, 2021 को सीईटी-1 पूँजी की गणना के लिए विचारित किया गया है।

**In terms of RBI communication reference no. DOR.CAP.S82/21.01/002/ 2021-22 dated April 30, 2021, the share application money of ₹ 3,000 received on March 31, 2021 has been considered for computation of CET-1 capital as on March 31, 2021.

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2021 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

टियर I पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु, प्राप्त किए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी -1) बॉण्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

जिस वर्ष जुटाया गया	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
	कुल	1,352.00	1,352.00

टियर -II पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया टियर -II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

जिस में जुटाए	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2013-14	टियर-II	1,500.00	600.00
2015-16	टियर-II	3,000.00	2,400.00
2016-17	टियर-II	2,500.00	2,500.00
	कुल	7,000.00	5,500.00

बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 11 जून 2000 को रु. 1,000 राशि के अपर टियर II बॉण्ड सीरिज VI को रिडीम किया है। बैंक ने 9 सितम्बर, 2020 को रु.300 राशि के इनोवेटिव पर्पेचुअल बॉण्ड (आईपीडीआई) सीरिज VI को रीडिम करने के लिए कॉल ऑप्शन का भी प्रयोग किया है।

5.2 निवेश

क्र.सं.			विवरण	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
1			निवेश का मूल्य		
	i)		निवेशों का सकल मूल्य	1,91,731.42	1,62,182.50
		क)	भारत में	1,84,932.54	1,55,322.66
		ख)	भारत के बाहर	6,798.88	6,859.84
	ii)		मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	4,478.58	3,609.51
		क)	भारत में	4,456.08	3,570.22
		ख)	भारत के बाहर	22.50	39.29
	iii)		निवेशों का निवल मूल्य	1,87,252.84	1,58,573.00
		क)	भारत में	1,80,476.46	1,51,752.44
		ख)	भारत के बाहर	6,776.38	6,820.56
2			निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i)		प्रारंभिक शेष	3,609.51	3,579.14
	ii)		जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	1,086.35	928.63
	iii)		घटाएं : बट्टे खाते डाली राशि/कमी/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	217.69	899.74
	iv)		जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	0.41	1.48
	v)		अंतिम शेष	4,478.58	3,609.51

Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2021.

Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:-

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
	Total	1,352.00	1,352.00

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2013-14	Tier-II	1,500.00	600.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	2,400.00
2016-17	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	7,000.00	5,500.00

Bank has exercised call option and redeemed Upper Tier II Bonds Series VI amounting to ₹ 1,000 on June 11, 2020. Bank has also exercised call option to redeem Innovative Perpetual Bonds (IPDI) Series VI amounting to ₹ 300 on September 9, 2020.

5.2 Investments

Sr. No.			Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
1			Value of Investments		
	i)		Gross Value of Investments	1,91,731.42	1,62,182.50
		a)	In India	1,84,932.54	1,55,322.66
		b)	Outside India	6,798.88	6,859.84
	ii)		Provisions for Depreciation	4,478.58	3,609.51
		a)	In India	4,456.08	3,570.22
		b)	Outside India	22.50	39.29
	iii)		Net Value of Investments	1,87,252.84	1,58,573.00
		a)	In India	1,80,476.46	1,51,752.44
		b)	Outside India	6,776.38	6,820.56
2			Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i)		Opening balance	3,609.51	3,579.14
	ii)		Add: Provisions made during the year	1,086.35	928.63
	iii)		Less: Write-off/reduction/write-back of excess provisions during the year	217.69	899.74
	iv)		Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	0.41	1.48
	v)		Closing balance	4,478.58	3,609.51

i) राशि रु. 36,705.27 (पिछले वर्ष रु. 28,547.42) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, समाशोधन गृह और एक्सचेंजों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

ii) बैंक ने 'बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड' नामक अपनी अनुषंगी में अतिरिक्त रु.5.79 निवेश किया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 के 51% से बैंक का स्टेक बढ़कर 52.29% हो गया है।

iii) बैंक ने निम्नलिखित सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त अनुपाती पूंजी डाली है :

a. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में रु.23.79

b. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में रु.27.45

5.2.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर) :

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया यथा 31 मार्च, 2021
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	19,307.26 (18,928.84)	7,119.86 (1,348.69)	3,519.00 (18,877.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	41,612.00 (12,500.00)	7,607.89 (1,819.93)	9,500.00 (11,000.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.2.2.गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

i) गैर एसएलआर निवेशों के जारीकर्ताओं के घटक

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी तौर पर शेयर आवंटन	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतिड आवंटन	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आवंटन	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आवंटन*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	2,561.83	1,944.05	0.00	616.25	0.00
		(2,035.38)	(1,284.02)	(0.00)	(616.25)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं	2,593.84	2,593.84	0.00	0.00	337.40
		(3,971.28)	(3,830.22)	(0.00)	(0.00)	(120.10)
iii.	बैंक	520.29	340.00	0.00	0.00	0.00
		(1,018.90)	(570.00)	(75.91)	(0.00)	(0.00)
iv.	निजी कॉर्पोरेट	4,216.25	3,206.52	1,590.56	56.35	12.40
		(5,546.74)	(4,270.03)	(861.53)	(56.35)	(20.10)
v.	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम**	1,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,477.61)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य * $	39,187.52	31,104.19	0.00	0.00	0.00
		(30,387.88)	(22,693.81)	(0.00)	(0.19)	(0.00)
	कुल	**50,614.37**	**39,188.60**	**1,590.56**	**672.60**	**349.80**
		(44,437.83)	**(32,648.09)**	**(937.44)**	**(672.79)**	**(140.20)**

i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 36,705.27 (previous year 28,547.42) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

ii) Bank has invested additional ₹ 5.79 in its subsidiary - 'BOI AXA Investment Managers Private Limited'. As a result, the stake of the Bank has increased from 51% as on March 31, 2020 to 52.29% as on March 31, 2021.

iii) Bank has infused additional proportionate capital in the following associate Regional Rural Banks:

a. ₹ 23.79 in Madhya Pradesh Gramin Bank

b. ₹ 27.45 in Vidharbha Konkan Gramin Bank

5.2.1 Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2021
Securities sold under repo:				
i) Government Securities	0.00 (0.00)	19,307.26 (18,928.84)	7,119.86 (1,348.69)	3,519.00 (18,877.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under reverse repo:				
i) Government Securities	0.00 (0.00)	41,612.00 (12,500.00)	7,607.89 (1,819.93)	9,500.00 (11,000.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i. Issuer Composition of Non SLR Investments

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	Extent of 'Unrated' Securities*	Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	2,561.83	1,944.05	0.00	616.25	0.00
		(2,035.38)	(1,284.02)	(0.00)	(616.25)	(0.00)
ii.	FIs	2,593.84	2,593.84	0.00	0.00	337.40
		(3,971.28)	(3,830.22)	(0.00)	(0.00)	(120.10)
iii.	Banks	520.29	340.00	0.00	0.00	0.00
		(1,018.90)	(570.00)	(75.91)	(0.00)	(0.00)
iv.	Private Corporates	4,216.25	3,206.52	1,590.56	56.35	12.40
		(5,546.74)	(4,270.03)	(861.53)	(56.35)	(20.10)
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures#	1,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,477.61)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	Others $	39,187.52	31,104.19	0.00	0.00	0.00
		(30,387.88)	(22,693.81)	(0.00)	(0.19)	(0.00)
	Total	**50,614.37**	**39,188.60**	**1,590.56**	**672.60**	**349.80**
		(44,437.83)	**(32,648.09)**	**(937.44)**	**(672.79)**	**(140.20)**

क्रं. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी तौर पर शेयर आवंटन	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतिङ आवंटन	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आवंटन	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आवंटन*
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान	4,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		(3,609.51)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	निवल	46,342.06	39,188.60	1,590.56	672.60	349.80
		(40,828.29)	(32,648.09)	(937.44)	(672.79)	(140.20)

*इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्यूचुअल फंड, जोखिम पूंजी, रेटेड एसेड बेक्ड प्रतिभूति, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

** अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

$ रु. 24,699 (विगत वर्ष रु.21,699) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड में निवेश शामिल है।

ii. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

विवरण	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष	2,195.89	2,468.11
वर्ष के दौरान परिवर्धन	319.15	235.65
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	50.12	473.00
जोड़ें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	(-)9.12	37.83
अंतिम शेष	2,455.80	2,268.59
धारित कुल प्रावधान	2,455.80	2,195.89

5.2.3. (i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री तथा हस्तांतरण:

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान, एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का कुल मूल्य, यथा 31 मार्च 2020 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए बही मूल्य के 5% से ज्यादा नहीं है। उपर्युक्त उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे -

निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;

(बी) पूर्व घोषित ओपन मार्केट नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री।

(सी) बैंक से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीदी।

(डी) लेखांकन वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीलिंग के कम होने के कारण एएफएस/एचएफटी में अंतरण या प्रतिभूतियों की बिक्री।

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	Extent of 'Unrated' Securities*	Extent of 'Un-listed' Securities*
vii.	Less: Provision held towards Depreciation	4,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		(3,609.51)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Net	**46,342.06**	**39,188.60**	**1,590.56**	**672.60**	**349.80**
		(40,828.29)	**(32,648.09)**	**(937.44)**	**(672.79)**	**(140.20)**

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

$ includes investment in GOI Non-SLR re-capitalisation bonds of ₹ 24,699 (previous year ₹ 21,699)

ii. Non-performing Non-SLR Investments:

Particulars	2020-21	2019-20
Opening balance	2,268.59	2,468.11
Additions during the year	783.34	235.65
Less: Reductions during the year	67.20	473.00
Add/(Less): Exchange difference	(-)9.12	37.83
Closing balance	2,975.61	2,268.59
Total provisions held	2,455.80	2,195.89

5.2.3 (i) Sale and transfer of securities to/from HTM Category during the financial year 2020-21:

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during April 1, 2020 to March 31, 2021 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on March 31, 2020. The 5 per cent threshold referred to above will exclude:

The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Director permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

क्र. सं.	वि.व. 2020-21 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	4,382.58	% में बिक्री (<5%) = 4.90%
1	यथा 31.03.2020 को एचटीएम श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियाँ	89,512.29	

(ii) एचटीएम के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर लाभ से संबंधित तथा उसके प्रीमियम के परिशोधन का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	वि.व. 2020-21 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (अंकित मूल्य) (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	4,382.58
2	वर्ष 2020-21 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा प्राप्त लाभ (ओएमओ के अंतर्गत बिक्री सहित)	1,015.53
3	वर्ष 2020-21 के दौरान एचटीएम प्रतिभूतियों में प्रीमियम का परिशोधन	294.00

5.3 डेरिवेटिव

5.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
i)	स्वैप अनुबंध की नोशनल मूल राशि	1,486.60	10,963.83
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	0.05	99.00
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे।	
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-)2.08	(-)1.66

5.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र.सं.	विवरण	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "बहुत प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00

Sr No	Sale of Securities from HTM during FY 2020-21 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	4,382.58	Sale in % (<5%) =4.90%
1	Securities held in HTM Category as on 31.03.2020	89,512.29	

(ii) Details pertaining to Profit on Sale of Investment under HTM and amortisation of premium thereof:

Sr No	Particulars	Amount
1	Sale of Securities from HTM during 2020-21 (Face Value) (Other than one time Shifting & sale under OMO)	4,382.58
2	Profit earned by sale of securities from HTM during 2020-21 (including sale under OMO)	1,015.53
3	Amortization of premium in HTM securities during 2020-21	294.00

5.3 Derivatives

Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
i)	The notional principal of swap agreements	1,486.60	10,963.83
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.05	99.00
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier corporate	
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	
v)	The fair value of the swap book	(-)2.08	(-)1.66

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

5.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक, तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप और मुद्रा आप्शन। ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा प्रतिफल बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर, अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन, जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में ट्रेडिंग गतिविधियों के एक्सपोजर का आकार तथा जोखिमों के विषय में पर्याप्त जागरूकता है।

बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका सभापतित्व अध्यक्ष करते हैं।

हेज/गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार पर चिह्नित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार पर चिह्नित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा निर्धारित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि, इनमें से जो भी कम हो, से संबद्ध किया जाता है।

ऑप्शन संविदा के परिपक्वता काल पर आप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश हैं। डरिवेटिव लेन-देन समवर्ती, आंतरिक, सांविधिक

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/ Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2020-21.

5.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board

और विनियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक, प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स इकाइयाँ हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू ऋण जोखिम विधि अपनाई है। चालू ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम को जोड़ है।

चालू ऋण एक्सपोज़र, इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वैप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल नोशनल मूल राशि पर लगाया जाने वाला ऋण परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय "बिक्रीगत ऑप्शन" को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर संबंधित प्रतिपक्षकार की "मानक श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान आवश्यकताएं भी लागू हैं।

वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

मात्रात्मक प्रकटन

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याजदर डेरिवेटिव
1	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)	13,837.86	1,486.60
	क) हेजिंग हेतु	11,846.17	1,461.60
		(6,282.54)	(10,963.83)
	ख) कारोबार हेतु	1,991.69	25.00
		(9,895.65)	(0.00)
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति (1)		
	क) आस्ति (+)	119.31	0.05
		(27.87)	(99.00)
	ख) देयता (-)	8.84	68.86
		(15.93)	(101.48)
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2].	395.80	14.87
		(179.31)	(241.22)

of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Credit Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

Sr No	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	13,837.86	1,486.60
	a) For hedging	11,846.17	1,461.60
		(6,282.54)	(10,963.83)
	b) For trading	1,991.69	25.00
		(9,895.65)	(0.00)
2	Marked to Market Positions [1]		
	a) Asset (+)	119.31	0.05
		(27.87)	(99.00)
	b) Liability (-)	8.84	68.86
		(15.93)	(101.48)
3	Credit Exposure [2]	395.80	14.87
		(179.31)	(241.22)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याजदर डेरिवेटिव	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.00		24.81	
		(0.00)		(37.68)	
	ख)ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00		1.11	
		(0.00)		(0.00)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
	क) हेजिंग पर	0.00	0.00	1.88	0.46
		(0.00)	(0.00)	(2.76)	(0.20)
	ख) ट्रेडिंग पर	0.00	0.00	1.11	1.11
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

5.4 आस्ति गुणवत्ता

5.4.1 अनर्जक आस्ति - अनर्जक अग्रिम

विवरण	2020-21	2019-20
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	3.35%	3.88%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	61,549.93	60,661.12
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	8,540.03	16,328.81
ग) वर्ष के दौरान कमी	13,555.02	15,440.00
घ) अंतिम शेष	56,534.94	61,549.93
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	14,320.10	19,118.96
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	898.84	5,704.77
ग) वर्ष के दौरान कमी	2,956.92	10,503.63
घ) अंतिम शेष	12,262.02	14,320.10
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
क) आरंभिक शेष	45,081.34	39,391.69
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	2,752.25	14,248.41
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	5,759.71	8,558.76
घ) अंतिम शेष	42,073.88	45,081.34

आस्ति वगीकरण में डाइवर्जेंस तथा एन.पी.ए के लिए प्रावधानीकरण

तदनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डाइवर्जेंस के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाता है :

आर.बी.आई. परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपीबीसी.संख्या 32.21.04.018.2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार यदि प्रावधनों तथा आकस्मिकताओं के पूर्व रिपोर्ट किये गये लाभ के 10% से ज्यादा होने पर आर.बी.आई. द्वारा मूल्यांकित एन.पी.ए. के लिए अतिरिक्त प्रावधानों हेतु तथा संदर्भ तारीख पर पिछले बार की तुलना में प्रकाशित सकल एन.पी.ए. के 15% से अधिक होने पर आरबीआई द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एन.पी.ए. होने की स्थिति में बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे आय निर्धारण,आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदण्डों से

Sr No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00		24.81	
		(0.00)		(37.68)	
	b) On trading derivatives	0.00		1.11	
		(0.00)		(0.00)	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) On hedging	0.00	0.00	1.88	0.46
		(0.00)	(0.00)	(2.76)	(0.20)
	b) On trading	0.00	0.00	1.11	1.11
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

5.4 Asset Quality

5.4.1 Non-Performing Asset - Non performing Advances

Particulars	2020-21	2019-20
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.35%	3.88%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	61,549.93	60,661.12
b) Additions during the year	8,540.03	16,328.81
c) Reductions during the year	13,555.02	15,440.00
d) Closing balance	56,534.94	61,549.93
(iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	14,320.10	19,118.96
b) Additions during the year	898.84	5,704.77
c) Reductions during the year	2,956.92	10,503.63
d) Closing balance	12,262.02	14,320.10
(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	45,081.34	39,391.69
b) Provisions made during the year	6,612.54	14,248.41
c) Write-off/write-back of excess provisions	9,620.00	8,558.76
d) Closing balance	42,073.88	45,081.34

Divergence in Asset Classification, and Provisioning for NPAs:

Accordingly, the following disclosure is made in respect of divergences for the FY 2019-20:

As per RBI circular No.DBR.BPBC.No.32.21.04.018.2018-19 dated 01.04.2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and for additional gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental gross NPAs for the reference period, then the Banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning. In view of the above,

विचलन का प्रकटन करें। उपर्युक्त के आलोक में हमारे बैंक के डाइवर्जेंस का विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	राशि
31.03.2020 को बैंक द्वारा रिपोट किया गया सकल एन.पी.ए.	61,549.93
31.03.2020 को आर.बी.आई. द्वारा यथा मूल्यांकित सकल एन.पी.ए.	61,612.93
सकल एन.पी.ए. में डाइवर्जेंस (2-1) (*)	63.00
31.03.2020 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया शुद्ध एन.पी.ए.	14,320.10
31.03.2020 को आर.बी.आई. द्वारा यथा मूल्यांकित शुद्ध एन.पी.ए.	14,383.10
शुद्ध एन.पी.ए. में डाइवर्जेंस (5-4)	63.00
31.03.2020 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किये गए एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	45,081.34
31.03.2020 को आर.बी.आई. द्वारा यथा मूल्यांकित एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	45,475.34
प्रावधानीकरण में डाइवर्जेंस (8-7)*	394.00
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ	(-)2,956.89
प्रावधानीकरण में विचलन को ध्यान में रखने के बाद 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (नोशनल) कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.)	(-)3,886.89

(*) आर.बी.आई. रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रावधान रु.930 का जिसमें रु.394 का एन.पी.ए. के लिए प्रावधान में विचलन, रु.23 का निवेशों के लिए प्रावधान तथा रु.513 का मानक आस्तियों में शॉर्टफॉल शामिल है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के द्वारा रु 930 का कुल प्रावधान उपलब्ध कराया गया।

5.4.2 अनर्जक आस्ति -

ए) अनर्जक निवेश

विवरण	2020-21	2019-20
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	0.28%	0.05%
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार चढ़ाव		
ए) आरंभिक शेष	2,268.60	2,468.12
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	774.21	273.48
सी) वर्ष के दौरान कमी	67.19	473.00
डी) अंतिम शेष	2,975.62	2,268.60
(iii) एनपीआई का उतर-चढ़ाव (निवल)		
क) आरंभिक शेष	2,195.90	2,257.41
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	310.02	341.72
ग) वर्ष के दौरान कमी	50.12	403.23
घ) अंतिम शेष	2,455.80	2,195.90
(iv) एनपीआई प्रावधान का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	72.70	210.70
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	464.19	(-)68.23
ग) राइट ऑफ़/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	17.07	69.77
घ) अंतिम शेष	519.82	72.70

details of divergence of our Bank is as under:

Particulars	Amount
Gross NPA as on 31.03.2020 as reported by the Bank	61,549.93
Gross NPA as on 31.03.2020 as assessed by the RBI	61,612.93
Divergences in Gross NPA (2-1) (*)	63.00
Net NPA as on 31.03.2020 as reported by the Bank	14,320.10
Net NPA as on 31.03.2020 as assessed by the RBI	14,383.10
Divergences in Net NPA (5-4)	63.00
Provision for NPA as on 31.03.2020 as reported by the Bank	45,081.34
Provision for NPA as on 31.03.2020 as assessed by the RBI	45,475.34
Divergences in Provisioning (8-7)*	394.00
Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31.03.2020	(-)2,956.89
Adjusted (Notional) Profits after Tax (PAT) for the year ended 31.03.2020 after taking into account divergence in provisioning	(-)3,886.89

(*) Total provision as per RBI report was ₹ 930, which include divergence in provision for NPA of ₹ 394, provision for Investments of ₹ 23 and shortfall in standard assets of ₹ 513. The entire provision of ₹ 930 was provided by the Bank during the Financial Year 2020-21.

5.4.2 Non-Performing Asset -

(a) Non performing Investments

Particulars	2020-21	2019-20
(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.28%	0.05%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening balance	2,268.60	2,468.12
b) Additions during the year	774.21	273.48
c) Reductions during the year	67.19	473.00
d) Closing balance	2,975.62	2,268.60
(iii) Movement of NPIs (Net) Provision for Depreciation - NPI		
a) Opening balance	2,195.90	2,257.41
b) Additions during the year	310.02	341.72
c) Reductions during the year	50.12	403.23
d) Closing balance	2,455.80	2,195.90
(iv) Movement of provision for NPIs		
a) Opening balance	72.70	210.70
b) Provisions made during the year	464.19	(-)68.23
c) Write-off/write-back of excess provisions	17.07	69.77
d) Closing balance	519.82	72.70

(बी) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य आस्तियों" में शामिल)

(1) निवेश का मूल्य:

विवरण	2020-21	2019-20
(i) निवेश का सकल मूल्य	1246.38	1,204.94
(क) भारत में	790.81	740.25
(ख) भारत के बाहर	455.57	464.69
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1246.38	1,204.94
(क) भारत में	790.81	740.25
(ख) भारत के बाहर	455.57	464.69
(iii) निवेश का निवल मूल्य	-	-
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-

(2) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति:

विवरण	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष	1,204.94	822.02
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	50.56	348.30
उप-योग	1,255.50	1,170.32
घटाएं : बट्टेखाते डालना/कमी/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	0.00	3.22
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	(-)9.12	37.84
अंतिम शेष	1,246.38	1,204.94

(b) Matured NPI (included in Schedule 11 'Other Assets'):

(i) Value of Investments:

Particular	2020-21	2019-20
(i) Gross Value of Investments	1246.38	1,204.94
(a) In India	790.81	740.25
(b) Outside India	455.57	464.69
(ii) Provision for Depreciation	1246.38	1,204.94
(a) In India	790.81	740.25
(b) Outside India	455.57	464.69
(iii) Net Value of Investments	-	-
(a) In India	-	-
(b) Outside India	-	-

(ii) Movement of provisions held towards depreciation on investments:

Particular	2020-21	2019-20
Opening Balance	1,204.94	822.02
Add: Provisions made during the year	50.56	348.30
Sub-total	1,255.50	1,170.32
Less: Write off/ write-back of excess provision during the year	0.00	3.22
Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff	(-)9.12	37.84
Closing Balance	1,246.38	1,204.94

5.4.3 पुनर्संरचित खातों के विवरण - वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया)

5.4.3 Particulars of Accounts Restructured- Details of Loan assets subjected to restructuring during 2020-21 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

Particulars of Accounts Restructured F.Y. 2020-21												
क्र. सं. Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring				
	ब्यौरे Details	आस्तियों का विवरण Assets Classification	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या	1.00	0.00	12.00	4.00	17.00	102359.00	1548.00	121.00	6.00	104034.00
		No. of Borrowers	(1.00)	(0.00)	(21.00)	(1.00)	-23.00	(14564.00)	(142.00)	(110.00)	(1.00)	(14817.00)
		बकाया राशि	17.83	0	1695.93	1908.02	3621.78	2693.63	143.22	338.43	28.68	3203.96
		Amount Outstanding	(32.00)	(0.00)	(3,411.07)	(947.79)	(4,390.86)	(628.69)	(12.96)	(406.46)	(0.25)	-1048.36
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	139.94	2.49	0.28	0.00	142.71
		Provision thereon	(0.00)	(0.00)	(0.29)	(0.00)	(0.29)	(28.09)	(0.52)	(0.18)	-	-28.79
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	50074.00	413.00	59.00	0.00	50546.00
		No. of Borrowers	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(87,789.00)	(1,422.00)	(18.00)	(1.00)	-89230.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.07	4.12	4.19	1854.02	21.35	9.99	0.01	1885.37
		Amount Outstanding*	(0.00)	(0.00)	(10.12)	(0.00)	(10.12)	(2,113.25)	(141.22)	(9.87)	(1.10)	-2265.44
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.59	0.84	0.04	0.00	104.47
		Provision thereon	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(97.02)	(2.85)	(0.07)	(0.00)	-99.94
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00
		No. of Borrowers	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	1.00	(-1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
		बकाया राशि	-17.83	0.00	0.00	0.00	-17.83	52.19	-52.19	0.00	0.00	0.00
		Amount Outstanding	(-16.00)	(0.00)	(-112)	-	(-128)	(1.14)	(-1.14)	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0)	(0)
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13130.00	0.00	0.00	0.00	13130.00
		No. of Borrowers	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.73	0.00	0.00	0.00	294.73
		Amount Outstanding	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00	16.48
		Provision thereon	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

क्र. सं. Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring ब्यौरे Details	आस्तियों का विवरण Assets Classification	सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	-3.00	3.00	0.00	-33.00	-1.00	29.00	5.00	0.00
		No. of Borrowers	-	-	(-3)	(3.00)	-	(10.00)	(6.00)	-	(4.00)	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	-610.71	610.71	0.00	-100.78	-31.69	77.24	55.23	0.00
		Amount Outstanding	(0.00)	(0.00)	(963.34)	963.34	(0.00)	(68.88)	45.63	(5.29)	28.54	(0)
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.92	-0.91	2.72	0.11	0.00
		Provision thereon	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(-1.32)	(0.53)	(0.75)	(0.04)	(0)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	1.00	0.00	0.00	8.00
		No. of Borrowers	(0.00)	(0.00)	(3.00)	(0.00)	(3.00)	(5.00)	(1.00)	(6.00)	(0.00)	(12.00)
		बकाया राशि	0.00	0.00	181.41	15.62	197.03	67.43	1.83	18.48	13.09	100.83
		Amount Outstanding	(0.00)	(0.00)	(297.90)	(3.11)	(301.01)	(35.43)	(0.59)	30.61	1.21	67.84
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	23.38	0.05	0.00	0.11	23.54
		Provision thereon	(0.00)	(0.00)	(0.25)	(0.00)	(0.25)	(14.98)	(0.24)	(0.72)	(0.04)	-13.98
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़े*) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	139266.00	1956.00	209.00	11.00	141442.00
		No. of Borrowers	(1.00)	(0.00)	(14.00)	(4.00)	(19.00)	(102,339.00)	(1,568.00)	(122.00)	(6.00)	-104035.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	669.92	2507.23	3177.15	4136.90	78.86	407.18	70.83	4693.77
		Amount Outstanding	(17.00)	(0.00)	(1,927.95)	(1,908.02)	(3,852.97)	(2,638.77)	(198.08)	(380.43)	(28.68)	-3245.96
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.75	2.37	3.04	0.00	207.16
		Provision thereon	(0.00)	(0.00)	(0.04)	(0.00)	(0.04)	(138.77)	(3.66)	(0.28)	(0.00)	-142.71

क्र. Sr No	पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring		अन्य Others					कुल Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या	47	12042	835	22	12946	102407	13590	968	32	116997
		No. of Borrowers	(2635)	(12046)	(853)	(8)	(15542)	(17200)	(12188)	(984)	(10)	-30382.00
		बकाया राशि	2021.28	342.08	8706.96	1568.42	12638.74	4732.74	485.3	10741.32	3505.12	19464.48
		Amount Outstanding	(1697.72)	(1179.56)	(9952.84)	(496.18)	(13326.3)	(2358.41)	(1192.52)	(13770.37)	(1444.22)	(18765.52)
		उस पर प्रावधान	48.5	8.5	198.37	61.34	316.71	188.44	10.99	198.69	61.34	459.46
		Provision thereon	(62.47)	(13.86)	(11.85)	(0)	(88.18)	(90.56)	(14.38)	(12.32)	(0)	(117.26)
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या	5992	2.00	1.00	0.00	5995	56066	415	60	0	56541.00
		No. of Borrowers	(6.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.00)	(87795.00)	(1422.00)	(18.00)	(1.00)	(89236.00)
		बकाया राशि	3111.27	4.48	94.41	0.00	3210.16	4965.29	25.83	104.47	4.13	5099.72
		Amount Outstanding*	(520.52)	(0.00)	(10.40)	(0.00)	(530.92)	(2633.77)	(141.22)	(30.39)	(1.10)	(2806.48)
		उस पर प्रावधान	65.58	0.13	8.8	0.00	74.51	169.17	0.97	8.84	0.00	178.98
		Provision thereon	(12.79)	(0.00)	(3.18)	(0.00)	(15.97)	(109.81)	(2.85)	(3.25)	(0.00)	(115.91)

Sr No	Type of Restructuring		Others					Total				
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	3	-4	-1.00	0.00	-2.00
	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of Borrowers	(1)	(0)	(-2)	(0)	(-1)	(2)	(-1)	(-3)	(0.00)	(-2)
		बकाया राशि	4.74	-12.94	-40.978	0.00	-49.18	39.1	-65.13	-40.98	0.00	-67.01
		Amount Outstanding	(120.14)	(0)	(-173.14)	(0.00)	(-53)	(105.28)	(-1.14)	(-285.14)	(0.00)	(-181)
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			(4.69)	(0)	(-4.69)	(0.00)	(0.00)	(4.69)	(0.00)	(-4.69)	(0.00)	(0.00)
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं।	उधारकर्ताओं की संख्या	31	0.00	0.00	0.00	31	13161	0.00	0.00	0.00	13161.00
	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	(2590)	(0)	(0)	(0)	(2590)	(2590)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2590)
		बकाया राशि	1373.59	0.00	0.00	0.00	1373.59	1668.32	0.00	0.00	0.00	1668.32
		Amount Outstanding	(26.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(26.02)	(26.02)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(26.02)
		उस पर प्रावधान	40.81	0.00	0.00	0.00	40.81	57.29	0.00	0.00	0.00	57.29
		Provision thereon	(1.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.30)	(1.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.3)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	-1.00	-2.00	-16.00	19.00	0.00	-34.00	-3.00	10.00	27.00	0.00
	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers	(-3)	(-4.00)	(-5.00)	(12.00)	(0.00)	(-13.00)	(2.00)	(-8.00)	(19.00)	0.00
		बकाया राशि	-1.72	-106.73	-932.29	1040.74	0.00	-102.5	-138.42	-1465.77	1706.68	0.00
		Amount Outstanding	(-161.15)	(-818.87)	(12.21)	(967.81)	(0)	(-230.03)	(-773.24)	(956.42)	(1959.69)	(0)
		उस पर प्रावधान	-0.18	0	-1.98	2.16	0.00	-2.1	-0.91	0.74	2.27	0.00
		Provision thereon	(-3.61)	(-2.51)	(-0.26)	(6.38)	(0)	(-4.93)	(-1.98)	(0.49)	(6.42)	(0)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	14	0	16	9	1	16	0	26.00
	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers	(2)	(0)	(12)	(0)	(14)	(7)	(1)	(21)	(0)	(29)
		बकाया राशि	366.96	0	857.32	51.07	1279.36	434.39	1.83	1057.21	83.79	1577.22
		Amount Outstanding	(128.62)	(16.47)	(1079.48)	(9.19)	(1233.76)	(164.05)	(17.06)	(1407.99)	(13.51)	(1602.61)
		उस पर प्रावधान	0.22	0	0.08	2.16	2.46	23.6	0.05	0.12	2.27	26.04
		Provision thereon	(26.54)	(2.85)	(2.51)	(6.38)	(38.28)	(11.56)	(3.09)	(3.48)	(6.42)	(24.55)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या	6006	12041	805	41	18893	145272	13997	1020	59	160348.00
	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)	No. of Borrowers	(47)	(12042)	(834)	(20)	(12943)	(102387)	(13610)	(970)	(30)	(116997)
		बकाया राशि	3395.02	226.89	6836.92	2550.07	13008.91	7531.92	305.75	7914.02	5128.13	20879.83
		Amount Outstanding	(2021.59)	(344.22)	(8622.83)	(1454.8)	(12443.44)	(4677.36)	(542.3)	(10931.21)	(3391.5)	(19542.37)
		उस पर प्रावधान	72.87	8.63	205.11	61.34	347.95	274.62	11	208.15	61.34	555.11
		Provision thereon	(48.5)	(8.5)	(7.57)	(0)	(64.57)	(187.27)	(12.16)	(7.89)	(0)	(207.32)

5.4.3.2 दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटन

5.4.3.2. Disclosure on Stressed Assets

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटन :

(1) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans:

अवधि	Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संररचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
			मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संररचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संररचना लागू करने से पश्चात After applying flexible structuring
विगत वित्तीय वर्ष	Previous Financial Year	0	0.00	0.00	0	0
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	Current Financial Year (From April 2020 to March 2021)	0	0.00	0.00	0	0

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संररचना योजना (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil						

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

खाते जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णल ले लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/ इक्विटी शेयरों की गिरवी लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		जिन खातों में नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है वहां रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य Nil								

4) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

(4) Disclosure on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

परियोजना ऋण खाते जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है **No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership**	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि **Amount outstanding as on the reporting date**		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत **Classified as Standard restructured**	एनपीए के रूप में वर्गीकृत **Classified as NPA**
शून्य Nil			

5) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो :

क्र.सं.	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
4	406.06	164.56	241.50	140.75
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
3	231.77	111.51	120.26	218.43
कुल				
7	637.83	276.07	361.76	359.18

(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented:

Sr. No.	Aggregate Amount Outstanding	Amount Outstanding		Provision Held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
4	406.06	164.56	241.50	140.75
Classified as NPA				
3	231.77	111.51	120.26	218.43
Total				
7	637.83	276.07	361.76	359.18

5.4.4 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

क. बिक्री के ब्यौरे :

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
I	खातों की संख्या	06	04
Ii	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	20.36	36.59
Iii	कुल राशि	91.44	85.33
Iv	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल की हुई अतिरिक्त राशि	0.00	0.00
V	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	71.08	48.74

ख. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्रचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए पर प्रतिभूति रसीदों में निवेश का विवरण :

प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य

विवरण	एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहित रूप में बेचा गया		एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी द्वारा बेचा गया		कुल	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	2,209.67	2,305.43	0.00	0.00	2,209.67	2,305.43

5.4.4 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales:

Sr. No.	Particulars	2020-21	2019-20
1	Number of accounts	06	04
2	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	20.36	36.59
3	Aggregate consideration	91.44	85.33
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/(loss) over net book value	71.08	48.74

B. Details of Investments in Security Receipts against NPAs sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC):

Book Value of Investments in Security Receipts:

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC as underlying		Total	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Book Value of investments in securities receipts	2,209.67	2,305.43	0.00	0.00	2,209.67	2,305.43

ग. एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के संबंध में प्रावधान पर प्रकटन :

C. Disclosure on Provision in respect of sale of NPA to SCs/RCs:

क्र.सं. S.No.	राशि Amount	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	यथा 31.3.2021 को 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'other reserves' as on 31.03.2021
शून्य NIL			

घ. एनपीए की बिक्री से लाभ

D. Profit from sale of NPA:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particular	2020-21	2019-20
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में बुक किया गया लाभ Profit booked in respect of sale of NPA	71.08	48.74

च. प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटन

बैंक द्वारा बेचे गए एन.पी.ए. के आधार पर प्रतिभूति रसीद (एसआर) का बही मूल्य :

E. Disclosure of Investment in Security Receipts:

Book value of Security Receipts backed by NPAs sold by the Bank:

विवरण Particulars		पिछले 5 सालों में जारी एसआर SRs issued within past 5 Years	5 साल पहले लेकिन पिछले 8 साल के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 Years ago	8 साल पहले जारी एसआर SRs issued more than 8 Years ago	कुल Total
(i) एसआर का बही मूल्य एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहित रूप में बेचा गया	(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	351.28 (387.31)	1,711.48 (1,767.62)	146.91 (150.49)	2,209.67 (2,305.43)
उपर्युक्त (i) के विरुद्ध प्रावधान	Provision held against (i) above	350.65 (357.26)	1,447.37 (1,085.55)	146.91 (150.49)	1,944.93 (1,593.31)
(ii) एसआर का बही मूल्य एनपीए के समर्थन से अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा अंतर्निहित रूप में बेचा गया	(ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
उपर्युक्त (ii) के विरुद्ध प्रावधान	Provision held against (ii) above	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

5.4.5 Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

(a) Details of non-performing financial assets purchased:

विवरण Particulars		2020-21	2019-20
1 (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1 (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) कुल बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2 (क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) कुल बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL

बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

(b) Details of non-performing financial assets sold:

विवरण **Particulars**		**2020-21**	**2019-20**
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3. प्राप्त कुल राशि	3. Aggregate consideration received	शून्य / NIL	शून्य / NIL

5.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

5.4.6 Provisions on Standard Assets:

विवरण **Particulars**	**यथा As at 31.03.2021**	**यथा As at 31.03.2020**
आरबीआई मानकों के अनुरूप मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions towards Standard Assets held as per RBI Norms	2,723.10	2,766.56

5.5 कारोबार अनुपात

5.5 Business Ratios:

क्र. सं. Sr. No.	**विवरण Particulars**		**31.03.2021 (in %)**	**31.03.2020 (in %)**
(i)	औसत कार्यशील निधियों में प्रतिशत में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to average Working Funds	5.35	6.11
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में प्रतिशत में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.98	0.97
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में प्रतिशत में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.43	1.66
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.28	(-)0.43
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशिइअग्रिम, अंतर बैंक जमा सहित)	Business per employee(deposits plus advances including interbank deposits)	19.94	19.40
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ	Profit per employee	0.042	(-)0.059

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन

5.6 Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2021

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2021

विवरण **Details**	1 दिन **Day 1**	2 से 7 दिन **2 to 7 days**	8 से 14 दिन **8 TO 14 DAYS**	15 से 28 दिन **15 TO 28 DAYS**	28 दिन से अधिक 3 महीने तक **Over 28 days up to 3 mon ths**	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक **Over 3 months and up to 6 months**	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक **Over 6 months and up to 1 year**	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक **Over 1 year and upto 3 years**	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक **Over 3 years and up to 5 years**	5 वर्ष से अधिक **Over 5 years**	कुल **TOTAL (1 TO 10)**
जमाराशियां Deposits	17,083.61	26,879.61	14,132.55	20,450.70	40,914.67	22,093.67	16,050.26	1,53,562.56	1,05,156.51	2,10,789.43	6,27,113.56
	(13,794.07)	(15,815.30)	(12,337.73)	(18,308.09)	(42,855.90)	(23,968.48)	(18,057.22)	(1,34,034.43)	(93,076.41)	(1,83,257.35)	(5,55,504.98)
अग्रिम Advances	17,301.50	6,654.55	6,901.82	6,513.82	16,019.42	11,523.67	18,142.69	1,59,972.93	34,387.93	88,268.22	3,65,686.52
	(14,345.63)	(4,863.44)	(4,938.30)	(6,877.62)	(21,871.07)	(11,000.43)	(18,739.01)	(1,47,515.56)	(45,830.55)	(92,901.68)	(3,68,883.30)
निवेश Investments	129.53	618.01	469.84	279.77	857.00	10,891.04	7,603.22	24,775.16	18,780.34	1,22,848.95	1,87,252.85
	(0.00)	(901.90)	(275.23)	(443.94)	(5,455.33)	(1,531.22)	(8,071.68)	(19,127.76)	(22,351.24)	(1,00,414.68)	(1,58,572.99)
उधार Borrowings	5.81	16,494.36	154.54	154.54	87.06	0.00	463.62	8,252.18	3,000.00	3,852.00	32,464.11
	(824.70)	3,379.94)	(8,500.00)	(10.49)	(5,675.93)	(150.45)	(3,893.49)	(9,017.46)	(1,500.00)	(6,800.00)	(39,752.47)

विवरण Details	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 TO 14 DAYS	15 से 28 दिन 15 TO 28 DAYS	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 mon ths	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months and up to 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल TOTAL (1 TO 10)
क. विदेशी मुद्रा आस्तियां (a) Foreign Currency Assets	3,639.63	11,756.73	1,540.71	8,344.24	13,249.85	6,838.28	7,831.55	14,422.27	7,540.31	12,171.47	87,335.03
	(2,777.42)	(2,028.95)	(1,334.84)	(8,539.80)	(24,622.65)	(9,170.14)	(14,413.44)	(7,943.67)	(9,630.96)	(14,578.65)	(95,040.52)
ख.विदेशी मुद्रा देयताएं (b) Foreign Currency Liabilities	5,957.14	15,181.40	3,897.11	8,855.61	37,987.01	23,801.82	10,906.35	9,111.30	654.29	482.01	1,16,834.03
	(5,615.00)	(5,477.49)	(2,840.75)	(8,344.92)	(43,766.77)	(21,347.83)	(14,288.85)	(7,093.07)	(3,308.09)	(2,200.60)	(1,14,283.35)

5.7 एक्सपोज़र

आस्तियों की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रति जो संवेदनशील है, ऐसे क्षेत्रों को बैंक उधार दे रहा है।

5.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र, प्रबंधन द्वारा यथा संकलित

5.7 Exposures

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector, as compiled by the management

क्र. सं. Sr. No.			प्रवर्ग	Category	31.03.2021	31.03.2020
1			प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	Direct Exposure	50,782.70	48,452.49
	(क)	(a)	आवासीय बंधक	Residential Mortgages	46,285.36	42,942.12
			(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ग) के अलावा)	(i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	18,767.32	25,731.79
			(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण	(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	27,518.04	17,210.33
	(ख)	(b)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate-	4,248.61	5,260.32
			वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी।	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	4,248.61	5,260.32
	(ग)	(c)	गिरवी रखी गयी ड्यूटी (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश	Investments in Mortgage Backed duties (MBS) and other securitised Exposures	248.73	250.05

क्र. सं. Sr. No.	प्रवर्ग Category			31.03.2021	31.03.2020
		क) आवासीय ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट	Residential Commercial Real Estate	0.10 248.63	1.42 248.63
2	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		Indirect Exposure		27,360.06
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर		Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		27,360.06
रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2)			Total exposure to Real Estate Sector (1+2)	80,232.93	75,812.55

5.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर **5.7.2 Exposure to Capital Market**

क्र.सं. Sr. No	प्रवर्ग Category		31.03.2021	31.03.2020
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,006.84	1,022.96
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	5.44	4.16
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	407.23	4.32
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	2.69	0.24
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,121.13	1,102.46
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00

क्र.सं. Sr. No	प्रवर्ग Category		31.03.2021	31.03.2020
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.86
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी।	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	256.68	261.65
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		**Total Exposure to Capital Market**	**2,800.01**	**2,396.65**

5.7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम प्रवर्गों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है ।

5.7.3 Risk Category wise Country Exposure

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table.

क्र.सं. Sr. No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	As at 31.03.2021		As at 31.03.2020	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	Provision held धारित प्रावधान
1	नगण्य	Insignificant	62,168.11	36.53	46,417.29	38.29
2	न्यून	Low	22,183.03	15.21	22,932.16	18.98
3	साधारण	Moderate	4,358.89	0.00	53.56	0.00
4	उच्च	High	5,590.86	0.00	6,029.39	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	6.48	0.00	4.51	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	0.52	0.00	0.45	0.00
	कुल	Total	94,307.89	51.74	75,437.36	57.27

5.7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, के ब्यौरे :

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अंदर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2021
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

5.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank had taken single borrower exposure and Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2021
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

5.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

विवरण	2020-21	2019-20
कुल गैर-जमानती अग्रिम	83,337.74	85,218.21
जिसमें से i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	2,651.15	731.88
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (ग))	18,491.55	2,284.30

5.7.6 एमएसएमई पुन:संरचना -

अग्रिमों की पुन:संरचना के संबंध में आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआरएन सं. बीपी.बीसी.18/21.04.248/2018-19 दिनांक 01.01.2019 डीओआर.संख्या.बीपी:बीसी:34/21.4.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 तथा आरबीआई / 2020-21/17 डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21, दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से "एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत" के अनुसार पुन:संरचना के अधीन खातों का विवरण को निम्नलिखित है :

पुन:संरचित खातों की संख्या	राशि
1,43,512	3,086.81

5.7.7 विविध : शून्य

5.7.8 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2020-21	2019-20
वर्तमान कर	138.31	177.28
आस्थागित कर के लिए प्रावधान	938.10	(-)1,823.12
कुल कर व्यय	1,076.41	(-)1,645.84

भारत सरकार ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए लाया है। बैंक ने अधिनियम की धारा 115 बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है तथा आयकर अधिनियम के पूर्व प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर कर के निर्धारण को जारी रखने का विकल्प चुना है।

5.7.9 भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2020-21	2019-20
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	5.13	6.98

लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन :

6.1 लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थी।

5.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	2020-21	2019-20
Total Unsecured Advances	83,337.74	85,218.21
Out of which i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	2,651.15	731.88
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	18,491.55	2,284.30

5.7.6 MSME Restructuring -

In accordance with RBI circular no. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP. BC.34/21.4.048/ 2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No. BP.BC/4/ 21.04.048/ 2020-21 dated 06.08.2020, on "Relief for MSME borrowers". The details of MSME restructured accounts are as under:

No. of Account Restructured	Amount
1,43,512	3,086.81

5.7.7 Miscellaneous: Nil

5.7.8 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2020-21	2019-20
Current Tax	138.31	177.28
Deferred Tax	938.10	(-)1,823.12
Total Tax Expense	1,076.41	(-)1,645.84

Government of India has pronounced section 115BAA of Income Tax Act 1961 through Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Act and opted to continue to recognise the taxes on income for the year ended 31st March, 2021 as per the earlier provisions of Income-tax Act.

5.7.9 Disclosures of Penalties imposed by RBI & Other Regulators

Particulars	2020-21	2019-20
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations	5.13	6.98

Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):

6.1 Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

समाप्त वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2021 महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों में पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2020 तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

6.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों की लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

6.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

(ii) Change in accounting policy:

There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended March 31, 2021 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2020.

6.2 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Particulars	वि.व. FY 2020-21		वि.व. FY 2019-20	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	बट्टा दर	Discount Rate	6.96%	6.49%	6.82%	6.59%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Expected Rate of Return on Plan Assets	8.04%	10.85%	8.65%	8.62%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	मॉर्टेलिटी तालिका	Mortality Table	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	IALM (2006-08) ULTIMATE	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	IALM (2006-08) ULTIMATE
(ii)	**दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**	**Table showing change in present value of obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the year	1747.81	16065.92	1,683.78	14,709.20
	ब्याज लागत	Interest Cost	108.69	989.13	102.87	925.49
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	166.37	873.16	75.36	729.39
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	372.36	1650.19	350.68	1,330.55
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	284.81	559.03	236.48	1,032.39
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1935.32	16837.05	1,747.81	16,065.92
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	वर्ष के प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the-Beginning of the year	1649.47	15827.60	1,592.38	14,314.88
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	132.62	1717.29	137.74	1,233.94
	अंशदान	Contributions	444.70	903.63	335.84	1,405.03
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	372.36	1650.19	350.68	1,330.55
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	76.19	(-)267.31	(-)65.81	204.30
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1930.62	16531.02	1,649.47	15,827.60
	कुल बीमांकित लाभ/(हानि) जिसकी गणना की जाए	Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	(-)208.62	(-)826.34	(-)302.29	(-)828.09
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets:**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	132.62	1717.29	137.74	1,233.94
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	76.19	(-)267.31	(-)65.81	204.30
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	Actual return on Plan Assets	208.81	1449.98	71.93	1,438.24
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet:**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1935.32	16837.05	1,747.81	16,065.92
	वर्ष के अंत में प्लान आस्ति का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1930.62	16531.02	1,649.47	15,827.60
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in the Balance Sheet	4.70	306.03	98.34	238.32

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Particulars	वि.व. FY 2020-21		वि.व. FY 2019-20	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(vi)	**आय विवरण में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income-Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	166.37	873.16	75.36	729.39
	ब्याज लागत	Interest Cost	108.69	989.13	102.87	925.49
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(-)132.62	(-)1717.29	(-)137.74	(-)1,233.94
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	संक्रमण कालीन देयता-मान्य	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकित हानि (लाभ)	Actuarial (Gain) or Loss	208.62	826.34	302.29	828.09
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	Expense Recognised in P & L	351.06	971.34	342.78	1,249.03
	अपरिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाता से प्रभारित नहीं है)	Unamortised expenses (not charged to P&L Account)	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	98.34	238.32	91.39	394.32
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	Expenses as above	351.06	971.34	342.78	1,249.03
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(-)444.70	(-)903.63	(-)335.83	(-)1,405.03
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	4.70	306.03	98.34	238.32
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग:**	**Category of Assets:**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	Government of India Securities	73.81	2,198.78	73.99	2,192.01
	इक्विटी	Equity	0.00	316.89	0.00	161.97
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	134.42	5,184.24	142.46	4,605.86
	राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	State Government Securities	248.27	5,363.35	300.91	5,012.41
	अन्य	Other	1,474.12	3,467.76	1,132.11	3,855.35
	कुल	**Total**	1,930.62	16,531.02	1,649.47	15,827.60
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment:**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	On Plan Liability (Gain)/Loss	315.39	791.71	(-)86.04	808.90
	प्लान आस्तियों पर (हानि)/लाभ	On Plan Asset (Loss)/Gain	86.25	(-)620.28	100.21	155.64

Other long term employee benefits*:

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ *

विवरण	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए/(डब्ल्यू/बैक) प्रावधान Provisions made/ (w/back) during the year	देयता Liability	वर्ष के दौरान किए गए/(डब्ल्यू/बैक) प्रावधान Provisions made/(w/back) during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	1283.57	437.52	846.05	54.62
छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession	62.23	0.14	62.09	(-)1.87
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	7.33	(-)0.54	7.87	0.64
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	4.52	0.03	4.49	0.26
बीमारी छुट्टी **	Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चूरियल अनुमान ग्रैच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही हैं।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹

लिए रु.229.26 (विगत वर्ष रु.161.42) का अंशदान दिया है ।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 1,548.05 (विगत वर्ष रु. 756.04) और ग्रैच्युटी के लिए रु.331.98 (विगत वर्ष रु. 428.10) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

योजना में अधिशेष/घाटा:

229.26 (Previous Year ₹ 161.42) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1,548.05 (Previous Year ₹ 756.04) and towards Gratuity is ₹ 331.98 (Previous Year: ₹ 428.10).

Surplus /Deficit in the Plan:

विवरण	Particular	ग्रैच्युटी योजना Gratuity Plan				
		वि.व. FY 2020-21	वि.व. FY 2019-20	वि.व. FY 2018-19	वि.व. FY 2017-18	वि.व. FY 2016-17
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	1,935.33	1,747.81	1,683.78	1,754.54	1,410.08
प्लान आस्तियां	Plan assets	1,930.62	1,649.47	1,592.38	1,319.42	1,360.32
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	326.34	0.00
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(-)4.70	98.35	91.40	108.78	(-) 49.76
प्लान देयता पर अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	315.39	(-)86.04	54.03	(-)22.79	38.41
प्लान आस्ति पर अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	86.25	100.21	14.29	(-)4.76	1.71

विवरण	Particular	पेन्शन योजना Pension Plan				
		वि.व. FY 2020-21	वि.व. FY 2019-20	वि.व. FY 2018-19	वि.व. FY 2017-18	वि.व. FY 2016-17
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	16,837.05	16,065.92	14,709.20	13,716.87	12,851.12
प्लान आस्तियां	Plan assets	16,531.02	15,827.60	14,314.88	13,330.64	12,321.80
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32
प्लान देयता पर अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	791.71	808.90	546.91	(-)66.62	198.92
प्लान आस्ति पर अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(-)620.28	155.64	37.73	33.27	103.05

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क: कारोबार खंड

6.4 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(ङ)अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व Revenue	17,158.41	15,237.64	15,531.21	17,953.98	15,100.47	15,872.39	0.00	0.00	47,790.09	49,064.01
गैर-आबंटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	283.48	127.38
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32.64	125.05
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48,040.93	49,066.34
परिणाम Results	5,470.24	4,237.12	(-)1,466.93	(-)8,537.03	(-)15.67	736.79	0.00	0.00	3,987.64	(-)3,563.12
गैर-आबंटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)750.92	(-)1,039.61
परिचालनात्मक लाभ/ (हानि) Operating Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3,236.72	(-)4,602.73
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1,076.42	(-)1,645.84
असाधारण लाभ/(हानि) Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2,160.30	(-)2,956.89
अन्य जानकारी : **Other Information :**										
खंड आस्तियां Segment Assets	277,688.87	235,484.12	237,987.82	239,264.83	185,138.74	155,174.22	0.00	0.00	700,815.43	629,923.17
गैरआबंटित आस्तियां Unallocated Assets									25,041.02	27,072.31
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	725,856.45	656,995.48
खंड देयताएं Segment Liabilities	266,000.92	227,077.33	254,595.41	257,652.67	151,080.44	122,971.51	0.00	0.00	671,676.77	607,701.51
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									5,494.09	5,477.66
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	677,170.86	613,179.17

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन" नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	घरेलू Domestic		अंतरराष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	Revenue	45,814.67	44,985.39	2,226.26	4,080.95	48,040.93	49,066.34
आस्तियां	Assets	641,265.29	563,189.32	84,591.16	93,806.16	725,856.45	656,995.48

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु. 5 तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 50 से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की पूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन :

क) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations**: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5.

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.5. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष से संव्यवहार : (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ :	श्री अतनु कुमार दास
कार्यपालक निदेशक गण:	श्री सी. जी. चैतन्य (31.08.2020 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
	श्री पी. आर. राजगोपाल
	श्री स्वरूप दासगुप्ता (10.03.2021 से)
	श्री एम. कार्तिकेयन (10.03.2021 से)
	श्रीमती मोनिका कालिया (10.03.2021 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

ii) बीओआई एएक्सए इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.

iii) बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.

iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.

v) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(ग) सहायक कंपनियां :

i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

i) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)

ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

iii) आर्यावर्त बैंक

(ड.) संयुक्त उद्यम

स्टार यूनियन दाई- ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors**):**

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO:	Shri Atanu Kumar Das
Executive Directors:	Shri C. G. Chaitanya (superannuated on 31.08.2020)
	Shri P R Rajagopal
	Shri Swarup Dasgupta (from 10.03.2021)
	Shri M. Karthikeyan (from 10.03.2021)
	Smt. Monika Kalia (from 10.03.2021)

b. Subsidiaries

i) BOI Shareholding Limited

ii) BOI AXA Investment Managers Private Limited

iii) BOI AXA Trustee Services Private Limited

iv) BOI Merchant Bankers Limited

v) PT Bank of India Indonesia Tbk

vi) Bank of India (Tanzania) Limited

vii) Bank of India (New Zealand) Limited

viii) Bank of India (Uganda) Limited

c. Associates

i) STCI Finance Limited

ii) ASREC (India) Limited

iii) Indo Zambia Bank Limited

d) Regional Rural Banks sponsored by the Bank

i) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)

ii) Vidarbha Konkan Gramin Bank

iii) Aryavart Bank

e. Joint Venture:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वासित)

a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the auditors

विवरण Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
वर्ष के दौरान संव्यवहार Transactions during the year 2020-21						
प्राप्त ब्याज Interest Received	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	155.42	115.80	-	-	155.42	115.80
प्राप्त लाभांश Dividend received	3.98	6.57	-	-	3.98	6.57
अन्य आय Other Income	86.74	79.88	-	-	86.74	79.88
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	-	-	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की खरीद Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट बॉन्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की ख़ीद Puchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गयी जमराशि Deposits accepted	-	-	-	-	-	-
परिपक्व जमाराशियां Matured Deposits	-	-	-	-	-	-
दिये गए ऋण Loans Provided	-	-	-	-	-	-
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	-	-	-	-	-	-
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	-	-	-	-	-	-
किए गए निवेश Investments made	5.79	-	-	-	5.79	-
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के समाप्त में यथा बकाया Outstanding as on 31.03.2021						
देय Payable	-	-	-	-	-	-
जमाराशियां स्वीकार्य Deposits accepted	149.71	15.17	-	-	149.71	15.17
उधार Borrowing	-	-	-	-	-	-

विवरण Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Key Management Personnel & their relatives		कुल TOTAL	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
दिये गए ऋण Loans given	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों का नियोजन Placement of the Deposits	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं Other Liabilities	4.01	3.25	-	-	4.01	3.25
प्राप्त राशियाँ(अग्रिम) Receivables (Advances)	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	189.07	183.28	-	-	189.07	183.28
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	-	-	-	-	-	-
प्राप्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अंचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अन्य अस्तियाँ Other Assets	8.06	7.37	-	-	8.06	7.37

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों" को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम" हैं, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (रुपयों में) :

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1	श्री अतनु कुमार दास	30,02,820	27,92,421
2	श्री पी. आर. राजगोपाल	31,52,053	89,146
3	श्री एम. कार्तिकेयन	1,46,801	0
4	श्री स्वरूप दासगुप्ता	1,46,801	0
5	श्रीमती मोनिका कालिया	1,46,801	0
6	श्री सी.जी.चैतन्य	47,68,776	26,90,263

b. Key Management Personnel: Remuneration paid in ₹:

Sr. No	Particulars	2020-21	2019-20
1	Shri Atanu Kumar Das	30,02,820	27,92,421
2	Shri P. R. Rajagopal	31,52,053	89,146
3	Shri M Karthikeyan	1,46,801	0
4	Shri Swarup Dasgupta	1,46,801	0
5	Smt. Monika Kalia	1,46,801	0
6	Shri C. G. Chaitanya	47,68,776	26,90,263

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
7	श्री दीनबंधु महापात्र	0	8,57,839
8	श्री नीलम दामोदरन	0	17,66,707

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
7	Shri Dinabandhu Mohapatra	0	8,57,839
8	Shri Neelam Damodharan	0	17,66,707

6.6. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण : शून्य

6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) :

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1	बेसिक ईपीएस	6.59	(-)9.10
2	डाइल्यूटेड ईपीएस	6.59	लागू नहीं

6.6 Accounting Standard 19 – Lease Financing: - Nil

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No.	Particulars	2020-21	2019-20
1.	Basic EPS	6.59	(-)9.10
2.	Diluted EPS	6.59	NA

मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन / Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	2160.30	(-)2,956.89
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़ में)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	327.69	325.01
(ग) (C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (रु.)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	6.59	(-)9.10
(घ) (D)	इक्विटी शेयरों की डायल्यूटिव क्षमता सहित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	Weighted Average Number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	327.81	NA
(ङ) (E)	प्रति शेयर डायल्यूटिव आय (क/ङ) (रु.)	Dilutive Earnings per Share (A/E) (₹)	6.59	NA
(च) (F)	प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (रु.)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

6.8 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Sr No	विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
	आस्थगित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	संदेहास्पद कर्ज तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	14,139.07	14,949.33
ii)	अन्य प्रावधान/मदों के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards other provisions/items	113.49	132.21
iii)	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के कारण (एफसीटीआर)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	209.92	234.08
iv)	अन्य	Others	449.96	392.16
	कुल आस्थगित कर आस्तियॉं	**Total Deferred Tax Assets**	**14,912.44**	**15,707.78**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	279.12	287.02
ii)	प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due on investments	943.32	952.07

Sr No	विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
iii)	आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(01)(viii) के कारण कटौती*	On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961*	915.53	758.28
iv)	अन्य	Others	3.85	1.69
	कुल आस्थगित कर देयताएं	Total Deferred Tax Liabilities	2,141.82	1,999.06
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**12,770.62**	**13,708.72**

*रु. 431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष

6.9 लेखांकन मानक 24 - बट्टाकरण परिचालन:

वित्तीय वर्ष 2019-20 दौरान, बैंक ने अपनी विदेशी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. बेच दी है, जिसके लिए रु. 14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु.19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :

निवेशों में रु.75 (पिछले वर्ष रु.75) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	रु. 75	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

During the FY 2019-20, Bank sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of ₹14.64. The remaining cost of investment of ₹ 19.18 has been fully provided.

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	75	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
देयताएं	**Liabilities**		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	208.63	190.24
जमाराशियां	Deposits	-	-
उधार	Borrowings	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	3,390.38	2,607.69
कुल	**Total**	**3,599.02**	**2,797.93**
आस्तियां	Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	54.56	10.62
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
निवेश	Investments	3,386.41	2,640.40
अग्रिम	Advances	3.74	3.03
अचल आस्तियां	Fixed Assets	7.51	6.77
अन्य आस्तियां	Other Assets	146.80	137.11
कुल	**Total**	**3,599.02**	**2,797.93**

विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	27.13	20.99
आय	**Income**		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	11.30	10.39
अन्य आय	Other Income	50.56	29.75
कुल	**Total**	**61.86**	**40.14**
व्यय	**Expenditure**		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	-	-
परिचालन व्यय	Operating Expenses	37.77	13.27
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	5.14	9.71
कुल	**Total**	**42.91**	**22.98**
लाभ / (हानि)	Profit / (Loss)	**18.95**	**17.16**

6.11. परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) : रु. शून्य

6.12. "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ" (लेखांकन मानक 29)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष	99.19	100.28
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	11.01	0.87
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	9.29	1.96
अंतिम शेष	100.91	99.19
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग एवं डिवॉल्वमेंट , जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.12 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2020-21	2019-20
Opening Balance	99.19	100.28
Provided during the year	11.01	0.87
Amounts used during the year	9.29	1.96
Closing Balance	100.91	99.19
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	

*Excluding provisions for others

Contingent Liabilities:

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. अतिरिक्त देयताएं

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिताएं" का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

7. Additional Disclosures

7.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	868.65	341.92
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	6,612.54	14,415.39
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	(-)40.74	858.63
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	1,076.41	(-)1,645.84
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
• पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	199.70	(-)34.67
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	• Provision for Country Risk	(-)5.53	7.08
• अन्य प्रावधान	• Other Provisions	0.89	533.02
कुल	**Total**	**8,711.92**	**14,475.53**

7.2 अस्थायी प्रावधान

7.2 Floating Provisions:

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान खाते में प्रारम्भिक शेष	Opening Balance in the floating provisions account	232.22	232.22
जोड़ें : लेखाकंन वर्ष में किए गए अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान की प्रमात्रा	Add: The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
घटाएँ : लेखाकंन वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	Less: Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष		232.22	232.22

7.3 आरक्षितियों का विनियोजन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं अतिरिक्त प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन सूचित करने वाली, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 दिनांक 23.03.2020 के अनुसार, विनियामकीय आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करने के बाद तथा उनके पत्र संदर्भ संख्या डीओआर. सीओ.बीपी.1052/21.01.002/2020-21 दिनांक 29 अक्टूबर 2020 के माध्यम से अनुमोदन लेने के बाद बैंक ने 3 नवम्बर, 2020 को अपने शेयर प्रीमियम खाते से रु.23,782.39 की उपचित राशि विनियोजित की है।

7.3 Drawdown from Reserves:

In terms of Gazette notification No. CG-DL-E-23032020-218862 dated 23.03.2020 issued by Ministry of Finance (Department of Financial Services) containing amendment in Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, after complying with the regulatory requirements and after getting approval from Reserve Bank of India vide their communication reference no. DOR. CO.BP.1052/21.01.002/2020-21 dated October 29, 2020, Bank has appropriated accumulated losses of ` 23,782.39 from its share premium account on November 3, 2020.

7.4 शिकायतों का प्रकटन

<u>**ग्राहकों तथा ओबीओ (बैंकिंग लोकपाल कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार**</u>

7.4 Disclosure of complaints:

<u>**Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs [Offices of the Banking Ombudsman]**</u>

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars		2020-21	2019-20
अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers				
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	Number of complaints pending at beginning of the year	12194	10275

क्र.सं. Sr. No		विवरण Particulars		2020-21	2019-20
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	Number of complaints received during the year	446921	509359
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	Number of complaints disposed during the year	445927	507440
	3.1	उनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	Of which, number of complaints rejected by the bank	1452	143
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	Number of complaints pending at the end of the year	13188	12194
ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें					
Maintainable complaints received by the bank from OBOs					
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	7099	2853
	5.1	5 में से, बीओ के द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाये गए शिकायतों की संख्या	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	1908	709
	5.2	5 में से बीओ द्वारा जारी समझौता/मध्यस्थता/ एडवायजरी के माध्यम से समाधान की गई शिकायतें	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by BOs	5191	2144
	5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	1	7
6		निर्धारित समय में कार्यान्वयन न किये गये निर्णयों की संख्या (अपील न किये गये से भिन्न)	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें वे हैं जो विशेष रूप से बीओ योजना 2006 में उल्लिखित हैं तथा योजना के क्षेत्र के अंतर्गत कवर की गई हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme

ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शीर्ष पाँच प्रकारों की शिकायतें

Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायत का आधार (अर्थात् शिकायत किस से संबंधित है) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	**वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year**	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year**	**पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	**वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year**	**5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
खाता के परिचालन से संबंधित	68 (22)	6433 (3715)	73.16 (-17.57)	141 (68)	0 (2)
डेबिट कार्ड संबंधित Debit Card Related	95 (79)	5688 (9225)	(-)38.34 (-7.05)	77 (95)	2 (6)
इंटरनेट बैंकिंग Internet Banking	35 (25)	3080 (2462)	25.1 (-24.8)	67 (35)	0 (1)
प्रभार संबंधी Charges Related	34 (22)	1778 (1966)	(-)9.56 (-6.65)	52 (34)	1 (2)
ऋण संबंधी Credit Related	24 (31)	1693 (1652)	2.48 (93.89)	35 (24)	1 (2)

शिकायत का आधार (अर्थात् शिकायत किस से संबंधित है) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
अन्य Others	91 (102)	8736 (6434)	35.76 (-54.28)	160 (91)	2 (14)
कुल **Total**	**347 (281)**	**26954 (25454)**	**5.89 (-26.70)**	**532 (347)**	**6 (27)**

7.5 बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड लि. के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2021 को, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व नहीं हुआ है।

7.6 प्रावधान कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान 86.24% है। (पिछले वर्ष: 83.74%)

7.7 बैंकएश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

7.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management)

During the year 2020-21, the bank has not issued any Letter of Comforts on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the bank had issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand Ltd., for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2021, no financial obligations have arisen on the above commitments.

7.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2021 is 86.24% (Previous year: 83.74%).

7.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Business	77.64	78.60
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Business	21.26	18.59
स्वास्थ्य बीमा कारोबार	Health Insurance Business	5.25	4.16
म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	3.14	3.19
कुल	**Total**	**107.29**	**104.54**

7.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

7.8.1 जमाराशियों का संकेंद्रण-

7.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.8.1 Concentration of Deposits –

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	44,183.35	35,480.63
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.05%	6.39%

7.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण - 7.8.2 Concentration of Advances –

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	72,236	76,397
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.84%	16.59%

7.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण: 7.8.3 Concentration of Exposures –

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	79,163	69,877
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.22	11.22%

7.8.4 एनपीए संकेंद्रण 7.8.4 Concentration of NPAs

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	9,655	9,731

7.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रूडेन्शियल /तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) 7.9 Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	2020-21			2019-20		
		बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र **Priority sector**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां Agriculture & allied activities	52,892.30	8,500.69	16.07	50,631.18	11,027.65	21.78
2	प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	21,676.01	4,096.13	18.90	31,106.70	7,769.97	24.98
3	सेवाएं Services	35,118.65	5,246.06	14.94	39,676.84	6,605.99	16.65
4	व्यक्तिगत ऋण Personal loans	21,833.57	949.01	4.35	15,662.24	746.24	4.76
	उप योग (क) **Sub-total (A)**	**131,520.53**	**18,791.89**	**14.29**	**137,076.96**	**26,149.85**	**19.08**
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र **Non Priority Sector**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां Agriculture & allied activities	2,807.65	0.00	0.00	1,191.93	231.19	19.40

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	2020-21			2019-20		
		बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिमों O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
2	उद्योग Industry	78,821.23	13,654.41	17.32	85,816.60	31,217.46	36.38
3	सेवाएं Services	103,365.02	13,340.73	12.91	1,26,180.58	20,576.18	16.31
4	व्यक्तिगत ऋण Personal loans	45,846.76	1,214.00	2.65	35,804.38	1,764.38	4.93
	उप योग (ख) **Sub-total (B)**	**230,840.66**	**28,209.14**	**12.22**	**2,48,993.49**	**53,789.21**	**21.60**
	योग (क+ख) Total (A+B)	**362,361.19**	**47,001.03**	**12.97**	**386,070.45**	**79,939.05**	**20.71**

7.9.1 प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) :

वर्ष के दौरान खरीदे गए	वर्ष के दौरान बेचे गए
2,000.00	0.00
(0.00)	(0.00)

7.9.1 Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):

Purchased during the year	Sold During the Year
2,000.00	0.00
(0.00)	(0.00)

7.10 एनपीए में उतार चढ़ाव:

7.10 Movement of NPAs:

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
सकल एनपीए यथा 01.04.2019 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2020 (Opening Balance)	61,549.93	60,661.12
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions(Fresh NPAs) during the year	8,540.03	16,328.81
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	70,089.96	76,989.93
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	635.34	1,303.25
(ii) वसूलियाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	4,188.22	6,509.26
(iii) तकनीकि प्रूडेंशियल राइट ऑफ	(iii) Technical/Prudential Write Offs	5,800.40	4,105.80
(iv) बट्टे खाते में डाले, उक्त (iii) के अंतर्गत छोड़कर	(iv) Write offs other those under (iii) above	2,931.06	3,521.69
उप-जोड़ (बी)	Sub-total (B)	13,555.02	15,440.00
सकल एनपीए यथा 31.03.2020 (अंतिम शेष) (ए-बी)	**Gross NPAs as on 31.03.2021 (Closing Balance) (A-B)**	**56,534.94**	**61,549.93**

7.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का उतार-चढ़ाव :

7.11 Movement of Technically/Prudentially written-off accounts:

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	26,530.43	22,291.32
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई*	Add: Technical/prudential written-offs during the year*	8,022.95	7,054.28
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	34,553.38	29,345.60
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में वर्ष के दौरान की गई वसूली* (बी)	Less: Recoveries/regular write off made from previously technical/prudential written-off accounts during the year*(B)	1,992.01	2,815.17
अंतिम शेष (ए-बी)	**Closing Balance (A-B)**	**32,561.37**	**26,530.43**

*विनिमय अंतर सहित

*including exchange difference

7.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

7.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
1	कुल आस्तियां	Total Assets	84,591.16	93,806.16
2	कुल एनपीए	Total NPAs	11,713.93	11,956.14
3	**कुल राजस्व**	**Total Revenue**	**2,226.26**	**4,080.95**

7.13 ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
स्वदेशी	विदेशी
शून्य	शून्य

7.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored:

Name of the sponsored SPV	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

7.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

7.14 Disclosure relating to Securitisation:

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2020-21.

7.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

7.15.1 इंट्रा-ग्रुप एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया) :

7.15 Credit Default Swaps:

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

7.15.1 Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
ए A	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of intra group exposures	6,373.59	4,474.40
बी B	टॉप 20 इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of top 20 intra group exposure	6,373.59	4,474.40
सी C	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोज़र की तुलना में इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	1.07%	0.78%
डी D	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़रों पर सीमाओं के उल्लंघन के ब्यौरे और उन पर विनियामक की कार्रवाई, यदि कोई हो.	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil

7.16 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण :

7.16 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance of amounts transferred to DEAF	1,137.94	784.01
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	367.76	369.73
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	17.44	15.80
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	1,488.26	1,137.94

7.17 हेज न किये गये विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.17 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE): As compiled by the management

क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	2020-21	2019-20
क A	प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	Opening balance provisions account	76.75	36.09
ख B	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	53.71	41.33
ग C	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	Amount Reverse during the accounting year	68.44	0.67
घ D	प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing balance in the provisions account	62.03	76.75

बैंक के पास 'हेज न किये गये करेंसी एक्सपोज़र" (यूएफ़सीई) वाली संस्थाओं पर एक्सपोज़र हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकता संबंधी नीति है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र पर आधारित है।

यथा 31.03.2021, उपलब्ध डाटा और उधारकर्ताओं से, संबंधित नीति के अनुरूप प्राप्त घोषणा के आधार पर, एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रु 431.80 (विगत वर्ष रु. 950.38) है। इसकी तुलना में, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता रु 46.96 (विगत वर्ष रु 103.35) है।

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with unhedged foreign currency exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

As on 31.03.2021, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional RWA on this exposure is ₹ 431.80 (Previous Year ₹ 950.38). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 46.96 (Previous Year ₹ 103.35).

7.18 कोविड 19 विनियामकीय पैकेज

पूरे विश्व में कोविड-19 के प्रसार से भारत के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आयी है तथा वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान 'दूसरी लहर", जिसमें मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में लॉकडाउन को फिर से लागू किया गया है। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियाँ, विस्तारित कार्यशील पूँजी चक्र तथा ग्राहक चूक में वृद्धि की संभावना से उत्पन्न होंगी। वर्तमान 'दूसरी लहर" किस सीमा तक बैंक के परिणाम को प्रभावित करना जारी रखेगी यह निरंतर तथा भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर है, जो कि अत्यधिक अनिश्चित है।

इस परिस्थिति में यद्यपि चुनौतियां अभी भी सामने आ रही हैं परन्तु बैंक निरंतर आधार पर उनका मूल्यांकन कर रहा है तथा उसे पूरा करने के लिए सभी ओर से स्वयं को तैयार कर रहा है। प्रबंधन यह मानता है कि इन चुनौतियों के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका बैंक के वित्तीय परिणामों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं हो सकता है।

आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर "कोविड-19 विनियामकीय पैकेज" से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 तथा 23 मई 2020 के अनुपालन में, बैंक ने मानक रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को, यदि वे 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय हैं तो उसके पुनर्गठन पर विचार किए बिना, 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच किस्तों तथा/ या ब्याज, जैसा लागू हो, के भुगतान पर ऋणस्थगन प्रदान

7.18 COVID 19 Regulatory Package:

The spread of COVID-19 across the globe has resulted in significant decline in Indian as well as global economic activities and increase in volatility in financial markets. The current 'second wave' of COVID-19 pandemic, in which number of cases has increased significantly, has resulted in re-imposition of lockdown measures in various parts of the country. Major challenges for the Bank would arise from extended working capital cycles and probability of increase in customer defaults. The extent to which, including the current 'second wave' will continue to impact Bank's results will depend on ongoing as well as future developments, which are highly uncertain.

In this situation, though the challenges continue to unfold, the Bank is evaluating the same on an ongoing basis and gearing up itself at all fronts to meet the same. The management, however, believes that no adjustments are required for these challenges as they may not significantly impact the financial results of the Bank.

In accordance with RBI guidelines relating to "COVID 19 Regulatory Package" on Asset Classification and Provisioning, dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020, Bank has granted a moratorium on payment of installments and / or interest as applicable,

किया है। अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, बैंक द्वारा आरबीआई के आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खातों को बाहर रखा गया है। आरबीआई परिपत्र डीओआर. सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित दिया गया है:

falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue as on February 29, 2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, wherever granted, is excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of Asset Classification under RBI's Income Recognition and Assets Classification norms. The disclosures as required by RBI Circular DOR. No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 is given below:

Sr. No.	विवरण	Particulars	Amount
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणी से संबंधित राशि, जहाँ ऋण स्थगन/स्थगन में वृद्धि की गई थी	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended	29,266.93
2	संबंधित राशि जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ में वृद्धि की गई है	Respective amount where asset classification benefits is extended	-
3	31 मार्च, 2020 तथा 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार किए गए प्रावधान	Provisions made in quarter ended March 31, 2020 and June 30, 2020, in terms of para 5 of the above circular	1,031.82
4	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान स्लिपेज पर समायोजित प्रावधान	Provisions adjusted during the year ended March 31, 2021 against slippages	1,031.82
5	31 मार्च, 2021 तक धारित प्रावधान	Provision held as on March 31, 2021	-

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, गजेन्द्र शर्मा बनाम भारत संघ तथा अन्य की जनहित याचिका मामले में अंतरिम आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया था कि ऐसे खाते, जो 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में घोषित नहीं हुए हैं, को अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, बैंक ने किसी भी घरेलू ऋण खातों, जो 31 अगस्त, 2020 को मानक थे, को एनपीए के रूप में घोषित नहीं किया है। केस के निपटारे तक ऐसे उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें अनर्जक नहीं वर्गीकृत किया गया है, 31 दिसंबर 2020 तक बैंक ने रु 864 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 23 मार्च, 2021 के अनुसार, उपर्युक्त अंतरिम आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2020 को रद्द करते हुए तथा 7 अप्रैल, 2021 को जारी संबंधित आरबीआई अधिसूचना के अनुसार बैंक ने 1 सितंबर, 2020 से प्रभावी मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार इन उधारकर्ता खातों को वर्गीकृत किया तथा इन खातों के प्रावधान के लिए उपर्युक्त-उल्लिखित अतिरिक्त प्रावधान का उपयोग किया।

The Honorable Supreme Court of India, in a public interest litigation case of Gajendra Sharma Vs. Union of India & Another, vide an Interim order dated September 3, 2020 had directed that the accounts which were not declared as Non-Performing Assets (NPA) till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Accordingly, the bank had not declared any domestic loan accounts as NPA which were Standard as on August 31, 2020. Pending disposal of the case, the Bank had made additional provision of ₹ 864 crore till December 31, 2020 for such borrower accounts not classified as non-performing.

Pursuant to the Hon'ble Supreme Court's final order dated March 23, 2021, vacating the above Interim order dated September 3, 2020, and the related RBI notification issued on April 7, 2021, Bank has classified these borrower accounts as per the extant IRAC norms with effect from September 1, 2020 and utilised the said above-mentioned additional provision towards provision for these accounts.

8. चलनिधि कवरेज अनुपात : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

मात्रात्मक प्रकटन :

8. Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management

Quantitative Disclosure:

	एलसीआर कॉम्पोनेंट्स	यथा As on 31.03.2021*		यथा As on 31.03.2020*	
	राशि रु करोड़ में AMOUNT IN RS CRS	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ **Total Unweighted Value (average) @**	कुल भारित मूल्य (औसत) @ **Total Weighted Value(average) @**	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ **Total Un weighted Value (average) @**	कुल भारित मूल्य (औसत) @ **Total Weighted (av Valueerage) @**
उच्च स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Assets(HQLA)		1,42,882.62		95,695.78
नकदी प्रवाह **CASH OUTFLOW**					

	एलसीआर कॉम्पोनेंट्स	यथा As on 31.03.2021*		यथा As on 31.03.2020*	
	राशि रु करोड़ में AMOUNT IN RS CRS	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ Total Unweighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत) @ Total Weighted Value(average) @	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ Total Un weighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत) @ Total Weighted (av Valueerage) @
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	4,22,053.05	38,301.74	3,79,311.23	37,419.47
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	77,198.78	3,814,62	10,236.15	511.80
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	3,44,854.27	34,487.12	3,69,075.08	36,907.68
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : Unsecured wholesale funding of which:	78,645.06	42,663.37	55,721.87	29,813.41
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	70.41	17.62	42.09	10.52
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non -operational deposits (all counterparties)	59,026.50	23,501.40	43,123.34	17,252.55
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण unsecured debts	19,548.15	19,144.35	12,556.44	12,550.34
4	जमानती थोक निधियन Secured wholesale funding		78.51		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which	22,320.24	7,081.92	18,021.05	5,447.80
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	3,057.01	3,046.87	3,444.47	3,443.54
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	228.50	91.40		
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	19,034.72	3,943.65	14,576.59	2,004.27
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	14,596/3	14,534.23	24,900.20	24,876.79
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contin ent funding obligations	.33-'i18,98	1,050.29	34,641.37	1,043.44
8	कुल नकदी बहिर्गमन TOTAL CASH OUTFLOWS		1,03,710.05		98,600.92
नकदी अंतर्वाह CASH INFLOW					
9	प्रत्याभूत उधार (उदा:रिवर्स रेपो) Secured lending(e.g. reverse repos)	10,992.44	8,867.75	6,824.06	4,470.43
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposurs	23,154.33	15,306.84	17,039.02	11,557.83
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	18,424.21	17,353.96	12,198.89	10,393.72
12	कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS	52,570.98	41,528.56	36,061.96	26,421.98

	एलसीआर कॉम्पोनेंट्स	यथा As on 31.03.2021*		यथा As on 31.03.2020*	
	राशि रु करोड़ में AMOUNT IN RS CRS	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ Total Unweighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत) @ Total Weighted Value(average) @	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) @ Total Un weighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत) @ Total Weighted (av Valueerage) @
			Total Adjusted Value 3		Total Adjusted ' Value 3
21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		1,42,882.62		95,695.78
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		62,181.50		72,178.94
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		229.78		132.58

नोट:

* समेकित आधार पर (घरेलू एवं विदेशी केन्द्रों तथा विदेशी अनुषंगियां शामिल)

@ दिनांक 31 मार्च 2021 साथ ही साथ 31.03.2020 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर (अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 क्रमश: हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दि. 31 मार्च 2015 के अनुरूप हैं।

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

1 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक कम से कम अगले 30 कैलंडर दिवस गुज़ार सके।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहां,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- आरबीआई/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट के साथ माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ़ फैक्टर पर माना जाता है।
- यदि दबावग्रस्त निधियों का अंतर्वाह दबावग्रस्त निधियों के बहिर्गमन से अधिक है, तो कुल निधियों के बहिर्गमन का 25% एलसीआर के परिकलन के लिए कुल शुद्ध नकद निधियों के बहिर्गमन के रूप में लिया जाएगा।

प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% की बढ़ती वृद्धि के साथ दिनांक 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाएगा।

Note:-

*On consolidated basis (including domestic operations, overseas centres and overseas subsidiaries)

@ Disclosure as on 31.03.2021 as well as 31.03.2020 has been done by taking simple averages of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2020-21 & FY 2019-20). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR. No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\textbf{H}\text{igh }\textbf{Q}\text{uality }\textbf{L}\text{iquid }\textbf{A}\text{ssets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year.

वर्णन	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%	100%

परंतु, कोविड-19 महामारी के कारण बैंक के नकदी प्रवाह पर दबाव को संभालने के लिए आरबीआई ने परिपत्र संख्या डीओआर.बीपी.बीसी संख्या 65/21.04.098/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के माध्यम से बैंकों को निम्नलिखित एलसीआर रखने की अनुमति दी।

परिपत्र की तारीख से 30 सितंबर 2020 तक	80%
1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक	90%
1 अप्रैल 2021 के बाद	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायक की है।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करना) होता है।

आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

हाथ में नकदी	2.29%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	12.71%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूति	18.61%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	10.20%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या गारंटीकृत प्रतिभूतियां	3.00%
चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि सुविधा	51.20%
लेवल 2 अस्तियां	2%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक रूप से कम है। तथापि, मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने शामिल किया है। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से तात्पर्य है एकल प्रतिपक्षकार या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिनकी बैंक की कुल देयताओं में हिस्सेदारी 1% से अधिक है।

डेरिवेटिव एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम एक्सपोज़र है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2020	01.10.2020
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%	80%	90%

However , in order to accommodate the burden on bank's cash flow on account of Covid 19 pandemic , RBI vide circular no DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20, dated April 17,2020 permitted Banks to maintain LCR as under:

From date of Circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	2.29%
Excess CRR balance	12.71%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	18.61%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 15 percent of NDTL as allowed for MSF)	10.20%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/ Reverse Repo transactions	3.00%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	51.20%
Level 2 Assets	2%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities

देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है। अतएव बैंक, एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में भी करता है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाइयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इस पर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की आवधिक निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य अंतर्वाह और बहिर्गमन जिन्हें एलसीआर के आम टेम्पलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है परन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है : हमारे ध्यान में ऐसी कोई मद नहीं है।

9. अन्य नोट :

ए) आयकर :

आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत रु 1186.47 (विगत वर्ष रु. 581.40) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादों को के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

बी) वर्ष 2020-21 के लिए रिवार्ड प्वाइंट का मूवमेंट :

(यूनिट में)

denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: No such items as per our notice.

9. Other Notes:

a) Income Tax:

i. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 1,186.47 (previous year ₹ 581.40) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

ii. Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

b) Movement of Reward Points for 2020-21:

(in Units)

क्र.सं. Sr.No.	विवरण	Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष	Opening Balance	3,82,10,64,037	31,39,34,925	4,13,49,98,962
			(3,07,55,40,977)	(33,82,63,818)	(3,41,38,04,795)
2	जोड़ें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए रिवार्ड प्वाइंट	Add: Reward points accrued during the Year by Customers	1,25,36,90,259	13,89,06,561	1,39,25,96,820
			(1,77,26,50,463)	(14,26,08,013)	(1,91,52,58,476)
3	घटाएं : रिवार्ड प्वाइंट ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया	Less: Reward Points availed by customers	18,86,23,058	5,36,79,158	24,23,02,216
			(36,02,52,229)	(8,41,28,064)	(44,43,80,293)
4	घटाएं : रिवार्ड प्वाइंट की समय सीमा समाप्त (विव 2019-20)	Less: Reward Points Expired	92,47,95,062	4,95,49,517	97,43,44,579
			(66,68,75,174)	(8,28,08,842)	(74,96,84,016)
5	अंतिम शेष	Closing Balance	3,96,13,36,176	34,96,12,811	4,31,09,48,987
			(3,82,10,64,037)	(31,39,34,925)	(4,13,49,98,962)

सी) धोखाधड़ियों के संबंध में प्रकटन :

c) Disclosure regarding frauds:

वित्तीय वर्ष Financial Year	धोखाधड़ी की संख्या Number of frauds	सम्मिलित राशि Amount involved	संभावित हानि Probable Loss	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision made during the year	अन्य आरक्षित से नामे की गयी असंशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of unamortized provision debited from other reserve
2020-21	177 (203)	12,184.32 (8,071.23)	11,627.84 (5,894.48)	592.49 (418.93)	0.00 (0.00)

डी) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 तथा डीओबार सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/201-20 दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, जहां पर 30 दिन की समीक्षा अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु यथा 01.03.2021 को 180 दिनों की समाधान अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में समाधान के लिए बढ़ी हुई समय-सीमा निम्नलिखित के अनुसार है :

विवरण	खातों की संख्या	राशि
दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण मानदण्ड के अंतर्गत संशोधित समाधान समय-सीमा	6	9,836.64

ई) बैंक के पास 100% प्रावधान है, जिसकी वसूली अन्य पीएसयू बैंक के साथ विवाद के अंतर्गत है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को रिपोर्ट किया गया। हालंकि दोनों बैंक 100% प्रावधान कर रहे थे, आरबीआई ने अपने पत्र (सं. डीओएस.सीओ.एसएसएम(बीओआई)/ 6557/13.37.007/2019-20) दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से मूल बैंक को कुछ शर्तों के अधीन निरंतर आधार पर (अर्थात रु.291.63 का 50%) विवादित राशि का 50% का प्रावधान करने की अनुमति दी। तदनुसार, अब मूल बैंक के पास विवादित राशि हेतु रु.145.81 का प्रावधान है।

एफ) उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों के संदर्भ में, बैंक ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. को मानक के रूप में रखा है। तथापि, आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

आईआरएसी मानदण्ड के अनुसार राशि को एनपीए के रूप में नहीं माना जाएगा	आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार किए गए अपेक्षित प्रावधान	वास्तविक धारित प्रावधान
215.25	93.32	93.32

जी) आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने रु 7485.60 के बही मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां तथा रु 7715.20 के बही मूल्य की राज्य सरकार की प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में हस्तांतरित किए हैं। रु 14.08 राशि का वेंचर कैपिटल फंड एचटीएम से एएफएस श्रेणी में शिफ्ट किया गया है।

एच) यथा 31 मार्च 2021 को, आरबीआई द्वारा उल्लिखित एनसीएलटी खाता (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक रु. 4,227.96 की बकाया राशि के 100% प्रावधान को होल्ड करता है।

आई) कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की एक्सपायरी के बाद आस्ति वर्गीकरण तथा आय निर्धारण पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुदेशों के अनुसार सभी उधारकर्ताओं को प्रभारित "ब्याज पर ब्याज" रिफंड किया गया है। इसमें ऐसे उधारकर्ता भी शामिल हैं जिन्होंने स्थगन अवधि

d) In terms of RBI Cir No DOR.No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and DOR.No.BP.BC.72/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020, extended timelines for resolution from the date where review period of 30 days are over but the 180 days of resolution period had not expired as on March 1, 2021 are as under:

Particular	No. of Accounts	Amount (₹)
Revised Resolution Timelines under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets	6	9,836.64

e) Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. As both the Banks were holding 100% provision, RBI vide its communication (Ref. DoS.Co.SSM(BOI)/6557/13.37.007/2019-20) dated April 13, 2020 permitted the Bank to maintain a provision of 50% of the disputed amount on an ongoing basis (i.e. 50% of ₹ 291.63) subject to certain conditions. Accordingly, the Bank now holds provision of ₹ 145.81 for the disputed amount.

f) In terms of Supreme Court Order and necessary guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has kept Delhi Airport Metro Express Pvt. Ltd as 'Standard'. However, necessary provisions as per IRAC Norms have been made which are detailed as under:-

Amount not treated as NPA as per IRAC norms	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provision actually held
215.25	93.32	93.32

g) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2021, Bank has shifted the Central Government securities with a book value of ₹ 7,485.60 and State Government securities with a book value of ₹ 7,715.20 from HTM to AFS category. Venture Capital Fund for an amount of ₹ 14.08 has been shifted from HTM to AFS category.

h) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2021, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 4227.96.

i) In accordance with the instructions of RBI circular dated April 7, 2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of COVID-19 Regulatory package", the Bank has refunded "interest on interest" charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during the moratorium period

अर्थात 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्राप्त कीं। यह इस बात के निरपेक्ष था कि क्या स्थगन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त किया गया है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, इस तरह के ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए प्रक्रिया भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित कि गई थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.128.43 की देयता सृजित की गई थी तथा ब्याज आय से घटा दी गई।

जे) दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा पर आरबीआई के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार, मूल बैंक ने 8 उधार खातों में रु.976.21 का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जहाँ समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के अन्दर अर्थक्षम समाधान योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

के) आरबीआई परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार कोविड 19 दवाब हेतु समाधान रूपरेखा के अंतर्गत लागू समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित दिया गया है:

i.e. March 1, 2020 to August 31, 2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. As required by the RBI notification, the methodology for calculation of such interest on interest was circulated by the Indian Bank's Association. Accordingly, a liability of ₹ 128.43 towards the same has been created and reduced from interest income for the year ended March 31, 2021.

j) As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2021, Bank holds additional Provision of ₹ 976.21 in respect of 8 borrower accounts, where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days/365 days of review period.

k) Details of the resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 Stress as per RBI circular dated August 6, 2020 are given below:

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower		ए) खातों की संख्या जहां इस विंडों के अंतर्गत समाधान योजना कार्यान्वित की गई A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	बी) योजना को लागू करने से पहले (ए) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर B)Exposure of accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	सी) कर्ज की कुल राशि जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित की गई थी C)Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	डी) योजना को लागू तथा कार्यान्वयनवित करने सहित, अतिरिक्त वित्त मंजूरी , यदि कोई हो D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	ई) समाधान के कार्यान्वयन के कारण प्रावधान में वृद्धि E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution
व्यक्तिगत ऋण	Personal Loans	8401	749.26	-	-	74.92
कॉर्पोरेट व्यक्ति	Corporate Persons	3	743.92	-	-	74.39
जिनमें से, एमएसएमई	of which, MSMEs	-	-	-	-	-
अन्य	Others	6	44.95	-	-	4.49
कुल	Total	8410	1538.13	-	-	153.80

एल) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 01 नवंबर 2017 से प्रभावी 11वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के संबंध में रु 460.92 का प्रावधान किया गया है

एम) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक को 08 निवेशकों की शिकायतें मिली हैं जिनका निपटान किया गया है। तिमाही की शुरूआत या अंत में निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं है।

एन) वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को पुष्ट करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

l) During FY 2020-21, Bank has made provision of ₹ 460.92 towards the 11th Bi-Partite Wage Settlement effective November 1, 2017.

m) The Bank has received eight Investor complaints during the year ended March 31, 2021 which have been disposed-off. There are no pending investor complaints at the beginning or end of the year.

n) Figures of the previous period have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period's classification.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल

मत

1) हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक')** के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र, संबंधित वर्ष के अंत में लाभ-हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं जिसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं: हमारे द्वारा 20 घरेलू शाखाएं, ट्रेजरी शाखा तथा डिजिटल बैंकिंग विभाग, लेखापरीक्षित किये गये; संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 3138 घरेलू शाखाएँ तथा प्रसंस्करण केन्द्र लेखा-परीक्षित किये गये और संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 22 विदेशी शाखाएँ लेखा-परीक्षित की गईं।

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 2126 घरेलू शाखाओं तथा एक विदेशी शाखा की विवरणी भी शामिल है जिन्हें लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। इन लेखापरीक्षित शाखाओं से 5.46% अग्रिम, 16.73% जमाराशियाँ, 4.37% ब्याज आय तथा 16.60% ब्याज व्यय सम्बन्धित है।

2) हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती हैं तथा यह भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और निम्नलिखित की उचित एवं सही स्थिति प्रस्तुत करती हैं:

क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक के तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति,

ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

3) हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी **लेखापरीक्षा** पर मानक (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की *लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी* खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी **लेखापरीक्षा** के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि बाद में प्रतिपादित "अन्य मामले" शीर्षक के अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त **लेखापरीक्षा** साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त **लेखापरीक्षा** साक्ष्य, **लेखापरीक्षा** संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

To

The President of India / The Members of Bank of India

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Bank of India** ('the **Bank**'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of: (i) 20 Domestic branches, Treasury Branch and Digital Banking department audited by us; (iii) 3138 domestic branches and processing centres audited by respective Statutory Branch Auditors and (iii) 22 Foreign branches audited by respective local Auditors

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 2126 domestic branches and one foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.46% of advances, 16.73% of deposits, 4.37% of interest income and 16.60% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give true and fair view:

a) In case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021,

b) true balance of profit, in case of Profit & Loss account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows, in the case of Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements* section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under provision of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence

मामलों का प्रभाव

4) क. कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची - 18 की नोट संख्या 7.18. यह स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक प्रबंधन, स्थिति और वर्तमान आधार पर बैंक के घरेलू व अंतरराष्ट्रीय कारोबार परिचालनों पर पड़े प्रभाव का आकलन कर रहा है;

ख. संचित हानियों की सेटिंग के लिए शेयर प्रीमियम के उपयोग से संबंधित एकल वित्तीय विवरणियों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की नोट संख्या 7.3.

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

5) मौजूदा अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी **लेखापरीक्षा** में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी **लेखापरीक्षा** के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण **लेखापरीक्षा** मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्रम. संख्या	**मुख्य लेखापरीक्षा मामले**	**मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया**
1.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानकों का अनुपालन(आईआरएसी मानक)।**	आईआरएसी मानकों/परिपत्रों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखापरीक्षा की है।
	अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण के लिए खातों की पहचान करता है तथा प्रावधानीकरण करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानकों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।	**अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानकों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

obtained by us and audit evidences obtained by other auditors in terms of their reports referred to in "Other Matter" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. a) Note No 7.18 of Schedule-18 of the accompanying Standalone Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the management of the Bank is evaluating the situation and impact on its Domestic & International business operations of the Bank on an ongoing basis; and

   b) Note No. 7.3 of Schedule 18 of the accompanying Standalone Financial Statements relating to utilisation of share premium for setting of accumulated losses

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms) Advances Bank has to classify the accounts as performing advances or non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. Advances: Our audit procedure included: a) Communication to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the branch statutory auditors. b) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. c) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया
	निवेश : भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानकों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 55.93% तथा 23.44% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय, अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	घ) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ड.) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है।
2.	अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन। टैक्स मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली (आर.सी.एम.) की प्रयोज्यता/इन्पुट क्रेडिट की उपलब्ध संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; हमने कर संबंधित मुकदमों व आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति की जांच की है। ख) नवीनतम आदेश, विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त संप्रेषण तथा दायर अपीलों की समीक्षा की है; ग) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा किया गया है।

	<u>Investments</u> : Bank has to classify the investments as performing or non performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/ NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 55.93% and 23.44% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. <u>Investments:</u> Our audit procedure included: a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2)	<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u> The Bank has various litigations including tax litigations. The Bank has also disputes regarding availability of input credits/applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	Our audit approach involved: a) Understanding the current status of the litigations/tax assessments; b) Review of the latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed; c) Reliance on the opinion of legal and tax consultants, where available.

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया
3.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन: संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच। ड.) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच। च) जनरेट हुई रिपोर्टों की नमूना आधार पर समीक्षा छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा किया गया है।
4	कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर की गई संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रिया: कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र/ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया एवं यात्रा प्रतिबंधों को लगाया गया तथा आरबीआई ने, जहां प्रत्यक्ष (फिजिकल) रूप से पहुंचना संभव नहीं था, वहां बैंक को अप्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बैंक के शाखा परिसरों, एनबीजी कार्यालयों में बैंक जाकर लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। चूंकि हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से भौतिक/चर्चा एवं व्यक्तिगत बातचीत कर लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, अत: ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा कार्यवाही को हमने मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिह्नित किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा की प्रणालियों को अप्रत्यक्ष लेखापरीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया।	कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन व अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं, अत: हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों की यात्रा नहीं कर सके और संबंधित कार्यालयों में फिजिकल रूप से लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सके। जहां कहीं भी फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां, बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ई-मेल और सीबीएस को अप्रत्यक्ष पहुंच तथा अन्य संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से हमें अपेक्षित रिपोर्ट/दस्तावेज़/ प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए गए थे। इस सीमा तक लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और रिकॉर्डों के आधार पर की गई थी, जिस पर लेखापरीक्षा संपन्न करवाने और वर्तमान अवधि हेतु रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में निर्भर थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया था: क) जहां फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक को कुछ शाखाओं/कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में अप्रत्यक्ष(रिमोट) एक्सेस/ईमेल के माध्यम से अपेक्षित रिकॉर्डों/दस्तावेज़ों/सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया। ख) हमें ईमेल तथा बैंक के सिक्योर नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई, स्कैन की गई दस्तावेज़ों की प्रतियों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों का सत्यापन किया गया।

3)	Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit procedure includes:- a) Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b) Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers. c) Understanding and testing of different validations available in the system d) Checking the user requirements for any changes in the regulations/policy of the bank e) Testing of logic used for extracting the data. f) On sample basis reviewing the reports generated. g) Reliance on the system audit report of the bank.
4)	Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak: Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the Branch premises, NBG offices of the Bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/NBG offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches / NBG offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us on which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a) Conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/ and other Application software electronically through remote access/emails in respect of some of the Branches /offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. b) Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank.

क्रम. संख्या	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया
		ग) जांच करना तथा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), टेलीफोन पर संपर्क/ कॉन्फ्रेंस कॉल एवं ईमेल के माध्यम से अपेक्षित **लेखापरीक्षा** संबंधी साक्ष्य एकत्रित करना। घ) हमारे **लेखापरीक्षा** अवलोकनों का समाधान नामित पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क करने के स्थान पर टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से संपर्क कर किया गया।
5	**आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:** बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, जो कि एएस 22, आय पर करों का लेखांकन के अनुसार है तथा जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय की उगाही की जा सकती है। हमने आस्थगित कर आस्तियों को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि इसमें इन आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा निर्णय शामिल होते हैं जो, ऐसे निर्धारण के समर्थन में, भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा या नहीं, इत्यादि अनेक कारकों पर आधारित होता है।	आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के समर्थन में भविष्य के कर योग्य लाभों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के मूल्यांकन का परीक्षण करना जैसे आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मान्यताएं तथा अन्य मानदण्ड।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणी पर हमारा मत, अन्य जानकारियों तथा बासेल III प्रकटन के अंतर्गत प्रकटनों को शामिल नहीं करता है तथा इस पर हम किसी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष, व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी **लेखापरीक्षा** के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, अन्य जानकारियों का अध्ययन है तथा ऐसा करने में यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारियाँ एक वित्तीय विवरणियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है या **लेखापरीक्षा** या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान गंभीर रूप से गलत प्रस्तुत तो नहीं लग रहा है।

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं तथा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशासन के प्रभारी को उक्त मामले के विषय में बताएं तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

		c) Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Document Management System (DMS), telephonic communication / conference calls and e-mails. d) Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.
5)	Recognition of Deferred Tax Assets: As per Significant Accounting Policy of the Bank, which is in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. We identified the recognition of deferred tax assets as a key audit matter involves judgement by management as to the likelihood of the realization of these deferred tax assets, which is based on a number of factors including whether there will be sufficient taxable profits in future periods to support recognition.	Our audit procedure included evaluating management assessment on the sufficiency of the future taxable profits in support of the recognition of deferred tax assets such as assumptions and other parameters used for recognition of deferred tax asset.

Information Other than the Financial Statements and Auditors Report thereon

6) The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

एकल वित्तीय विवरणी के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी

7. बैंक का निदेशक मण्डल, इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा बैंक के नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। उक्त विवरणी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हैं। इस जिम्मेदारी में, निम्नलिखित शामिल हैं - बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, संबंधित निदेशक मंडल, बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता का मूल्यांकन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटन, जो भी लागू हो तथा लेखांकन में संस्था की निरंतरता के आधार का प्रयोग, जब तक कि बैंक का प्रबंधन बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद न करना चाहते हों या ऐसे करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न हो, हेतु उत्तरदायी है। बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम **लेखापरीक्षा** के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों का ध्यान करने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7) The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- वर्तमान परिस्थितियों में उचित **लेखापरीक्षा** प्रक्रिया को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षा को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन।
- उपर्यक्त प्रसंगों में 'गंभीर' (मेटेरिएलिटी), एकल वित्तीय विवरणी में गलत जानकारी का स्तर है जो अकेले या समग्र रूप से ऐसी स्थिति पैदा करने की संभावना रखता है कि एकल वित्तीय विवरणी के पर्याप्त जानकार प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजनाओं तथा उसके परिणाम के मूल्यांकन में एवं (ii) एकल वित्तीय विवरण में पहचान किए गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करने में परिमाणात्मक महत्ता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
- हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।
- हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।
- प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

अन्य मामले

9. बैंक की एकल वित्तीय विवरणी में शामिल 3160 शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों, (22 विदेशी शाखाओं सहित) की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, यथा 31.03.2021 को रु.3,41,493.50 की कुल आस्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु.16,945.41 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में विचारित हैं। इन शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है वह ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णरूप से आधारित है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 9 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक हैं;

    ख. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

    ग. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रही हैं।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

    क. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

    ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों से प्राप्त बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं,

    ग. बैंकिग विनियम अधिनियम, 1949 को धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

    घ. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

Other Matter

9) We did not audit the financial statements / financial information of 3160 branches and processing centres(including 22 foreign branches) included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total assets of Rs. 3,41,493.50 crore at March 31, 2021 and total revenue of Rs 16,945.41 crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The financial statements/ financial information of these branches and processing centres have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 & 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12) We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches and processing centres not visited by us;

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches and processing centres not visited by us;

    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

13) "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं" पर पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

क. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणयां, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती हैं, उस सीमा तक जहां तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं है।

ख. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ग. यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं बताया गया है।

घ. खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्त, शंका या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

14. आर.बी.आई के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.09.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) के द्वारा यथा आवश्यक, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी **लेखापरीक्षा** रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। यथा 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी रिपोर्ट अनाशोधित विचार व्यक्त करती है।

13) As required by letter No. DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

14) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS. ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2021.

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137ई) (FRN 302137E)

आर.के.नन्दा R.K.Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574
UDIN: 21510574AAAABX1517

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

जी. शंकर G Sankar
भागीदार Partner
सदस्यता सं 046050 M. No. 046050
UDIN: 21046050AAAAEY8827

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner
सदस्यता सं 078427 M.No.078427
UDIN: 21078427AAAACL5939

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 4 जून, 2021 / Date : June 4, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(सम तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 'अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताएं पर रिपोर्ट' का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे "आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (आगे "आरबीआई संसूचना") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (संबंधित बैंक) की इस एकल वित्तीय विवरणियों की संबंधित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा-परीक्षित किया है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की **लेखापरीक्षा** पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधडियों एवं गलतियाँ की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता तथा पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परीपत्र तथा दिशा-निर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर गइडेंस नोट (''गाइडेंस नोट'') तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एस.ए), आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू होने की सीमा तक के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त गाइडेंस नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है या रखा गया है एवं क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में ऐसे नियंत्रण ने ठीक प्रकार से काम किया है, इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए, उसे लेखापरीक्षा की योजना करें तथा इसे पूरा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल था। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल था। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई गंभीर कमजोरी मौजूद है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जाँच एवं उसका

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 14 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the

मूल्यांकन। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के निर्णय के ऊपर आश्रित होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की गंभीर गलती के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि निम्नलिखित ''अन्य मामले'' शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर भरोसे तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त भरोसे को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या डिस्पोजिशन की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

अनुचित मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों के ऊपर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गलती से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकी है तथा ऐसा भी संभव है कि यह पकड़ी न जाए। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान जोखिमों के अधीन है। उक्त जोखिम यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

मत

हमारे मत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे के ''अन्य मामले'' शीर्षक के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा संदर्भित रिपोर्टों के आलोक में बैंक ने, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर सामान्यत: सभी महत्वपूर्ण पक्षों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंशों को विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानदण्ड के अनुसार यथा 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा था।

auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, the Bank has, in all material respects generally adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहाँ तक कि वह 484 (संख्याएं, स्कोप की/ आईएफसीओएफआर रिपोर्टिंग शाखाएं निर्धारित करती हैं।) शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, वह रिपोर्ट उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

Other Matters

Our aforesaid report, insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 484 (number, specify scoped in / IFCoFR reporting branches) branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी
For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137ई) (FRN 302137E)

आर.के.नन्दा R.K.Nanda
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574
UDIN: 21510574AAAABX1517

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
For V Sankar Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 109208डब्ल्यू) (FRN 109208W)

जी. शंकर G Sankar
भागीदार Partner
सदस्यता सं 046050 M. No. 046050
UDIN: 21046050AAAAEY8827

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोशिएट्स
For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 009189सी) (FRN 009189C)

एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner
सदस्यता सं 012705 M.No.078427
UDIN: 21078427AAAACL5939

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 4 जून, 2021 / Date : June 4, 2021

बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरण

यथा 31 मार्च, 2021

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED BALANCE SHEET & PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

As at 31st March, 2021

समेकित तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2021
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2021 ₹	यथा As at 31-03-2020 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	32,776,625	32,776,625
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	437,025,656	417,954,861
आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन रकम	Share Application Money, pending allotment		30,000,000	0
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,593,141	1,514,163
जमाराशियां	Deposits	3	6,290,983,564	5,573,864,271
उधार	Borrowings	4	324,641,055	397,524,659
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	210,880,934	206,553,820
कुल	TOTAL		7,327,900,975	6,630,188,399
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	609,303,760	294,465,455
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	657,632,490	571,625,138
निवेश	Investments	8	1,916,930,102	1,623,229,081
अग्रिम	Advances	9	3,676,673,463	3,706,440,848
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	90,013,980	90,579,849
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	377,347,180	343,848,028
कुल	TOTAL		7,327,900,975	6,630,188,399
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	4,537,941,768	3,523,213,663
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		249,139,677	250,632,329
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies			
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts			

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

वंदिता कौल	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद
Vandita Kaul	**Subrata Das**	**P N Prasad**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Chaturvedi & Co	For V Sankar Aiyar & Co.	For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)	(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)	(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)
आर.के. नन्दा R.K.Nanda	जी. शंकर G. Sankar	एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574	सदस्यता सं 046050 M. No.046050	सदस्यता सं 078427 M. No.078427

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 04 जून, 2021 / Date : 04 June, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2021 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2020 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	408,538,263	425,907,743
	अन्य आय	Other income	14	74,961,748	68,088,891
	कुल	TOTAL		483,500,011	493,996,634
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	264,209,496	271,914,608
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	110,063,541	106,124,017
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		87,239,133	145,252,055
	कुल	TOTAL		461,512,170	523,290,680
	सहयोगि कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	(1,182,214)	(1,218,330)
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the period before deducting Minorities' interest		20,805,627	(30,512,377)
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		(21,874)	(1,997)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the period attributable to the group		20,827,501	(30,510,379)
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(237,879,282)	(204,145,456)
	कुल	TOTAL		(217,051,781)	(234,655,835)
III.	विनियोग / उपयोग	APPROPRIATIONS/ UTILIZATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		5,410,000	-
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		6,738,011	
	राजस्व आरक्षिति को / अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		56,990	795,817
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		4,954,976	2,427,630
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		-	-
	शेयर प्रीमियम से अंतरण(आगे लाई गई हानि के समंजन हेतु)	Transfer from Share Premium (for set off of brought forward loss)		(237,823,882)	-
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	-
	लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary			-
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		4,500,000	-
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		(887,876)	(237,879,282)
	कुल	TOTAL		(217,051,781)	(234,655,835)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां	Significant accounting policies	17		
	लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
	मूल प्रति शेयर आय (₹)	Basic Earnings Per Share (₹)		6.36	(9.39)
		Diluted Earnings Per Share (₹)		6.35	(9.39)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

शंकर सेन	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

वंदिता कौल	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद
Vandita Kaul	**Subrata Das**	**P N Prasad**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Chaturvedi & Co	For V Sankar Aiyar & Co.	For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)	(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)	(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)
आर.के. नन्दा R.K.Nanda	जी. शंकर G. Sankar	एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574	सदस्यता सं 046050 M. No.046050	सदस्यता सं 078427 M. No.078427

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 04 जून, 2021 / Date : 04 June, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2021

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2021 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2020 ₹
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	**A. Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	**31,617,782**	**(46,914,589)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन/ मूल्यह्रास	Amortisation / Depreciation on Investments	11,626,540	6,401,160
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	3,800,935	3,919,554
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Assets	(602,064)	(467,462)
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	66,479,528	144,462,442
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	(708,940)	8,720,518
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Other Assets	1,991,745	5,054,145
गौण बॉन्डस/आईपीडीआई, अपर टियर II, बॉन्डस पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान	Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	6,538,394	8,458,195
प्राप्त लाभांश	Dividend received	(222,042)	(143,038)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease) in Deposits	717,119,293	348,314,648
उधार में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease) in Borrowings	(73,403,604)	(21,877,264)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	1,932,176	34,282,567
निवेश में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Investments	(306,509,775)	(121,798,399)
अग्रिमों में (बढ़)/घट	(Increase)/ Decrease in Advances	(36,712,143)	(421,239,888)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	(51,830,483)	13,184,895
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	7,562,696	(8,628,265)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**378,680,038**	**(48,270,781)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**B. Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(3,489,950)	(9,618,793)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	190,732	6,046,779
प्राप्त लाभांश	Dividend received	222,042	143,038
सहायक कंपनियो के समेकन का प्रभाव	Impact of consolidation of subsidiaries	1,182,214	1,218,330
अल्पसंख्यक हित	Minority Interest	78,978	(107,381)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(1,815,984)**	**(2,318,026)**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	**C. Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी	Share Capital	-	5,176,339
शेयर प्रीमियम	Share Premium	-	40,991,306
शेयर आवेदन रकम	Share Application Money	30,000,000	(46,380,000)
आईपीडीआई, गौण बॉन्ड, अपर टियर II बॉन्ड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	520,000	(23,250,000)
लाभांश प्रदत्त	Dividend paid		-
आईपीडीआई, गौण बॉन्ड, अपर टियर II बॉन्ड पर ब्याज भुगतान	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(6,538,394)	(8,458,195)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**23,981,607**	**(31,920,550)**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)	**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**400,845,661**	**(82,509,357)**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**866,090,593**	**948,599,950**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**1,266,936,250**	**866,090,593**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2021	वर्षान्त Year ended 31-03-2020
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	**60,93,03,760**	**294,465,455**
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	**65,76,32,490**	**571,625,138**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**1,26,69,36,250**	**866,090,593**

नकदी एवं नक़दी समतुल्य के अनुसार नक़द प्रवाह विवरण में आरबीआई और अन्य बैंक(जमाराशियों सहित) के चालू खातों में शेष,एटीएम में एवं हाथ में नक़दी और मांग पर एवं अल्प सूचना पर जिसको आसानी से नक़द में बदला जा सकता है , को शामिल किया जाता हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

शंकर सेन	मोनिका कालिया	एम.कार्तिकेयन	स्वरुप दासगुप्ता	पी आर राजगोपाल	ए.के. दास
Sankar Sen	**Monika Kalia**	**M. Karthikeyan**	**Swarup Dasgupta**	**P R Rajagopal**	**A.K.Das**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Chief Financial Officer	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO

निदेशकगण DIRECTORS

वंदिता कौल	सुब्रत दास	पी एन प्रसाद
Vandita Kaul	**Subrata Das**	**P N Prasad**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते चतुर्वेदी एंड कंपनी	कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
For Chaturvedi & Co	For V Sankar Aiyar & Co.	For Laxmi Tripti & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)	(एफआरएन 109208W) (FRN:109208W)	(एफआरएन 009189C) (FRN:009189C)
आर.के. नन्दा R.K.Nanda	जी. शंकर G. Sankar	एल.एन. अग्रवाल L.N. Agrawal
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 510574 M. No. 510574	सदस्यता सं 046050 M. No.046050	सदस्यता सं 078427 M. No.078427

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 04 जून, 2021 / Date : 04 June, 2021

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2021 ₹	पर यथा As at 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE - 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED CAPITAL**		
600,00,00,000 (पिछले वर्ष 600,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**60,000,000**	**60,000,000**
जारी एवं अभिदत्त पुंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 327,81,00,450 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 327,81,00,450)	Equity Shares 327,81,00,450 (Previous year 327,81,00,450) of ₹10 each	32,781,004	32,781,004
कुल	**TOTAL**	**32,781,004**	**32,781,004**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 327,69,23,350 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 327,69,23,350)	327,69,23,350 Equity Shares (Previous year 327,69,23,350) of ₹10 each fully paid-up.	32,769,234	32,769,234
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**32,776,625**	**32,776,625**
* उपर्युक्त में से 291,96,90,866 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 291,96,90,866) प्रत्येक ₹10 के ₹2919.69 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 2919.69 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 291,96,90,866 Equity Shares (Previous year 291,96,90,866) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹2919.69 crores (Previous year ₹2919.69 crores) is held by Central Government		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SSCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. कानूनी आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	71,069,103	71,045,256
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions/adjustments during the period	5,387,349	23,847
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**76,456,452**	**71,069,103**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	63,712,369	63,243,218
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Addition during the period on Revaluation of Premises	-	940,785
घटाएं : अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the period	(34,808)	(267,544)
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	701,024	739,178
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**63,046,153**	**63,712,369**
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूंजी मोचन आरक्षिति	i) Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5,000	5,000
जोड़ें/घटाएं: परिवर्धन/कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	-	-
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**5,000**	**5,000**
ii) "परिपक्वता तक धारित" निवेशों को बिक्री पर लाभ	ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	25,563,168	23,135,537
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the period	4,954,976	2,427,630
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**30,518,144**	**25,563,167**
iii) समेकन पर पूजी आरक्षिति	iii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	735,961	268,264
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the period	(45,850)	467,697
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**690,111**	**735,961**
iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iv) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	22,147,065	19,069,170
जोडें/ (घटाएं) :वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the period (Net)	(1,723,147)	3,077,895
(iv) का उप-जोड	Sub-total of (iv)	**20,423,918**	**22,147,065**
जोड (बी)	**Total of (B)**	**51,637,173**	**48,451,193**
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**114,683,326**	**112,163,561**
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	359,032,884	318,041,578
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Addition/(Utilization) during the period	(237,823,882)	40,991,306
जोड़े:विलोपित जब्त शेयरों पर	Add: On forfeited shares annulled	-	-
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**121,209,002**	**359,032,884**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2021 ₹	पर यथा As at 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)		
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	IV. Revenue and Other Reserves :		
i) राजस्व आरक्षिति:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	91,868,594	90,176,624
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the period	757,138	1,511,658
जोडें/ (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(7,215)	208,159
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the period	(8,224)	27,847
(i) का उप जोड़	Sub-total of (i)	**92,626,741**	**91,868,594**
ii) निवेश आरक्षितियाँ :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	-	-
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	-	-
(ii) का उप- जोड़	Sub-total of (ii)	**-**	**-**
iii) निवेश अस्थिर आरक्षिति :	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
जोडें: :लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	6,738,011	-
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	-	-
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	**6,738,011**	**-**
iv) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the period	4,500,000	-
(iv) का कुल-जोड़	Sub-total of (iv)	**26,200,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**125,564,752**	**113,568,594**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**(887,876)**	**(237,879,282)**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**437,025,656**	**417,954,861**
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	471,356	471,356
परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	1,121,785	1,042,807
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**1,593,141**	**1,514,163**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	SCHEDULE - 3 : DEPOSITS		
ए. I. मांग जमाराशियां :	A. I. Demand Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,769,841	8,051,413
ii) अन्य से	ii) From Others	322,173,966	295,335,053
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**327,943,807**	**303,386,466**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,976,581,142**	**1,728,378,449**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	440,925,602	355,190,565
ii) अन्य से	ii) From Others	3,545,533,013	3,186,908,791
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**3,986,458,615**	**3,542,099,356**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**6,290,983,564**	**5,573,864,271**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B) i) Deposits of branches in India	5,510,794,794	4,824,885,548
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	780,188,770	748,978,723
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**6,290,983,564**	**5,573,864,271**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2021 ₹	पर यथा As at 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	35,190,000	188,770,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूंजी	a. Tier I Capital	6,930,000	1,150,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	250,000	250,000
ग. अन्य	c. Others	139,300	0
जोड (ii)	Total (ii)	7,319,300	1,400,000
iii) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां	III) Other Institutions and Agencies		
क. टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital	6,590,000	1,850,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	69,750,000	79,750,000
ग. अन्य	c. Others	203,022,679	22,936,828
जोड (iii)	Total (iii)	279,362,679	104,536,828
जोड (I)	Total (I)	321,871,979	294,706,828
II. भारत के बाहर से उधार	II. Borrowings outside India		
क. टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital	-	-
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	-	-
ग. अन्य	c. Others	2,769,076	102,817,831
जोड (II)	Total (II)	2,769,076	102,817,831
जोड (I एवं II)	Total (I & II)	324,641,055	397,524,659
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in above	-	-
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	14,177,590	11,271,665
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	1,816,388
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	16,476,917	19,554,587
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	38,497	16,852
VII. अन्य	V. Others	180,187,930	173,894,328
जोड	TOTAL	210,880,934	206,553,820
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes & Gold)	33,200,389	32,437,563
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	576,058,098	261,884,145
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	45,273	143,747
जोड (II)	TOTAL (II)	576,103,371	262,027,892
जोड (I एवं II)	TOTAL (I & II)	609,303,760	294,465,455
* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	I. In India :		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,063,394	1,668,281
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	(90,266)	10,593,126
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	254,540	1,934,710
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	95,998,088	110,000,000
जोड (I)	TOTAL (I)	97,225,756	124,196,117

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2021 ₹	पर यथा As at 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	24,522,943	16,886,489
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	477,587,262	335,858,597
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	58,296,529	94,683,935
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**560,406,734**	**447,429,021**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**657,632,490**	**571,625,138**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश:	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,669,102,278	1,406,786,449
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	5,179,714	3,835,744
iii) शेयर	iii) Shares	11,147,022	11,353,242
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	129,305,958	80,188,145
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	14,162,575	14,549,559
vi) अन्य	vi) Others	18,760,013	37,226,620
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**1,847,657,560**	**1,553,939,759**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	50,126,739	44,580,212
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	-	-
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,608,948	1,582,207
iv) अन्य	iv) Others	17,536,855	23,126,903
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**69,272,542**	**69,289,322**
जोड (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,916,930,102**	**1,623,229,081**
III. भारत में निवेश :	**III. Investments in India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,892,218,311	1,589,642,038
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	44,560,751	35,702,279
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**1,847,657,560**	**1,553,939,759**
IV भारत के बाहर निवेश:	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	69,497,576	69,682,198
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	225,034	392,876
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**69,272,542**	**69,289,322**
जोड (III & IV)	**TOTAL (III & IV)**	**1,916,930,102**	**1,623,229,081**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	92,462,046	91,314,536
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,523,037,652	1,767,126,614
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	2,061,173,765	1,847,999,698
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,676,673,463**	**3,706,440,848**
बी. अग्रिम का विवरण	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,652,232,483	2,609,564,685
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	191,042,206	244,652,401
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	833,398,774	852,223,762
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**3,676,673,463**	**3,706,440,848**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,217,412,779	1,125,757,202
घटाएं अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Less: Inter-Bank Participation Certificates (Net)	0	0
निवल	Net	1,217,412,779	1,125,757,202
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	859,160,292	778,764,153
iii) बैंक	iii) Banks	448,742	1,125
iv) अन्य	iv) Others	1,188,388,199	1,283,747,808
कुल (i,ii,iii,iv)	Total (i,ii,iii,iv)	**3,265,410,012**	**3,188,270,288**
जोडें/घटाएं अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र निवल	Add /(Less): Inter bank participation certificates (Net)	0	0
कुल(I)	**TOTAL (I)**	**3,265,410,012**	**3,188,270,288**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2021 ₹	पर यथा As at 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
II. भारत के बाहर अग्रिम	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	112,091,012	98,760,964
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	24,248,314	29,992,474
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	100,482,255	104,699,597
ग) अन्य	c) Others	174,441,870	284,717,525
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**411,263,451**	**518,170,560**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3,676,673,463**	**3,706,440,848**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	17,935,517	17,880,685
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the period	67,889	119,790
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the period	105,510	64,958
उप-जोड	Sub-total	17,897,896	17,935,517
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	63,976,932	64,009,821
घटाएं : इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	5,785,399	4,815,048
जोड (I)	**TOTAL (I)**	76,089,429	77,130,290
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	37,726,704	35,407,704
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions /Adjustments during the period	2,744,287	8,601,027
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the period	203,989	6,282,027
उप-जोड	Sub-total	40,267,002	37,726,704
घटाएं: इस तारीख को मूल्यहास	Less: Depreciation to date	29,985,564	27,204,057
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**10,281,438**	**10,522,647**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**3,643,113**	**2,926,912**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**90,013,980**	**90,579,849**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	55,890,055	32,105
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	29,812,027	31,412,998
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	48,828,360	57,816,265
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	77,997	64,359
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	128,260,526	137,603,952
VI. अन्य	VI. Others	114,478,215	116,918,349
जोड	**TOTAL**	**377,347,180**	**343,848,028**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2021 ₹	पर यथा As at 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	26,202,648	14,993,043
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	1,010,314	1,170,051
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	4,046,903,334	2,946,240,231
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	218,123,054	225,143,990
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	31,422,823	41,528,844
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	183,479,758	172,126,811
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	14,865,980	109,638,304
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	15,933,857	12,372,389
जोड	**TOTAL**	**4,537,941,768**	**3,523,213,663**

समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2021 ₹	समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2020 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	275,475,311	289,767,396
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	116,483,730	107,568,885
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	11,550,963	24,442,496
IV. अन्य	IV. Others	5,028,259	4,128,966
जोड	**TOTAL**	**408,538,263**	**425,907,743**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	11,185,735	13,703,954
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ /(हानि)	II. Profit/(Loss) on sale of Investments	25,529,805	5,921,043
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ /(हानि)	III. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets	602,064	467,462
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ/(हानि)	IV. Profit / (Loss) on exchange transactions	18,916,355	15,087,426
V. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries / companies and /or/ joint ventures	222,042	143,038
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	18,505,747	32,765,968
जोड	**TOTAL**	**74,961,748**	**68,088,891**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाओं पर ब्याज	I. Interest on Deposits	245,732,509	237,275,379
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	11,562,760	25,869,171
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc..	6,914,227	8,770,058
जोड	**TOTAL**	**264,209,496**	**271,914,608**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	65,288,635	61,965,576
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	7,666,074	7,362,197
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	653,777	771,831
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	79,969	258,787
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	3,800,935	3,919,554
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	46,425	47,787
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	821,306	808,462
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	287,886	535,528
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,834,951	1,727,467
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	617,339	745,228
XI. बीमा	XI. Insurance	7,027,333	5,088,567
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	21,938,911	22,893,033
जोड	**TOTAL**	**110,063,541**	**106,124,017**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	(1,811,687)	(1,616,434)
II. अन्य	II. Others	629,473	398,104
जोड	**TOTAL**	**(1,182,214)**	**(1,218,330)**

कार्यसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(समेकित वित्तीय विवरणियां)

1) लेखांकन परिपाटी :

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किया गया है जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

2) समेकन का आधार :

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं :-

क) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की "समेकित वित्तीय विवरणियाँ", भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार की गई हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा इसमें आस्ति, देयताएं, आय तथा आंतर समूह संव्यवहार हटाकर व्यय, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

ख) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।

घ) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

ङ) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)27 संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर किया जाता है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Consolidated Financial Statements)

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) आय की निर्धारण:

3.1 बैंकिंग निकाय

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

(i) एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन :

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार
- खर्च/अपने जेब से किये गये खर्च, जिन्हें नामे नहीं किया गया
- अप्राप्य ब्याज
- अप्रभारित ब्याज
- मूल धन

3.2 गैर बैंकिंग निकाय-बीमा :

क) प्रीमियम आय :

देय होने पर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर, सम्बद्ध व्यवसाय के लिए प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है। यथा लागू वस्तु

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

(i) on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

(ii) on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) Appropriation of recoveries in NPAs:

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's is to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited
- Unrealised interest
- Uncharged interest
- Principal

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

एवं सेवा कर (जीएसटी) काटकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

संबद्ध कारोबार में टॉप-अप प्रीमियम को एक सिंगल प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें आय के रूप में माना जाता है।

पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, बैंक को देय प्रशासनिक प्रभार तथा व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचाना जाता है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे प्राप्त होने पर निर्धारित किया जाता है जैसा कि आईआरडीएआई दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है।

घ) परिशोधित आय/लागत :

असम्बद्ध निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है और ब्याज आय के निमित्त समायोजित किया जाता है।

ङ) लाभांश :

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख को पहचाना जाता है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचाना जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित जाता है।

च) सम्बद्ध निधियों से आय :

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टैलिटी शुल्क आदि सहित सम्बद्ध निधियों से आय जब वसूली जाती है तब निर्धारित की जाती है।

छ) सम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर, परिकलित किया जाता है।

ज) असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

झ) इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी 1) / **इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)/रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी)/ की बिक्री पर लाभ/हानि :**

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉण्ड/ आईएनवीआईटी/आरईआईटी की बिक्री पर लाभ/(हानि) है तथा बही मूल्य की गणना बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर की जाती है।

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when the associated units are created.

Premium in case of PMJJBY Scheme is recognised at Gross of administrative charges and reimbursement of expenses (as applicable) payable to the banks.

b) Interest on loans against policies is recognized for on accrual basis.

c) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.

d) Amortised Income/Cost:

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/ fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding and adjusted against interest income.

e) Dividend:

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

f) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

g) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

h) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

i) Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)/ Infrastructure Investment Trust (InvIT)/ Real Estate Investment Trust (REIT) :

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds/ InvIT/ REIT is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

असम्बद्ध व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में जमा हुए परिवर्तन लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

तथापि, जहाँ अंतिम संग्रहणीयता में उचित संभाव्यता की कमी हो, वहाँ आय का निर्धारण स्थगित रखा जाता है।

ञ) **सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि) :**

सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है।

ट) **उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय :**

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को उस अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा इसे ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है।

ठ) **पुनर्बीमा प्रीमियम :**

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं :

क) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह निवल आस्ति मूल्य पर आश्रित है।

ख) ट्रस्टी फीस को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा तथा बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड के साथ आय को भरोसापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ब्याज तथा अन्य आय, यदि कुछ हो तो उसका लेखांकन एक्र्यूअल आधार पर किया जाता है।

ग) व्यापार की तारीख को, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एएस-13 के अनुसार एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग इकाइयों - मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं :

(क) यदि कंपनी का अंडरटिन इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का कुछ डिवोल्वमेंट होता है तो इसे निवेश माना जायेगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के वैल्यू के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(ख) सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित ब्रोक्रेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोक्रेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में ब्रोक्रेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये

In respect of non-linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

However, revenue recognition is postponed where ultimate collectability lacks reasonable certainty.

j) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the Revenue account of respective fund.

k) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received on lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending and clubbed with the interest income.

l) **Reinsurance Premium ceded:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit/commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

b) Trustee fees is recognized to the extent that it is probable that economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably arrangement with the BOI AXA Mutual Fund. Interest and other income, if any, is accounted on accrual basis.

c) Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security as per AS-13.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

a) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.

b) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recongnised on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognised on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization

जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य आयों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा।

4) गैर बैंकिंग गतिविधियां - बीमा : अन्य नीतियां

क) भुगतान किये गये लाभ:

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्ययगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सरेंडर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

ख) अधिग्रहण लागत :

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवार्ड तथा प्रोत्साहन, बिक्री स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टांप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्च किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

प्रथम वर्ष में भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त की गयी थी।

ग) पॉलिसी देयताएं :

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ होनी चाहिए। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाय।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई जीवन बीमा व्यवसाय के लिए (आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा

shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis.

4) NON BANKING ENTITIES – Insurance : Other Policies:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

c) Policy Liabilities:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. The reserves should be adequate to provide for all the policyholders benefits in various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for inforce policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations

जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) ऋण:

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी कमी के अधीन है। 12 माह से कम परिपक्वता के मामले में ऋणों को अल्पावधि में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर, अन्य ऋण दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किए जाते हैं।

ङ) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि:

भविष्य में विनियोजनों के लिए शेष राशि ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक को भी अंतरण आवश्यक करेगा।

गैर-सहभागिता वाले समूह वार्षिकी उत्पादों के संबंध में, प्रतिफल की अधिकता, फाइल तथा प्रयोग में परिभाषित, यदि हो, तो उसे वर्ष के दौरान अंतरिम वित्तीय अवधि में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि मानी जाती है तथा उक्त को वर्ष के अंत में फाइल में निर्दिष्ट अनुपात में पॉलिसीधारक तथा शेयरधारक के मध्य बाँटा जायेगा।

च) बंद पॉलिसी निधि :

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि, जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है -

i) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ii) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम, 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

छ) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफ एवं ए/सीआईआर/जीएलडी/195/08/124 दिनांक 14 अगस्त, 2014, आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/सीपीएम/134/07/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015, आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/सीएलडी/114/05/2015 दिनांक 28 मई, 2015, पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि संबंधी मास्टर परिपत्र संस्करण: 02 आईआरडीए/एफ एवं ए/सीआईआर/विविध/282/11/2020 दिनांक 17 नवंबर, 2020 और समय-समय पर यथा संशोधित निवेश विनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए अदावाकृत आस्तियों को रखा गया है और उन्हें निम्नानुसार प्रबंधित किया गया है:

i) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का निवेश अनुसूचित बैंकों की मुद्रा बाज़ार लिखतों, अर्थसुलभ म्यूचुअल फंड और/या मीयादी जमाओं में किया जाता है जिसे पिछली लागत से वैल्यू किया जाता है, यह परिपक्वता/धारिता की अवधि/सीधी रेखा आधार पर प्रिमियम के परिशोधन या छूट की अनुवृद्धि के अध्यधीन है।

ii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर प्राप्त आय को संबंधित

2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

e) Funds for Future Appropriation:

The balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to policyholders or to shareholders has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. In respect of participating policies, any allocation to the policyholders would also give rise to transfer to the shareholders in the required proportion.

In respect of the Non-participating Group Annuity products, the excess returns, if any as defined in file and use, is considered as funds for future appropriation in the interim financial periods during the year and the same would be distributed between policyholders and shareholders in the proportion prescribed in file and use at the year end.

f) Discontinued Policies fund:

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

i) Non-payment of contracted premium

ii) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

g) Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders is created and maintained in accordance with the requirement of IRDAI circular No. IRDA/F&A/CIR/GLD/195/08/124 dated August 14, 2014, IRDA/F&A/CIR/CPM/134/07/2015 dated July 24, 2015, IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dated May 28, 2015, Master circular on Unclaimed Amount of Policyholders Ver 02 IRDA/F&A/CIR/Misc/282 /11/2020 dated November 17, 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

i) Unclaimed amount of policyholders is invested in money market instruments, Liquid mutual funds and/or fixed deposits of scheduled banks which is valued at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii) Income on unclaimed amount of policyholders

दावा न किए गए फंड में जोड़ दिया जाता है और फंड प्रबंधन प्रभारों को घटाकर उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

iii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की देयता यथा वैल्यूएशन तारीख को बकाया इकाइयों के एनएवी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

5) अग्रिम:

i लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "अर्जक" और "अनर्जक अग्रिमों" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

iii घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते है :

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
अवमानक आस्ति:*	
एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूतिरहित एक्सपोजर जहां कुछ सुरक्षा प्रावधान जैसे निलंब (एस्क्रो) खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	20%
अन्य	15%
संदिग्ध :	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	
- एक वर्ष तक	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	40%
- तीन वर्ष से अधिक	100%
गैर जमानती हिस्सा	100%
हानि	100%

*बकाया अग्रिम पर

iv) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

v) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा आदि का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

vii) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो

is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis, net of fund management charges.

iii) Unclaimed amount of policyholders' liability is determined on the basis of NAV of the units outstanding as at the valuation date.

5) ADVANCES:

i) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

ii) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

iii) Provisions for NPAs are made at the rates given as under:

Category of NPAs	Provision % on net outstanding advance
Sub Standard:*	
Exposures, which are unsecured ab-initio	25%
Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
Others	15%
Doubtful:	
Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- Upto one year	25%
- One year to three years	40%
- More than three years	100%
Unsecured portion	100%
Loss	100%

*On the outstanding advance

iv) In respect of foreign entities, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to bank, whichever is stringent.

v) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

vi) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

vii) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net

कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते से वापस किया जा सकता है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित या एसआर /पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

viii) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

ix) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6) अस्थायी प्रावधान :

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8) निवेश :

क) सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख) निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार (i) भारत में किए गए निवेश को छह वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे-i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, iii) शेयर, iv) डिबेंचर और बॉंड, v) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और vi) अन्य तथा (II) 'भारत के बाहर किए गए निवेशों' को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है यथा i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश, iii) डिबेंचर और बॉंड और iv) अन्य निवेश

क. वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

viii) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign entities provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.

ix) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:

a) Transactions in Government Securities are recognised on settlement date and all other Investments are recognised on trade date.

b) Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Investment in Associates and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii.) Investment in Associates abroad iii) Debentures and Bonds and iv.) Other Investments.

A. Basis of classification:

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) **परिपक्वता तक धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) **कारोबार के लिए धारित**

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

(iii) **विक्री के लिए उपलब्ध**

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख. निवेश का अधिग्रहण लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

(ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

(i) **परिपक्वता तक धारित:**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में

(i) **Held to Maturity:**

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) **Held for Trading:**

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) **Available for Sale:**

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) **Held to Maturity:**

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) **Held for Trading / Available for Sale:**

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net

केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

"कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) / निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर	ब्रेक अप वैल्यू पर नवीनतम तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं), अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ।
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

घ. विभिन्न श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण:

(i) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी :

क) यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख) यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

(ii) एएसएस/एचएफटीसे एचटीएम में अंतरण : बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम

depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

(i) HTM to AFS/HFT :

a) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

b) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

(ii) AFS/HFT TO HTM: Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower

श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजर अंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

(iii) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत : एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो इनके विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च. रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्शिक उधार और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ. आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 9/21.04.048/2016-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2018 से प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बची गयी दबावग्रस्त आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी तथा बेची गयी आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 10 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो उसके अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान होगा:

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों के दर पर; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

(iii) AFS TO HFT AND VICE-VERSA : In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR. No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2018. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 10% of entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

जब बैंक के द्वारा एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में बैंक निवेश करता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को पहचाना जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य

जब तक उपर्युक्त की बिक्री या वसूली न हो जाय तब तक उपर्युक्त विधि से निर्धारित कीमत पर बैंक की बही में उपर्युक्त निवेश जारी रहेगा।

9) डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव में फॉरेक्स वायदा संविदा का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

(क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।

(ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है

(ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसे लाभ एवं हानि के रूप में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(च) ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।

(ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

10) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the Net Book Value of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at a price as determined above until its sale or realization.

9) DERIVATIVE

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b)Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

(e) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(f) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(g) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(h) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

10) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका
1.	भवन एवं भूमि			
1क.	भूमि (फ्री होल्ड)	शून्य		
1ख.	पट्टाधारित भूमि		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है।	
1ग.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	1.58%	60 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
2	अन्य अचल आस्तियां:-			
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ख)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ग)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
घ)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ङ)	साइकल	20.00%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
च)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर सॉफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
छ)	कम्प्यूटर सॉफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	खरीदी के वर्ष में 100.00%	-	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित

ङ) वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।

च) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित, संबंधित आस्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास लिया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ) भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
1	Land & Building:			
1.a.	Land (Freehold)	NIL		
1.b.	Leasehold Land		Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	Straight Line
2.	Other Fixed Assets:-			
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	Straight Line
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	Straight Line
e.	Cycle	20.00%	5 Years	Straight Line
f.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	Computer Software, not embedded in hardware	100% in the Year of acquisition	-	As prescribed by RBI

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक एएस 11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया जाता है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉजेंसिज/रयूटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign entities are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित 'तिमाही औसतन क्लोजिंग दर' पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12) कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

ए. परिनिश्चित लाभ योजना:-

क) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। वेस्टिंग पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर ही होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ख) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits

है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - 'कर्मचारी लाभ' के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग :

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखांकन 17 के अनुसार बैंक कारोबार संबंधी खण्ड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्ड और भोगेलिक खण्ड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

14. प्रति शेयर अर्जन :

क) एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

15. आय पर कर :

क) बीओआई ग्रुप द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा

under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. Other Long term Employee Benefits:

All eligible employees are entitled to the following-

i) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

ii) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

iii) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) SEGMENT REPORTING:

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

14) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

15) TAXES ON INCOME:

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred

संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

घ) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

16. आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह भी हो सकता है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

18. शेयर निर्गम संबंधी व्यय :

शेयर निर्गमित किए जाने वाले वर्ष में शेयर निर्गमन संबंधी व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

d) In Consolidated Financial Statements, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

16) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

17) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

18) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे रु. करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

	अनुषंगियों का नाम	निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2021 कोमूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2020 कोमूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :				
क	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	भारत	100%	100%
ख	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	52.29%	51%
ग	बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि	भारत	51%	51%
घ	बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	100%	100%
विदेशी अनुषंगियां:				
क	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%	76%
ख	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड	तंजानियां	100%	100%
ग	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) **सहयोगी कंपनियां:**

	सहयोगियों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2021 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2020 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
i)	मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ii)	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iii)	आर्यावर्त बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ख	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग	एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

	Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2021	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2020
Domestic Subsidiaries:				
a)	BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b)	BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	52.29%	51%
c)	BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

	Name of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2021	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2020
a)	Regional Rural Banks-			
	i. Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)	India	35%	35%
	ii. Vidharbha Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
	iii. Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart)	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2021 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2020 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	28.96%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2021 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2020 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2021 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2021 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2021 के वित्तीय विवरणपत्र निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा-परीक्षित किए गए हैं।

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2021 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

v) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई एक्सा इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, एसटीसीआई फाइनेन्स लि. तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि. के 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12. 2020 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

vi) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक तथा एएसआरईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन द्वारा मूल बैंक में रु.3,000 का निवेश किया। आरबीआई के पत्र संदर्भ संख्या डीओआर.सीएपी. एस82/21.01.002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के अनुसार

c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) Joint Venture:

Name of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2021	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2020
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	28.96%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2021 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2020 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2021.

4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2021 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2021 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2021 duly audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2021 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, Aryavart Bank, STCI Finance Ltd. & Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. for the financial year ended 31.03.2021 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2020.

(vi) Unaudited financial statements of Vidharbha Konkan Gramin Bank and ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2021 certified by their management.

31 मार्च, 2021 को रखी गई शेयर आवेदन राशि, लंबित आबंटन को सीईटी1 पूंजी के रूप में माना जाएगा।

7. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों,अन्य ऑफिस इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/ समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

ए) पूंजी:

क्र सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1) (%)	12.16%	10.55%
ii)	टियर -I पूंजी अनुपात (%)	12.61%	10.57%
iii)	टियर -II पूंजी अनुपात (%)	2.94%	3.17%
iv)	कुल अनुपात पूंजी (CRAR) (%)	15.55%	13.74%
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	89.10%	89.10%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	0.00	*4,638.00
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लंबित **	**3,000.00	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि ; जिसमें से :		
	क) पीएनसीपीएस	0.00	0.00
	b) पीडीआई	1,352.00	0.00
ix)	वर्ष के दौरान टियर -II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्टुमेंट		
	a) डेट कैपिटल इस्ट्रूमेंट	0.00	0.00
	b) पीसीपीएस /आरएनसीपीएस/ आरसीपीएस	0.00	0.00

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 4,638 की शेयर आबंटित राशि प्राप्त हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आबंटन किया गया था।

** आरबीआई पत्र सं. डीओआर.सीएपी.एस82/21.01/002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को रु.3,000 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी-1 पूंजी यथा 31 मार्च,2021 की गणना पर विचार किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2021 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

6. During the year ended March 31, 2021, the Government of India has infused ₹ 3,000 in Parent Bank towards preferential allotment of equity shares. The same is kept in Share Application Money, pending allotment and considered as part of CET1 Capital as on March 31, 2021 in terms of RBI communication reference no. DOR.CAP. S82/21.01.002/2021-22 dated April 30, 2021.

7. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

8. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

a) Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET-1) (%)	12.16%	10.55%
ii)	Tier-I Capital ratio (%)	12.61%	10.57%
iii)	Tier-II Capital ratio (%)	2.94%	3.17%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	15.55%	13.74%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	89.10%	89.10%
vi)	Amount of Equity Capital Raised during the year	0.00	*4,638.00
vii)	Share application money pending for allotment	**3,000.00	0.00
viii)	Amount of Additional Tier-1 capital raised during the year ; of which:		
	a) PNCPS	0.00	0.00
	b) PDI	1,352.00	0.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year		
	a) Debt capital instruments	0.00	0.00
	B) PCPS / RNCPS / RCPS	0.00	0.00

* The Share application money of ₹ 4,638 was received in FY 2018-19 and allotment was made in FY 2019-20.

** In terms of RBI communication reference no. DOR.CAP. S82/21.01/002/ 2021-22 dated April 30, 2021, the share application money of ₹ 3,000 received on March 31, 2021 has been considered for computation of CET-1 capital as on March 31, 2021.

Pursuant to RBI circular No. DBR.No.BP. BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

जिस वर्ष में जुटाए	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
	कुल	1,352.00	1,352.00

वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2021 को मूल बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से क्रमशः रु.750 एवं रु.602 के बासेल-III अनुपालित अतिरिक्त टियर-1 बॉण्ड सीरीज VI तथा सीरीज VII जारी किए हैं।

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2013-14	टियर II	1,500.00	600.00
2015-16	टियर II	3,000.00	2,400.00
2016-17	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	7,000.00	5,500.00

मूल बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 11 जून, 2020 को रु.1,000 राशि के अपर टियर II बॉण्ड सीरिज VI को रिडीम किया है। मूल बैंक ने भी 9 सितंबर, 2020 को रु.300 राशि के इन्नोवेटिव पर्पेचुअल बॉण्ड (आईपीडीआई) सीरिज VI को रीडिम करने के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है।

बी) आरक्षितियों से विनियोजन:

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. CG-DL-E-23032020-218862 दिनांक 23.03.2020 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में निहित संशोधन के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद बैंक ने 03 नवंबर, 2020 को शेयर प्रीमियम खाते से रु.23,782.39 की संचित हानियों को विनियोजित किया है। उक्त विनियोजन का बैंक कि प्रदत्त पूँजी, पूँजी पर्याप्तता, लीवरेज अनुपात तथा निवल मालियत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सी) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त आनुपातिक पूँजी का निवेश किया है :

i) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹ 23.79

ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में ₹ 27.45

डी) मूल बैंक ने अपनी अनुषंगी - 'बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लि.' में अतिरिक्त ₹ 5.79 का निवेश किया है। जिसके परिणामस्वरूप, मूल बैंक की हिस्सेदारी 31.03.2020 को 51% से बढ़कर 31.03.2021 को 52.29% हो गई।

Details of outstanding additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
	Total	1,352.00	1,352.00

During the year ended March 31, 2021, the Parent Bank has issued Basel-III compliant Additional Tier-1 Bonds Series VI and Series VII of ₹ 750 and ₹ 602, respectively, through private placement.

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier-II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2013-14	Tier-II	1,500.00	600.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	2,400.00
2016-17	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	7,000.00	5,500.00

The parent bank has exercised call option and redeemed Upper Tier II Bonds Series VI Amounting to ₹ 1,000 on June 11, 2020. The Parent Bank has also exercised call option to redeem Innovative Perpetual Bonds (IPDI) Series VI amounting to ₹ 300 on September 9, 2020.

b) Drawdown from Reserves:

In terms of Gazette notification No. CG-DL-E-23032020-218862 dated 23.03.2020 issued by Ministry of Finance (Department of Financial Services) containing amendment in Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, after complying with the regulatory requirements and after getting approval from Reserve Bank of India vide their letter dated October 29, 2020, the Bank has appropriated accumulated losses of ₹23,782.39 from its share premium account on November 03, 2020. The said appropriation has no impact on Bank's Paid-up capital, Capital Adequacy, Leverage Ratio and Net Worth.

c) During the year ended March 31, 2021, the Parent Bank has infused additional proportionate capital in the following associate Regional Rural Banks:

i) ₹ 23.79 in Madhya Pradesh Gramin Bank

ii) ₹ 27.45 in Vidharbha Konkan Gramin Bank

d) The Parent Bank has invested additional ₹ 5.79 in its subsidiary - 'BOI AXA Investment Managers Private Limited'. As a result, the stake of the Parent Bank has increased from 51% as on 31.03.2020 to 52.29% as on 31.03.2021.

ई) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2020-21	2019-20
एनपीए के लिए प्रावधान	6,647.95	14,446.24
निवेशों के मूल्य में ह्रास	868.65	341.92
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	1,079.03	(-)1,640.42
मानक आस्तियों पर प्रावधान	(-)70.89	872.05
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	199.17	505.41
कुल	8,723.91	14,525.20

एफ) फ्लोटिंग प्रावधान - (मूल बैंक)

विवरण	2020-21	2019-20
प्रारम्भिक शेष	232.22	232.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
अंतिम शेष	232.22	232.22

जी) आय कर - (मूल बैंक)

I) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में रु. 1,186.47 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 581.40 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

II) लागू कर विधियों के प्रावधान तथा कुछ विवादित मामलों पर प्रासंगिक विधिक निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद कर के लिए प्रावधान निकाला गया है।

एच) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)

वर्ष 2020-21 के दौरान, मूल बैंक ने अनुषंगियों की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2021 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

ए. लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद नहीं है।

e) **Provisions and Contingencies:**

Items	2020-21	2019-20
Provision for NPA	6,647.95	14,446.24
Depreciation in Value of Investments	868.65	341.92
Provision for Taxation (including deferred tax)	1,079.03	(-)1,640.42
Provision on Standard Assets	(-)70.89	872.05
Other Provisions (including floating provisions)	199.17	505.41
Total	8,723.91	14,525.20

f) **Floating Provisions - (Parent Bank)**

Particulars	2020-21	2019-20
Opening Balance	232.22	232.22
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing Balance	232.22	232.22

g) **Income-Tax – (Parent Bank)**

i) Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹1,186.47 (previous year ₹ 581.40) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

ii) Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

h) **Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)**

During the year 2020-21, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2021 no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

There are no material prior period items during the year.

(iii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) : वर्ष 2020-21 के दौरान लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

There are no material prior period items during the year.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5): There was no change in the accounting policy during the year 2020-21.

वी . लेखांकन मानक 15 -'कर्मचारी लाभ' (मूल बैंक)
AS-15 " Employee Benefits" (Parent Bank)

क्रम सं Sr. No	विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2020-21		वित्तीय वर्ष FY 2019-20	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	बट्टा दर	Discount Rate	6.96%	6.49%	6.82%	6.59%
	प्लान आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	Expected Rate of Return on Plan Assets	8.04%	10.85%	8.65%	8.62%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	मोर्टेलिटी टेबल	Mortality Table	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट IALM (2006-08) ULTIMATE		आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट IALM (2006-08) ULTIMATE	
(ii)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in present value of obligation:**				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the year	1,747.81	16,065.92	1,683.78	14,709.20
	ब्याज लागत	Interest Cost	108.69	989.13	102.87	925.49
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	166.37	873.16	75.36	729.39
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	372.36	1650.19	350.68	1,330.55
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	284.81	559.03	236.48	1,032.39
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,935.32	16,837.05	1,747.81	16,065.92
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	Table of Fair value of Plan Assets:				
	वर्ष के प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the- Beginning of the year	1,649.47	15,827.60	1,592.38	14,314.88
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	132.62	1,717.29	137.74	1,233.94
	अंशदान	Contributions	444.70	903.63	335.84	1,405.03
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	372.36	1650.19	350.68	1,330.55
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	76.19	(-)267.31	(-)65.81	204.30
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,930.62	16,531.02	1,649.47	15,827.60
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	(-)208.62	(-)826.34	(-)302.29	(-)828.09
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	Actual return on Plan Assets:				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	132.62	1,717.29	137.74	1,233.94
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	76.19	(-)267.31	(-)65.81	204.30
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	208.81	1449.98	71.93	1,438.24
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	Amount recognised in the Balance Sheet:				
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1,935.32	16,837.05	1,747.81	16,065.92
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,930.62	16,531.02	1,649.47	15,827.60
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in the Balance Sheet	4.70	306.03	98.34	238.32

क्रम सं Sr. No	विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2020-21		वित्तीय वर्ष FY 2019-20	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(vi)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	Expenses recognised in the Income-Statement:				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	166.37	873.16	75.36	729.39
	ब्याज लागत	Interest Cost	108.69	989.13	102.87	925.49
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(-)132.62	(-)1,717.29	(-)137.74	(-)1,233.94
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability				
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	Expense Recognised in P & L	208.62	826.34	302.29	828.09
	अपरिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित नहीं)	Unamortised expenses (not charged to P&L Account)	351.06	971.34	342.78	1,249.03
			0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	Balance Sheet Reconciliation:				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	98.34	238.32	91.39	394.32
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	351.06	971.34	342.78	1,249.03
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(-)444.70	(-)903.63	(-)335.83	(-)1,405.03
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Amount Recognised in Balance Sheet	4.70	306.03	98.34	238.32
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	Category of Assets:				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	Government of India Securities	73.81	2,198.78	73.99	2,192.01
	इक्विटी	Equity	0.00	316.89	0.00	161.97
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	134.42	5,184.24	142.46	4,605.86
	राज्य सरकार	State Government Securities	248.27	5,363.35	300.91	5,012.41
	अन्य	Other	1,474.12	3,467.76	1,132.11	3,855.35
	कुल	Total	1,930.62	16,531.02	1,649.47	15,827.60
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	Experience Adjustment:				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	On Plan Liability (Gain)/Loss	315.39	791.71	(-)86.04	808.90
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	On Plan Asset (Loss)/Gain	86.25	(-)620.28	100.21	155.64

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ * :

विवरण	31.03.2021 देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान	31.03.2020 देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान
अवकाश नकदीकरण	1,283.57	437.52	846.05	54.62
अवकाश यात्रा छूट	62.23	0.14	62.09	(-)1.87
पुनर्वास लाभ	7.33	(-)0.54	7.87	0.64
माइलस्टोन अवार्ड	4.52	0.03	4.49	0.26
चिकित्सा अवकाश**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रू. 229.26 (विगत वर्ष रू. 161.42) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

Other long term employee benefits*

Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,283.57	437.52	846.05	54.62
Leave Travel Concession	62.23	0.14	62.09	(-)1.87
Resettlement Benefits	7.33	(-)0.54	7.87	0.64
Milestone Awards	4.52	0.03	4.49	0.26
Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent Bank has contributed ₹ 229.26 (Previous Year ₹ 161.42) towards

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 1,548.05 (विगत वर्ष रु. 756.04) और ग्रैच्युटी के लिए रु 331.98 (विगत वर्ष रु. 428.10) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

ii. **योजना में अधिशेष/घाटा:**

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17
परिभाषित लाभ देयता	1,935.33	1,747.81	1,683.78	1,754.54	1,410.08
प्लान आस्तियां	1,930.62	1,649.47	1,592.38	1,319.42	1,360.32
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	326.34	0.00
अधिशेष / (घाटा)	**(-)4.70**	**98.34**	**91.40**	**108.78**	**(-) 49.76**
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	315.39	(-)86.04	54.03	(-)22.79	38.41
प्लान आस्ति (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	86.25	100.21	14.29	(-)4.76	1.71

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17
परिभाषित लाभ देयता	16,837.05	16,065.92	14,709.20	13,716.87	12,851.12
प्लान आस्तियां	16,531.02	15,827.60	14,314.88	13,330.64	12,321.80
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	791.71	808.90	546.91	(-)66.62	198.92
प्लान आस्ति (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	(-)620.28	155.64	37.73	33.27	103.05

such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Parent bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1,548.05 (Previous Year ₹ 756.04) and towards Gratuity is ₹ 331.98 (Previous Year: ₹ 428.10).

Surplus/ Deficit in the Plan:

Particular	Gratuity Plan				
	FY 2020-21	FY 2019-20	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17
Defined benefit obligation	1,935.33	1,747.81	1,683.78	1,754.54	1,410.08
Plan assets	1,930.62	1,649.47	1,592.38	1,319.42	1,360.32
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	326.34	0.00
Surplus/ (deficit)	(-)4.70	98.34	91.40	108.78	(-) 49.76
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	315.39	(-)86.04	54.03	(-)22.79	38.41
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	86.25	100.21	14.29	(-)4.76	1.71

Particular	Pension Plan				
	FY 2020-21	FY 2019-20	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17
Defined benefit obligation	16,837.05	16,065.92	14,709.20	13,716.87	12,851.12
Plan assets	16,531.02	15,827.60	14,314.88	13,330.64	12,321.80
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)306.03	(-)238.32	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	791.71	808.90	546.91	(-)66.62	198.92
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	(-)620.28	155.64	37.73	33.27	103.05

(बी) लेखांकन मानक 17 - "खण्ड रिपोर्ट करना"

(C) AS-17 "Segment Reporting"

भाग क: कारोबार खण्ड

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
राजस्व	Revenue	17,155.41	15,229.21	15,760.37	17,953.98	15,100.47	16,137.92	48,016.25	49,321.11
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366.39	203.60
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32.64	125.05
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48,350.00	49,399.66
परिणाम	**Results**	**5,349.02**	**4,106.86**	**(-)1,438.25**	**(-)8,537.03**	**(-)15.67**	**755.90**	**3,895.10**	**(-)3,674.27**
गैर-आबंटित व्यय									
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	Unallocated Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)733.32	(-)1,017.19
आयकर	Profit/(Loss) Before Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3,161.78	(-)4,691.46
असाधारण लाभ/ हानि	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1,079.03	(-)1,640.42
निवल लाभ	Extraordinary profit/ loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2,082.75	(-)3,051.04
अन्य जानकारी :	Other Information:								
खंड आस्तियां	Segment Assets	2,78,786.05	2,36,699.52	240300.78	2,39,264.83	185138.74	1,57,280.34	7,04,225.56	6,33,244.69
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28,564.53	29,774.15
कुल आस्तियां	**Total Assets**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7,32,790.10**	**6,63,018.84**
खंड देयताएं	Segment Liabilities	2,66,000.92	2,27,077.33	2,56,872.42	2,57,652.67	1,51,080.44	1,25,147.64	6,73,953.78	6,09,877.64
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8,856.09	8,068.05
कुल देयताएं	**Total Liabilities**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6,82,809.87**	**6,17,945.69**

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	**Geographical Segments**	घरेलू **Domestic**		अंतर्राष्ट्रीय **International**		कुल **Total**	
विवरण	Particulars	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
राजस्व	Revenue	45,894.58	45,057.67	2,455.42	4,341.99	48,350.00	49,399.66
आस्तियां	Assets	6,45,772.68	5,66,995.92	87,017.42	96,022.92	7,32,790.10	6,63,018.84

बीओआई समूह ने एएस-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. **प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड**

क) **कोषागार परिचालन** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु.5 तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 50 से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन :

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. **गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड**

क) घरेलू परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(डी) लेखांकन मानक 18 "संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार" (मूल बैंक):

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ :	श्री अतनु कुमार दास
कार्यपालक निदेशकगण :	श्री सी. जी. चैतन्य (31.08.2020 को सेवानिवृत्त) श्री पी. आर. राजगोपाल श्री स्वरूप दास गुप्ता (10.03.2021 से) श्री एम. कार्तिकेयन (10.03.2021 से) श्रीमती मोनिका कालिया (10.03.2021 से)

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. **Primary Segment: Business Segments**

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. **Secondary Segment: Geographical Segments**

a) Domestic Operations

b) International Operations

(D) **AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):**

Key Managerial Personnel:

Managing Director & CEO:	Shri Atanu Kumar Das
Executive Directors:	Shri C. G. Chaitanya (superannuated on 31.08.2020) Shri P. R. Rajagopal Shri Swarup Dasgupta (From 10.03.2021) Shri M. Karthikeyan (From 10.03.2021) Smt. Monika Kalia (From 10.03.2021)

प्रदत्त पारिश्रमिक : Remuneration paid :

(in ₹)

क्र. सं. Sr No	विवरण	Name	2020-21	2019-20
1	श्री दीनबंधु मोहापात्रा	Shri Dinabandhu Mohapatra	-	8,57,839
2	श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	30,02,820	27,92,421
3	श्री नीलम दामोदरन	Shri Neelam Damodharan	-	17,66,707
4	श्री सी.जी. चैतन्य	Shri C.G. Chaitanya	47,68,776	26,90,263
5	श्री पी.आर. राजगोपाल	Shri P. R. Rajagopal	31,52,053	89,146
6	श्री एम. कार्तिकेयन	Shri M. Karthikeyan	1,46,801	-
7	श्री स्वरूप दासगुप्ता	Shri Swarup Dasgupta	1,46,801	-
8	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt. Monika Kalia	1,46,801	-

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

(ई) लेखांकन मानक 19 - "पट्टा वित्तपोषण" (मूल बैंक): शून्य

(E) AS19 "Lease Financing" (Parent Bank): Nil

(एफ) लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर अर्जन" रुपयों में:

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

(F) AS20 "Earnings per Share" in ₹:

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र.सं.	विवरण	S. No.	Particulars	2020-21	2019-20
(ए)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (रु करोड़) (ए)	(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	2,082.75	(-)3,051.04
(बी)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)	(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	327.69	325.01
(सी)	मूलभूत आय (ए/बी) (रु.)	(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (`)	6.36	(-)9.39
(डी)	तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर सहित इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)	(D)	Weighted Average number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	327.81	NA
(ई)	तनुकृत आय (ए/डी) (रु.)	(E)	Dilutive Earnings per share (A/D) (`)	6.35	(-)9.39
(एफ)	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	(F)	Nominal Value per Equity Share (`)	10.00	10.00

(जी) लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" :

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(G) AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
आस्थगित कर आस्तियां	Deferred Tax Assets		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	14,304.04	15,131.49
अन्य	Others	659.88	626.24
कुल आस्थगित कर आस्तियां	Total Deferred Tax Assets	14,963.92	15,757.73
आस्थगित कर देयता	Deferred Tax Liabilities		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	279.04	286.98
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	0.00	0.00
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	943.32	952.07
अन्य	Others	919.35	759.97
कुल आस्थगित कर देयताएं	Total Deferred Tax Liabilities	2,141.71	1,999.02
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	12,822.21	13,758.71

(एच) लेखांकन मानक 24 - बट्टाकरण परिचालन:

भारत सरकार के निर्देशों अनुरूप एवं परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में, मूल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी अनुषंगियां जैसे बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया, जिसके के लिए रु.14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु.19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(आई) लेखांकन मानक 27 - "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश में शामिल हैं रू.75 (पिछल वर्ष रू. 75) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की ब्याज का प्रतिनिधित्व :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निगमन देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	₹ 75	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	208.63	190.24
जमाराशियां	-	-
उधार	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	3,390.38	2,607.69
कुल	**3,599.02**	**2,797.93**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	54.56	10.62
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
निवेश	3,386.41	2,640.40
अग्रिम	3.74	3.03
अचल आस्तियां	7.51	6.77
अन्य आस्तियां	146.80	137.11
कुल	**3,599.02**	**2,797.93**
पूंजीगत बाध्यताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	27.13	20.99
आय		
अर्जित ब्याज	11.30	10.39
अन्य आय	50.56	29.75
कुल	**61.86**	**40.14**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	-	-
परिचालन व्यय	37.77	13.27
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	5.14	9.71
कुल	**42.91**	**22.98**
लाभ / (हानि)	**18.95**	**17.16**

(जे) लेखांकन मानक 29 : "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां": (मूल बैंक)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष	99.19	100.28
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	11.01	0.87
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	9.29	1.96

(H) Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, during Financial year 2019-20, the Parent Bank sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of - 14.64 and remaining cost of investment of - 19.18 has been fully provided.

(I) AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorporation	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	75	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Liabilities		
Capital & Reserves	208.63	190.24
Deposits	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities & Provisions	3,390.38	2,607.69
Total	3,599.02	2,797.93
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	54.56	10.62
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	3,386.41	2,640.40
Advances	3.74	3.03
Fixed Assets	7.51	6.77
Other Assets	146.80	137.11
Total	**3,599.02**	**2,797.93**
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	27.13	20.99
Income		
Interest Earned	11.30	10.39
Other Income	50.56	29.75
Total	61.86	40.14
Expenditure		
Interest Expended	-	-
Operating Expenses	37.77	13.27
Provisions & Contingencies	5.14	9.71
Total	**42.91**	**22.98**
Profit / (Loss)	18.95	17.16

(J) AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2020-21	2019-20
Opening Balance	99.19	100.28
Provided during the year	11.01	0.87

अंतिम शेष	100.91	99.19
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्ते, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

10. अन्य नोट :

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखाकंन नीति के स्थान पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा 31 मार्च 2021 को कुल निवेश का लगभग 1.77% (विगत वर्ष 1.63%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से तैयार हुआ है।

(बी) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मूल बैंक ने 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी ग्यारहवाँ द्विपक्षीय समझौता में रु.460.92 का प्रावधान किया।

(सी) **कोविड 19 विनियामकीय पैकेज:** पूरे विश्व में कोविड-19 के प्रसार से भारत के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आयी है तथा वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान 'दूसरी लहर', जिसमें मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में लॉकडाउन को फिर से लागू किया गया है। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियाँ विस्तारित कार्यशील पूँजी चक्र तथा ग्राहक चूक में वृद्धि की संभावना से उत्पन्न होंगी। वर्तमान 'दूसरी लहर' किस सीमा तक बैंक के परिणाम को प्रभावित करना जारी रखेगी यह निरंतर तथा भविष्य के विकास पर निर्भर है, जो कि अत्यधिक अनिश्चित है।

इस स्थिति में, हालांकि चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, मूल बैंक निरंतर आधार पर इसका मूल्यांकन कर रहा है और सभी स्तरों पर इसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तथापि, प्रबंधन का मानना है कि इन चुनौतियों के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे मूल बैंक के वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर "कोविड 19 विनियामकीय पैकेज" से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 तथा 23 मई 2020 के अनुपालन में, मूल बैंक ने मानक रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं को, यदि वे 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय हैं तो उसके पुनर्गठन पर विचार किए बिना, 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच किस्तों तथा/या ब्याज, जैसा लागू हो, के भुगतान पर ऋणस्थगन प्रदान किया है। अधिस्थगन अवधि, जहां भी दी गई है, मूल बैंक द्वारा आरबीआई के आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खातों को बाहर रखा गया है। आरबीआई परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित दिया गया है:

Amounts used during the year	9.29	1.96
Closing Balance	100.91	99.19
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

10. Other Notes:

a) The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 1.77% (previous year 1.63%) of the total investments as on 31st March, 2021.

b) During FY 2020-21, the Parent Bank has made provision of - 460.92 towards the 11th Bi-Partite Wage Settlement effective November 1, 2017.

c) **COVID 19 Regulatory Package:** The spread of COVID-19 across the globe has resulted in significant decline in Indian as well as global economic activities and increase in volatility in financial markets. The current 'second wave' of COVID-19 pandemic, in which number of cases has increased significantly, has resulted in re-imposition of lockdown measures in various parts of the country. Major challenges for the Bank would arise from extended working capital cycles and probability of increase in customer defaults. The extent to which, including the current 'second wave' will continue to impact Bank's results will depend on ongoing as well as future developments, which are highly uncertain.

In this situation, though the challenges continue to unfold, the Parent Bank is evaluating the same on an ongoing basis and gearing up itself at all fronts to meet the same. The management, however, believes that no adjustments are required for these challenges as they may not significantly impact the financial results of the Parent Bank.

In accordance with RBI guidelines relating to "COVID 19 Regulatory Package" on Asset Classification and Provisioning, dated March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020, the Parent Bank has granted a moratorium on payment of instalments and / or interest as applicable, falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to eligible borrowers classified as Standard, even if overdue as on February 29, 2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, wherever granted, is excluded by the parent Bank from the number of days

क्र.सं	विवरण	राशि
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणी से संबंधित राशि, जहाँ ऋणस्थगन/स्थगन में वृद्धि की गई थी	29,266.93
2	संबंधित राशि जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ में वृद्धि की गई है	-
3	31 मार्च, 2020 तथा 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार किए गए प्रावधान	1,031.82
4	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान स्लिपेज पर समायोजित प्रावधान	1,031.82
5	31 मार्च, 2021 तक धारित प्रावधान	-

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, गजेन्द्र शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य की जनहित याचिका मामले में अंतरिम आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया था कि ऐसे खाते, जो 31 अगस्त, 2020 तक अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में घोषित नहीं हुए हैं, को अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, मूल बैंक ने किसी भी देशी ऋण खातों, जो 31 अगस्त, 2020 को मानक थे, को एनपीए के रूप में घोषित नहीं किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 23 मार्च, 2021 के अनुसार, उपर्युक्त अंतरिम आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2020 को रद्द करते हुए तथा 7 अप्रैल, 2021 को जारी संबंधित आरबीआई अधिसूचना के अनुसार मूल बैंक ने 1 सितंबर, 2020 से प्रभावी मौजूदा आईआरसीए मानदंडों के अनुसार इन उधारकर्ता खातों को वर्गीकृत किया तथा इन खातों के प्रावधान के लिए उपर्युक्त-उल्लिखित अतिरिक्त प्रावधान का उपयोग किया।

डी) “आस्ति वर्गीकरण तथा आय निर्धारण के बाद कोविड-19 विनियामकीय पैकेज” पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के अनुदेशों के अनुसार, मूल बैंक ने जिन्होंने अधिस्थगन अवधि अर्थात 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधा का लाभ लिया था, इसके बाबजूद कि ऋणस्थगन का लाभ पूर्णत: या आंशिक लिया गया, या नहीं लिया गया सहित सभी उधारकर्ताओं को प्रभारित “ब्याज पर ब्याज” वापस कर दिया है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, इस तरह के ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए प्रक्रिया भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित कि गई थी। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.128.43 की देयता सृजित की गई थी तथा ब्याज आय से घटा दी गई।

(ई) दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा पर आरबीआई के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार, मूल बैंक ने 8 उधार खातों में रु.976.21 का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जहाँ समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के अन्दर अर्थक्षम समाधान योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

the account is past due for the purpose of Asset Classification under RBI's Income Recognition and Assets Classification norms. The disclosures as required by RBI Circular DOR.No.BP. BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 is given below:

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended	29,266.93
2	Respective amount where asset classification benefits is extended	-
3	Provisions made in quarter ended March 31, 2020 and June 30, 2020, in terms of para 5 of the above circular	1,031.82
4	Provisions adjusted during the quarter ended March 31, 2021 against slippages	1,031.82
5	Provision held as on March 31, 2021	-

The Honorable Supreme Court of India, in a public interest litigation case of Gajendra Sharma Vs. Union of India & Another, vide an Interim order dated September 3, 2020 had directed that the accounts which were not declared as Non-Performing Assets (NPA) till August 31, 2020 shall not be declared as NPA till further orders. Accordingly, the Parent Bank had not declared any domestic loan accounts as NPA which were Standard as on August 31, 2020.

Pursuant to the Honorable Supreme Court's final order dated March 23, 2021, vacating the above Interim order dated September 3, 2020, and the related RBI notification issued on April 7, 2021, the Parent Bank has classified these borrower accounts as per the extant IRAC norms with effect from September 1, 2020 and utilised the said above-mentioned additional provision towards provision for these accounts.

d) In accordance with the instructions of RBI circular dated April 7, 2021 on “Asset Classification and Income Recognition following the expiry of COVID-19 Regulatory package”, the Parent Bank has refunded “interest on interest” charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during the moratorium period i.e. March 1, 2020 to August 31, 2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. As required by the RBI notification, the methodology for calculation of such interest on interest was circulated by the Indian Bank's Association. Accordingly, a liability of ₹ 128.43 towards the same has been created and reduced from interest income for the year ended March 31, 2021.

e) As per RBI Circular No.DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2021 the Parent Bank holds additional Provision of - 976.21 Cr in respect of 8 borrower accounts, where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days/365 days of review period.

(एफ) आरबीआई परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार कोविड 19 दवाब हेतु समाधान रूपरेखा के अंतर्गत लागू समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित दिया गया है:

f) Details of the resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 Stress as per RBI circular dated August 6, 2020 are given below:

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	ए) खातों की संख्या जहां इस विंडों के अंतर्गत समाधान योजना कार्यान्वित की गई A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	बी) योजना को लागू करने से पहले (ए) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर B) Exposure of accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	सी) कर्ज की कुल राशि जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित की गई थी C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	डी) योजना को लागू तथा कार्यान्वयनवित करने सहित, अतिरिक्त वित्त मंजूरी , यदि कोई हो D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	ई) समाधान के कार्यान्वयन के कारण प्रावधान में वृद्धि E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	8,401	749.26	-	-	74.92
कॉर्पोरेट व्यक्ति Corporate Persons	3	743.92	-	-	74.39
जिनमें से, एमएसएमई of which, MSMEs	-	-	-	-	-
अन्य Others	6	44.95	-	-	4.49
कुल Total	8,410	1,538.13	-	-	153.80

(जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 62/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 तथा डीओबार सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/201-20 दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, जहां पर 30 दिन की समीक्षा अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु यथा 01.03.2021 को 180 दिनों की समाधान अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में समाधान के लिए बढ़ी हुई समय-सीमा निम्नलिखित के अनुसार है :

विवरण	खातों की संख्या	राशि
दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण मानदण्ड के अंतर्गत संशोधित समाधान समय-सीमा	6	9,836.64

(एच) मूल बैंक के पास 100% प्रावधान है, जिसकी वसूली अन्य पीएसयू बैंक के साथ विवाद के अंतर्गत है। खाते को धोखाधड़ी के रूप में आरबीआई को रिपोर्ट किया गया। हालंकि दोनों बैंक 100% प्रावधान कर रहे थे, आरबीआई ने अपने पत्र (सं. डीओएस.सीओ.एसएसए म(बीओआई)/6557/13.37.007/2019-20) दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से मूल बैंक को कुछ शर्तो के अधीन निरंतर आधार पर (अर्थात रु.291.63 का 50%) विवादित राशि का 50%

g) In terms of RBI Cir No DOR.No.BP.BC.62/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and DOR.No.BP.BC.72/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020, extended timelines for resolution from the date where review period of 30 days are over but the 180 days of resolution period had not expired as on March 1, 2021, are as under:

Particular	No. of Accounts	Amount
Revised Resolution Timelines under the Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets	6	9,836.64

h) The Parent Bank was holding 100% provision in a particular account, recovery of which is under dispute with another PSU Bank. The account has been reported as fraud to RBI. As both the Banks were holding 100% provision, RBI vide its communication (Ref. DoS.Co.SSM(BOI)/6557/13.37.007/2019-20) dated April 13, 2020 permitted the Parent Bank to maintain a provision of 50% of the disputed amount on an ongoing basis (i.e. 50% of - 291.63) subject to certain conditions.

का प्रावधान करने की अनुमति दी। तदनुसार, अब मूल बैंक के पास विवादित राशि हेतु रु.145.81 का प्रावधान है।

(आई) यथा 31 मार्च 2021 को, आरबीआई द्वारा उल्लिखित एनसीएलटी खाता (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक रु. 4,227.96 की बकाया राशि के 100% प्रावधान को होल्ड करता है।

(जे) मूल बैंक और अनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में जिन अतिरिक्त जानकारियों का प्रकटन किया गया है, उनका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और न्यायोचित दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं है तथा कम महत्व की मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

(के) पिछली अवधि के आंकड़ो को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

Accordingly, the Parent Bank now holds provision of - 145.81 for the disputed amount.

i) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2021, the Parent Bank holds 100% provision of the outstanding value of - 4,227.96 .

j) Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

k) Previous Year’s figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति/बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मत

1. हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया** ('मूल बैंक') तथा इसकी अनुषंगियों, सहायकों तथा संयुक्त निकायों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से "**समूह**" कहा जायेगा) की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित खाते जिन्हें हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 04 जून, 2021 के माध्यम से लेखा परीक्षित किया गया है।

   ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 5 अनुषंगियों, 1 संयुक्त उद्यम और 4 सहायक संस्थाओं (2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखा परीक्षित परिणाम को तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया 3 विदेशी अनुषंगियों का और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षित वित्तीय विवरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 विशेषत: समेकन के उद्देश्य से है; और

   ग) सहायक संस्था(1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) का लेखापरीक्षा न किया गया परिणाम जो प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है।

2. हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के संबंध में हमारे मत पर आधारित उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप है और निम्नलिखित प्रस्तुत करते है:

   क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक के समेकित तुलनपत्र एवं बैंक की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

   ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में हानि का वास्तविक शेष; और

   ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक"(एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद 10 में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शतों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

To

To The President of India / The Members of Bank of India

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of **Bank of India** ('the Holding Bank") and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as "**the Group**"), associates and joint venture, which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2021, the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which includes:

   a) Audited Financial Statements of the Holding bank which have been audited by us, vide our report dated June 04, 2021;

   b) Audited Financial Statements of 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 4 Associates (including 2 Regional Rural Banks) audited by other auditors and financial statements of 3 overseas subsidiaries prepared by the management as on 31st March, 2021 and reviewed by the other auditors specifically for consolidation purpose; and

   c) Un-audited financial statements of 2 Associates (including 1 Regional Rural Bank) prepared by the management.

   In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the audit / review reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates and the unaudited financial statements of Associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group, its associates and Joint venture as at 31st March, 2021

   b) true balance of profit in case of statement of Consolidated Profit / Loss account, for the year ended on that date; and

   c) true and fair view in case of Consolidated Cash flow statement, for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group, its associates and joint venture in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in

परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों का प्रभाव

3 क) कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची - 18 का नोट सं.10 (सी)। यह स्थिति अनिश्चित है और बैंक प्रबंधन स्थिति और वर्तमान आधार पर बैंक के घरेलू व अंतरराष्ट्रीय कारोबार परिचालनों पर पड़े प्रभाव का आकलन लगातार कर रहा है;

ख) संचित हानि को शेयर प्रीमियम के उपयोग से पूरा करने से संबन्धित संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 का नोट सं 8(बी)

इन मामलों में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	**<u>भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशानिर्देशों (आईआरएसी मानक) के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।</u>** **अग्रिम :** बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।	हमने आईआरएसी मानदंडों/परिपत्रों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों तथा धारक बैंक की नीतियों के आधार पर अग्रिमों और निवेशों की लेखपरीक्षा की है। **<u>अग्रिम: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:</u>** क) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ख) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। ग) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidences obtained by us and the audit evidences obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in paragraph 10 below, is sufficient and appropriate to provide the basis for audit opinion on the consolidated financial statements.

3. Emphasis of Matter

a) Note No.10(c) of Schedule-18 of the accompanying Consolidated Financial Statements regarding impact of COVID-19 pandemic. The situation continues to be uncertain and the management of the Bank is evaluating the situation and impact on its Domestic & International business operations of the Bank on an ongoing basis; and

Note No. 8(b) of Schedule-18 of the accompanying Consolidated Financial Statements relating to utilisation of share premium for setting of accumulated losses.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:.

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1)	<u>Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)</u> **<u>Advances</u>** The Holding Bank has to classify the accounts as performing advances or non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances is system driven. The software used by the Holding Bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the Holding Bank.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Holding Bank. **<u>Advances</u>**: Our audit procedure included: a. Communication to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the Holding Bank and reliance on the audit reports furnished by the branch statutory auditors. b. Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the Holding Bank for identification, classification and provisioning in case of advances. c. Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
		हमें आबंटित शाखाओं को लेखा परीक्षण के दौरान हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों को जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है।
	निवेश : भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 55.93% तथा 23.44% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया गया है।
2)	**अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन।** टैक्स मुकदमों सहित मूल बैंक के विरुद्ध कई मुकदमें हैं। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, सेवा कर अधिनियम के तहत कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली की प्रयोज्यता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन परिणामों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	**हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है:** क) मुकदमों/कर मूल्यांकनों की वर्तमान स्थिति को समझना; ख) हमने विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनतम आदेशों, सूचनाओं तथा उनके बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई को प्राप्त किया है; ग) आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा जताया गया है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
		d. Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. e. Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the Holding Bank.
	Investments : The Holding Bank has to classify the investments as performing or non performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 55.93% and 23.44% respectively of total assets of the Holding Bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the Holding Bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	**Investments:** Our audit procedure included: a Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the Holding Bank for identification, classification and provisioning in case of investments. b Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. c Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. d Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the Holding Bank.
2)	**Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities** The Holding Bank has various litigations including tax litigations. The Holding Bank has also disputes regarding availability of input credits/applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	**Our audit approach involved:** a. Understanding the current status of the litigations/tax assessments; b Review of the latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed; b Reliance on the opinion of legal and tax consultants, where available.

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन को जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
3)	**सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का मूल्यांकन:** संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों के अनुपालन को रिपोर्ट करना आदि में आईटी कंट्रोल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार को रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता को विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा जांच में निम्नलिखित शामिल है: क) सिस्टम के परिचालन को प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। ख) विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। ग) सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। घ) बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी | प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता को आवश्यकताओं की जांच। ङ) डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच। च) जनरेट हुई रिपोर्टों को नमूना आधार पर समीक्षा छ) बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है।
4)	कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर की गई संशोधित लेखा-परीक्षा कार्यवाही कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया एवं यात्रा प्रतिबंधों को लगाया गया तथा आरबीआई ने, जहां प्रत्यक्ष फिजिकल रूप से पहुंचना संभव नहीं था, वहां बैंक को अप्रत्यक्ष रूप से लेखा-परीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बैंक के शाखा परिसरों, एनबीजी कार्यालयों में बैंक जाकर लेखा-परीक्षा नहीं की जा सकी थी। चूंकि हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों के पदाधिकायों से व्यक्तिगत रूप से भौतिक/चर्चा एवं व्यक्तिगत बातचीत कर लेखा-परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, अत: ऐसी संशोधित लेखा-परीक्षा कार्यवाही को हमने महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में चिन्हित किया है। तदनुसार, हमारी लेखा-परीक्षा की प्रणालियों को अप्रत्यक्ष लेखा-परीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया था।	कोविड-19 महामारी के कारण, हमारी लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा राष्ट्र्व्यापी लॉकडाउन व अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं, हम शाखाओं/एनबीजी कार्यालयों की यात्रा नहीं कर सके और संबंधित कार्यालयों में फिजिकल रूप से लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सके। जहां कहीं भी फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां, बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम ई-मेल और सीबीएस को अप्रत्यक्ष पहुंच तथा अन्य संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से हमें अपेक्षित रिपोर्ट/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए गए थे। इस सीमा तक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और रिकॉर्डों के आधार पर की गई थी, जिस पर लेखा-परीक्षा संपन्न करवाने और वर्तमान अवधिहेतु रिपोर्टिंग के लिए लेखा-परीक्षा साक्ष्य के रूप में निर्भर थे। **तदनुसार, हमने अपनी लेखा-परीक्षा प्रणाली को निम्नप्रकार से संशोधित किया था:** क) जहां फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक की कुछ शाखाओं/कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में अप्रत्यक्ष(रिमोट) एक्सेस/ईमेल के माध्यम से अपेक्षित रिकॉर्डों/दस्तावेज़ों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
3)	**Assessment of Information Technology (IT):** IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit procedure includes:- a. Understanding and testing of operative effectiveness of the system. b. Understanding the coding system adopted by the Holding Bank for various categories of customers. c. Understanding and testing of different validations available in the system d. Checking the user requirements for any changes in the regulations/policy of the bank e. Testing of logic used for extracting the data. f. On sample basis reviewing the reports generated. g. Reliance on the system audit report of the Holding Bank.
4)	**Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:** Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Holding Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the Branch premises, NBG offices of the Holding Bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/ NBG offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches / NBG offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to us by the Holding Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us on which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a Conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/ and other Application software electronically through remote access/emails in respect of some of the Branches /offices and other offices of the Holding Bank wherever physical access was not possible.

क्र सं	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
		ख) हमें ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई, स्कैन की गई दस्तावेज़ों की प्रतियों, विलेखों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों का सत्यापन किया गया तथा बैंक के नेटवर्क की सुरक्षा हेतु अप्रत्यक्ष एक्सेस किया गया। ग) जांच करना तथा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), टेलीफोन पर संपर्क/कॉन्फ्रेंस कॉल एवं ईमेल के माध्यम से अपेक्षित लेखा-परीक्षा संबंधी साक्ष्य एकत्रित करना। घ) हमारे लेखा-परीक्षा अवलोकनों का समाधान नामित पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क करने के स्थान पर टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से संपर्क कर किया जाना।
5)	**<u>आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण:</u>** मूल बैंक के महत्वपूर्ण लेखा नीति , जो एएस 22 के अनुरूप है आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय की वसूली की जा सकती है। भावी समयावधि में पूर्वानुमानित लाभ पर आधारित अवधि में आस्थगित कर आस्तियों के अभिनिर्धारण की एक बड़ी धनराशि के कारण इस प्रकार की आस्तियों में अनिश्चितता तथा जोखिम बढ़ता है।	हमारी लेखापरीक्षा में आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं तथा अन्य मानदंडों का मूल्यांकन के लिए भविष्य कर योग्य लाभ की पर्याप्तता पर प्रबंधकीय आंकलन शामिल है:-

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है,

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

   समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

Sl. No.	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
		b Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Holding Bank. c Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Document Management System (DMS), telephonic communication /conference calls and e-mails. d Resolution of our audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.
5)	**<u>Recognition of Deferred Tax Assets:</u>** As per Significant Accounting Policy of the Holding Bank, which is in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. We identified the recognition of deferred tax assets as a key audit matter involves judgement by management as to the likelihood of the realization of these deferred tax assets, which is based on a number of factors including whether there will be sufficient taxable profits in future periods to support recognition.	Our audit procedure included evaluating management assessment on the sufficiency of the future taxable profits in support of the recognition of deferred tax assets such as assumptions and other parameters used for recognition of deferred tax asset.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Holding bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

जब भी बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल है, यदि कोई हो तो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमें उक्त मामले के बारे में प्रशासन के प्रभारी से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

प्रबंधन तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में गवर्नेंस युक्त है, उनके उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों जो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक का समेकित वित्तीय प्रदर्शन तथा समेकित नकदी प्रवाह तथा समेकित वित्तीय स्थिति की एक वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग, विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेख बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, के समनुरूप उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों को बनाए रखना शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, संबंधित निदेशक मंडल बैंक को संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

ग्रुप में शामिल बैंक के निदेशक मंडल,इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम ग्रुप के निकायों की वित्तीय रेपोर्टिंग प्रकिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समेकित रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं,

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, its associates and Joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as applicable to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the banks within the Group, its associates and Joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group, its associates and Joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group, its associates and Joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group, its associates and Joint venture or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the banks included in the Group, its associates and Joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group, its associates and Joint venture financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial

इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।

- इन परिस्थितियों में उचित लेखा परीक्षा प्रक्रिया को बनाने के लिए मूल बैंक के लेखा परीक्षा से संबन्धित आंतरिक नियंत्रक की समझ प्राप्त करने हेतु।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों को उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण को समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के बैंकों, उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य बैंकों, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए अन्य लेखा परीक्षक जिम्मेदार होगें, जिन्होंने लेखा परीक्षा की है । हम केवल हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय जानकारी में एकल या समेकित रूप में गलत जानकारी का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। इससे वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजनाओं, तथा (ii) वित्तीय विवरण में पहचान किए गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करने में परिमाणात्मक महत्ता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Holding Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, its associates and Joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the bank within the Group, its associates and Joint venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of the bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

हम अन्य विषयों में लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षो को गवर्नेस प्रभारी को सूचित करते है।

हम गवर्नेस के प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों अन्य मामलों जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं. और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन किया है

प्रशासन को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और निम्नलिखित से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:

क) 5 अनुषंगियों जिसका वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आस्तियां रु 627.36 करोड़ है, कुल राजस्व रु 52.27 करोड़ और कर पश्चात कुल निवल हानि रु 0.53 करोड़ है और निवल नकद आउटफ्लो रु 81.55 करोड़ है। यह समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है जिसकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

ख) 1 संयुक्त उद्यम जिसका वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आस्तियां रु 3511.58 करोड़ है, कुल राजस्व रु 61.87 करोड़ और कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ रु 56.02 करोड़ है और निवल नकद इनफ्लो रु 43.95 करोड़ है। यह समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है जिसकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

ग) 4 सहायक संस्थानों के वित्तीय विवरण जो समूह के वित्तीय विवरण में शामिल है यथा 31 मार्च 2021 के कर पश्चात निवल हानि रु 72.87 करोड़ के भागीदार है,जिस पर समेकित वित्तीय विवरण पर विचार किया गया है, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

इन इकाइयों की वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट , हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और उक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जो इन अनुषंगियों और सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है, पूर्ण रूप से अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर है।

एक विदेशी सहायक संस्थान के संदर्भ में, वित्तीय जानकारी जिस देश में स्थित है उस देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानदंडो के अनुरूप तैयार की गई है और यह अन्य लेखा परीक्षकों द्वरा सामान्य रूप से उस देश में लागू लेखा मानदंडो के तहत लेखा परीक्षित की गई है। मूल बैंक के प्रबंधन ने ऐसे सहायक संस्थान की वित्तीय जानकारी को जिस देश में स्थित है उसके लेखा मानदंडो से भारत में समान्यत: रूप से लागू लेखा मानदंडो में परिवर्तित किया है।भारत के बाहर स्थित ऐसे सहायक संस्थानों के संबंध में राशि और प्रकटन पर हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिवर्तित समायोजन पर आधारित है।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. The accompanying consolidated financial statements include the audited financial statements and other financial information in respect of:

a) The financial statements of 5 Subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs.627.36 crore as at March 31, 2021, total revenues of Rs. 52.27 crore and total net loss after tax of Rs. 0.53 crore for the year ended on that date, and net cash outflows of Rs 81.55 crore as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

b) The financial statements of 1 Joint Venture whose financial statements reflect total assets of Rs. 3511.58 crore as at March 31, 2021, total revenues of Rs. 61.87 crore and total net profit after tax of Rs. 56.02 crore for the year ended on that date, and net cash inflows of Rs 43.95 crore, as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

c) The financial statements of 4 Associates whose financial statements include Group's share of net loss after tax of Rs. 72.87 crore for the year ended March 31, 2021, as considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors.

The independent auditor's reports on the financial statements of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

In respect of one foreign associate, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country in which it is situated and has been audited by the other auditors under generally accepted auditing standards as applicable in the country in which it is situated. The Holding Bank management has converted the financial information of such associate from accounting principles generally accepted in the country in which it is situated to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures of such associate located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Holding Bank.

9. **संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित के संदर्भ में अलेखापरीक्षित/समीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:**

क) 3 अनुषंगियों का वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आस्तियां रु 3020.87 करोड़ है, कुल राजस्व रु 214.17 करोड़ और कर पश्चात कुल निवल लाभ रु 22.82 करोड़ है और निवल नकद इनफ्लो रु 26.77 करोड़ है। यह समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है जिसकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

ख) 2 सहायक संस्थानों के वित्तीय विवरण जो समूह के वित्तीय विवरण में शामिल है यथा 31 मार्च 2021 के कर पश्चात निवल हानि रु 24.41 करोड़ के भागीदार है,जिस पर समेकित वित्तीय विवरण पर विचार किया गया है, किसी भी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

यह वित्तीय विवरणियाँ समीक्षित/अलेखापरीक्षित है और हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और इन अनुषंगियों तथा सहायक संस्थानों के संबंध में रकम और प्रकटन से संबन्धित समेकित वित्तीय विवरणी के बारे में हमारी राय सम्पूर्ण रूप से अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है। हमारे मत तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के लिए यह वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय और अन्य विधिक और विनियामक जरूरतों पर हमारी रिपोर्ट , अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी के सबंध में हमारे द्वारा किए गए कार्य में उपर्युक्त मामलों के सबंध में कोई आशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

11. उपरोक्त पैरा 5 और 9 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क. हमने समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं,

ख. हमारी जानकारी में आए हुए समूह के बैंकों के लेन-देन समूह के संबंधित बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

ग. समूह के बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

12. **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :**

क. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, होल्डिंग बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

9. **The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited/reviewed financial statements and other financial information in respect of:**

a) The financial statements of 3 Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of Rs. 3020.87 crore as at March 31, 2021, total revenues of Rs. 214.17 crore and total net profit after tax of Rs.22.82 crore for the year ended on that date, and net cash inflows of Rs 26.77 crore as considered in the consolidated financial statements, have been reviewed by other auditors.

b) The financial statements of 2 Associates whose financial statements reflect Group's share of net loss after tax of Rs. 24.41 crore for the year ended as on 31st March, 2021, as considered in the consolidated financial statements have not been audited by any auditor.

These financial statements are reviewed/unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the un-audited financial statements/financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit of the consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the banks within the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the respective banks within the Group, and

c) The returns received from the banks within the Group have been found adequate for the purposes of our audit of the consolidated financial statements.

12. **We further report that:**

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय आंकडे तैयार करने के लिए रखे गए प्रासंगिक खाता बहियों से मेल खाते हैं।

ग. बैंकिग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित/लेखा परीक्षित घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के खातों की रिपोर्टों और बैंक के शाखा-लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

घ. हमारी राय में, समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

13. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएँ" के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/ 2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते है, जो निम्नलिखित है:

क) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करते हैं, वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं है।

ख) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ग) यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर, बैंक के निदेशकों में से किसी को भी यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य (डिस्क्वालीफाई) नहीं बताया गया है।

घ) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्तें, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of accounts maintained for the purpose of the preparation of the consolidated financial statements;

c) The reports on the accounts of the domestic and overseas subsidiaries, associates and joint venture reviewed/audited by other auditors and the reports of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been provided to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021, none of the directors of the bank is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

बासेल III (स्तंभ 3)- प्रकटन(समेकित) मार्च 2021

तालिका डीएफ 1
अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है - बैंक ऑफ़ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

क. ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है हाँ/नहीं	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-जांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी आर्यवर्त बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाइश, इन दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-

ख) ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जिसके लिए लेखांकन समेकन गुंजाइश और नियामक समेकन गुंजाइश, इन दोनों के तहत समेकन हेतु विचार न किया गया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (इक्विटीइरिजर्व)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार)
बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.	बैंकिंग	2,891.66	5,127.49
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	969.30	5,636.72
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	बैंकिंग	1,095.93	3,295.69
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	बैंकिंग	5,722.77	18,356.50
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन व का निपटान	302.64	324.62
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	504.53	553.09
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	2.05	2.28
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	मर्चट बैंकिंग	157.41	161.32
स्टार यूनियन दाई-इची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	जीवन बीमा	7,204.20	124,275.51
एसटीसीआई फाइनान्स लि.	एनबीएफसी-एनडीएसआई	21,132.06	1,40,603.76
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1,562.45	2,902.61
इंडो जांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	3,960.19	34,655.84
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	(5,036.97)	57,829.70
आरआरबी आर्यावर्त बैंक	बैंकिंग	21,556.53	3,53,230.42
आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	3,822.51	1,95,683.84

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल राशि जिसे विनियामक समेकन, अर्थात गुंजाइश में शामिल नहीं किया गया जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में कोई कमी नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बीमा कंपनियों के नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन बैलेंस शीट में यथा प्रतिपादित राशि मिलियन	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % /मतदान अधिकार का अनुपात	कटौती पद्धति का उपयोग करने बनाम जोखिम भारितापद्धति का उपयोग करने से नियामक पूंजीपर मात्रात्मक प्रभाव (रु.मिलियन में)
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कं.लि.	जीवन बीमा	2589.64	28.96	1875.00 (जोखिम भार 250%)

च. वैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियामक पूंजी के अंतरण के संबंध में कोई प्रतिबंध या बाधाएं जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशासित है।

तालिका डीएफ - 2
पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया :

बैंक समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मैक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) :

बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम आईडीआर1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी) :

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ़ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर बीओटी और बीओयू स्थानीय विनियामक के पास प्रस्तुत है। 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होकर आईएफआरएस-9 को कार्यान्वित किया गया है।

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है:

टियर 1 पूंजी : टियर-1 पूंजी की गणना में शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा आस्थागित प्रभार सांविधिक आरक्षितियाँ, तथा सामान्य प्रावधान घटाये जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : - अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड़) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(रु. मिलियन में)

ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :(#)	
➢ मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	2,30,876.80
➢ प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	
बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (#)	13,280.00
➢ ब्याज दर जोखिम	9,082.50
➢ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	283.50
➢ इक्विटि जोखिम	3,914.00
परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता (#): **बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण** **मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)**	29,440
कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात : (शीर्ष समेकित समूह हेतु)	
➢ आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1)	11.51
➢ टियर 1 पूंजी (T 1)	11.96
➢ कुल पूंजी अनुपात	14.93
# आवश्यक पूँजी को आरडब्ल्यूए की 9% की दर से न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर गणना की जाती हैं।	

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम
सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित हैं:

- पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

1.0 बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

ऐसी आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है, जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं

करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- किसी ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार "अनियमित" हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तब ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छ: माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 "अनियमित" स्थिति

कोई खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब उसमें स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को "अनियमित" खाता माना जाता है।

1.3 "अतिदेय"

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब "अतिदेय" होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ :

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेन्चर/बॉण्ड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण, कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण, तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

"आस्तियाँ", अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। "अनर्जक आस्तियाँ" बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा हैं जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

2010 में पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इण्डोनेशिया ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि यदि ट्रांजिशन अवधि के दौरान अर्थात् 2011 तक बैंक पूर्व कि हानि के डाटा रखरखाव नहीं करता है तो वह उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। पीएसएके परिकलन को बैंक की कोर बैंकिंग में शामिल करने की प्रक्रिया में है जो प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण के हमारे कारोबारी योजना के अनुरूप है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाना चाहिए :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-120	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और ज्यादा	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड), बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- ➢ संपार्श्विक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ➢ ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ➢ ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- ➢ प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

- ➢ ग्राहक का उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ➢ ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- ➢ गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- ➢ बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- ➢ बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ➢ ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. :

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा करके निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
0-29	स्तर - 1	एनज़ेड आईएफ़आरएस दिशानिर्देशों के अनुसार
30-89	स्तर - 2	एनज़ेड आईएफ़आरएस दिशानिर्देशों के अनुसार
90 दिन और अधिक	स्तर - 3 (ह्रासित आस्तियां)	एनज़ेड आईएफ़आरएस दिशानिर्देशों के अनुसार

5.0 बैंक ऑफ़ इंडिया(तंजानिया) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
30-90	विशेष उल्लेखनीय	3%
91-180	अवमानक	20%
181-360	संदिग्ध	50%
361 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा -

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :

क. बैंक ऑफ़ इंडिया :

- ➢ किसी बैंक के पोर्टफोलियों में, किसी ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या संभावित ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- ➢ इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
- ➢ ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।

- ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति:

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रख पाया। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा, निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन की परिपाटी, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बट्टे खाते में डालने की नीति तथा वसूली नीति, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नीति, बैंक एक्सपोजर नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा:

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष और इसके सदस्य के रूप में ऋण, मार्केटिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निर्धारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारत सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करते हैं तथा बोर्ड/आर.कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियो का अनुप्रवर्तन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते है तथा कमियों को दूर करने के उपाय करते हैं। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। किसी ग्राहक को एक्सपोजर की गणना करते समय निवेश एक्सपोजर पर ध्यान दिया जाता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियो के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आने वाली या आने वाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

- **ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकार अधिकारों का प्रत्यायोजन :**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है।

अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है

जहां बेहतर रेट वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो महाप्रबंधक और उससे उच्चतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित प्राधिकारमें आते हैं। "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण प्रस्तावों में जोखिमों को स्वतंत्र एवं परोक्ष रूप से मूल्यांकन समझा जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु स्वीकृति के अधिकारी सहित गठित की गई हैं। प्रधान कार्यालय स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ऋण समितियाँ (जीएमएलसीसी, ईडीएलसीसी एवं सीएसी) कार्यरत हैं। आंचलिक कार्यालय/ एनबीजी कार्यालय में उनके अधिकारों में आनेवाले ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इसी प्रकार ऋण समितियाँ (एसजेडएलसीसी/ जेडएलसीसी/एनबीजीएलसीसी) का गठित की गई है।

➢ **विवेकपूर्ण सीमाएँ**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

➢ **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण**

काउन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

➢ **ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)**

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छ:माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल छ) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ix. विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए है :-

I. एनपीए होने से पहले खाता डविशेष रूप से उल्लिखित खाता (एसएमए);

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

ङ. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

II. एनपीए होने के बाद खाता:-

क. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ख. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान

ग. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

घ. अग्रिम को रीकॉल करना

ङ. अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन

च. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्,खाता को नियत शेष के बट्टे खाते में डाला जाता हैं ।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधनइकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई ("आंतरिक लेखापरीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को

संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। ज़ोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

- उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।
- अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।
- पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ए. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार

प्रवर्ग	राशि मिलियन रुपयों में
निधि आधारित	44,88,050.00
गैर-निधि आधारित *	4,76,210.00
कुल	**49,64,260.00**

* क्रेडिट छोड़कर डेरिवैटिव के समतुल्य

बी. जोखिम का भौगोलिक वितरण:

(रु. मिलियन में)

	स्वदेशी	विदेशी	वैश्विक
निधि आधारित	39,65,990	5,22,060	44,88,050.00
गैर-निधि आधारित	3,99,980	76,230	4,76,210.00

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण (निधि आधारित और गैर- निधि आधारित) निम्नलिखित है :

(रु. मिलियन में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में	गैर निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में
कोयला	1,002.58	0.00
खदान	11,605.00	590.76
लौह एवं इस्पात	1,09,103.37	828.26
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	24,853.95	8,560.82
सभी इंजीनियरिंग	16,474.76	3,578.12
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,104.46	464.51
विद्युत	3,57,687.74	50,317.05
सूती वस्त्र उद्योग	27,946.57	427.73
जूट वस्त्र उद्योग	1,114.46	2.40
अन्य वस्त्र उद्योग	39,527.02	2,919.78
खाद्य प्रसंस्करण	44,394.70	3,458.11
जिसमें वनस्पति तेल	3,410.69	553.68
जिसमें चीनी	21,608.76	324.17
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	18,936.52	2,571.31
जिसमें चाय	56.74	13.98
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	2,547.61	31.68
पेपर एवं पेपर उत्पाद	10,397.47	492.38
रबर एवं रबर उत्पाद	16,416.35	2,347.43
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	39,414.97	7,183.58
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	16,932.37	187.82
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	5,893.50	1,589.79
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	9,032.84	4,457.64
जिसमें अन्य		
सीमेंट	14,383.88	225.03
चर्म एवं चर्म उत्पाद	3,794.80	152.91
रत्न एवं आभूषण	54,950.44	117.35
निर्माण	43,815.87	25,810.86
पेट्रोलियम	16,785.09	2,430.01
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	22,542.52	1,304.33
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में	गैर निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में
आधारभूत संरचनाड	5,37,064.13	87,503.14
जिसमें से पॉवर	3,58,005.12	50,317.05
जिसमें से दूरसंचार	1,421.12	32.52
जिसमें से सड़के और पत्तन	1,33,605.18	25,903.19
अन्य उद्योग	44,777.92	11,250.38
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	30,92,226.72	2,77,928.27
कुल	**44,88,050.00**	**4,76,210.00**
➢ बुनियादी संरचना क्षेत्र के 10.96% के दर से एक्सपोज़र कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है		
➢ बुनियादी संरचना क्षेत्र के 15.10% के दर से एक्सपोज़र कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% से अधिक है		

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(रु. मिलियन में)

	अग्रिम	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
पहला दिन	1,63,126.90	4,60,277.15	4,148.60
2 से 7 दिन	68,087.56	48,062.37	2,37,829.25
8 से 14 दिन	70,746.33	28,198.72	29,472.98
15 से 30 दिन	66,586.85	30,009.87	15,589.23
31 दिन और 2 माह तक	77,299.22	34,660.53	1,14,811.00
>2 माह और 3 माह तक	84,689.80	47,299.94	1,14,833.15
>3 माह और 6 माह तक	1,22,157.18	71,331.48	1,17,684.34
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1,89,501.65	64,904.59	38,883.87
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	15,23,676.99	3,22,677.53	2,193.30
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2,85,641.86	1,97,286.80	-
5 वर्ष से अधिक	8,34,737.69	6,22,818.44	-
कुल	**34,86,252.02**	**19,27,527.43**	**6,75,445.73**

ई. सकल एनपीए इस प्रकार हैं-

(रु. मिलियन में)

प्रवर्ग	
अवमानक	65,154.31
संदिग्ध - 1	51,312.05
संदिग्ध - 2	1,20,615.71
संदिग्ध - 3	1,13,163.16
हानि	2,15,643.58
कुल	**5,65,888.81**

एफ. निवल एनपीए की राशि रू. 1,22,879.45 मिलियन है।

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

➢ सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : **13.77%**

➢ निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : **3.35%**

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	6,16,180.02
ii)	वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	85,646.28
iii)	वर्ष के दौरान की गई कटौती	1,35,937.49
iV)	वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	**5,65,888.81**

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(रु. मिलियन में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	4,51,121.81
ii)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	24,466.46
iii)	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	54,575.41
iv)	वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	**4,21,012.86**

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रु. 25,200.42 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रु. 20,002.28 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	35,720.93
ii)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	10,717.03
iii)	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	1,858.56
iv)	विनियम अंतरण	-
v)	वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii+iv)	44,579.40

एम. बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया गया प्रावधान एवं एन.पी.ए :

(रु. मिलियन में)

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
कोयला	353.84	351.32
खदान	857.37	426.36
लौह एवं इस्पात	7,275.74	5,691.88
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	8,812.30	7,180.20
सभी इंजीनियरिंग	5,308.12	4,502.69
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	901.52	726.41
विद्युत	35,161.75	37,483.78
सूती वस्त्र उद्योग	11,356.42	9,084.18
जूट वस्त्र उद्योग	625.87	533.78
अन्य वस्त्र उद्योग	12,638.75	9,282.21
खाद्य प्रसंस्करण	14,722.01	12,007.21
जिसमें वनस्पति तेल	2,526.65	1,238.55
जिसमें चीनी	2,968.08	2,117.25
जिसमें अन्य खाद्य प्रसंस्करण	9,227.28	8,651.41
जिसमें चाय	0.00	0.00
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	682.89	661.35
पेपर एवं पेपर उत्पाद	3,468.26	2,668.46
रबर एवं रबर उत्पाद	1,723.56	925.21
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	7,609.40	6,144.12
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	2,345.31	2,313.06
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1,058.43	665.68
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	1,638.89	1,064.53
जिसमें अन्य	2,566.77	2,100.85
सीमेंट	1,991.26	1,468.88
चर्म एवं चर्म उत्पाद	604.37	349.29
रत्न एवं आभूषण	10,980.18	9,261.06
निर्माण	13,320.87	6,743.17
पेट्रोलियम	942.86	565.14
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	11,748.87	10,624.60
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00
आधारभूत संरचनाङ	78,429.11	59,556.00
जिसमें से पॉवर	35,161.75	27,483.77
जिसमें से दूरसंचार	956.91	635.56
जिसमें से सड़के और पत्तन	31,633.27	23,949.69
अन्य उद्योग	10,677.18	7,486.98
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	3,36,373.49	2,34,775.56
कुल	**5,65,888.81**	**4,21,012.86**

एन. भूगोलवार एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए सोलो)

(रु. मिलियन में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	4,70,010.30	95,339.10	5,65,349.40
एनपीए हेतु प्रावधान	3,31,484.30	89,254.50	4,20,738.80

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

- ➢ किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम
- ➢ ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- ➢ बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

1.0 बैंक ऑफ़ इंडिया:

क. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआरई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

ख. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

ग. बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

घ. विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

ङ. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

च. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

छ. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोज़र है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे ।

ज. दीर्घावधि एक्सपोज़र हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

झ. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होती है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता।

ञ. निवेश दावे का आरडब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

ट. विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ठ. यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निर्धारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोज़र में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. तथा बैंक ऑफ इंडिया (बोतस्वाना) लि. :

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन /कार्यरत नहीं है।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी) :

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

i. मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रुपये मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोज़र की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
(मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% जोखिम भार से कम	69,67,970.00
100% जोखिम भार	7,72,820.00
100% से अधिक जोखिम भार	3,02,470.00

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

- ➢ ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इनका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत ;
- ➢ संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- ➢ बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- ➢ गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं

➢ लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

➢ संपार्श्विकृत संव्यवहार

➢ ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

➢ गारंटियाँ

2. **पात्र वित्तीय संपार्श्विक**

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है।

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

ix. संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. **ऑन-बैलेंस-शीट- नेटिंग:**

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. **गारंटियाँ:**

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं- बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए। गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i. केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ।

ii. कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी।

iii. व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी।

6. **संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं: -**

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता:

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि

किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) लोन टू वैल्यू अनुपात :

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

ग) मूल्य- निर्धारण:

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्य- निर्धारण के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्य-निर्धारण का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ङ) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा:

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) संपार्श्विक की विक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके :

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.:

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

विनियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति		सीमा (कोर पूंजी के %के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग)	अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है :

संपार्श्विक स्थिति		सीमा (कोर पूंजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा, पूंजी के 25% है और इसे बढ़ाकर कोर पूंजी के 50% किया जा सकता है।
क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	
ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग)	अप्रतिभूत	

ii. मात्रात्मक प्रकटन :

(रुपये मिलियन में)

(क) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोज़र (बाद में, जहां लागू हो, ऑन-ओर -ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद।	3,47,430.00
(ख) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोज़र (बाद में, जहां लागू हो, ऑन-ओर-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है) द्वारा कवर की गई है।	8,36,580.00

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

समेकित स्तर पर यथा 31.03.2021 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

लागू नहीं।

तालिका डीएफ-7

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

i. गुणात्मक प्रकटन :

(क) मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियो को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता ।

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं:

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमॉडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए . चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर पालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए विवेकपूर्ण सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार -दैनिक एवं औसत मांग उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी निधियां आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं काम करती हैं।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है।

एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

बी. ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक ड्यूरेशन गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की ड्यूरेशन आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है क्योंकि वीएआर के लिए विवेकपूर्ण सीमा नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

निर्धारित आय, इक्विटी,फोरेक्स आदि सहित बाजार जोखिम की स्थिति के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन स्ट्रेस टेस्टिंग से किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु विवेकपूर्ण सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा, अधिकतम निवेश सीमा, ईक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

ई. बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं। नीतियों, सीमाओं आदि पर चर्चा के लिए मार्केट जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) एक मूलभूत स्तरीय समिति है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), तरलता जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीतिगत मामलों पर विचार करती है। एएलएम कक्ष ग्राउंड लेवल पर समर्थन प्रदान करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति विदेशी केन्द्रों पर भी परिचालन में हैं।

ii. जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है ।एएलसीओ द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओ को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति - ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

iii. हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां:

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

iv. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., (अनुषंगी) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

क. बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(रु. मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
ब्याजदर जोखिम	9,083.52
विदेशी विनिमय जोखिम (गोल्ड सहित)	283.50
ईक्विटी जोखिम	3,914.01
# पूंजी आवश्यकता का परिकलन आरडब्ल्यूए की 9% की दर पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता पर किया जाता है।	

तालिका डीएफ-8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) अथवा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), जो लागू हो के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.कॉम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत ज़ोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआरइ) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है ।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नीतियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटीन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और "आपने ग्राहक को जानिए" से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढंग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- विनियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ-9

वैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ- परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

➢ उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाइम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियो-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

v. एमसीएलआर से संबद्ध अग्रिमों का पुनर्मूल्यन, उस एमसीएलआर परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है जिससे ये एमसीएलआर संबद्ध है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके, बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि. (अनुषंगियाँ)

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II. मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रु. मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	-15081.70	(5464.3)
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉइंट शॉक	(15954.69)	7441.23
% के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	-7.44%	3.47%

तलिका - डीएफ 10
प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

I. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्कड टू मार्केट)।

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज़ संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज़ संवयवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कंरट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क. संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र । इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज़ की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपोजर के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोज़र का वितरण।

ख. ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रु मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	10,57,626.31
संभाव्य एक्सपोज़र	21,211.02
प्रतिस्थापन लागत	19,277.66
वर्तमान एक्सपोज़र	40,488.68
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	40,488.68
आरडब्ल्यूए	5,935.63
पूँजी प्रभार	474.85

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	0	0	0
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	0.00	0.00	0.00
वायदा दर करार	10,42,760.33	21,062.36	40,339.52
ब्याज दर फ्यूचर	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	14,865.98	148.66	149.16
कुल	**10,57,626.31**	**21,211.02**	**40,488.68**

तालिका डीएफ -11

पूंजी का विन्यास

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	**31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट**	**पात्र राशि**	**बासेल III लागू होने से पहले की राशि**
	समान इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियाँ)		
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	1,53,207.70	
2	प्रतिधारित उपार्जन	(2,082.86)	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	3,00,819.52	
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)		
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	1593.14	
6	विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	4,53,537.51	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)		

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	**31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट**	**पात्र राशि**	**बासेल III लागू होने से पहले की राशि**
10	आस्थगित कर आस्तियां	82935.18	
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित		
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां		
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां		
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	284.02	
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)		
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतरों के कारण हुए आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)		
22	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों के कारण हुए आस्थगित कर आस्तियां		

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी))		
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है, के इक्विटी पूंजी में कमी	0	
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय, बासेल III लागू होने से पहले की राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए लागू विनियमकीय समायोजन		
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.		
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)		
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.		
	जिसमें से : समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें .		
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन		
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामकीय समायोजन	83,219.20	0.00
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	3,70,318.31	
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें		
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	13520.00	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	0.00	

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	13520.00	
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत राशि)		
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।		
36	विनियामकीय समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	13520.00	0.00
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामकीय समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00	
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10		
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)		
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41बी	बैबैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।		

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामकीय समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	13520.00	
44ए	पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी 11	13520.00	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	3,83,838.31	
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान		
46	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन	55000.00	70000.00
47	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	0.00	
48	पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी 11		
49	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)		
50	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान	34,486.44	
51	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	89,486.44	
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन		
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)		
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश13 (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00	

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश		
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।		
	बासेल III लागू होने से पहले की राशि के संबंध में टियर 2 के लिए लगाए गए विनियामकीय समायोजन		
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है.		
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	89,486.44	
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया टियर 2 पूंजी 14	89486.44	
58बी	एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।	0	
58सी	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+58बी)	89486.44	
59	कुल पूंजी (टीसा = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	4,73,324.75	
	बासेल III लागू होने से पहले की राशियों के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां		
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.		
	जिसमें से: %		
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	30,44,770	
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	25,65,281	
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,47,567	

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	3,31,921	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.16%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.61%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	15.55%	
64	संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता, जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता		
66	जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता		
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है))	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	10.875%	
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		

	बासेल III विनियमकीय समायोजन)		
			31.03.2021
			(रु. मिलियन में)
क्र. सं.	31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त बासेल III आम प्रकटन टेम्पलेट	पात्र राशि	बासेल III लागू होने से पहले की राशि
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)		
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)		
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	34486.44	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा		
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)		
80	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा		
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)		
82	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	13520.00	
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00	
84	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	0.00	
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00	

तालिका डीएफ-12 :

पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं यथा 31.03.2021

समाधान आवश्यकताओं के लिए तीन चरण पद्धति

चरण 1

चरण 1 के अंतर्गत, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों में तुलन-पत्र शामिल करने की आवश्यकता है (आंकड़े नीचे बीच वाले कॉलम में सूचित किए गए हैं) तथा जब समेकन की रेग्युलेटरी स्कोप लागू हों तब इन आंकड़ों को सूचित करना है (आंकड़े नीचे दाईं तरफ के कॉलम में सूचित किए गए है)। यदि विनियामकीय समेकित तुलन पत्र में ऐसी लाइनें हैं जो प्रकाशित वित्तीय विवरणों में नहीं थी, तो बैंक को बीच वाले कॉलम में शून्य वैल्यू देनी है तथा समेकन हेतु रेग्युलेटरी स्कोप के लिए बनाए गए कॉलम में तदनुरूपी राशि प्रस्तुत करनी है। यद्यपि बैंक, तुलन पत्र में ऐसी राशि हेतु सटीक व्याख्या दर्शा सकते हैं।

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	32,776.63	32,776.63
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	4,37,025.66	4,35,687.12
	अल्प संख्यक हित	1,593.14	1,593.14
	कुल पूंजी	4,71,395.42	4,70,056.88
ii	जमाराशियां	62,90,983.56	62,91,087.74
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	4,46,695.44	4,46,695.44
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	58,44,288.12	58,44,392.29
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	3,24,641.06	3,24,641.06
	जिसमें से : आरबीआई से	35,190.00	35,190.00
	जिसमें से : बैंकों से	139.30	139.30
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	2,03,022.68	2,03,022.68
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	2,769.08	2,769.08
	जिसमें से : पूंजी लिखत	83,520.00	83,520.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,40,880.93	2,06,976.91
	कुल	**73,27,900.98**	**72,92,762.59**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	6,09,303.76	6,08,758.08

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)	यथा रिपोर्टिंग तिथि (रू. मिलियन में)
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	6,57,632.49	6,57,736.66
ii	निवेश:	19,16,930.10	18,83,825.88
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	17,19,229.02	17,06,500.04
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,179.71	(0.00)
	जिसमें से : शेयर	11,147.02	7,579.87
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,29,305.96	1,26,463.09
	जिसमें से :अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	15,771.52	16,521.52
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	36,296.87	26,761.36
iii	ऋण एवं अग्रिम	36,76,673.46	36,76,636.08
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	1,12,539.75	1,12,539.75
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	35,64,133.71	35,64,096.33
iv	अचल आस्तियां	90,013.98	89,926.77
v	अन्य आस्तियां	3,77,347.18	3,75,879.11
	जिसमें से : गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	1,28,260.53	1,28,260.53
vi	समेकन पर सद्भाव	-	-
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	**73,27,900.98**	**72,92,762.59**

चरण -2

चरण 2 के अंतर्गत, बैंको द्वारा तालिका डीएफ - 11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) में वर्णित पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट की परिभाषा में उपयोग किए गए सभी घटकों की पहचान के लिए तुलन पत्र (चरण 1 में प्रकट किए गए) में रेग्युलेटरी स्कोप का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। नीचे कुछ घटकों के उदाहरण दिए गए है जिन्हें बैंकिंग समूह विशेष के लिए विस्तृत करने की आवश्यकता है। बैंक का तुलनपत्र जितना जटिल होगा उसे उतनी ही ज्यादा मदों को प्रकटित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक घटक को एक संदर्भ संख्या/वर्ण दिया जाए जिसे चरण 3 में उपयोग किया जा सके ।

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तिथि	यथा रिपोर्टिंग तिथि
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	32,776.63	32,776.63
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	32,776.63	32,776.63
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	4,37,025.66	4,35,687.12
	अल्प संख्यक हित	1,593.14	1,593.14
	कुल पूंजी	4,71,395.42	4,70,056.88
ii	जमाराशियां	62,90,983.56	62,91,087.74
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	4,46,695.44	4,46,695.44
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	58,44,288.12	58,44,392.29
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	3,24,641.06	3,24,641.06
	जिसमें से : आरबीआई से	35,190.00	35,190.00
	जिसमें से : बैंकों से	139.30	139.30
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	2,03,022.68	2,03,022.68
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	2,769.08	2,769.08
	जिसमें से : पूंजी लिखत	83,520.00	83,520.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,40,880.93	2,06,976.91
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	कुल	**73,27,900.98**	**72,92,762.59**
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	6,09,303.76	6,08,758.08
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	6,57,632.49	6,57,736.66
ii	निवेश:	19,16,930.10	18,83,825.88
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	17,19,229.02	17,06,500.04
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,179.71	(0.00)
	जिसमें से : शेयर	11,147.02	7,579.87
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	1,29,305.96	1,26,463.09
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	15,771.52	16,521.52
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक काग. जात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	36,296.87	26,761.36
iii	ऋण एवं अग्रिम	36,76,673.46	36,76,636.08
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	1,12,539.75	1,12,539.75
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	35,64,133.71	35,64,096.33
iv	अचल आस्तियां	90,013.98	89,926.77
v	अन्य आस्तियां	3,77,347.18	3,75,879.11
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)		
	आस्थिगित कर आस्तियां	1,28,260.53	1,28,260.53
vi	समेकन पर सद्भाव		
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**73,27,900.98**	**72,92,762.59**

चरण 3:

चरण 3 के अंतर्गत, बैंकों को प्रत्येक इनपुट का स्त्रोत दिखाने के लिए तालिका डीएफ- 11 (भाग I / II, जो भी लागू हो) में जोडे गए कॉलम को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

(I) उदाहरणार्थ, पूँजीगत प्रकटन टैम्पलेट में 'संबंधित आस्थगित कर आस्तियों के सद्भाव' की पंक्ति शामिल है। तालिका डीएफ -11(भाग I / II, जो भी लागू हो) के अंतर्गत प्रकटन टैम्पलेट में इस मद के प्रकटन के बाद, बैंक को समेकन की विनियामकीय सीमा के अंतर्गत तुलन पत्र के घटक 'ए', उदाहरण चरण 2 में, तथा घटक 'सी' में अंतर को टैम्पलेट की पंक्ति 8 की गणना दिखाने के लिए 'ए-सी' दर्शाना होगा।

आम प्रकटन टैम्पलेट बासेल III का सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ़ - 11 (भाग आई/भाग II, जो भी लागू हो)			
आम इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	**चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत**
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	0.00	e
2	प्रतिधारित अर्जन	0.00	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	0.00	
4	सीईटी 1 से फेज आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	0.00	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		a-c

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे - निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार			
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	सामान्य इक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	सामान्य इक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	सामान्य शेयर	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	32776.625	7500	6020
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विविध	28/01/2021	30/03/2021
12	सर्वकालिक या दिनांकित	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं	सर्वकालिक	सर्वकालिक
14	पहले इश्युअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	नहीं	हाँ	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं	कॉल ऑप्शन की तारीख	कॉल ऑप्शन की तारीख
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं	28/01/2026 के बाद	30/03/2026 के बाद
	कूपन/लाभांश	लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं	9.04%	9.30%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता जारीकर्ता जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	हाँ	हाँ
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं	1.पूर्व-निर्धारित ट्रिगर का स्टार 2.अव्यवहार्यता का बिन्दु (पीओएनवी)	1.पूर्व-निर्धारित ट्रिगर का स्टार 2.अव्यवहार्यता का बिन्दु(पीओएनवी)
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	पूर्ण	पूर्ण
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	स्थायी	स्थायी
34	यदि राइट डाउन अस्थायी हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और ऋणदाता	सार्वकालिक ऋण लिखत	सार्वकालिक ऋण लिखत
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ-13:

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे - निजी प्लेसमेंट के हेतु सी यू एस आई पी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08094	INE 084A08110
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार					
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत प्रकार	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में, यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	4,000	2,000	24,000	15,000	10,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	10,000	5,000	30,000	15,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	07/07/2016	27/03/2017
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	07/07/2026	27/03/2027
14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	07/07/2021	27/03/2022

16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रत्येक वार्षिकी तारीख पर (अर्थात 7 जुलाई), मोचन होने तक, आरबीआई के अनुमोदन के अधीन	प्रत्येक वार्षिकी तारीख पर (अर्थात 7 जुलाई), मोचन होने तक, आरबीआई के अनुमोदन के अधीन
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	9.80%	9.80%	8.52%	8.57%	8.00%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण	पूर्णत: विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता जारीकर्ता जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
34	यदि राइट डाउन अस्थायी हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत से अधिमानी लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और ऋणदाता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और ऋणदाता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और ऋणदाता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और ऋणदाता	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और ऋणदाता
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित	अनुपालित
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	--	--	--	--	--

तालिका डीएफ -14 :

विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

➢ हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15 :

पारिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16 :

बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(राशि रु. मिलियन में)

	गुणात्मक प्रकटन	
1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :	
	धारित जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए,धारित किए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं; और	ट्रेजरी द्वारा इक्विटी में निवेश अलग-अलग उद्देश्यों से परिचालित होता है। एसोसिएट, सहायक और आरआरबी में किए गए सभी इक्विटी निवेश एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत हैं। इस प्रकार के निवेश परिपक्वता तक रखने के लिए प्राथमिक इरादे से किए जाते हैं। इसके अलावा, ट्रेजरी विभिन्न कंपनियों की इक्विटी में कार्यनीतिक निवेश भी करता है, जो एएफएस श्रेणी में बुक हैं। ऐसे निवेश शीघ्र निर्मित नहीं होते। ऐसे भी मामले हैं जहां ऋण आस्तियों को उधारकर्ता के इक्विटी में बदला जाता है, ऐसी कंपनियां एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निवेश सभी विवेकपूर्ण सीमाओं की परिधि से बाहर रखे गए हैं। पूंजीगत लाभ के उद्देश्य से इक्विटी में निवेश को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बुक किया है एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित हानि रोध सीमा के अध्यधीन है। एएफएस एवं एचएफटी में सभी इक्विटी निवेश मार्क टू मार्केट (एम.टी.एम.) के अध्यधीन है।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	इक्विटी धारिता के लेखांकन एवं मूल्यांकन के लिए, ट्रेजरी को मास्टर परिपत्र - 'बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड9 में दिये गए आरबीआई के दिशानिर्देश के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक बही में इक्विटी होल्डिंग में निवेश को मार्क टू मार्केट होना आवश्यक नहीं है तथा अधिग्रहण लागत पर कैरी किया गया है। इक्विटी निवेश के मूल्य में क्षणिक को छोडकर यदि कोई ह्रास होता है। एच.टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री से कोई हानि,लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा बाद में कर को हटाकर आरक्षित पूंजी तथा वैधानिक पूंजी में विनियोजित की जाती है। इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूत संव्यवहार कर, आदि को लागत में शामिल किया गया । इक्विटी निवेश को स्वीकार करने के लिए ट्रेजरी, ट्रेड डेट लेखांकन नीति बनाए रखता है।
	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	15357.54
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	14931.17
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	• सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	• निजी रूप से धारित	14931.17
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	

	गुणात्मक प्रकटन	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी समूहन द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल।	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17

लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय का सारांश यथा 31.03.2021 (समेकित स्थिति)

	मद	(राशि रू. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	7,327,900.98
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-)750
3	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय में शामिल नहीं	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	40,494.33
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	95,998.09
6	तुलन पत्र बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	401,423.81
7	अन्य समायोजन	(-)178,467.29
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र**	**7,686,599.92**

तालिका डीएफ -18:

लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टैंपलेट

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (रु.मिलियन में)
तुलन पत्र के एक्पोज़र		
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	7,231,902.89
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति राशि घटाई गई)	(-) 83,219.20
3	तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोज़र (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)	7,148,683.69
डेरिवेटिव एक्सपोज़र		
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)	19,277.66
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन राशि	21,216.67
6	परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग - स्पष्ट व्यापार एक्सपोज़र)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	

	मद	लीवरेज अनुपात संरचना (रु.मिलियन में)
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 का जोड़)	40,494.33
संव्यवहार एक्सपोज़र वित्तपोषित प्रतिभूतियां		
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारों के लिए समायोजन के बाद	95,998.09
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल राशि)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	-
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड़)	95,998.09
अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोज़र		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	1,049,628.99
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि के परिवर्तन के लिए समायोजन)	(-) 648,205.18
19	तुलन पत्र से बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)	401,423.81
पूंजी और कुल एक्सपोज़र		
20	टियर 1 पूंजी	383,838.31
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)	7,686,599.92
लीवरेज अनुपात		
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.99%

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March,2021

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

1. Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Indonesia, TBK	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Aryavart Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

b. There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (Rs Mn)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Rs Mn)
Bank of India (New Zealand) Ltd	Banking	2,891.66	5,127.49
Bank of India (Uganda) Ltd	Banking	969.30	5,636.72
Bank of India (Tanzania) Ltd	Banking	1,095.93	3,295.69
PT Bank of India Indonesia, TBK	Banking	5,722.77	18,356.50
BOI Shareholding Ltd	Clearing & Settlement of Stock Exchange	302.64	324.62
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Assets Management	504.53	553.09
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Trusteeship Services	2.05	2.28
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	157.41	161.32
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Life Insurance	7,204.20	124,275.51
STCI Finance Ltd	NBFC- NDSL	21,132.06	1,40,603.76
ASREC (India) Ltd	Assets Recovery Company	1,562.45	2,902.61
Indo Zambia Bank Ltd	Banking	3,960.19	34,655.84
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	(5,036.97)	57,829.70
RRB Aryavart Bank	Banking	21,556.53	3,53,230.42
RRB Madhya Pradesh Gramin Bank	Banking	3,822.51	1,95,683.84

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs Mn	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (Rs Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	2589.64	28.96	1875.00 (Risk weight 250%)

Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

Table DF - 2

Capital Adequacy

1. **Qualitative disclosures:**

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. **Bank of India:**

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. **PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):**

In accordance with Regulation of Bank Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 1 trillion in order to run foreign exchange business.

3. **Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (Uganda) Ltd - Subsidiary:**

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis. IFRS- 9 has been implemented with effect from 1st January, 2018.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital and Retained Earnings, Deferred Charges, Statutory Reserves, and General Provisions are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. **Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary):**

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

II. **Quantitative disclosures:-**

(Amount in Rs. Mn.)

Capital requirements for Credit Risk (#):	
➢ Portfolios subject to standardized approach	2,30,876.80
➢ Securitisation exposures	
Capital requirements for Market Risk: Standardized duration approach: (#)	13,280.00
➢ Interest rate risk	9,082.50
➢ Foreign exchange risk (including gold)	283.50
➢ Equity risk	3,914.00
Capital requirements for Operational Risk (#):	
➢ Basic Indicator Approach	29,440
➢ The Standardized Approach (if applicable)	
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: (For the top consolidated group)	
➢ Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	11.51
➢ Tier 1 Capital (T 1)	11.96
➢ Total Capital Ratio	14.93
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF 3 - Credit risk

General Disclosures For All Banks

i. **Qualitative Disclosures**

a. **The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:**

Definition of past due and impaired (for accounting purposes)

1.0 **Bank of India**

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 **Non-performing Assets**

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

➢ Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

➢ the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),

- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status:

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments:

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not consider depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

In 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011, it can compute the financial asset impaired as described above. We are now in progress to integrate PSAK calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3.0 Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India Uganda

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of Past Due and Impaired (for accounting purposes):

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonoured
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in instalments are considered as past due in their entirety if any of the instalments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
0-29	Stage - 1	As per NZ IFRS guidelines
30-89	Stage - 2	As per NZ IFRS guidelines
90 days and above	Stage – 3 (Impaired Assets)	As per NZ IFRS guidelines

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
30-90	Especially Mentioned	3%
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and More	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

A. Bank of India:

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems.

i) Policy and Strategy:

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for

International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up:

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the MD & CEO and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure on going control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iV) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

➢ **Credit Approving Authority – Delegation of Powers:**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.

The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the “Credit Risk Evaluation Committee (CREC)” to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

➢ **Prudential Limits:**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

➢ **Risk Rating/Pricing:**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

➢ **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM):**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis:

It is also important to have in place a system for monitoring

the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi) Risk Measurement:

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii) Risk Reporting System:

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii) Risk Review:

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

ix) Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs undertaken by the Banks are listed below:

i. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]:

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders are sent promptly whenever irregularities are observed.

c. To recover overdues quickly to ensure that account does not slip to NPA category.

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

ii. After the account becoming NPA:

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding.

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise and settlement of dues through negotiation.

d. Re-calling the advance.

f. Filing suit in Court– Execution of decree.

g. After all the chances of recovery of dues are exhausted, account is written off of the balance dues.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd:

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:

- Recover the overdue or at least the critical amount through active follow up with borrowers;
- Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;
- Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;
- Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

ii. Quantitative Disclosures:

a. The total gross credit exposures is:

Category	(Rs. In Mn)
Fund Based	44,88,050.00
Non Fund Based*	4,76,210.00
TOTAL	**49,64,260.00**

**Excluding Credit Equivalent of Derivatives*

b. The geographic distribution of exposure is:

(Rs.in Mn)

	Domestic	Overseas	Global
Fund Based	39,65,990	5,22,060	44,88,050.00
Non Fund Based	3,99,980	76,230	4,76,210.00

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

(Rs. in Mn)

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Coal	1,002.58	0.00
Mining	11,605.00	590.76
Iron & Steel	1,09,103.37	828.26
Other Metal & Metal Products	24,853.95	8,560.82
All Engineering	16,474.76	3,578.12
Of which Electronics	2,104.46	464.51
Electricity	3,57,687.74	50,317.05
Cotton Textiles	27,946.57	427.73
Jute Textiles	1,114.46	2.40
Other Textiles	39,527.02	2,919.78
Food Processing	44,394.70	3,458.11
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	3,410.69	553.68
Of Which Sugar	21,608.76	324.17
Of Which Other Food Processing	18,936.52	2,571.31
Of Which Tea	56.74	13.98
Tobacco & Tobacco Products	2,547.61	31.68
Paper & Paper Products	10,397.47	492.38
Rubber & Rubber Products	16,416.35	2,347.43
Chemical, Dyes, Paints etc.	39,414.97	7,183.58
Of which Fertilisers	16,932.37	187.82
Of which Petro-chemicals	5,893.50	1,589.79
Of which Drugs & Pharmaceuticals	9,032.84	4,457.64
Of which others		
Cement	14,383.88	225.03
Leather & Leather Products	3,794.80	152.91
Gems & Jewellery	54,950.44	117.35
Construction	43,815.87	25,810.86
Petroleum	16,785.09	2,430.01
Automobiles including Trucks	22,542.52	1,304.33
Computer Software	0.00	0.00
Infrastructure	5,37,064.13	87,503.14
Of which Power	3,58,005.12	50,317.05
Of which Telecommunications	1,421.12	32.52
Of which Roads & Ports	1,33,605.18	25,903.19
Other Industries	44,777.92	11,250.38
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	30,92,226.72	2,77,928.27
Total	44,88,050.00	4,76,210.00
Exposure to Infra Sector at 11.97% exceeds 5% of total fund based advances		
Exposure to Infra Sector at 18.37% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.		

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(Rs in Mn)

	Advances	Investments	F. C. Assets
Day 1	1,63,126.90	4,60,277.15	4,148.60
2 to 7 days	68,087.56	48,062.37	2,37,829.25
8 to 14 days	70,746.33	28,198.72	29,472.98
15 to 30 days	66,586.85	30,009.87	15,589.23
31 Days & upto 2 months	77,299.22	34,660.53	1,14,811.00
> 2 months & upto 3 months	84,689.80	47,299.94	1,14,833.15
>3 months & upto 6 months	1,22,157.18	71,331.48	1,17,684.34
Over 6 months & upto 1 year	1,89,501.65	64,904.59	38,883.87
Over 1 year & upto 3 years	15,23,676.99	3,22,677.53	2,193.30
Over 3 years & upto 5 years	2,85,641.86	1,97,286.80	-
Over 5 years	8,34,737.69	6,22,818.44	-
Total	34,86,252.02	19,27,527.43	6,75,445.73

e. The Gross NPAs are:

(Rs. in Mn)

Category	
Sub Standard	65,154.31
Doubtful – 1	51,312.05
Doubtful – 2	1,20,615.71
Doubtful – 3	1,13,163.16
Loss	2,15,643.58
Total	5,65,888.81

f. The amount of Net NPAs is Rs. 1,22,879.45 Mn.

g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 13.77%.
- Net NPAs to Net Advances: 3.35%.

h. The movement of Gross NPA is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	6,16,180.02
ii) Additions during the year	85,646.28
iii) Reductions during the year	1,35,937.49
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	5,65,888.81

i) The movement of provision for NPAs is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	4,51,121.81
ii) Provisions made during the year	24,466.46
iii) Write-off/write-back of excess provisions	54,575.41
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	4,21,012.86

j. The amount of Non-Performing Investment is Rs. 25,200.42 Mn.

k. The amount of provision held for Non-Performing Investment is Rs20,002.28 Mn.

l. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	35,720.93
ii) Provisions made during the year	10,717.03
iii) Write-off/write-back of excess provisions	1,858.56
iv) Exchange Difference	-
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	44,579.40

m. NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India :

(Rs. in Mn.)

Industry Name	NPA	Provision
Coal	353.84	351.32
Mining	857.37	426.36
Iron & Steel	7,275.74	5,691.88
Other Metal & Metal Products	8,812.30	7,180.20
All Engineering	5,308.12	4,502.69
Of which Electronics	901.52	726.41
Electricity	35,161.75	37,483.78
Cotton Textiles	11,356.42	9,084.18
Jute Textiles	625.87	533.78
Other Textiles	12,638.75	9,282.21
Food Processing	14,722.01	12,007.21
Of which Vegetable Oil & Vanaspati	2,526.65	1,238.55
Of Which Sugar	2,968.08	2,117.25
Of Which Other Food Processing	9,227.28	8,651.41
Of Which Tea	0.00	0.00
Tobacco & Tobacco Products	682.89	661.35
Paper & Paper Products	3,468.26	2,668.46
Rubber & Rubber Products	1,723.56	925.21
Chemical, Dyes, Paints etc.	7,609.40	6,144.12
Of which Fertilisers	2,345.31	2,313.06
Of which Petro-chemicals	1,058.43	665.68
Of which Drugs & Pharmaceuticals	1,638.89	1,064.53
Of which Others	2,566.77	2,100.85
Cement	1,991.26	1,468.88
Leather & Leather Products	604.37	349.29
Gems & Jewellery	10,980.18	9,261.06
Construction	13,320.87	6,743.17
Petroleum	942.86	565.14
Automobiles including Trucks	11,748.87	10,624.60
Computer Software	0.00	0.00
Infrastructure*	78,429.11	59,556.00
Of which Power	35,161.75	27,483.77
Of which Telecommunications	956.91	635.56
Of which Roads & Ports	31,633.27	23,949.69
Other Industries	10,677.18	7,486.98
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	3,36,373.49	2,34,775.56
Total	**5,65,888.81**	**4,21,012.86**

n. Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:

(Rs. in Mn)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	4,70,010.30	95,339.10	5,65,349.40
Provision for NPA	3,31,484.30	89,254.50	4,20,738.80

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. Qualitative Disclosure:

a) For portfolios under the standardized approach:

- ➢ Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- ➢ Types of exposure for which each agency is used; and
- ➢ A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

1.0 BANK OF INDIA:

a. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

b. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

c. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

d. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

e. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

f. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

g. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

h. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

i. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

j. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

k. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

l. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

3.0 Bank of India (Tanzania) Ltd, and Bank of India (Uganda) Ltd) :

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary):

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

ii. Quantitative Disclosures

(Rs in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	69,67,970.00
100 % risk weight:	7,72,820.00
More than 100 % risk weight:	3,02,470.00

Table DF-5 Credit Risk Mitigation

Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;
- Policies and processes for collateral valuation and management;
- A description of the main types of collateral taken by the bank;
- The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. Bank of India:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- Collateralized transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting:

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees:

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability:

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership:

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios:

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral.

c) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis

of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) **Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:**

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

e) **Additional / Replacement of Collateral:**

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) **Insurance:**

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

g) **Sale of Collateral:**

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. **PT Bank of India Indonesia Tbk:**

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. **Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd:**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. **Bank of India (Uganda) Ltd.:**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under:

Collateral position		limit (as % of core capital)
1.	Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a.	125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b.	Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c.	Unsecured	

ii. **Quantitative Disclosures:-**

(Amount in Rs. Mn)

(a)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.	3,47,430.00
(b)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	8,36,580.00

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. **Qualitative Disclosures:-**

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2021

ii. **Quantitative Disclosures :-**

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

i. **Qualitative Disclosures**

The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. **Bank of India:**

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity (HTM) portfolio and advances; are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. **Strategies and Processes:**

Under Market Risk Management; Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. Liquidity Risk:

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth.

A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk:

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic). Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Market Risk positions including Fixed Income, Equity, Forex etc.

c. Foreign Exchange Risk:

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. Equity Price Risk:

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

e. Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary approving Risk Management Policies etc. Market Risk Management Committee (MRMC) is a basic level committee for discussion on policies, limits, exceeding etc.

Asset Liability Management Committee(ALCO) consider policy issues for Liquidity Risk Management. ALM Cell provides support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

ii. Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iii. Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

iv. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on

the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(In INR Million)

The capital requirements for	
Interest rate risk	9,083.52
Foreign exchange risk (including gold)	283.50
Equity risk	3,914.01
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM) or Credit Risk Management Committee (CRMC), as applicable. All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Standardised Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), & Bank of India (Uganda) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. Re-pricing of MCLR linked advances has been taken as per the MCLR tenor they are linked to.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd and Bank of India Uganda Ltd (Subsidiaries)

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

ii. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover.

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(Rs in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	-15081.70	(5464.3)
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	(15954.69)	7441.23
Drop in equity value in %age terms	-7.44%	3.47%

Table –DF 10

General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor with Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group

(Rs in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	10,57,626.31
Potential Exposure	21,211.02
Replacement Cost	19,277.66
Current Exposure	40,488.68
Credit Equivalent or EAD	40,488.68
RWA	5,935.63
Capital Charge	474.85

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	0	0	0
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00	0.00
Forward rate agreements	10,42,760.33	21,062.36	40,339.52
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	14,865.98	148.66	149.16
Total	**10,57,626.31**	**21,211.02**	**40,488.68**

Table DF-11:

Composition of Capital

	Basel III regulatory adjustments)		
			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1,53,207.70	
2	Retained earnings	(2,082.86)	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3,00,819.52	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1593.14	
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	4,53,537.51	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-	
10	Deferred tax assets	82935.18	
11	Cash-flow hedge reserve		

			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	284.02	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	83,219.20	0.00
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	3,70,318.31	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	13520.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	13520.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		

			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	13520.00	0.00
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	13520.00	
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	13520.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	3,83,838.31	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	55000.00	70000.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	

			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	Provisions	34,486.44	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	89,486.44	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]		

			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00	
58	Tier 2 capital (T2)	89,486.44	
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	89486.44	
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)	89486.44	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	4,73,324.75	
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: …		
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	30,44,770	
60a	of which: total credit risk weighted assets	25,65,281	
60b	of which: total market risk weighted assets	1,47,567	
60c	of which: total operational risk weighted assets	3,31,921	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.16%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.61%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	15.55%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)		

			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
65	of which: capital conservation buffer requirement		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	of which: G-SIB buffer requirement		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	34486.44	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		

			31.03.2021
			(Rs. in million)
Sr. No	**Basel III common disclosure template used from 31ST March 2017**	**Eligible Amount**	**Amount subject to pre-Basel III treatment**
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	13520.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	

Table DF-12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements as on 31.03.2021

Three Step Approach to Reconciliation Requirements Step 1

Step 1

Under Step 1, banks are required to take their balance sheet in their financial statements (numbers reported the middle column below) and report the numbers when the regulatory scope of consolidation is applied (numbers reported in the right hand column below). If there are rows in the regulatory consolidation balance sheet that are not present in the published financial statements, banks are required to give a value of zero in the middle column and furnish the corresponding amount in the column meant for regulatory scope of consolidation. Banks may however, indicate what the exact treatment is for such amount in the balance sheet.

		Balance sheet as in financial statements	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on reporting date (Rs. in million)	**As on reporting date (Rs. in million)**
A	Capital and Liabilities		
i	Paid-up Capital	32,776.63	32,776.63
	Reserves & Surplus	4,37,025.66	4,35,687.12
	Minority Interest	1,593.14	1,593.14
	Total Capital	4,71,395.42	4,70,056.88
ii	Deposits	62,90,983.56	62,91,087.74
	of which: Deposits from banks	4,46,695.44	4,46,695.44
	of which: Customer deposits	58,44,288.12	58,44,392.29
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	3,24,641.06	3,24,641.06
	of which: From RBI	35,190.00	35,190.00
	of which: From banks	139.30	139.30
	of which: From other institutions & agencies	2,03,022.68	2,03,022.68
	of which: Others (pl. specify)	2,769.08	2,769.08
	of which: Capital instruments	83,520.00	83,520.00
iv	Other liabilities & provisions	2,40,880.93	2,06,976.91
	Total	73,27,900.98	72,92,762.59
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	6,09,303.76	6,08,758.08
	Balance with banks and money at call and short notice	6,57,632.49	6,57,736.66
ii	Investments:	19,16,930.10	18,83,825.88
	of which: Government securities	17,19,229.02	17,06,500.04
	of which : Other approved securities	5,179.71	(0.00)
	of which: Shares	11,147.02	7,579.87
	of which: Debentures & Bonds	1,29,305.96	1,26,463.09
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	15,771.52	16,521.52
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	36,296.87	26,761.36
iii	Loans and advances	36,76,673.46	36,76,636.08
	of which: Loans and advances to banks	1,12,539.75	1,12,539.75
	of which: Loans and advances to customers	35,64,133.71	35,64,096.33
iv	Fixed assets	90,013.98	89,926.77

v	Other assets	3,77,347.18	3,75,879.11
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	1,28,260.53	1,28,260.53
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	73,27,900.98	72,92,762.59

Step 2

Under Step 2 banks are required to expand the regulatory-scope balance sheet (revealed in Step 1) to identify all the elements that are used in the definition of capital disclosure template set out in Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable). Set out below are some examples of elements that may need to be expanded for a particular banking group. The more complex the balance sheet of the bank, the more items would need to be disclosed. Each element must be given a reference number/letter that can be used in Step 3.

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	32,776.63	32,776.63
	of which: Amount eligible for CET1	32,776.63	32,776.63
	of which: Amount eligible for AT1	-	-
	Reserves & Surplus	4,37,025.66	4,35,687.12
	Minority Interest	1,593.14	1,593.14
	Total Capital	4,71,395.42	4,70,056.88
ii	Deposits	62,90,983.56	62,91,087.74
	of which: Deposits from banks	4,46,695.44	4,46,695.44
	of which: Customer deposits	58,44,288.12	58,44,392.29
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	3,24,641.06	3,24,641.06
	of which: From RBI	35,190.00	35,190.00
	of which: From banks	139.30	139.30
	of which: From other institutions & agencies	2,03,022.68	2,03,022.68
	of which: Others (pl. specify)	2,769.08	2,769.08
	of which: Capital instruments	83,520.00	83,520.00
iv	Other liabilities & provisions	2,40,880.93	2,06,976.91
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	73,27,900.98	72,92,762.59
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	6,09,303.76	6,08,758.08
	Balance with banks and money at call and short notice	6,57,632.49	6,57,736.66
ii	Investments	19,16,930.10	18,83,825.88
	of which: Government securities	17,19,229.02	17,06,500.04
	of which: Other approved securities	5,179.71	(0.00)
	of which: Shares	11,147.02	7,579.87
	of which: Debentures & Bonds	1,29,305.96	1,26,463.09
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	15,771.52	16,521.52
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	36,296.87	26,761.36
iii	Loans and advances	36,76,673.46	36,76,636.08
	of which: Loans and advances to banks	1,12,539.75	1,12,539.75
	of which: Loans and advances to customers	35,64,133.71	35,64,096.33
iv	Fixed assets	90,013.98	89,926.77
v	Other assets	3,77,347.18	3,75,879.11
	of which:Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	1,28,260.53	1,28,260.53
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	73,27,900.98	72,92,762.59

Step 3:

Under Step 3 banks are required to complete a column added to the Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) disclosure template to show the source of every input.

(i) For example, the definition of capital disclosure template includes the line "goodwill net of related deferred tax liability". Next to the disclosure of this item in the disclosure template under Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable), the bank would be required to put 'a – c' to show that row 8 of the template has been calculated as the difference between component 'a' of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation, illustrated in step 2, and component 'c'

	Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)		
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	0.00	e
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13:

Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A08136	INE084A08144
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	32776.625	7500	6020
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	NA	NA
10	Accounting classification	Equity Share Capital	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	28/01/2021	30/03/2021
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual
	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
13	Original maturity date	NA	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	Call option Date	Call option Date
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	After 28/01/2026	After 30/03/2026
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	9.04 %	9.30 %
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	Full Discretion	Full Discretion
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Non-Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	1. Pre specified Trigger level 2. Point of Non Viability (PONV)	1. Pre specified Trigger level 2. Point of Non Viability (PONV)
32	If write-down, full or partial	NA	Full	Full
33	If write-down, permanent or temporary	NA	Permanent	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	NA	NA
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

Table DF-13:
Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08094	INE 084A08110
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000	2,000	24,000	15,000	10,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000	30,000	15,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	07/07/2016	27/03/2017
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	07/07/2026	27/03/2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	07/07/2021	27/03/2022
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	On every anniversary date (i.e. 7th July) till redemption, subject to RBI approval	On every anniversary date (i.e. 27th March) till redemption, subject to RBI approval
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%	8.57%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI

	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--	--	--	--

Table DF - 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

- Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF - 15

Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF -16

Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in Rs. Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	Investments in Equity by Treasury are driven by different motives. All equity investments made in Associates, Subsidiaries, Joint Venture and RRBs are classified in HTM category as such investments are made with a primary intention to hold them till maturity. Apart from these, Treasury also make strategic investments in equities of various companies which are booked in AFS category as such investments are not churned frequently. There are also cases of loan assets converted into equities of the borrower companies which are classified in AFS category. As per RBI guidelines, such investments are kept outside the purview of all prudential limits. Investments in equity made with an objective of capital gains are booked under HFT category and are subject to stop loss limit as prescribed in the Board approved Investment Policy. All equity investments in AFS and HFT are subject to Marking to Market (MTM).
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	For valuation and accounting of equity holdings, Treasury is guided by Board approved Investment Policy along with the RBI guidelines as laid down in Master circular- ‘Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks’. In accordance with these guidelines, investments in equity holding in the banking book need not be marked to market and are carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss account. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized first in the profit and loss account and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost. Treasury maintains trade date accounting policy for recognising equity investments.

	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	15357.54
	Value as per Balance sheet	14931.17
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	14931.17
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17

Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure: 31.03.2021 (Consolidated Position)

	Item	(Rs. in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	7,327,900.98
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-)750
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	40,494.33
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	95,998.09
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	401,423.81
7	Other adjustments	(-)178,467.29
8	Leverage ratio exposure	7,686,599.92

Table DF-18

Leverage Ratio Common Disclosure Template

(Rs. in million)

	Item	**Leverage Ratio framework**
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	7,231,902.89
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-) 83,219.20
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	7,148,683.69
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	19,277.66
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	21,216.67
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	40,494.33
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	95,998.09
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	95,998.09
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1,049,628.99
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(-) 648,205.18
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	401,423.81
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	383,838.31
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	7,686,599.92
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	4.99%

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की पच्चीसवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 20 जूलाई, 2021 को प्रात: 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.')/अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओएवीएम) से, निम्नलिखित कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद संख्या 1

''31 मार्च, 2021 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखे पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।''

विशेष कारोबार :

मद संख्या 2 : नई पूँजी तथा टियर-I/टियर-II बॉण्ड जारी करने हेतु अनुमोदन

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो, उसे पारित करना :

'**संकल्प पारित** किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों, और भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआई)**, भारत सरकार **("जीओआई")**, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("आईसीडीआर विनियमन") और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमनों यथा सेबी (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018 (आईसीडीआर विनियमन), यथा संशोधित (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से "सेबी विनियमन" कहा जायेगा), सेबी (डेब्ट प्रतिभूतियों का जारीकरण एवं सूचीकरण) विनियम, 2008, सेबी (अपरिवर्तनीय रिडीम योग्य अधिमानी शेयर) विनियम 2013, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण एवं निर्गम) विनियमन, 2017, विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण-लिखित) नियम, 2019 तथा आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Fifth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Tuesday, July 20, 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (the deemed venue of the Meeting will be the Head Office of the Bank) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2: **Approval to issue Fresh Equity Capital and Tier-I / Tier-II Bonds**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as "SEBI Regulations"),SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, SEBI (Issue And Listing Of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India

अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय- समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए **सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के "निदेशक बोर्ड"** (इसके पश्चात इसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को एतद्-द्वारा सहमति दी जाती है कि वे भारत में या भारत के बाहर ऑफर दस्तोवज /प्लेसमेंट दस्तावेजों/ प्रोसोक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज(जों) के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखलाओं में (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमत ऐसे निर्गम या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आबंटन हेतु प्रावधान सहित) निम्नलिखित को सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करें -

(क) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के **रु. 3000 करोड़ (केवल रुपये तीन हजार करोड़) की राशि तक** के नये इक्विटी शेयर, ऐसे प्रीमियम पर करना कि वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;

(ख) आरबीआई द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार परपेचुअल डेब्ट इन्ट्रूमेंट, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर सहित परन्तु सब-ऑर्डिनेट डिबेन्चर, बॉण्ड तथा/या अन्य डेब्ट प्रतिभूतियों/ अधिमानी शेयर इत्यादि तक सीमित नहीं, में अभिदान करने के लिए प्रस्ताव करने या निमंत्रण देने हेतु। इसे, **उपर्युक्त (क) में उल्लिखित राशि सहित रु. 3000 (केवल रुपये तीन हजार करोड) तक** निजी स्थानन/पब्लिक इश्यू आधार पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में जारी किया जा सकता है जो आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा बासेल ।।। का अनुपालन करने वाली टियर 1 पूँजी (स्वदेशी एवं विदेशी करेन्सी दोनों) के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

(ग) आरबीआई द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार डेब्ट कैपिटल इस्ट्रूमेंट, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर सहित परन्तु सब-ऑर्डिनेट डिबेन्चर, बॉण्ड, परपेचुअल नॉन-क्यूमुलेटिव अधिमानी शेयर और/या अन्य डेब्ट प्रतिभूतियों/ अधिमानी शेयर इत्यादि तक सीमित नहीं, में अभिदान करने के लिए प्रस्ताव करने या निमंत्रण देने हेतु। इसे **रु. 1,800** (केवल रुपये एक हजार आठ सौ करोड) निजी स्थानन/पब्लिक इश्यू आधार पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में जारी किया जा सकता है जो आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा बासेल ।।। का अनुपालन करने वाली टियर 2 पूँजी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। यह प्रस्ताव या निमंत्रण, एक या अधिक श्रृंखलाओं में इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु है। यह एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसायटी, ट्रस्ट, शोध संस्थाओं, क्वालिफाइड इस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यू.आई.बी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल फंडों, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य निकायों, प्राधिकरणों या किसी अन्य वर्ग के निवेशकों जो वर्तमान विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/ अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र हैं, उन सब के लिए या इनके

Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document / prospectus or such other document (s), in India or abroad

(a) Fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium **upto an amount of Rs. 3,000 Crore (Rs. Three Thousand Crore only),** where the fresh Paid up Equity Share capital together with the existing Paid-up Equity share capital within the total authorized capital of Rs.6,000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;

(b) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 1 Capital (both domestic and foreign currency) as identified and classified by RBI or such other authority for an amount upto **Rs.3,000 Crore** (Rupees Three Thousand Crore only), **including amount mentioned under para (a) above**,

(c) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to debt capital instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 2 Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding **Rs.1,800 Crore** (Rupees One Thousand Eight Hundred Crore only),

during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident

किसी संयोग (कॉम्बिनेशन) के लिए है तथा बैंक द्वारा यथा उचित समझा जाए, उन्हें दिया जा सकता है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम (इश्यू), प्रस्ताव या आबंटन अर्हित संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम (इश्यू), साधिकार निर्गम (इश्यू), प्राइवेट नियोजन या निर्गम (इश्यू) की ऐसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाएगा जो कि अधिक आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना लागू नियमों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है और यह कि प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव, निर्गम(इश्यू), नियोजन एवं आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (''आईसीडीआर विनियम'') के प्रावधानों तथा आरबीआई, सेबी एवं अन्य कोई प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और उस समय या उन समयों पर एवं ऐसी विधि से एवं ऐसे नियम एवं शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार, उसे उचित समझता है।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वहां सूचीबद्ध किए जाएंगे जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में, बोर्ड को आईसीडीआर विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, इस तरीके से और जहां कहीं आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से निर्धारित ऐसे मूल्य या उस मूल्य से नीचे के मूल्यों को नियत करने का पूर्ण प्राधिकार होगा और/या ऐसे नियम एवं शर्तें जिसे बोर्ड आईसीडीआर विनियम, अन्य विनियमों एवं कोई एक तथा लागू अन्य सभी कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित कर सकता है और/या चाहे वह/वे प्रस्तावित निवेशक, बैंक के वर्तमान हितधारक हों अथवा नहीं।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हित संस्थागत नियोजन के मामले में,

क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हित संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से चुकता किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन अथवा ऐसा अन्य कोई समय जिसकी समय-समय पर जारी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, के भीतर पूर्ण किया जाएगा।''

ख) आईसीडीआर विनियम के विनियमन 176(1) के अनुसार, बैंक शेयरों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के पाँच प्रतिशत तक की छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के निर्धारण की उपयुक्त तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा जहां जारी की जाने वाली कर्ज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।''

Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutions placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT,** the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed**."**

"**RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time."

b) the Bank is pursuant to Regulation 176 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि एनआरआई, एफपीआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू) एवं आबंटन, यदि कोई हो, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जैसा लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य विनियामकों द्वारा यथा निर्धारित संपूर्ण सीमाओं के भीतर ही होगा।''

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर्स, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 यथा संशोधित के अध्यधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ, लाभांश सहित, यदि कोई हो, के साथ-साथ सभी मामलों में समरूप होंगे।''

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी भी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(हामीदारों), निक्षेपागार(निक्षेपागारों) के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाएं निष्पादित करे तथा उसमें शामिल हो। उसे इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी एजेंसियां जो उक्त प्रतिभूतियों की ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध हैं, उन सभी ऐसी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इनके जैसे माध्यम से पारिश्रमिक दे तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि में शामिल हो एवं निष्पादित करे।''

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(इश्यू) के प्रारूप एवं शर्तों को निर्धारित करे जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, प्रत्येक भाग में आबंटित करने की उनकी संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, इश्यू संबंधी प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपान्तरण/एक्ससाईज ऑफ वारंटस/प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी/प्रिफरेंश शेयरों की संख्या या रूपान्तरित अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों का मोचन या निस्तारीकरण, प्रतिभूतियों के इश्यू/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपान्तरण अवधि, अभिलेख तिथि या बही बंदी का निर्धारण और उससे संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और/या जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से सही पाता है, शामिल हैं।''

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि उपर्युक्त ऐसी सभी प्रतिभूतियां जिन पर सहमति नहीं दी गयी है, उन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार से बेचा जा सकता है जैसे बोर्ड उसे सही समझता है और जिसकी अनुमति कानून देता है।''

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा, अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।'

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein

लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक निदेशकों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।'

नोट्स :-

1. कोविड-19 महामारी के जारी रहने (दूसरी लहर) के आलोक में, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 5 मई 2020 के माध्यम से तथा सामान्य परिपत्र संख्या 2/6/2020-सीएल-वी दिनांक 13 जनवरी 2021 के माध्यम से अतिरिक्त स्पष्टीकरण (समेकित रूप से "एमसीए परिपत्र") द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है।

   वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने एक ही स्थान पर सभी सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। सेबी(सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 ("सेबी विनियम") के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में बैंक की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जाएगी।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 से मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

5. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्राय: पूछे

conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Notes:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic (second wave), the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 and further clarification vide General circular No. 2/6/2020-CL-V dated 13th January 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted to hold Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) till 31st December, 2021. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, has permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Bank is being held through VC / OAVM.

2. Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA / MOF Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3. Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/ Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Shareholders will be closed from Friday , July 16, 2021 till Tuesday, July 20 (both days inclusive) for AGM.

5. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard. Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website www.bankofindia.co.in.

6. 'ग्रीन इनिशिएटिव' का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे शेयरों के भौतिक धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।

7. यदि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, डाक का पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, बैंक का विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक की खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएसई कोड आदि में कोई भी बदलाव हो तो अपने डीपी में तथा यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो बैंक ऑफ़ इंडिया में सूचित करें।

8. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, समान नाम पर वे एकाधिक फोलियो में हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसे फोलियो का विवरण शेयर प्रमाण पत्र सहित बैंक को भेजें ताकि ऐसे फोलियो के विवरण को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके। अपेक्षित परिवर्तन करने के पश्चात् ऐसे सदस्यों को एक समेकित शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9. संयुक्त शेयरधारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज़ है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

10. जो शेयरधारक खाते या वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 13 जुलाई, 2021 को या उससे पहले बैंक को headoffice.share@bankofindia.co.in पर तत्संबंधी ई-मेल भेजें। एजीएम में बैंक द्वारा उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना बाध्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

12. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in ,स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट https.www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

13. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों को गणपूर्ति की गणना के लिए गिना जाएगा।

14. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अत: इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

6. To support the `Green Initiative', Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with the DPs in case the shares are held by them in physical form.

7. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to BOI in case the shares are held by them in physical form.

8. Members holding shares in physical form, identical order of names, in more than one folio are requested to send to the Bank, the details of such folios together with the share certificates for consolidating their holdings in one folio. A consolidated share certificate will be issued to such Members after making requisite changes.

9. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

10. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before July 13, 2021 through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.

11. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website http:www.bankofindia.co.in.

12. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated January 15, 2021, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL https:www.cdslindia.com.

13. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

14. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

15. ई-वोटिंग

बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा **मंगलवार, 13 जुलाई, 2021** को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

16. ई-वोटिंग अनुदेश

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम

1. जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 वैश्विक महामारी (दूसरी लहर) के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी तथा इसके आगे का स्पष्टीकरण सामान्य परिपत्र सं. 2/6/2020-सीएल-V दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से दिया गया है। अत: आगामी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी। अतएव, सदस्य आगामी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं तथा सहभागिता कर सकते हैं।

2. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) तथा सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) तथा उपर्युक्त उल्लिखित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु कम्पनी ने प्राधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। एजीएम की तारीख को किसी सदस्य द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली या रिमोट ई-वोटिंग का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

3. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधन कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं प्रारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें पहले आने की बाध्यता के बिना ही एजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

15. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, July 13, 2021** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

16. E-VOTING INSTRUCTIONS

CDSL e-Voting System – For Remote e-voting and e-voting during AGM

1. As you are aware, in view of the continuing COVID-19 global pandemic (second wave), the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 5, 2020 and further clarification vide General circular No. 2/6/2020-CL-V dated 13th January 2021. The forthcoming AGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

3. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Bank's (Shares and Meeting) Regulations, 2007.

5. एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए इस एजीएम में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 तथा धारा 113 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम द्वारा इस एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप एजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह एजीएम नोटिस सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं :

(i) मतदान की अवधि 16 जुलाई, 2021, शुक्रवार प्रात: 09.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 19 जुलाई, 2021, सोमवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते हैं, वे 13 जुलाई, 2021, मंगलवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलैक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान हेतु हकदार नहीं होंगे।

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजटरीज एंड डिपॉजटरी पार्टीसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अद्यतन करें।

उक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों** हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने के लिए लॉग-इन प्रकिया निम्नलिखित है :

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयोगकर्ताओं का Easi / Easiest में लॉग-इन करने हेतु यूआरएल है https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi का चयन करें।

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The voting period begins on 09.00 a.m. on Friday, July 16, 2021 and ends on 5.00 p.m. on Monday, July 19, 2021. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Tuesday, July 13, 2021 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI Circular**,** Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया
	2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगें। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुडने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके। 3) यदि यूज़र ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4) इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेबब्राऊज़र खोलें। ई-सर्विसेज का होम पेज लॉन्च होने पर, "लॉगइन" के अंतर्गत "Beneficial Owner" पर क्लिक करें जो `IDeAs' खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। 2) यदि यूज़र `IDeAs' ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.isp पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
	2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया
	3) एनएसडीएल हेतु ई-वोटिंग वेबसाइट पर क्लिक करें। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल httpd://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेबब्राअज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, 'शेयराहोल्डर्स/मेम्बर्स' खंड में उपलब्ध 'लॉगइन' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पंहुच जाएंगे।
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने **निक्षेपागार सहभागी** के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद दुबारा एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेक्स का विवरण
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या 022-23058738 तथा 022-23058542-43 पर सम्पर्क कर।
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में कोई समस्या हो रही है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नम्बर : 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

Type of shareholders	Login Method
	3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	1. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.comor contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

(iv) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

2) 'शेयरहोल्डर्स मॉड्यूल' पर क्लिक करें।

3) अब अपनी यूज़र आईडी एंटर करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी।

अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

4) डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी पर पहले ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

6) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें:-

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक *पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि कंपनी /आरटीए द्वारा भेजी गई क्रम संख्या का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

(vi) इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें।

(vii) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगइन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(iv) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for **shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.**

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) **If you are a first-time user follow the steps given below:**

	For Shareholders holding shares in Demat Form other than individual and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरों का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।

(ix) कृपया संगत <कंपनी नाम> के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।

(x) वोटिंग पृष्ठ पर, आप "RESOLUTION DESCRIPTION" देखेंगे तथा वोटिंग के लिए पुन: वही "YES/NO" विकल्प आएगा। आपकी इच्छानुसार YES या NO विकल्प चुनें। YES विकल्प के प्रयोग से आप संकल्प को सहमति प्रकट करते है तथा NO विकल्प के प्रयोग से संकल्प के लिए असहमति प्रकट होती है।

(xi) आप "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करते ही संकल्प की पूरा विवरण देख सकते है।

(xii) आप जिस संकल्प पर वोट करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो "OK" क्लिक करें अन्यथा आप वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xiii) संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) वोटिंग पेज पर `click here to print' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

(xv) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा `Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

(xvi) गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु सुविधा - रिमोट वोटिंग

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉगऑन करना होगा और "Corporates" के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
- लॉगइन ब्यौरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पत: संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्क्रूटिनाज़र तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् **headoffice.share@Bankofindia.co.in** पर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –Remote Voting

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; **headoffice.share@bankofindia.co.in**, if they have voted from individual tab & not uploaded

उसे सत्यापन हेतु स्क्रूटिनाइज़र के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले और बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम/ईजीएम के दिन बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोर्ट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही हैं।
2. रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा, वहीं वीसी/ओएवीएम हेतु बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम/ईजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. तत्पश्चात्, शेयरधारकों को कैमरा का उपयोग करने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़क लैपटॉप या टेबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अत: उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।
7. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे **बैठक से कम से कम 7 दिन पहले** अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर को (कंपनी की ई-मेल आईडी पर) प्रेषित कर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं तो **बैठक से कम से कम 7 दिन पहले** अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए (कंपनी की ई-मेल आईडी पर) अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें किसी अन्य प्रकार से रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि शेयरधारकों द्वारा ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदन को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM/EGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least **seven days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (company email id). The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **seven days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (company email id). These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM/EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM/AGM.
10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM/AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते/मोबाईल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है:

1. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx. लिंक पर क्लिक करके आरटीए को प्रेषित करें।
2. डीमैट शेयरधारकों हेतु - कृपया संबंधित सहभागी डिपॉजिटरी(डीपी) में अपना ई-मेल पता और मोबाईल नंबर अद्यतन करवाएँ।
3. एकल डीमैट शेयरधारकों हेतु- कृपया संबंधित सहभागी डिपॉजिटरी(डीपी) में अपना ई-मेल पता और मोबाईल नंबर अद्यतन करवाएँ, यह ई-वोटिंग करने और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए अनिवार्य है।

एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएल ई वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल भेज सकते हैं या 022-23058738 या 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल प्रेषित करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

अन्य अनुदेश

1. स्क्रूटिनाइजर, एजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।
2. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https:www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2

भारत में बासेल III पूँजीगत आवश्यकताओं के कार्यनिष्पादन संबंधी दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से स्तरीय तरीके से प्रभावी हो गया है। उक्त दिशानिर्देश 01 अक्टूबर, 2021 को पूर्ण रूप से चरणबद्ध हो जाएंगे। 31 मार्च, 2021 को बैंक का समग्र पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.51% की सीईटी -1 पूँजी के साथ 14.93% रहा (विनियामकीय अपेक्षा 10.875% है)। जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की वृद्धि की धारणा और लाभ के पुन: निवेश के आधार पर बैंक को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान या उसके बाद अतिरिक्त पूँजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आस्तियों में प्रत्याशित वृद्धि का मिलान किया जा सके और पूँजी पर्याप्तता के निर्धारित स्तर का विशेष रूप से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अर्थात 0.625% की अपेक्षाओं का प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर, 2021 तक मूल्यांकन किया जा सके।

बैंक पिछले कई सालों से बहुत कर्मठतापूर्वक और सावधानी से आगे बढ़

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/ MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/ DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to RTA by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.
2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Other Instructions

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.
2. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL https: www.evotingindia.com immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 2

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April 2013 in a phased manner. The guidelines will be fully phased in as on 01st October 2021. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March 2021 stand as 14.93% (regulatory requirement 10.875%) with CET-1 Capital at 11.51%. Based on the assumption of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 2021-22 or afterwards to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. 0.625% every year till 01st October 2021.

The Bank has been growing very diligently and cautiously for the

रहा है और इसके लिए बैंक को लगातार पूंजी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक को दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता है। बैंक, अद्यतन तारीख तक यथासंशोधित सेबी (पूंजी इश्यू एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 एवं इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी)/पब्लिक इश्यू राइट इश्यू, फॉलों ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)/ इक्विटी शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट, बासेल III के अनुपालन में अतिरिक्त टियर -1 बॉन्डस, टियर-2 कैपिटल बॉन्ड्स या ऐसे किसी अन्य इश्यू के माध्यम से निजी संस्थान द्वारा पूंजी जुटाना प्रस्तावित करता है।

वर्तमान संकल्प भी प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल इक्विटी शेयर, टीयर-1/टियर-2 पूंजी को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य नियमों पर जारी कर सकें।

विशेष संकल्प के अनुरुप इक्विटि शेयर/टियर- I, टियर- II पूँजी बॉन्डों का प्रस्तावित इश्यू सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते है।

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कुछ रुचि या हित नहीं रखते है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(ए. के. दास)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

मुबंई, दिनांक : 04 जून, 2021

last many years and there is constant requirement of capital. In order to meet this growing requirement, Bank needs long term capital. The Bank proposes to raise capital by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /public issue, rights issue, Follow on public offer (FPO)/ private placement of equity shares, Basel III compliant Additional Tier-I Bonds, Tier-II capital Bonds, or such other modes of issue, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

The proposed resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares, Tier-I/ Tier-II capital bonds at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares / Tier-I, Tier-II capital bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in Item 2 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

A K Das
Managing Director & CEO

Mumbai, June 04, 2021

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

हमारा दृष्टिकोण

"कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान"।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

"सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना"।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और संरक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **info@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in**, पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.co.in** to get the soft copy of Annual Report 2020-21.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **info@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

BOI

Standing together in your noble endeavour.

BOI Aarogyam

T&C Apply

Bank of India

Relationship beyond banking

Please visit: www.bankofindia.co.in | Follow us on:
Contact us on: 1800 220 229/1800 103 1906 (Tollfree)